....पढ़ें सिर्फ उतना, सेलेक्शन के लिए ज़रूरी है जितना !

वर्ष 4 : अंक 41 : जून 2025 : मूल्य ₹100/-

संस्कृति IAS

करेंट अप-टू-डेट

मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

- महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह
  (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू., साइन्स रिपोर्टर)
- सीसैट एवं निबंध
- क्विक रिवीज़न

संस्कृति IAS

संस्कृति पब्लिकेशन्स की प्रस्तुति

हिन्दी माध्यम

CSE
- GS Booklet
- PYQs
- Synopsis
- Practice Set

STATE PCS
- UPPSC
- MPPSC
- BPSC
- RAS

पुस्तकों की विशेषताएँ

परीक्षा के वर्तमान पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री

आवश्यक सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण

विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षापयोगी बनाने पर विशेष बल

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | 9555 124 124 | sanskritiias.com

संस्कृति करेंट अप-टू-डेट

वर्ष 4 | अंक 41 | जून 2025 | ₹100

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

अमित कुमार सिंह, ए.के. अरुण, सीबीपी श्रीवास्तव, कुमार गौरव, के.पी. द्विवेदी, राजेश मिश्रा, रीतेश आर. जायसवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

संपादक

सुशील शिवनाथ

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

संपादकीय परामर्श

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, पंकज तिवारी, पुनीत पाल, शिव कुमार चौबे

संपादन सहयोग

अभिषेक शुक्ल

लेखन एवं संकलन

अभिजित मिश्र, विपिन चौधरी, देवराज सिंह, प्रीति गुप्ता, हरिशंकर, ऋषि कुमार शर्मा

प्रूफरीडिंग सहयोग

कमलेश पाण्डेय, रेनू

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, संतोष झा, जसवीर सिंह, अमित कुमार, गुलफाम, हेम राज, निकित

संपादकीय पत्र व्यवहार

संपादक

संस्कृति करेंट अप-टू-डेट

संस्कृति पब्लिकेशन्स

E-mail: sushilnathkumar@gmail.com

636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें, ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 8800873762 (सुशीलनाथ कुमार)

वितरण, विज्ञापन एवं पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं एस.के. इंटरप्राईज़ेज, प्लॉट न. 92/6/2 एवं 92/15, रोड न.-1, मुंडका उद्योग नगर (साउथ साइड) इंड्स्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110041 से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 8

करेंट अफेयर्स 9-136

राजव्यवस्था एवं शासन 9-17

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 9
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एवं जाँच प्रक्रिया संबंधी मुद्दे 12
भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 व 272 13
जम्मू एवं कश्मीर में अधिवास संबंधी मुद्दा 14
नागरिक विवादों का अपराधीकरण 14
राज्यों में स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता 16
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन 17

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 18-37

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025 18
सिंधु जलसंधि के स्थगन के प्रभाव 20
प्रत्यर्पण एवं प्रत्यर्पण ढाँचा 24
भारत-यूरोपीय संघ संबंध 25
भारत-श्रीलंका संबंध 27
भारत-थाईलैंड संबंध 31
ईरान का परमाणु कार्यक्रम एवं भारत का दृष्टिकोण 34
भारत-बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट सुविधा 35
चीन का हाइड्रोजन बम उपकरण व शक्ति-संतुलन 36
बाकू टू बेलेम रोडमैप 37

आर्थिक घटनाक्रम 38-45

रेसिप्रोकल टैरिफ 38
व्यापार युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था 39
मौद्रिक नीति में परिवर्तन एवं इसके प्रभाव 40
अर्थव्यवस्था में रचनात्मकता के अवसर 41
एक राज्य-एक आर.आर.बी. 43
RBI का त्रिभाषा फॉर्मूला 44
बैंकनेट पोर्टल 44
भीम 3.0 45

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 46-59

बायोमास उपग्रह मिशन 46
अल्फाल्फा घास : विशेषताएँ एवं उपयोग 46
प्रसवोत्तर प्रीक्लेम्पसिया 47
उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली 48
निसार उपग्रह मिशन 49
स्टेलाइट नोज़ल डायवर्जेंट 50
अंतरिक्ष-आधारित क्वांटम सेंसर 51
पार्किंसन के उपचार में सहायक स्टेम सेल थेरेपी 52
K2-18b में बायोसिग्नेचर की खोज 52
आयरनवुड TPU 53
टाइप 5 डायबिटीज़ 54
टेक्स्ट नेक सिंड्रोम 55
व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक 56
आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण के 50 वर्ष 58
जुगुलर शिराएँ 58
कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान की नई विधि 59

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 60-71

वन्य एवं वन्यजीव 60-66

डायर वुल्फ : विलुप्त प्रजाति का पुनर्जनन 60
डोमोइक एसिड एवं डायटम 61
लोबोथोरैक्स भारत 62
थियोबाल्डियस कोंकणेंसिस 62
वुली फ्लाइंग गिलहरी 63
दुर्लभ गोल्डन टाइगर 63

कोलॉसल स्क्विड 64

ग्रेट व्हाइट शार्क 64

अंटार्कटिक महासागर पर दुर्लभ जीवों की खोज 65

जैवस्काइलावायरस 66

सैटिरियम क्यूरियोसोलस 66

जलवायु परिवर्तन *67-70*

कार्बन अधिकार : महत्त्व, संरक्षण एवं प्रासंगिकता 67

वैश्विक प्रवाल विरंजन 68

प्रदूषण *70-71*

एंटीबायोटिक प्रदूषण 70

जैव विविधता *71*

बफर ज़ोन विकास योजना 71

भूगोल *72-79*

भू-भौतिकी घटनाएँ *72-78*

भारत में जिप्सम खनन 72

विश्वामित्री नदी पुनरुद्धार परियोजना 72

हीटवेव के लिए IMD की कलर कोडित चेतावनी प्रणाली 73

अरल सागर त्रासदी 74

हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में हिम स्थायित्व में कमी 75

डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो-कॉन्टिनेंट : एक नया महाद्वीप 77

चर्चित स्थल *78-79*

माउंट कनलाओन 78

रामगढ़ झील पुनरुद्धार परियोजना 78

चर्चित समुदाय *79*

कोच-राजबोंगशी समुदाय 79

कृषि *80-82*

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण 80

चावल में आर्सेनिक का बढ़ता स्तर 80

भूमि पुनरुद्धार साझेदारी 81

भारतीय कपास निगम 82

उद्योग *83*

उद्योगों की ब्लू श्रेणी 83

अवसंरचना *84-87*

प्लास्टिक पार्क योजना 84

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन 84

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का उन्नयन 85

शिपिंग उद्योग पर पहला वैश्विक कार्बन टैक्स 87

इतिहास, कला एवं संस्कृति *88-98*

डोकरा धातु शिल्पकला एवं मीनाकारी कला 88

सारनाथ मूर्तिकला शैली 89

श्रीमद्भगवद्गीता एवं नाट्यशास्त्र 89

पोप फ्राँसिस के उत्तराधिकारी का चयन 92

मेहरगढ़ के संबंध में नया शोध 94

विश्व धरोहर दिवस 95

स्टेगोडॉन गणेशा 96

देवगिरी किला 96

जिबली कला 96

गोलकोंडा ब्लू हीरा 97

त्रिपुरा जात्रा उत्सव 98

सामाजिक मुद्दे *99*

भारत में मानव तस्करी से संबंधित मुद्दे 99

आंतरिक सुरक्षा *100-103*

राष्ट्रीय सैन्य अंतरिक्ष नीति : चुनौतियाँ एवं समाधान 100

सीमापार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख 101

नाग मिसाइल प्रणाली 102

ग्लाइड बम 'गौरव' 102

प्रोजेक्ट वर्षा 102

INS सूरत : एक आधुनिक स्टील्थ विध्वंसक 103

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 104-108

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता 104

केस स्टडी 106-108

केस स्टडी-1 106

केस स्टडी-2 108

विविध 109-136

राष्ट्रीय घटनाक्रम 109-112

जूविन पोर्टल 109

कलैगनार कैविनाई थिट्टम 109

त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी नेटवर्क 110

आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम 110

वारंगल चपाता मिर्च 111

समुद्र प्रदक्षिणा मिशन 112

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 112-113

अंतर-संसदीय संघ 112

सूचकांक एवं रिपोर्ट 113-116

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025 113

डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, 2024 114

संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट 115

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 115

पंचायत उन्नति सूचकांक 116

योजनाएँ एवं कार्यक्रम 116-122

शून्य गरीबी- पी4 पहल 116

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 117

स्वामित्व योजना 118

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम II 119

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 119

पीएम पोषण योजना 120

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पहल 120

निवेशक दीदी पहल 121

ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 121

बाल-सुरक्षा राज्य कार्य योजना 122

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संस्थान 122-126

सर्वोच्च न्यायालय 122

अंतर्राष्ट्रीय संगठन 126-129

विश्व मौसम विज्ञान संगठन 126

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम 129

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 130

महत्त्वपूर्ण दिवस 131

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार 131

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ 133

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन 134

महत्त्वपूर्ण शब्दावली 135

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 137-147

योजना 137-139

कुरुक्षेत्र 139-141

डाउन टू अर्थ 141-144

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 144-146

साइन्स रिपोर्टर 147

निबंध उद्धरण 148

क्विक रिवीज़न 149-162

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 149-153

मानचित्र अध्ययन 154-155

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 156-161

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 162

हिंदी माध्यम

संस्कृति IAS

दिल्ली के साथ अब प्रयागराज में भी...

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

Distance Learning Programme DLP

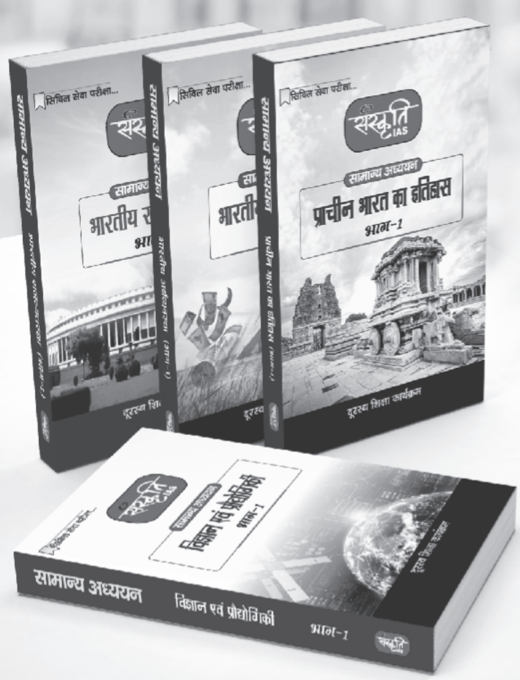

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- यह कार्यक्रम ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार (डिज़ाइन) किया गया है, जो किन्हीं वजहों से हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री प्रकृति में सरल, संक्षिप्त, प्रामाणिक और परीक्षोन्मुखी है। इसे हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अनुभवी एवं प्रतिबद्ध कॉन्टेंट राइटरों द्वारा तैयार किया गया है।
- सिविल सेवा परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री इस तरह से तैयार की गई है कि कोई भी टॉपिक छूटने न पाए, अर्थात् अध्ययन की सरलता हेतु सभी अध्यायों में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उचित समावेश किया गया है।
- अध्ययन सामग्री को पैराग्राफ्स, बुलेट फॉर्म, सारणी, मानचित्र एवं फ्लोचार्ट के माध्यम से उपयोगी एवं सरल बनाया गया है।

Fee Details

IAS Prelims	₹ 9,000
IAS Mains	₹ 12,000
IAS Prelims + Mains	₹ 14,000
IAS Optional History	₹ 6,000
IAS Optional Geog.	₹ 6,000

प्रिलिम्स अध्ययन सामग्री
25 Booklets

मेन्स अध्ययन सामग्री
27 Booklets

प्री.+मेन्स अध्ययन सामग्री
35 Booklets

For Demo

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 9555 124 124 sanskritiias.com

सोशल मीडिया की दोधारी तलवार पर कड़ी नज़र

प्रिय विद्यार्थियों,

आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मनोरंजन, व्यापार और व्यक्तिगत संचार के अलावा योजनाबद्ध रूप से अपनी छवि को चमकाने यानी इंप्रेशन मैनेजमेंट के लिए बखूबी किया जा रहा है। इस मंच के कुशल उपयोग के चलते अनेक लोगों ने एक बड़े सामाजिक वर्ग में अपनी अलहदा और पुख्ता डिजिटल पहचान अर्जित कर ली है। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं जो इनकी गतिविधियों, रहन-सहन, वाक्पटुता और विचारों से प्रभावित होकर उनके फॉलोअर्स बनते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं।

हम देख रहे हैं कि हर नई पीढ़ी तकनीक के साथ अधिक सहज होती गई है और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि डिजिटल युग के इस चमकीला प्लेटफॉर्म का अत्यधिक उपयोग किस तरह से लोगों को विशेष तौर पर छात्रों को लाभान्वित करने से अधिक दुष्प्रभावों की ओर धकेल रहा है।

भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अधिकतर छात्र गूगल के साथ बड़ी होने वाली मिलेनियल्स पीढ़ी या जनरेशन वाई से आते हैं। यह पीढ़ी 1980 के दशक के शुरू में और 1990 के दशक के बीच यानी 21वीं सदी की शुरुआत में वयस्क हुई है। इस समय में जन्में लोगों को 'डिजिटल मूल निवासी' या 'डिजिटल नेटिव' भी कहा जाता है। मिलेनियल्स इंटरनेट के साथ बड़ी होने वाली पहली पीढ़ी थी। यही पीढ़ी गूगल को रेफरेंस प्वॉइंट के रूप में इस्तेमाल करने में और ऑनलाइन मल्टीटास्क करने में सबसे आगे रही है। मल्टी टैब और पेज पार्किंग विधि में काम करने में भी यही पीढ़ी सबसे सहज मानी जाती है। इसके अलावा मिलेनियल्स की इस पीढ़ी को डिजिटल संसार में सबसे अधिक सुसंगत पीढ़ी भी माना जाता है।

इसी पीढ़ी ने ही सबसे पहले जाना कि व्यक्तिगत रूप से परिचित हुए बिना भी किसी से भी वर्चुअल रूप से दोस्ती की जा सकती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी छवि को कैसे निखारा जा सकता है, किसी संदर्भ पर लोगों की राय ली जा सकती है और कैसे अपनी रुचि का एक खास समुदाय बनाया जा सकता है। शुरुआत में मिलेनियल्स का सोशल मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता अब काफी हद तक डगमगाने लगा है। अत्यधिक प्रयोग के कारण सौहार्द का यह रिश्ता अब दबाव का रिश्ता बन गया है खासकर उस समय जब सोशल मीडिया के व्यापक प्रयोग के दुष्परिणाम नए-नए रूपों में सामने आने लगे हैं। यही कारण है कि मिलेनियल्स को सोशल मीडिया के अतिशय प्रभाव वाले इस युग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते पिछले दस सालों में मिलेनियल्स सोशल मीडिया से लगभग तृप्त से दिखाई देने लगे हैं।

वे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल अब एक खराब लत बन गई है। ऑनलाइन दुनिया अपने साथ कई तुलनाओं और दबावों को लेकर आई है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का अधिक इस्तेमाल छात्रों को तनावग्रस्त, चिंतित और उदास बना देता है। अपने फोन में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण लोगों का आपस में मिलना-जुलना कम हो रहा है। लगातार पढ़ने रहने की एकरसता को खेल-कूद और व्यायाम-प्राणायाम से दूर करने की बजाय छात्र फोन उठाकर स्क्रॉलिंग करना अधिक पसंद करते हैं। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों की चर्चा के लिए बने समूहों में बातचीत करने से भी अक्सर बचते दिखाई देने लगे हैं।

इसी दुष्प्रभावों से बचने के लिए आजकल डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम भी चलाए जाने की नौबत आ गई है जिसमें स्मार्टफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि उपकरणों से दूरी बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं।

परीक्षा की तारीख के नज़दीक आने पर लंबे समय तक पढ़ते रहने से उत्पन्न उबाऊपन, भूख न लगना या अधिक खाने को मन करना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, नींद न आना जैसी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अक्सर छात्र फोन को हाथों में थाम लेते हैं और फोन स्क्रॉलिंग करते हुए उनका काफी समय कब व्यतीत हो जाता है उन्हें खुद इसका पता ही नहीं चलता। समय बर्बादी की इसी खीज में पढ़ने पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं मगर लाख कोशिशों के बाद भी वे एकाग्र नहीं हो पाते। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे अपने स्क्रीन टाइम कम से कमतर रखें और कई चैनलों पर भटकने व मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से प्रभावित होने के बजाय अपने पाठयक्रम पर फोकस रहें।

अंत में यह हमारे हाथ में ही है कि हम इस मंच का किस तरह से उपयोग करें। ज़ाहिर है हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उस हिस्से का चुनाव करना चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी के तौर पर आपके लिए सकारात्मक हो। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सोशल मीडिया के दोधारी तलवार होने की बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे मुस्तैद अनुशासन को अपने करीब जगह देनी चाहिए जो सोशल मीडिया को उनका कीमती समय चुराने से रोक सकता हो।

शुभकामनाओं सहित

AMurti

(अखिल मूर्ति)

राजव्यवस्था एवं शासन

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

संदर्भ

वक्फ बोर्ड के कार्यों को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024' और 'मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2024' राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं।

वक्फ के बारे में

- 'वक्फ' अरबी भाषा के 'वकुफा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ 'बाँधना', 'रोकना' या 'समर्पण करना' होता है।
- इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति 'वक्फ' कहलाती है। दान देने वाले व्यक्ति को 'वकिफा/वकीफ' कहा जाता है।
- हालाँकि, संपत्ति दान करने की शर्त यह है कि उस चल/अचल संपत्ति से होने वाली आय को इस्लाम धर्म की खिदमत (सेवा) में ही व्यय किया जा सकता है।
- इस संपत्ति से गरीब व ज़रूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए धन देने संबंधी कार्य किए जा सकते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के काल में प्रारंभ हुई।
- **प्रथम उदाहरण :** वर्ष 1173 में सुल्तान मुहम्मद गोरी द्वारा मुल्तान की जामा मस्जिद को गाँव समर्पित करना।
- वक्फ को विनियमित करने का पहला प्रयास वर्ष 1923 में मुस्लिम वक्फ अधिनियम के माध्यम से किया गया।
- स्वतंत्र भारत में, संसद ने पहली बार वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया।
- इस अधिनियम को वर्ष 1995 में एक नए वक्फ अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया, जिसने वक्फ बोर्ड्स को अधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी।
- इस नए कानून से अतिक्रमण में वृद्धि के साथ-साथ वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे एवं बिक्री की शिकायतों में वृद्धि हुई।
- इन शिकायतों को दूर करने के लिए वर्ष 2013 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें वक्फ बोर्ड्स को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए इन बोर्ड्स को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और न्यायालय का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया।
- वक्फ बोर्ड के पास निर्णयन संबंधी असीमित अधिकार होने से मामला अधिक गंभीर हो गया।

भारत में वक्फ संपत्ति

- **कुल संपत्ति :** स्वतंत्रता के पश्चात् वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियाँ थीं, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 3 लाख (4 लाख एकड़ क्षेत्रफल) तक हो गई।
- **संपत्ति में वृद्धि :** वर्तमान में वक्फ की 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा पंजीकृत अचल संपत्तियाँ हैं, जबकि कुल चल संपत्तियों की संख्या 16,713 हैं।
- अचल संपत्तियों के क्षेत्रफल में पिछले 13 वर्षों में दोगुनी वृद्धि हुई है।
- **WAMSI पोर्टल :** इन संपत्तियों का विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (WAMSI) पोर्टल पर दर्ज किया गया है।
- **तीसरा सबसे बड़ा भू-स्वामित्व :** सशस्त्र बलों (सेना) और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भू-स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है अर्थात् सर्वाधिक भूमि के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर है।
- **कीमत :** वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है।
- **वक्फ संपत्ति का प्रबंधन :** वक्फ संपत्ति का प्रबंधन मुतवल्ली (देखभालकर्ता) करता है, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के बारे में

- **परिचय :** यह वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
  - लोक सभा में प्रस्तुत : 8 अगस्त, 2024
    - लोक सभा द्वारा विधेयक के परीक्षण के लिए जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था।
  - लोक सभा से पारित : 3 अप्रैल, 2025
  - राज्य सभा से पारित : 4 अप्रैल, 2025
  - राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति : 5 अप्रैल, 2025
  - लागू होने की तिथि : 8 अप्रैल, 2025

- **उद्देश्य :**
  - पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना
  - वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करना
  - वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना
  - पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार
  - वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना

मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2025

- **उद्देश्य :** मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना, जो कि आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की मुख्य विशेषताएँ

विशेषताएँ	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
वक्फ का गठन	वक्फ का गठन घोषणा, उपयोगकर्ता या धर्मार्थ दान (वक्फ-अल-औलाद) द्वारा किया जा सकता है।	❖ केवल घोषणा या धर्मार्थ दान के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हटा दिया गया है। ❖ दाता को कम-से-कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म पर अमल करने वाला मुसलमान होना चाहिए और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। ❖ वक्फ-अल-औलाद महिला उत्तराधिकारियों को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते।
वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति	कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं	वक्फ के रूप में पहचानी जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
वक्फ संपत्ति का निर्धारण करने की शक्ति	अधिनियम वक्फ बोर्ड को पूछताछ करने और यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं।	प्रावधान हटा दिया गया।
वक्फ का सर्वे	सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों द्वारा किया गया सर्वेक्षण।	कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।
केंद्रीय वक्फ परिषद् की संरचना	❖ अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों व वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद् का गठन करता है। ❖ सभी परिषद् सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिनमें कम-से-कम दो महिला सदस्य हों।	❖ अधिनियम के अनुसार दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए। ❖ सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और अधिनियम के अनुसार परिषद् में नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। ❖ निम्नलिखित सदस्य मुस्लिम होने चाहिए : मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून में विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष ❖ मुस्लिम सदस्यों में से दो महिलाएँ होनी चाहिए।
वक्फ बोर्ड्स की संरचना	❖ अधिनियम में राज्य से बोर्ड में मुस्लिम निर्वाचक मंडल से दो सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है : (i) सांसद, (ii) विधायक और एम.एल.सी व (iii) बार काउंसिल के सदस्य। ❖ अधिनियम में प्रावधान है कि कम-से-कम दो सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।	❖ अधिनियम राज्य सरकार को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। उन्हें मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। ❖ इसमें कहा गया है कि बोर्ड के पास होना चाहिए– • दो गैर-मुस्लिम सदस्य • कम-से-कम एक सदस्य शिया, सुन्नियों और मुसलमानों के पिछड़े वर्गों से। • बोहरा एवं अगाखानी समुदायों से एक-एक सदस्य (यदि उनके राज्य में वक्फ है) • अधिनियम में कहा गया है कि वक्फ की दो मुस्लिम सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।

ट्रिब्यूनल की संरचना	❖ अधिनियम में राज्यों को वक्फ पर विवादों को हल करने के लिए न्यायाधिकरणों का गठन करने की आवश्यकता थी। ❖ इन न्यायाधिकरणों का अध्यक्ष क्लास-1, ज़िला, सेशन, सिविल जज के बराबर रैंक का न्यायाधीश होना ❖ अन्य सदस्यों में शामिल हैं– • एक अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट के बराबर एक राज्य अधिकारी, • मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का जानकार व्यक्ति।	❖ अधिनियम ट्रिब्यूनल से बाद वाले सदस्यों को हटाता है। इसके बजाय यह सदस्यों के रूप में निम्नलिखित प्रदान करता है– • इसके अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान या पूर्व ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश • राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी।
ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अपील	❖ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम है और न्यायालयों में इसके निर्णयों के खिलाफ अपील निषिद्ध है। ❖ उच्च न्यायालय स्वयं के संज्ञान पर, बोर्ड द्वारा एक आवेदन पर, या एक पीड़ित पक्ष द्वारा मामलों पर विचार कर सकता है।	❖ अधिनियम ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम रूप देने वाले प्रावधानों को हटाता है। ❖ ट्रिब्यूनल के आदेशों को 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
केंद्र सरकार की शक्तियाँ	❖ राज्य सरकार किसी भी समय वक्फों के खातों का ऑडिट करवा सकती है।	❖ अधिनियम केंद्र सरकार को वक्फ बोर्डों के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। ❖ अधिनियम केंद्र सरकार को कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) या किसी नामित अधिकारी से इनका ऑडिट कराने का अधिकार देता है।
संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड	सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड, यदि शिया वक्फ के पास राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों या वक्फ आय का 15% से अधिक है।	शिया और सुन्नी संप्रदायों के साथ बोहरा व अगाखानी संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्डों की अनुमति है।

वक्फ से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता :** 'एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ' के सिद्धांत ने विभिन्न विवादों और दावों को जन्म दिया है। जिनमें से कुछ, द्वारका में दो द्वीपों पर दावे की तरह, अदालतों द्वारा हैरान करने वाले माने गए हैं।
- **मुकदमेबाज़ी और कुप्रबंधन :** वक्फ अधिनियम, 1995 और इसके वर्ष 2013 के संशोधन की अक्षमता के लिए आलोचना की गई है जिससे अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण एवं सर्वेक्षण में देरी जैसे मुद्दे सामने आते हैं।
    - वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व, अधिकार और कब्ज़े की समस्या पंजीकरण, अधिकरण के कार्य करने के ढंग व संबंधित बड़े पैमाने पर मुकदमों आदि की शिकायतों के संबंध में मंत्रालय को कई मुद्दों से भी अवगत कराया गया है।
- **कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं :** न्यायाधिकरण के फैसलों पर कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं होता है, जो वक्फ प्रबंधन को और जटिल बनाता है। उच्च न्यायिक निकाय में अपील करने की संभावना के बिना, ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए निर्णय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को कमज़ोर कर सकते हैं।
- **असंतोषजनक सर्वेक्षण कार्य :** सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य असंतोषजनक पाया गया। यहाँ तक कि गुजरात और उत्तराखंड राज्य में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अभी शुरू किया जाना है। उत्तर प्रदेश में, सर्वेक्षण का आदेश वर्ष 2014 में दिया गया था और इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सर्वेक्षण पूरा न होने का प्रमुख मुद्दा सर्वेक्षण कार्य में सर्वेक्षण आयुक्तों की विशेषज्ञता का अभाव है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के कार्य को सुचारु रूप

से पूरा करने में राजस्व विभाग के साथ सर्वेक्षण रिपोर्टों के समन्वय के मुद्दे हैं।

- **प्रावधानों का गलत उपयोग :** यह देखा गया कि राज्य वक्फ बोर्डों ने भी अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया है जिससे समुदायों के बीच असामंजस्य और असंतोष पैदा हुआ है। वक्फ संपत्ति को अर्जित करने व वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। इससे न केवल भारी संख्या में मुकदमे उत्पन्न हुए हैं, बल्कि समुदायों के बीच भी असामंजस्य पैदा हुआ है।
- **संवैधानिक वैधता :** वक्फ अधिनियम देश के केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिनियम है, जबकि किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है।

वक्फ बोर्ड/परिषद् में गैर-मुस्लिम सदस्य संबंधी मुद्दा

- गैर-मुस्लिम लोग वक्फ प्रबंधन में दानकर्ता, वादी, पट्टेदार और किरायेदार जैसे हितधारक हैं।
  - बोर्ड/परिषद् में उनका प्रतिनिधित्व इन हितधारकों को उचित प्रतिनिधित्व देने में मदद करेगा।
- धारा 96 केंद्र सरकार को वक्फ संस्थाओं की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देती है जिसमें शासन, सामाजिक, आर्थिक और कल्याण संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय के फैसले इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं।
- केंद्रीय वक्फ परिषद् राज्य वक्फ बोर्डों की देखरेख करती है।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि वक्फ प्रबंधन प्रशासनिक है, केवल धार्मिक नहीं है तथा इसका विनियमन आर्थिक और वित्तीय पहलुओं तक फैला हुआ है।
- चूँकि निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में गैर-मुस्लिम सदस्य का प्रभाव सीमित होता है।
- हालाँकि, मूल्यवान प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता लाने में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है, जो वक्फ प्रबंधन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
- वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद् में गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश न्यूनतम है, धारा 9 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से केवल दो गैर-मुस्लिम सदस्य पदेन सदस्य को छोड़कर हैं।
- संशोधन विधेयक 2025 की धारा 14 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद् में 22 सदस्यों में से केवल दो सदस्य पदेन सदस्य को छोड़कर गैर-मुस्लिम हो सकते हैं।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एवं जाँच प्रक्रिया संबंधी मुद्दे

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की है। इस संदर्भ में न्यायपालिका में पारदर्शिता एवं ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन-हाउस जाँच की प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

हालिया मुद्दे के बारे में

- 14 मार्च, 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में अग्निशमन कर्मियों को बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले।
- प्रारंभिक जाँच के बाद सी.जे.आई. ने आरोपों की जाँच के लिए तीन-सदस्यीय एक समिति गठित की है जिसके सदस्य हैं-
  1. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  2. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  3. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश
- न्यायमूर्ति वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेकर उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया है।

न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही की आंतरिक प्रक्रिया

- वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक जीवन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का पालन नहीं करने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पाँच-सदस्यीय एक समिति द्वारा जाँच की आतंरिक प्रक्रिया (In-house Procedure) विकसित की।
- यह प्रक्रिया वर्ष 1999 में शुरू हुई थी और वर्ष 2014 में इसे सार्वजनिक किया गया।

आतंरिक प्रक्रिया का क्रमवार विवरण

- जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत आती है तो मुख्य न्यायाधीश यह निर्णय लेते हैं कि मामले की जाँच की आवश्यकता है या नहीं।
- यदि जाँच ज़रूरी हो तो एक समिति गठित की जाती है जिसमें अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- समिति जाँच करने के बाद अपनी सिफारिशें सी.जे.आई. को भेजती है।
- यदि कदाचार गंभीर पाया जाता है तो न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है या राष्ट्रपति से उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की जाती है।
- यदि न्यायाधीश इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है तो राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संसद द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए निष्कर्षों से अवगत कराया जाएगा।
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ किसी भी शिकायत की जाँच एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

- सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत होने की स्थिति में जाँच के लिए गठित समिति में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश शामिल होंगे।

प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता

- **पारदर्शिता :** इस आतंरिक प्रक्रिया की गोपनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता की कमी से न्यायिक स्वतंत्रता एवं दायित्व से समझौता हो सकता है।
  - इस प्रक्रिया में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि जाँच के मुख्य निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए ताकि आम जनता का विश्वास बना रहे।
- **कठोर सज़ा का प्रावधान :** यदि कोई न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे आपराधिक दंड भी मिलना चाहिए।
- **स्वायत्त निकाय का गठन :** ब्रिटेन में 'न्यायिक आचरण जाँच कार्यालय' जैसे स्वायत्त निकाय की तरह भारत में भी एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है जो न्यायिक कदाचार के मामलों की जाँच कर सके।
- **कॉलेजियम प्रक्रिया में सुधार :** कॉलेजियम प्रक्रिया में भी सुधार ज़रूरी है, ताकि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़े व जवाबदेही सुनिश्चित हो।

महाभियोग मामले के बारे में

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को न्यायिक शुचिता का उल्लंघन करने के आधार पर उनको पद से हटाने के लिए 13 दिसंबर, 2024 को विपक्षी सांसदों ने राज्य सभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौंपा है।
- यह महाभियोग प्रस्ताव न्यायाधीश (जाँच) कानून, 1968 और संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत दिया गया है। वर्तमान में यह प्रस्ताव राज्य सभा में लंबित है।

महाभियोग प्रक्रिया

- संविधान के अनुच्छेद 124(4) [सर्वोच्च न्यायालय] और अनुच्छेद 218 [उच्च न्यायालय] के तहत न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रकिया का उल्लेख है।
- किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन अर्थात् लोक सभा एवं राज्य सभा से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- विशेष बहुमत में उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत होता है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 व 272

संदर्भ

नोएडा में एक रेस्टोरेंट मालिक को एक ग्राहक को शाकाहारी बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी डिलीवर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में 'घातक बीमारी के प्रसार संबंधी लापरवाही' जैसी धारा लगाई गई।

प्रमुख धाराएँ और उनका विश्लेषण

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271

- यह धारा उन कार्यों को दंडित करती है जो लापरवाहीवश किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने की आशंका उत्पन्न करते हैं।
- अधिकतम सज़ा : 6 महीने कैद (ज़मानती अपराध)
- पहले यह भारतीय दंड संहिता (IPC), 1870 की धारा 269 थी।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 272

- यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर बीमारी फैलाने का कार्य करता है, तो यह धारा लागू होती है।
- सज़ा : 6 महीने तक की सज़ा (ज़मानती अपराध)
- पहले यह भारतीय दंड संहिता (IPC), 1870 की धारा 270 थी।

पूर्व में इन धाराओं का प्रयोग (IPC धारा 269/270 - अब BNS धारा 271/272)

कोविड-19 महामारी (2020-2021)

कई राज्यों ने लॉकडाउन एवं क्वारंटीन उल्लंघन करने वालों पर ये धाराएँ लगाईं। गायिका कनिका कपूर पर धारा 269 लगाई गई जब उन्होंने संक्रमण के बावजूद सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

टी.बी. मरीज़ों का गैर-अधिसूचित रहना (2018)

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि यदि कोई क्लीनिक टी.बी. मरीज़ों की जानकारी सरकार से साझा नहीं करता है तो उस पर IPC 269/270 लगाई जा सकती है।

मिस्टर 'X' बनाम हॉस्पिटल 'Z' मामला (2003)

इसमें HIV (Human Immunodeficiency Virus) संक्रमित व्यक्ति द्वारा विवाह करने पर धारा 269 लगाने की मांग को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि सहमति से विवाह होने पर यह लागू नहीं होता है।

शिव कुमार बनाम पंजाब राज्य (2008)

उच्च न्यायालय ने कहा कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता संबंधी मामलों में आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है और ऐसे मामलों के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का प्रयोग उचित है।

ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय

- रेस्टोरेंट और डिलीवरी सेवाओं की सख्त निगरानी
- फूड हैंडलिंग संबंधी प्रशिक्षण
- कानूनी जागरूकता
- शिकायत निवारण प्रणाली

जम्मू एवं कश्मीर में अधिवास संबंधी मुद्दा

संदर्भ

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने विधान सभा को बताया कि पिछले दो वर्षों (2023-24) में 83,000 से अधिक गैर-राज्यीय लोगों को राज्य में अधिवास प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। इसी अवधि में जम्मू एवं कश्मीर में जारी किए गए अधिवास प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या 35,12,184 है।

जम्मू एवं कश्मीर में अधिवास प्रमाण-पत्र के बारे में

- 35,12,184 में से कुल 83,742 'गैर-राज्य विषयों' (Non-State Subjects) को अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किए गए।
- राज्य विषय (State Subjects) शब्द का तात्पर्य जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासियों से है। इसी प्रकार 'गैर-राज्य विषय' से तात्पर्य राज्य के अस्थायी निवासियों से है।
- ये प्रमाण-पत्र व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने और केंद्र-शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदने की अनुमति देते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर अधिवास संबंधी नियम

जम्मू एवं कश्मीर संविधान

- जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के तहत भारत का नागरिक दो शर्तों के तहत तत्कालीन राज्य का स्थायी निवासी था :
  - यदि 14 मई, 1954 को वे वर्ग I या वर्ग II के 'राज्य विषय' (स्थायी निवासी) थे और उन्होंने राज्य में कानूनी रूप से अचल संपत्ति अर्जित की थी एवं उस तारीख से पहले कम-से-कम 10 साल तक राज्य में सामान्य रूप से निवासी थे।
  - ऐसे लोग जो उन क्षेत्रों में चले गए थे जो बाद में पाकिस्तान बन गया किंतु, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधिकार के तहत या उसके तहत जारी किए गए पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए परमिट के तहत राज्य में वापस आ गए थे।

भारत का संविधान

- संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था और इसे अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया था। इसके अंतर्गत केवल जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासी ही सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते थे और वहाँ भू-स्वामी हो सकते थे।
  - इस प्रावधान ने गैर-राज्य विषयों को जम्मू एवं कश्मीर में स्थायी रूप से रहने से रोक दिया था।

जम्मू एवं कश्मीर अधिवास प्रमाण-पत्र अनुदान (प्रक्रिया) नियम 2020

- मई 2020 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के कुछ महीनों बाद जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने 'जम्मू एवं कश्मीर अधिवास प्रमाण-पत्र अनुदान (प्रक्रिया) नियम 2020' नामक एक अधिसूचना जारी की, जिसमें केंद्र-शासित प्रदेश में अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने के नियमों को परिभाषित किया गया।
- वर्तमान में अधिवासी को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो-
  - 15 साल की अवधि के लिए केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में रहता है; या
  - 7 साल की अवधि के लिए केंद्र-प्रशासित प्रदेश में अध्ययन किया है; या
  - जम्मू एवं कश्मीर में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ है।
- इसने उन लोगों को जम्मू एवं कश्मीर का अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी जो इस मानदंड को पूरा करते थे किंतु पहले 'स्थायी निवासी' के दायरे में नहीं थे।
- नए नियमों व प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और जम्मू एवं कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं के बच्चे निवास प्रमाण-पत्र के लिए पात्र हो गए।

गैर-निवासियों द्वारा संपत्ति खरीद

- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में संसद में साझा किए गए आँकड़ों से पता चला है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से 185 गैर-निवासियों ने इस केंद्र-शासित प्रदेश में ज़मीन खरीदी है।
- वर्ष 2021 में 57 गैर-निवासियों ने और वर्ष 2022 में 127 गैर-निवासियों ने केंद्र-शासित प्रदेश में ज़मीन खरीदी थी।

संबंधित चिंता

- विपक्ष की मांग है कि इस प्रमाणीकरण प्रक्रिया के खिलाफ जाँच की जानी चाहिए और इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए।
- चूँकि प्रमाणीकरण नौकरी पाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए यहाँ बड़ा आँकड़ा स्थानीय लोगों का है, जिन्हें निवास प्रमाण-पत्र द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है।

नागरिक विवादों का अपराधीकरण

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की सामान्य नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर आलोचना की है।

नागरिक विवाद व आपराधिक मामलों में अंतर

- भारतीय न्यायिक व्यवस्था में नागरिक (Civil) एवं आपराधिक (Criminal) मामलों के बीच स्पष्ट अंतर है।

न्यायिक प्रणाली

नागरिक वाद	आपराधिक मामला
1. व्यक्तिगत अधिकार	समाज के विरुद्ध अपराध
2. वादी बनाम प्रतिवादी	राज्य बनाम अभियुक्त
3. उद्देश्य : क्षतिपूर्ति	उद्देश्य : दंड
4. कानून : CPC	कानून : BNS+ BNSS
5. पुलिस की भूमिका नहीं	पुलिस जाँच व गिरफ्तारी

- नागरिक विवाद सामान्यतः संपत्ति, अनुबंध, पारिवारिक विवाद आदि से संबंधित होते हैं, जबकि आपराधिक मामले राज्य बनाम व्यक्ति होते हैं, जिसमें दंडात्मक प्रक्रिया शामिल होती है।

नागरिक विवादों के अपराधीकरण के कारण

त्वरित समाधान की लालसा

कई बार पक्षकार आपराधिक शिकायत दर्ज करवा करके न्यायिक प्रक्रिया में दबाव बनाना चाहते हैं जिससे दूसरे पक्ष को जेल, ज़मानत या पुलिस जाँच जैसी प्रक्रियाओं से डराकर जल्दी समझौते के लिए मजबूर किया जा सके।

पुलिस एवं जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग

राजनीतिक या व्यक्तिगत उद्देश्य से आई.पी.सी. की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक न्यासभंग) जैसी धाराओं का प्रयोग कर नागरिक विवादों को आपराधिक रूप दिया जाता है।

विधिक जानकारी का अभाव

पुलिस एवं कभी-कभी न्यायालयों को भी नागरिक व आपराधिक मामलों के अंतर की सही समझ नहीं होती है जिससे सामान्य व्यापारिक या संविदात्मक विवादों को भी FIR में दर्ज कर लिया जाता है।

न्यायिक विलंब

सिविल कोर्ट में फैसले में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए वादीगण आपराधिक मामला दर्ज करवा कर दबाव बनाना चाहते हैं जिससे सिविल विवाद जल्दी सुलझे।

प्रभाव एवं चुनौतियाँ

न्यायपालिका पर भार

अपराध की श्रेणी में न आने वाले मामलों का आपराधिक न्याय व्यवस्था में प्रवेश न्यायालयों एवं पुलिस बल पर अनावश्यक बोझ डालता है।

मानवाधिकार उल्लंघन

किसी व्यक्ति को गलत तरीके से आपराधिक प्रक्रिया में फँसाना उसके जीवन एवं स्वतंत्रता के मूल अधिकारों (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है।

व्यापारिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव

व्यावसायिक एवं अनुबंध संबंधी विवादों को आपराधिक रंग देने से व्यापार सुगमता एवं निवेशकों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रभाव

वास्तविक आपराधिक मामलों की जाँच की बजाय नागरिक विवादों में उलझने से पुलिस की प्राथमिकता एवं संसाधन का मुख्य विवादों से विचलन होता है।

न्यायालयों का दृष्टिकोण

जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, 2000

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई मामला, जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है।
- आपराधिक कार्रवाई, कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का शॉर्टकट नहीं है।

सी. सुब्बैया/कदम्बुर जयराज बनाम पुलिस अधीक्षक वाद, 2024

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल एवं आपराधिक विवादों के बीच अंतर करने की जटिलताओं पर बारीकी से विचार किया था, जिसमें धोखाधड़ी के आरोप शामिल थे।

विभिन्न न्यायालयों की टिप्पणियाँ

- **सर्वोच्च न्यायालय (2014) :** आपराधिक कार्रवाई का उपयोग दबाव डालने और दीवानी विवादों को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- **न्यायिक दिशा-निर्देश :** विभिन्न न्यायालयों ने यह टिप्पणी की है कि जहाँ सिविल विवाद का तत्त्व प्रमुख हो, वहाँ आपराधिक मामला नहीं बनता है।

समाधान एवं सुझाव

- **पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण :** नागरिक एवं आपराधिक मामलों में अंतर की स्पष्ट समझ होना
- **FIR की जाँच में सतर्कता :** एफ.आई.आर. दर्ज करने से पहले प्राथमिक जाँच एवं काउंटर-वेरिफिकेशन का प्रावधान

- **वैकल्पिक विवाद समाधान :** मध्यस्थता (Mediation), पंचाट (Arbitration) जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना
- **विधिक साक्षरता :** नागरिकों एवं व्यावसायियों को संविदा कानून व न्याय प्रणाली की जानकारी देना

राज्यों में स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता

संदर्भ

भारत में भाषायी विविधता और क्षेत्रीय अस्मिता हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। तमिलनाडु व असम सरकार द्वारा अपने-अपने राज्यों में तमिल एवं असमिया भाषाओं को सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य करने का निर्णय इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

राज्यों में स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता

- **तमिलनाडु :** तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी परामर्श-पत्र के अनुसार सरकारी आदेश, परिपत्र केवल तमिल में जारी किए जाने चाहिए।
  - छूट प्राप्त मामलों को छोड़कर अन्य सभी पत्र, संचार एवं पत्राचार भी तमिल में होने चाहिए।
  - सरकारी कर्मचारियों को सभी पत्राचार में केवल तमिल में ही हस्ताक्षर करने चाहिए।
- **असम :** असम में असमिया नववर्ष के पहले दिन यानी 15 अप्रैल, 2025 को सभी सरकारी कार्यों के लिए असमिया भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है।
  - बंगाली बहुल बराक घाटी (जिसमें तीन ज़िले हैं) में अंग्रेज़ी के अलावा बंगाली भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा।
  - बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में चार ज़िले हैं जिसमें सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेज़ी के साथ बोडो भाषा का प्रयोग किया जाएगा।

स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता के निहितार्थ

भारत की विविधता एवं एकता

- भारत एक बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। विभिन्न भाषाओं, धर्मों व संस्कृतियों के बीच एकता बनाए रखना भारतीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
- तमिलनाडु एवं असम द्वारा अपनी भाषाओं को अनिवार्य करने का कदम एक तरह से स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास है। हालाँकि, यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर भाषायी विभाजन को और बढ़ावा दे सकता है।
- यदि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की नीतियाँ अपनाई जाती हैं तो यह केंद्रीय सरकार की नीति और राज्य सरकारों के बीच भाषायी असहमति को जन्म दे सकता है जिससे भारत की एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

राज्य की जनता के लिए

- **स्थानीय पहचान का संरक्षण :** स्थानीय भाषाओं को सरकारी कामकाज में अनिवार्य करने से जनता को अपनी भाषा एवं संस्कृति में गर्व महसूस होगा।
- **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता :** यह कदम स्थानीय लोगों के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देगा क्योंकि वे अपनी मातृभाषा में सरकारी सेवाएँ प्राप्त करेंगे।
- **राज्य से बाहर के लोगों के लिए मुश्किलें :** यदि केंद्र या अन्य राज्यों के लोग इन भाषाओं को नहीं समझते हैं तो सरकारी कामकाज में मुश्किलें आ सकती हैं। यह प्रक्रिया समय के साथ संचार में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- **भाषायी भेदभाव :** यह कदम अन्य भाषी समुदायों के लिए भेदभावपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे राज्य में निवास कर रहे अन्य भाषायी समूहों को अपनी भाषा में सरकारी कामकाज करने में कठिनाई हो सकती है।

भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

- वर्ष 1953 में फज़ल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर करना था।
- आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद कई नए राज्य बने और पुराने राज्यों की सीमाएँ पुनर्निर्धारित की गई।

भारत में भाषा के आधार पर गठित प्रमुख राज्य

- **आंध्र प्रदेश (1953) :** आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे तेलुगू भाषा के आधार पर मद्रास प्रांत से अलग कर बनाया गया।
- **महाराष्ट्र एवं गुजरात (1960) :** महाराष्ट्र व गुजरात का गठन भी भाषा के आधार पर किया गया।
- **पंजाब (1966) :** पंजाब को दो हिस्सों में बाँटा गया। पंजाबी-बहुल क्षेत्र पंजाब राज्य में रहा, जबकि दूसरा हरियाणा के नाम से अलग राज्य बना, जहाँ हिंदी बोलने वाले लोग अधिक थे।
- **हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड (2000) :** इन राज्यों का गठन भी मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं व सांस्कृतिक अस्मिता को ध्यान में रखते हुए किया गया।

स्थानीय भाषा अनिवार्यता के विभिन्न पहलू

सकारात्मक पक्ष

- **भाषायी अस्मिता का सम्मान :** यह कदम संबंधित राज्यों के लोगों की भाषायी एवं सांस्कृतिक अस्मिता को प्रोत्साहित करता है।

- **स्थानीय भाषाओं का संवर्द्धन :** तमिल एवं असमिया जैसी अन्य स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- **स्थानीय शासन की दक्षता :** स्थानीय भाषा में कामकाज होने से प्रशासन में पारदर्शिता एवं स्थानीय लोगों को आसानी से अपनी समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं।

नकारात्मक पक्ष

- **राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव :** एक राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है और अन्य भाषाओं के बढ़ते प्रभाव से भाषायी तनाव बढ़ सकता है।
- **भाषायी राजनीति :** इससे राजनीतिक दलों को भाषायी आधार पर राजनीति करने का मौका मिल सकता है जिससे समाज में अधिक विभाजन पैदा हो सकता है।
- **उत्तर-दक्षिण विभाजन में वृद्धि :** यदि राज्य अपनी स्थानीय भाषाओं को अनिवार्य करते हैं तो यह विभाजन को और बढ़ावा दे सकता है। दक्षिण भारतीय राज्य, जहाँ हिंदी का ऐतिहासिक विरोध रहा है, इसे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ समझ सकते हैं।

विविधता में एकता बनाए रखने के उपाय

- **समान भाषा नीति :** केंद्र सरकार को एक ऐसी भाषा नीति अपनानी चाहिए जिसमें सभी राज्य भाषाओं का सम्मान हो। इसके साथ ही हिंदी एवं अंग्रेज़ी को भी सरकारी कार्यों में उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- **मूलभूत शिक्षा में भाषायी समझ :** बच्चों को विभिन्न भाषाओं के बारे में सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे सांस्कृतिक विविधता को समझ सकें और इसका सम्मान कर सकें।
- **राजनीतिक दलों का दायित्व :** राजनीतिक दलों को भाषायी मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय राष्ट्र की एकता एवं समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष

तमिलनाडु और असम में अपनी भाषाओं को सरकारी कार्यों में अनिवार्य करना राज्य की सांस्कृतिक पहचान एवं लोककल्याण को बढ़ावा देता है। हालाँकि, यह देश में भाषायी और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए, केंद्र एवं राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और संतुलन के साथ कदम उठाना चाहिए, ताकि भारत में विविधता में एकता कायम रहे और भाषा के आधार पर राजनीतिक विभाजन से बचा जा सके।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन

दिल्ली विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के बारे में

- **क्या है :** यह सभी विधायी कार्यों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जिसमें नोटिस प्रस्तुत करना, मंत्रिस्तरीय उत्तर, विधायी कार्य, चर्चा, समिति रिपोर्ट एवं डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुँच शामिल है।
- **उद्देश्य :** सदन की कार्यवाही को डिजिटल बनाकर, दस्तावेज़ों तक वास्तविक समय में पहुँच प्रदान करके तथा विधायकों व सचिवालय कर्मचारियों के बीच निर्बाध समन्वय को सक्षम करके विधायी प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता, पहुँच एवं स्थिरता लाना।
- **प्रयोग :** दिल्ली राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली 28वीं विधान सभा बन गई है।

विशेषताएँ

- **डिवाइस-न्यूट्रल एक्सेस :** स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप एवं डेस्कटॉप पर किसी भी समय, कहीं भी निर्बाध उपयोग के लिए सुलभ।
- **कागज़रहित विधानमंडल :** कागज़ के उपयोग को काफी कम करके पर्यावरण अनुकूल शासन को बढ़ावा देता है साथ ही, स्वच्छ भारत और सतत् विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- **रियल-टाइम डिजिटल रिपोजिटरी :** बहुभाषी समर्थन के साथ विधेयक, एजेंडा, नोटिस और रिपोर्ट सहित विधायी दस्तावेज़ों तक त्वरित पहुँच प्रदान करता है।
- **सुरक्षित क्लाउड अवसंरचना :** मेघराज 2.0 पर होस्ट क्लाउड अवसंरचना मज़बूत सुरक्षा, डाटा सत्यनिष्ठा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करती है।
- **mNeVA मोबाइल ऐप :** विधायकों द्वारा आसानी से अपनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, मैनुअल एवं वीडियो ट्यूटोरियल के साथ उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप।

❑❑❑

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल, 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिम्सटेक (BIMSTEC) सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों के छठें शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में

- **परिचय :** बिम्सटेक के सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय के रूप में शिखर सम्मेलन संगठन की रणनीतिक दिशा एवं प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालिया सम्मेलन सात वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक है।
- **सम्मेलन का विषय :** 'बिम्सटेक: समृद्ध, लचीला एवं खुला' (BIMSTEC: Prosperous, Resilient and Open)
- **उद्देश्य :** सदस्य देशों के बीच सुरक्षा एवं विकासात्मक चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना
- **भागीदार :** सभी 7 सदस्य देश (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड)
- **अध्यक्षता :** थाईलैंड द्वारा
  - अगले सम्मेलन के लिए बिम्सटेक की अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंपी गई।

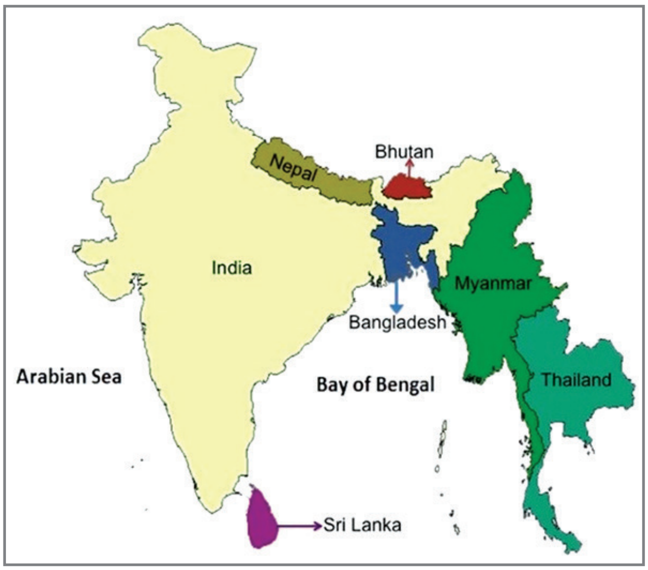

छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

घोषणा-पत्र

सभी नेताओं द्वारा सम्मेलन के घोषणा-पत्र को अपनाया गया। यह घोषणा-पत्र नेताओं के दृष्टिकोण के साथ-साथ भविष्य के सहयोग के लिए उनके निर्णयों व निर्देशों को भी प्रतिबिंबित करता है।

बिम्सटेक बैंकॉक विज़न 2030

यह बिम्सटेक का पहला विज़न दस्तावेज़ है जो समृद्ध, लचीले एवं खुले बिम्सटेक के विज़न को प्राप्त करने के लिए सदस्य राज्यों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए एक व्यापक व व्यावहारिक रोडमैप प्रदान करता है।

समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौता

यह समुद्री संपर्क बढ़ाने, सदस्य देशों के बीच अधिक व्यापार और यात्रा को सक्षम बनाने के लिए क्षेत्रीय साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

बिम्सटेक और आई.ओ.आर.ए. के बीच समझौता

यह साझा हित के प्रमुख क्षेत्रों में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) एवं बिम्सटेक के बीच भविष्य की साझेदारी को संस्थागत बनाता है।

बिम्सटेक और यू.एन.ओ.डी.सी. के मध्य समझौता

यह साझा प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) और बिम्सटेक के बीच साझेदारी को औपचारिक बनाता है।

बिम्सटेक तंत्र के लिए प्रक्रिया के नियमों को अपनाना

यह नियम, बिम्सटेक चार्टर के साथ मिलकर बिम्सटेक के तहत क्षेत्रीय सहयोग के लिए संस्थागत ढाँचे की एक मज़बूत नींव रखते हैं जिससे अधिक दक्षता व स्थिरता सुनिश्चित होती है।

भूकंप पर संयुक्त बयान

म्याँमार और थाईलैंड में 28 मार्च, 2025 को आए भूकंप पर बिम्सटेक नेताओं का संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें प्रभावित देशों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

भारत की 21 सूत्रीय कार्य योजना

- प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में 21 सूत्रीय कार्य योजना का अनावरण किया गया।
  - इस योजना में क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक सहयोग एवं तकनीकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - इस कार्य योजना में 'मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्सटेक' (BIMSTEC for Organised Development of Human resource Infrastructure : BODHI) भी शामिल है।
- यू.पी.आई. को बिम्सटेक भुगतान प्रणालियों से जोड़ना और चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना।

- बिम्सटेक की 30वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में वर्ष 2027 में बिम्सटेक खेलों का आयोजन।
- बिम्सटेक सदस्य देशों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में नैनो-सैटेलाइट बनाने एवं ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने व रिमोट सेंसिंग डाटा के उपयोग को बढ़ावा देने की पेशकश।
- क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और समुद्री नीतियों में समन्वय बढ़ाने के लिए भारत में एक सतत् समुद्री परिवहन केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया।
- सदस्य देशों के गृह मंत्रियों के तंत्र की पहली बैठक भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव।
- योजना के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल के तहत, बिम्सटेक देशों के युवा राजनयिकों के लिए हर साल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और नालंदा विश्वविद्यालय में बिम्सटेक छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रस्ताव।
- टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा बिम्सटेक देशों में कैंसर देखभाल में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान और प्रसार के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र व किसानों के लाभ के लिए ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के आदान-प्रदान के लिए भारत में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव।
- वर्ष 2025 में भारत में बिम्सटेक पारंपरिक संगीत समारोह का आयोजन।
- कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर काम करने का प्रस्ताव।
- युवाओं की भागीदारी के लिए, बिम्सटेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन।
- बिम्सटेक हैकथॉन और युवा पेशेवर आगंतुक कार्यक्रम का प्रारंभ।

बिम्सटेक समूह के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

राजनीतिक मतभेद

बिम्सटेक देशों के बीच राजनीतिक मतभेद आपसी सहयोग में रुकावट बन सकते हैं। विभिन्न देशों की आंतरिक और विदेश नीतियों के कारण सामूहिक निर्णयों को लागू करना कठिन हो सकता है।

आर्थिक विषमताएँ

बिम्सटेक देशों के बीच आर्थिक असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। कुछ सदस्य देश (जैसे– भारत और थाईलैंड) आर्थिक दृष्टि से मज़बूत हैं, जबकि अन्य देशों (जैसे– नेपाल व भूटान) में विकास की गति धीमी है। इससे क्षेत्रीय सहयोग में असमानता उत्पन्न हो सकती है।

सुरक्षा मुद्दे

बिम्सटेक देशों के बीच सीमा विवाद और सुरक्षा संबंधी अन्य मुद्दे क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इन मुद्दों पर सहमति बनाने में समय लग सकता है।

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में

BIMSTEC

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

- **परिचय :** यह बंगाल की खाड़ी पर निर्भर दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **पूरा नाम :** बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)
- **उद्देश्य :** भारतीय महासागर क्षेत्र के देशों के बीच बहुपक्षीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना
- **स्थापना :** 6 जून, 1997 को बैंकॉक में BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका एवं थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के रूप में
- **नामकरण :** 31 जुलाई, 2004 को पहले शिखर सम्मेलन में समूह का नाम बिम्सटेक किया गया।
- **चार्टर लागू :** 20 मई, 2024 से
- **स्थायी सचिवालय :** ढाका, बांग्लादेश
- **वर्तमान अध्यक्ष :** बांग्लादेश (इसका नेतृत्व देश के नामों के वर्णानुक्रम में चक्रीय रूप से रहता है।)
- **प्रभाव :** इस संगठन के देश (सदस्य राज्यों) में 1.73 बिलियन लोग रहते हैं और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
- **सदस्य देश :** बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड
- **बिम्सटेक के सिद्धांत**
  - बिम्सटेक के भीतर सहयोग संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, अहिंसा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के सम्मान पर आधारित है।
  - बिम्सटेक के भीतर सहयोग सदस्य देशों से जुड़े द्विपक्षीय, उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का पूरक होगा और उसका विकल्प नहीं होगा।

जलवायु परिवर्तन

हिंद महासागर क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि, तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना बिम्सटेक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

समाधान

राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना

सदस्य देशों के बीच राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना और उनके मतभेदों को सुलझाने के लिए एक साझा मंच बनाना ज़रूरी है। इससे संगठन की स्थिरता बढ़ेगी।

आर्थिक सहयोग बढ़ाना

समृद्ध देशों को अपनी तकनीकी और वित्तीय सहायता के ज़रिए अन्य सदस्य देशों को समर्थन देना चाहिए। इससे आर्थिक विकास में समानता आएगी व क्षेत्रीय सहयोग मज़बूत होगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त प्रयास

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साझा रणनीति तैयार की जानी चाहिए, जिसमें हर सदस्य देश की भूमिका स्पष्ट हो और सभी मिलकर काम करें।

सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना

सुरक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्सटेक देशों को संयुक्त सुरक्षा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि सीमा पार आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों का सामना किया जा सके।

निष्कर्ष

बिम्सटेक के छठे सम्मेलन ने इस संगठन के लिए एक नई दिशा तय की है। इसके द्वारा उठाए गए कदम व समझौते क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करेंगे और बिम्सटेक देशों के बीच समृद्धि एवं लचीलापन लाने में मदद करेंगे। भविष्य में संगठन को राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन यदि सदस्य देश एकजुट होकर काम करते हैं, तो बिम्सटेक का भविष्य उज्ज्वल है।

सिंधु जलसंधि के स्थगन के प्रभाव

संदर्भ

कश्मीर के पहलगाम स्थित बरसैन घाटी में पर्यटकों पर आतंकी हमले तथा इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता होने के कारण भारत ने सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

सिंधु जल समझौते के प्रमुख प्रावधान

- **हस्ताक्षर :** 19 सितंबर, 1960 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच।
  - इस संधि पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान ने हस्ताक्षर किए।
- **मध्यस्थता :** विश्व बैंक द्वारा
- **नदी व्यवस्था :** छह नदियाँ शामिल- सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज
- **जल आवंटन :**
  - भारत को पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) के जल उपयोग का अधिकार
  - पाकिस्तान को पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चेनाब) के जल उपयोग का अधिकार
  - इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली से 20% पानी भारत को तथा शेष 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है।
- **विशेष प्रावधान :** भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग (जल-विद्युत उत्पादन, सिंचाई) की अनुमति है।

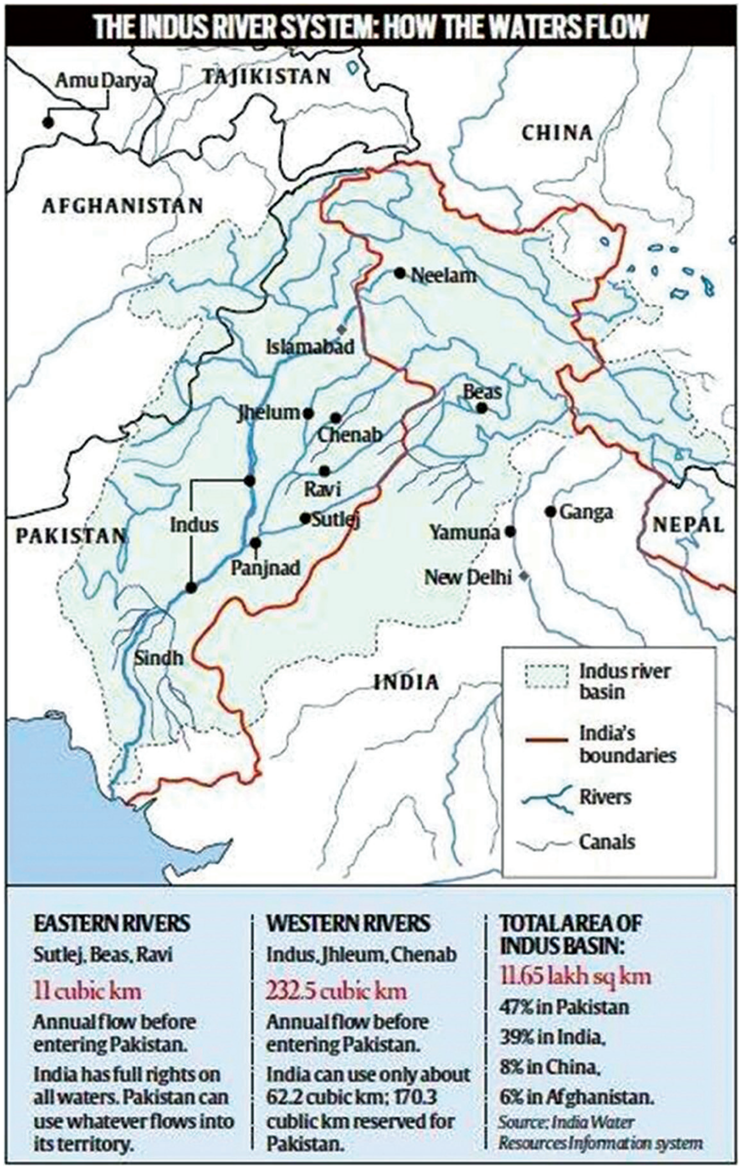

- दोनों देशों ने एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया है। इस संधि के अनुच्छेद VIII (5) के अंतर्गत स्थायी सिंधु आयोग की बैठक चक्रानुसार एक बार भारत और एक बार पाकिस्तान में आयोजित की जाती है।

निगरानी एवं विवाद समाधान

- इस संधि का अनुच्छेद IX मतभेदों एवं विवादों के निपटारे से संबंधित है।
- अनुच्छेद IX के अनुसार, किसी भी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए तीन संभावित उपाय किए जा सकते हैं–
  - स्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से विवादों का समाधान करना।
  - विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ से परामर्श करना।
  - विश्व बैंक एवं स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के साथ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का समाधान करना।

सिंधु नदी

- **उद्‌गम स्थल :** मानसरोवर झील के पास, तिब्बत (कैलाश पर्वत श्रेणी)
- **प्रवाह मार्ग :** तिब्बत → लद्दाख (भारत) → गिलगित-बाल्टिस्तान → पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत → अरब सागर में विसर्जन

मुख्य सहायक नदियाँ

- **बाएँ किनारे से (Left-bank Tributaries) :** सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम एवं ब्यास (सतलुज की सहायक)
- **दाएँ किनारे से (Right-bank Tributaries) :** श्योक, गिलगित, कुर्रम, गोमल, स्वात एवं काबुल

सिंधु जलसंधि को स्थगित करने का प्रभाव

पाकिस्तान पर

जल संकट

सिंधु नदी पाकिस्तान के कई शहरों को पेयजल की आपूर्ति करती है। जलापूर्ति बाधित होने से शहरी आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कराची, लाहौर एवं मुल्तान जैसे प्रमुख शहर इस जल पर निर्भर हैं।

कृषि पर प्रभाव

- पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। यह नदी इसके 25% जी.डी.पी. एवं 70% ग्रामीण आबादी की आजीविका का समर्थन करती है।
- अगर भारत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चेनाब) के पानी को रोकता है या डायवर्ट करता है तो पाकिस्तान में सिंचाई का संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे खाद्य उत्पादन घटेगा, अनाज व सब्जियों की कमी हो सकती है।

विद्युत उत्पादन पर प्रभाव

- पाकिस्तान के कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स सिंधु नदी पर आधारित हैं। जलापूर्ति घटने से बिजली संकट गहरा सकता है। तरबेला एवं मंगल जैसे बाँध पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं जो जल प्रवाह में कमी से प्रभावित हो सकते हैं।
  - मंगल बाँध पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मीरपुर ज़िले में झेलम नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय बाँध है।
  - तरबेला बाँध पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अटक शहर से कुछ दूर सिंधु नदी पर स्थित है।

पर्यावरणीय प्रभाव

- नदियों में जल की मात्रा घटने से आर्द्रभूमियों (Wetlands), मछली पालन एवं पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान होगा।
- बाढ़ एवं सूखे की तीव्रता व बारंबारता में वृद्धि।

राजनीतिक एवं कूटनीतिक तनाव

- संधि को खत्म करना भारत-पाक संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है।
- पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों (जैसे- संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक) पर भारत के खिलाफ शिकायत कर सकता है।

भारत पर प्रभाव

रणनीतिक लाभ

पाकिस्तान पर कूटनीतिक एवं जल-आधारित दबाव बनाने का साधन।

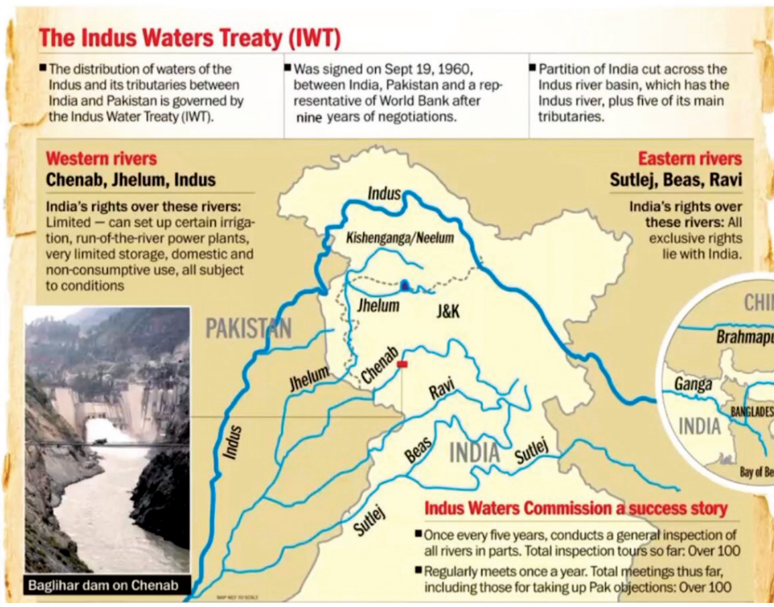

कानूनी एवं नैतिक प्रश्न

इस संधि का स्थगन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और विश्व बैंक के मध्यस्थता प्रावधानों से जुड़ा विवाद उत्पन्न कर सकता है।

आंतरिक क्षमता विकास का अवसर

भारत पश्चिमी नदियों पर जल संरक्षण एवं जल-विद्युत परियोजनाओं को अब अधिक तीव्रता से विकसित कर सकता है। इस संधि के निलंबित होने से भारत को जल भंडारण बाँध बनाने, जल प्रवाह डाटा साझा न करने और पनबिजली परियोजनाओं पर डिज़ाइन प्रतिबंध हटाने की स्वतंत्रता मिलती है।

अंतर्राष्ट्रीय छवि

- सिंधु जलसंधि को एक उदाहरणात्मक शांतिपूर्ण संधि माना जाता है। अगर भारत इसे रद्द करता है तो भारत की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दुनिया के अन्य देश भारत पर दबाव बना सकते हैं कि वह संधि का पालन करे।

संधि को स्थगित करने की प्रभावकारिता

तत्कालिक प्रभाव

- भारत के बुनियादी ढाँचे (जैसे- बाँध, संग्रहण क्षेत्र, नहर) की कमी के कारण तत्काल जल प्रवाह में अधिक कमी करना संभव नहीं है और इसका तत्कालिक प्रभाव सीमित हो सकता है।
- साथ ही, संधि के स्थगित होने से भारत द्वारा पाकिस्तान को बाढ़ एवं सूखा की औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। यह कदम मुख्यत: पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक एवं कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है।

दीर्घकालिक प्रभाव

यदि भारत जल भंडारण या मोड़ने की क्षमता विकसित करता है तो पाकिस्तान की जल एवं खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान की सिंचाई प्रणाली (नहर आदि), अवसंरचना (बाँध, रिवरफ्रंट, नदी जलमार्ग आदि) एवं जल-विद्युत परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

नदी	प्राचीन नाम	उद्गम	भारत में प्रवेश/ प्रमुख परियोजना	प्रवाह मार्ग	संगम	अन्य बिंदु
सतलुज	शतद्रु	तिब्बत (चीन) में राकस झील के पास	हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से	तिब्बत → हिमाचल → पंजाब → पाकिस्तान	पंजाब में ब्यास नदी से	स्पीति नदी व बास्पा नदी सहायक नदी
रावी	परुष्णी (इरावती)	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित रोहतांग दर्रे के पास (कुल्लू क्षेत्र)	रंजीत सागर बाँध (Thein Dam) पंजाब (पठानकोट) व शाहपुर कंडी परियोजना		चेनाब नदी में	लाहौर इसी नदी के किनारे बसा है
चेनाब	अस्किनी (वेदों में) व चंद्रभागा	हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति में चंद्रा व भागा नदियों के संगम से	बगलीहार (रामबन : J&K), पकल डुल डैम (किश्तवाड़ : J&K), रतले डैम (J&K) सालाल परियोजना (रियासी : J&K)	हिमाचल प्रदेश → जम्मू एवं कश्मीर → पाकिस्तान	टांडी, ज़िला लाहौल-स्पीति, हिमाचल पंजाब में सतलुज के माध्यम से सिंधु नदी में विलीन होती है	

झेलम	वितस्ता	पीर पंजाल रेंज के वेरीनाग से (अनंतनाग : J&K)	उड़ी परियोजना (बारामुला : J&K), किशनगंगा परियोजना (बांदीपोरा : J&K झेलम बाढ़ नियंत्रण योजना (श्रीनगर क्षेत्र)	जम्मू एवं कश्मीर (भारत) → पाकिस्तान (PoK होते हुए पंजाब)	पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में	अलेक्ज़ेंडर व पोरस का युद्ध इसी के किनारे हुआ था (Hydaspes battle, 326 BCE)। श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे बसा है। लिद्दर व पोहु सहायक नदी है। श्रीनगर में यह नदी डल झील व वुलर झील से जुड़ी होती है
ब्यास	विपाशा	ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास (कुल्लू : HP)	पोंग डैम जल (कांगड़ा : HP) ब्यास-सतलुज लिंक (ब्यास के पानी को सतलुज में ट्रान्सफर करना, हरिके के पास)	हिमाचल प्रदेश → पंजाब	हरिके (पंजाब) में सतलुज नदी में	
श्योक	शोक लाने वाली नदी	रिमो ग्लेशियर, सियाचिन क्षेत्र के पास (लद्दाख)	श्योक नदी के किनारे ही 'श्योक वैली रोड' है जो दौलत बेग ओल्डी (DBO), गलवान घाटी, और सियाचिन बेस कैंप से जुड़ती है। नुब्रा घाटी और पांगोंग झील भी इसी प्रणाली से जुड़ी हैं	लद्दाख (भारत) → गिलगित-बाल्टिस्तान (PoK)	पाकिस्तान में सिंधु नदी से	नुब्रा नदी मुख्य सहायक नदी है। भारत के लेह, पांगोंग, गलवान व सियाचिन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से प्रवाह
गिलगित	काराकोरम हाईवे गिलगित नदी के साथ-साथ चलता है	शंधूर पास के पास, गिजर घाटी	यह नदी CPEC (चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर) मार्ग से जुड़ी है	गिलगित और इंद्रास नदी का संगम → आगे चलकर सिंधु नदी में मिलती है (जगलोत के पास)	सिंधु नदी में (जगलोत के पास)	हिंदूकुश व काराकोरम रेंज के बीच प्रवाह हुनजा नदी व बुन्जा नदी
काबुल	कुभा	हिंदूकुश पर्वत, अफगानिस्तान के पगमान क्षेत्र में	शतूत डैम	अफगानिस्तान → पाकिस्तान	पाकिस्तान में नौशेरा के पास सिंधु नदी में	कुनर नदी, स्वात नदी , पंजकोरा नदी, बारा नदी

प्रत्यर्पण एवं प्रत्यर्पण ढाँचा

संदर्भ

हाल ही में, 26/11 मुंबई हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण किया गया है। भारत में प्रत्यर्पण संधियाँ 'प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962' द्वारा शासित होती हैं।

क्या है प्रत्यर्पण

- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के अनुसार, प्रत्यर्पण का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति का आत्मसमर्पण है जिसकी मांग अनुरोधकर्ता राज्य (राष्ट्र) द्वारा प्रत्यर्पण योग्य अपराध के लिए आपराधिक अभियोग के उद्देश्य से की जाती है।
- सामान्यत: सैद्धांतिक रूप से जिस कथित अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, वह अपराध अनुरोधकर्ता राज्य और जिस राज्य से अनुरोध किया जा रहा है, दोनों में अपराध होना चाहिए।
- प्रत्यर्पण योग्य अपराध से तात्पर्य उस राज्य (राष्ट्र) के साथ प्रत्यर्पण संधि में उल्लेख किए गए अपराध से है।
- प्रत्यर्पण संधि न होने की स्थिति में, ऐसे अपराध, जिनके लिए भारत में या (उस) विदेशी राज्य में कम-से-कम 1 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान हो, उसे भी प्रत्यर्पण योग्य अपराध माना जाता है।

प्रत्यर्पण (Extradition) के सामान्य सिद्धांत

- **दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत :** प्रत्यर्पण के लिए अपराध दोनों देशों (अनुरोध करने वाला और अनुरोध प्राप्त करने वाला) के कानूनों में अपराध के रूप में परिभाषित होना चाहिए।
- **विशिष्टता का सिद्धांत :** प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध का अभियोग चलाया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्यर्पण स्वीकृत हुआ है।
- **न्यूनतम गंभीरता का सिद्धांत :** अपराध इतना गंभीर होना चाहिए कि वह प्रत्यर्पण को उचित ठहराए, जैसे– न्यूनतम एक वर्ष की सज़ा का प्रावधान हो।
- **गैर-राजनीतिक अपराध का सिद्धांत :** कुछ अपवादों (जैसे– आतंकवाद) के अलावा राजनीतिक अपराधों के लिए सामान्यत: प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है।
- **मानवाधिकार संरक्षण :** प्रत्यर्पण से व्यक्ति के मानवाधिकारों (जैसे– यातना या मृत्युदंड का खतरा) का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
- **नागरिकता का सिद्धांत :** कुछ देश अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं करते हैं, बल्कि उनके खिलाफ स्वयं मुकदमा चलाते हैं।
- **प्रमाण का सिद्धांत :** अनुरोध करने वाले देश को यह सिद्ध करना पड़ता है कि अपराध के लिए पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य मौजूद हैं।
- **पारस्परिकता का सिद्धांत :** प्रत्यर्पण आमतौर पर उन देशों के बीच होता है, जो एक-दूसरे के साथ पारस्परिक प्रत्यर्पण समझौते रखते हैं।

प्रत्यर्पण ढाँचा

वैश्विक स्तर पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण ढाँचे

- संयुक्त राष्ट्र मॉडल प्रत्यर्पण संधि (1990)
- संयुक्त राष्ट्र मॉडल प्रत्यर्पण कानून (2004)
- संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रपारीय संगठित अपराध रोधी अभिसमय (2000)
- लंदन स्कीम

भारत में प्रत्यर्पण ढाँचा

- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1993 में संशोधित) द्वारा शासित
- **नोडल प्राधिकरण :** विदेश मंत्रालय
  - प्रत्यर्पण अनुरोध विदेश मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेजा जाता है
- **प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय :** भारत सरकार द्वारा
  - हालाँकि, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- **आवश्यक शर्त :** उक्त राष्ट्र के साथ प्रत्यर्पण संधि या पारस्परिक व्यवस्था की आवश्यकता
- **भारत की प्रत्यर्पण संधियाँ :** कनाडा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, अमेरिका सहित 48 देशों के साथ

प्रत्यर्पण से संबंधित चुनौतियाँ

- राजनीतिक अपराध एवं आपराधिक अपराध के बीच का अंतर
- नागरिकता संबंधित जटिल कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाएँ
- कुछ देशों (जैसे– पाकिस्तान) के साथ संधि न होने से प्रत्यर्पण में समस्या
- अलग-अलग कानूनी प्रणालियाँ
- मानवाधिकार संबंधी विवाद
- राजनीतिक हस्तक्षेप (जैसे– चीन एवं हांगकांग के बीच विवाद)

इसे भी जानिए!

यूरोपीय संघ में लागू यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट (European Arrest Warrant : EAW) ने यूरोपीय संघ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर लंबी प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित किया। यह आपराधिक मुकदमा चलाने या हिरासत में सज़ा या हिरासत में रखने के उद्देश्य से लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए डिज़ाइन की गई न्यायिक प्रक्रियाओं को बेहतर व सरल बनाता है।

लंदन स्कीम एवं भारत

- **आधिकारिक नाम :** लंदन स्कीम फॉर एक्सट्राडिशन विदइन दि कॉमनवेल्थ (London Scheme for Extradition within the Commonwealth) या कॉमनवेल्थ स्कीम फॉर एक्सट्राडिशन
- **प्रारंभ :** वर्ष 1966 में (यथासमय संशोधित)
- **विशेषता :** राष्ट्रमंडल देशों के बीच प्रत्यर्पण के लिए सहकारी एवं मानकीकृत ढाँचा
- **समझौता की प्रकृति :** गैर-बाध्यकारी समझौता
  - इसे देश अपने घरेलू कानूनों के तहत लागू करते हैं।
- **उद्देश्य :** राष्ट्रमंडल देशों (भारत, यू.के., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि) के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण में सहयोग बढ़ाना
- **लाभ :** औपचारिक संधि न होने पर भी प्रत्यर्पण को सरल बनाना।
- **उदाहरण :** संजीव चावला (क्रिकेट सट्टेबाज़ी मामले में यू.के. से भारत प्रत्यर्पण)
- **वैश्विक संदर्भ :** 54 राष्ट्रमंडल देशों तक सीमित

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

संदर्भ

यूरोपीय आयोग कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के 27 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने 27 से 28 फरवरी, 2025 के मध्य भारत की दो-दिवसीय यात्रा की। 27 आयुक्तों में से 22 यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंध

भारत एवं ई.यू. के बीच संबंध लोकतंत्र, कानून का शासन, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद जैसे साझा मूल्यों व सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये संबंध बहुआयामी हैं और व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल, कनेक्टिविटी तथा कृषि सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत-ई.यू. द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब भारत द्वारा वर्ष 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे।
- पहला भारत-ई.यू. शिखर सम्मेलन जून 2000 में लिस्बन में हुआ था।
- वर्ष 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत-ई.यू. शिखर सम्मेलन के दौरान इन संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' में उन्नत किया गया।
- अब तक भारत एवं ई.यू. के बीच 15 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं।
- वर्तमान द्विपक्षीय संबंध जुलाई 2020 में अंतिम भारत-ई.यू. शिखर सम्मेलन में अपनाए गए 'भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप' द्वारा निर्देशित हैं।

यूरोपीय आयोग प्रतिनिधिमंडल की हालिया यात्रा

- यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की भारत की तीसरी यात्रा थी।
- यूरोपीय आयोग के दिसंबर 2024 में नए कार्यकाल के बाद से यह प्रतिनिधिमंडल की पहली विदेश यात्रा एवं साथ ही पहली भारत यात्रा भी रही।
- इस यात्रा के दौरान भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक तथा यूरोपीय आयुक्तों एवं उनके भारतीय समकक्षों के बीच द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित की गई।
- प्रधानमंत्री मोदी एवं अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के मध्य वार्ता में निम्नलिखित कदमों पर सहमति व्यक्त की गई–
  (i) वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन में तेज़ी लाना।
  (ii) नई पहलों और कार्यक्रमों से अवसरों के लिए रक्षा उद्योग व नीति पर केंद्रित चर्चा।
  (iii) भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा पहल पर समीक्षा बैठक।
  (iv) साझा मूल्यांकन, समन्वय एवं अंतर-संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुद्री क्षेत्र जागरूकता पर काम करना।
  (v) सेमीकंडक्टर और अन्य महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग।
  (vi) ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारों और उद्योग के बीच स्वच्छ व हरित ऊर्जा पर संवाद बढ़ाना।
  (vii) त्रिपक्षीय सहयोग परियोजनाओं के माध्यम से हिंद-प्रशांत में सहयोग को मज़बूत करना।
  (viii) आपदा प्रबंधन पर सहयोग को मज़बूत करना।

राजनयिक संबंध

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच पहले भी कम-से-कम सात बार मुलाकात हो चुकी है।
- यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में रायसीना डायलॉग का उद्घाटन भाषण दिया।

- प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति वॉन डेर लेयेन ने नवंबर 2024 में जी-20 रियो शिखर सम्मेलन के दौरान संक्षिप्त मुलाकात की।

आर्थिक संबंध

- **वस्तु व्यापार :** वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार $135 बिलियन रहा।
  - यूरोपीय संघ वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
  - वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ को निर्यात $76 बिलियन और यूरोपीय संघ से आयात $59 बिलियन था।
- **सेवा व्यापार :** वर्ष 2023 में दोनों पक्षों के मध्य सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार $53 बिलियन रहा।
  - इसमें $30 बिलियन का भारतीय निर्यात और $23 बिलियन का आयात शामिल है।
- **निवेश :** भारत में यूरोपीय संघ के निवेश का मूल्य 117 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमें लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियाँ भारत में मौजूद हैं।
  - यूरोपीय संघ में भारत का निवेश लगभग 40 बिलियन डॉलर है।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की अप्रैल 2022 में भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की घोषणा की गई।
- यह परिषद् भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभों का प्रतिनिधित्व करता है : डिजिटल और रणनीतिक प्रौद्योगिकियाँ; स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियाँ तथा व्यापार, निवेश व लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ।
  - इस परिषद् की पहली बैठक 16 मई, 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई।
  - दूसरी बैठक 28 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

- पहला भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जून 2021 में अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया था।
- भारत और यूरोपीय संघ ने अक्तूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया।
- भारतीय नौसेना ने अगस्त 2022 में EUNAVFOR अटलांटा के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया।
- EUNAVFOR (ऑपरेशन अटलांटा) और भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2018 एवं 2019 में सोमालिया के तट के पास मानवीय सहायता के लिए एस्कॉर्ट ऑपरेशन में सहयोग किया।

संयुक्त पहल

- प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण के बाद यूरोपीय संघ ने वर्ष 2023 में हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की।
- यूरोपीय संघ अक्तूबर 2023 से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का एक संवाद भागीदार भी है।

ऊर्जा सहयोग

- वर्ष 2016 में स्थापित भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु भागीदारी (CECP) स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
  - इसमें अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा बाज़ार, ऊर्जा सुरक्षा व अन्य ज्वलंत मुद्दों को कवर करने वाले विस्तृत कार्यक्रम शामिल हैं।
- ग्रीन हाइड्रोजन, अपतटीय पवन ऊर्जा, भारत में गैस अवसंरचना का विकास एवं मीथेन उत्सर्जन में कमी सहयोग के उभरते क्षेत्र हैं।
- यूरोपीय संघ वर्ष 2018 से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक भागीदार संगठन है।
- यूरोपीय संघ मार्च 2021 में आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल हुआ।

हरित ऊर्जा समाधान

- भारत-ई.यू. हरित हाइड्रोजन सहयोग पहल के तहत भारत नवंबर 2024 में ब्रुसेल्स में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह में एकमात्र साझेदार देश था।
  - सितंबर 2024 में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन में यूरोपीय संघ एक प्रमुख साझेदार था।
- यूरोपीय निवेश बैंक ने 1 बिलियन यूरो के वित्तपोषण के साथ भारतीय हाइड्रोजन परियोजनाओं का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- भारतीय व यूरोपीय कंपनियाँ वर्ष 2030 तक भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से नवीकरणीय और हाइड्रोजन क्षेत्रों में सहयोग कर रही हैं।

परिवहन क्षेत्र में सहयोग

- **कनेक्टिविटी साझेदारी पहल :** दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्ष 2021 में भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी शुरू की गई।
  - यह तीसरे देशों में सहयोग सहित कनेक्टिविटी पर सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को भी रेखांकित करता है।
  - फोकस क्षेत्र में परिवहन, डिजिटल, ऊर्जा नेटवर्क और लोग, वस्तुएँ, सेवाएँ, डाटा एवं पूंजी का प्रवाह शामिल हैं।

- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा :** वर्ष 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर इस गलियारे को विकसित करने की घोषणा की गई थी।
  - इस घोषणा में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांँस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यू.ए.ई. एवं अमेरिका के नेताओं ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग

- भारत-ई.यू. के मध्य द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग वर्ष 2007 में हस्ताक्षरित विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के अंतर्गत किया जाता है।
  - एक संयुक्त संचालन समिति स्मार्ट ग्रिड, पानी, टीके, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और यूरोपीय अनुसंधान परिषद् के साथ काम करने वाले युवा वैज्ञानिकों की गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक सहयोग परियोजनाओं की देखरेख व उन्हें आगे बढ़ाती है।
- जुलाई 2020 में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग व यूरोप की यूरोटॉम (EURATOM) के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत वर्ष 2017 में एक सहयोगी सदस्य के रूप में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN में शामिल हुआ।
- भारत एवं ई.यू. दोनों अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं और प्रायोगिक संलयन रिएक्टर सुविधा के निर्माण में भाग लेते हैं।
- अंतरिक्ष में भारत-ई.यू. का सहयोग 1980 के दशक से शुरू हुआ जब भारतीय उपग्रहों ने यूरोप के एरियन लॉन्चर का उपयोग किया।
- पृथ्वी अवलोकन, क्रॉस-सपोर्ट व्यवस्था एवं प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों के लिए संचालन समर्थन जारी सहयोग के कुछ क्षेत्र हैं।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को दिसंबर 2024 में इसरो के पी.एस.एल.वी.-एक्सएल द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

प्रवासन एवं गतिशीलता पर सहयोग

- प्रवासन एवं गतिशीलता पर भारत-ई.यू. साझा एजेंडा संयुक्त उद्देश्यों, सिफारिशों व कार्यों पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह साझा एजेंडा प्रासंगिक कौशल स्तरों पर नियमित प्रवासन को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग और अनियमित प्रवासन से निपटने पर केंद्रित है।

लोगों के बीच आपसी संबंध

- ई.यू. में बढ़ते भारतीय प्रवासियों में बड़ी संख्या में छात्र, शोधकर्ता व कुशल पेशेवर शामिल हैं।
- वर्ष 2023-24 में जारी किए गए ई.यू. के ब्लू कार्ड में भारतीय पेशेवरों का हिस्सा सर्वाधिक (20% से अधिक) रहा।
- पिछले 20 वर्षों में भारतीय छात्रों को 6,000 से अधिक इरास्मस छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे वे छात्रवृत्ति के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से एक बन गए हैं।
- वर्ष 2014 से 2,700 से अधिक भारतीय शोधकर्ताओं को मैरी स्क्लोडोव्स्का-क्यूरी एक्शंस (ई.यू. के शोध एवं नवाचार कार्यक्रम होराइज़न यूरोप का हिस्सा) द्वारा वित्तपोषित किया गया है जो दुनिया में सर्वाधिक है।

निष्कर्ष

भारत-ई.यू. के द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार राजनीतिक व सुरक्षा मुद्दों, व्यापार एवं निवेश, जलवायु परिवर्तन व स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल संक्रमण, महत्त्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी, सतत् शहरीकरण एवं पर्यावरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व नवाचार, अंतरिक्ष व परमाणु, स्वास्थ्य, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा और शिक्षा एवं संस्कृति सहित कई क्षेत्रों तक हुआ है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में इन संबंधों के अधिक प्रगाढ़ एवं समृद्ध होने की संभावना है।

भारत-श्रीलंका संबंध

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल, 2025 तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा की।

प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के बारे में

- प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई।
- श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को 'श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार' प्रदान किया।
  - यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है।
  - पहली बार किसी भारतीय नेता को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
  - प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत-श्रीलंका मैत्री को मज़बूत करने में उनके स्थायी योगदान के लिए प्रदान किया गया।
- दोनों नेताओं ने अनुराधापुरा में पवित्र जयश्री महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की।

- एशिया में यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और दोनों देशों के गहरे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक भी है।

❖ इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारतीय मछुआरों की रिहाई के मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने 11 भारतीय मछुआरों को रिहा किया।

इसे भी जानिए!

❖ ऐसा माना जाता है कि जयश्री महाबोधि मंदिर में पवित्र बोधि वृक्ष तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की पुत्री संगमित्ता महा थेरी (संघमित्रा) द्वारा भारत से श्रीलंका लाए गए 'बो पौधे' (Bo Sapling) से विकसित हुआ है।

❖ आत्मस्थान या आठ पवित्र स्थान श्रीलंका में पवित्र बौद्ध स्थलों की एक शृंखला है। श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार, महात्मा बुद्ध श्रीलंका की अपनी तीन यात्राओं के दौरान इन स्थानों पर गए थे। इन पवित्र स्थानों को जयश्री महाबोधि, रुवानवेलिसया, थुपरमाया, लोवमहापाया, अभयगिरी दगाबा, जेतवनराम, मिरिसावेती स्तूप एवं लंकाराम के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन अनुराधापुरा साम्राज्य की राजधानी अनुराधापुरा में स्थित हैं। आत्मस्थान के प्रमुख को आत्मस्थानाधिपति (महान आठ बौद्ध तीर्थस्थलों का प्रमुख) कहा जाता है।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

समझौता ज्ञापन

❖ विद्युत के आयात/निर्यात के लिए एच.वी.डी.सी. इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन।

❖ डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

❖ त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

❖ रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

❖ पूर्वी प्रांत के लिए बहु-क्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता ज्ञापन।

❖ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

❖ भारतीय फार्माकोपिया आयोग और राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण, श्रीलंका के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

परियोजनाएँ

❖ माहो-ओमानथाई रेलवे लाइन के उन्नत रेलवे ट्रैक का उद्घाटन।

❖ माहो-अनुराधापुरा रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग प्रणाली के निर्माण का शुभारंभ।

❖ सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का भूमिपूजन समारोह (वर्चुअल)।

❖ दांबुला में तापमान नियंत्रित कृषि गोदाम का उद्घाटन (वर्चुअल)।

❖ पूरे श्रीलंका में 5,000 धार्मिक संस्थानों के लिए सौर छत प्रणालियों की आपूर्ति (वर्चुअल)।

देशनामा : श्रीलंका

❖ **अवस्थिति :** यह हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है, जो भारतीय प्रायद्वीप से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य द्वारा अलग होता है।

❖ **सीमा साझा :** यह दक्षिण-पश्चिम में मालदीव और उत्तर-पश्चिम में भारत के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है।

❖ **राजधानी :** श्री जयवर्धनेपुर

❖ **राजव्यवस्था :** लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य

❖ **अर्थव्यवस्था :** $342.6 बिलियन (62वाँ स्थान)

❖ **मानव विकास सूचकांक :** 0.78 (78वाँ स्थान)

❖ **क्षेत्रफल :** 65,610.2 वर्ग किमी.

❖ **धर्म :** 70% बौद्ध धर्म (आधिकारिक); 13% हिंदू धर्म; 10% इस्लाम; 7% ईसाई धर्म; 0.1% अन्य/कोई नहीं

❖ **जलवायु :** उष्णकटिबंधीय प्रकार

घोषणाएँ

- यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 700 श्रीलंकाई शामिल होंगे।
- त्रिंकोमाली में थिरुकोनेश्वरम मंदिर, नुवारा एलिया में सीता एलिया मंदिर और अनुराधापुरा में पवित्र शहर परिसर परियोजना के विकास के लिए भारत से अनुदान सहायता।
- अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस, 2025 पर श्रीलंका में भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी।
- ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौतों पर हस्ताक्षर।

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध

पृष्ठभूमि

- भारत, श्रीलंका का सबसे निकटतम पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच 2,500 वर्ष से भी अधिक पुराने संबंध हैं जो मज़बूत सभ्यतागत व ऐतिहासिक जुड़ाव साझा करते हैं।
- भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक व समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है।
- द्विपक्षीय संबंध समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हैं। दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत तथा उनके नागरिकों के बीच व्यापक जन-संपर्क एक बहुआयामी साझेदारी का आधार प्रदान करते हैं।
- अब तक चार भारतीय प्रधानमंत्रियों, यथा- जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई एवं नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई संसद को संबोधित किया है।

राजनीतिक आदान-प्रदान

- इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 से तीन बार श्रीलंका का दौरा किया है।
- प्रधानमंत्री ने 9 जून, 2019 को ईस्टर संडे हमलों के बाद एकजुटता व्यक्त करने के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2015 में और मई 2017 में श्रीलंका में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका का दौरा किया था।

व्यापार और वाणिज्य

- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार 5.54 बिलियन डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 4.11 बिलियन डॉलर और श्रीलंका का निर्यात 1.42 बिलियन डॉलर था।
- चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-नवंबर की अवधि के लिए द्विपक्षीय व्यापार 3.67 बिलियन डॉलर है, जिसमें भारत का श्रीलंका को निर्यात 2.84 बिलियन डॉलर है।
- भारत द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को कवर करने वाले आर्थिक व प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) को अंतिम रूप देने के लिए श्रीलंका के साथ वार्ता जारी है।
- भारत, श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है जिसका संचयी निवेश वर्ष 2023 तक 2.25 बिलियन डॉलर है, जिसमें अकेले वर्ष 2023 में 198.1 मिलियन डॉलर शामिल हैं।
- जनवरी-सितंबर 2024 की अवधि के लिए भारत से FDI 80. 55 मिलियन डॉलर था। भारत से मुख्य निवेश ऊर्जा, आतिथ्य, रियल एस्टेट, विनिर्माण, दूरसंचार, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में हैं।

कनेक्टिविटी (संपर्क) एवं पर्यटन

- कनेक्टिविटी द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य फोकस क्षेत्र बनकर उभरी है जिसमें समुद्री संपर्क, हवाई संपर्क, ऊर्जा एवं विद्युत संपर्क, व्यापार, आर्थिक व वित्तीय संपर्क, डिजिटल संपर्क और व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क शामिल हैं।
- इस तंत्र के तहत महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में नागपट्टिनम (तमिलनाडु) एवं कांकेसंथुराई (श्रीलंका) (अक्तूबर 2023) के बीच नौका सेवाओं की शुरुआत; चेन्नई एवं जाफना के बीच हवाई संपर्क की बहाली (दिसंबर 2022 से); और श्रीलंका में यू.पी.आई. क्यूआर-आधारित भुगतान की शुरुआत शामिल हैं।
- चर्चा के तहत अन्य उल्लेखनीय कनेक्टिविटी पहलों में त्रिंकोमाली और कोलंबो तक स्थलीय पहुँच विकसित करने के लिए आर्थिक भूमि गलियारा; भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली बहु-उत्पाद पाइपलाइन और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन शामिल हैं।
- कांकेसंथुराई बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने गोएसएल को 61.5 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है और इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर वार्ता जारी है।
- समानांतर रूप से रामेश्वरम (तमिलनाडु) और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवाएँ शुरू करने के लिए चर्चा जारी है जिसके लिए संबंधित बंदरगाहों पर बुनियादी ढाँचे के उन्नयन की आवश्यकता होगी।
- भारत वर्ष 2023 में लगभग 3 लाख पर्यटक आगमन और वर्ष 2024 में लगभग 4.16 लाख पर्यटक आगमन के साथ अग्रणी पर्यटक स्रोत बाज़ार है।

विकास सहयोग

- भारत द्वारा श्रीलंका को दी जाने वाली कुल ऋण सहायता 7 बिलियन डॉलर से अधिक है जिसमें रियायती ऋण, भुगतान स्थगन व स्वैप समझौते शामिल हैं।
- श्रीलंका को भारत की अनुदान सहायता वर्तमान में लगभग 780 मिलियन डॉलर है, जिसमें 390 मिलियन डॉलर की पूरी हो

चुकी परियोजनाएँ, 210 मिलियन डॉलर से अधिक की चल रही परियोजनाएँ और 178 मिलियन डॉलर की अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं।

- भारत सरकार श्रीलंका के 25 ज़िलों में जनोन्मुख विकास परियोजनाएँ चला रही है और बुनियादी ढाँचा, आवास, स्वास्थ्य, आजीविका एवं पुनर्वास, शिक्षा, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, औद्योगिक विकास आदि सहित कई क्षेत्रों में विकास कर रही है।
- सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजना भारतीय आवास परियोजना के चार चरणों के तहत 60,000 घरों का निर्माण है जिसकी कुल लागत 1,800 करोड़ रुपए से अधिक है।
- चौथे चरण में बागान क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10,000 घर शामिल हैं जिसकी घोषणा मई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी।
- भारत द्वारा श्रीलंका को 'यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी परियोजना' लागू करने के लिए 300 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी दी जा रही है।
- विकासात्मक सहायता के अलावा भारत ने वर्ष 2022 में आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन डॉलर की बहुआयामी सहायता प्रदान की है।
- भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करके प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता की भूमिका भी निभाई है जिसमें जनवरी 2021 में कोविशील्ड टीकों की 500,000 खुराक का दान और फरवरी 2022 में 100,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का अनुदान शामिल है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और उसे गति देने के लिए प्रतिवर्ष रक्षा सचिवों के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है। भारत से श्रीलंका के लिए लगातार नौसैनिक संवाद एवं जहाज़/पनडुब्बी के दौरे होते रहे हैं।
- बहुपक्षीय अभ्यासों के अलावा, SLINEX (नौसेना अभ्यास) एवं मित्र शक्ति (थल सेना अभ्यास) जैसे द्विपक्षीय अभ्यास प्रतिवर्ष भारत व श्रीलंका में बारी-बारी से आयोजित किए जाते हैं।
- मित्र शक्ति अभ्यास पिछली बार श्रीलंका (अगस्त 2024) में और SLINEX विशाखापत्तनम (दिसंबर 2024) में आयोजित किया गया था।
- क्षमता निर्माण के संदर्भ में नवीनतम कार्य भारत सरकार के अनुदान के तहत श्रीलंका नौसेना के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) की स्थापना है जिसे 20 जून, 2024 को विदेश मंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान शुरू किया गया था।
- भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान को अगस्त 2022 से त्रिंकोमाली में श्रीलंका वायु सेना द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसने समुद्री निगरानी के लिए सफलतापूर्वक व्यापक उड़ान भरी है।
- भारत सालाना श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के लिए लगभग 1,200 प्रशिक्षण रिक्तियों की पेशकश करता है।
- श्रीलंका के लिए भारत 'पहला प्रतिक्रियादाता' रहा है जिसमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने मई 2021 में एम.वी. एक्सप्रेस पर्ल तथा सितंबर 2020 में एम.टी. न्यू डायमंड जैसे बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए श्रीलंकाई जलक्षेत्र में हस्तक्षेप किया है।
- आतंकवाद एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग भी द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हाल के दिनों में क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।

सांस्कृतिक संबंध

- महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सहयोग में कैंडी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय में भारतीय गैलरी की स्थापना; मन्नार में थिरुकेतेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार; भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के 2600वें वर्ष (संबुद्धत्व जयंती) के उपलक्ष्य में वर्ष 2012 में श्रीलंका में आयोजित पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों की प्रदर्शनी आदि शामिल हैं।
- अक्तूबर 2021 में शुभ वाप्पोया दिवस पर कोलंबो-कुशीनगर की पहली उड़ान भरी गई, जिसके दौरान वास्काडुवा के राजगुरु श्री सुभूति महा विहार से पवित्र कपिलवस्तु बुद्ध अवशेषों को भारत लाया गया और कुशीनगर एवं सारनाथ सहित कई भारतीय शहरों में प्रदर्शित किया गया।
- धर्मयथनया मंदिर को भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भेंट की गई। भारत ने 2025 की शुरुआत में पालि व्याकरण की पुस्तक 'नाममाला' और जातक कथाओं का सिंहल अनुवाद भी प्रकाशित किया है।
- कोलंबो विश्वविद्यालय में समकालीन भारतीय अध्ययन केंद्र (CCIS) की स्थापना की गई है।
- केलानिया एवं सबरागामुवा विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए एक दीर्घकालिक आई.सी.सी.आर. पीठ स्थापित की गई है।

क्षमता निर्माण

- भारत श्रीलंकाई छात्रों को वार्षिक लगभग 710 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान करता है। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत अधिकारियों व अन्य पात्र नागरिकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष 402 पूर्णतया वित्तपोषित स्लॉट प्रदान किए जाते हैं।
- दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित एक रूपरेखा सहयोग समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के तत्त्वावधान में 1,500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- वर्ष 2024 में अब तक 40-40 के 4 बैचों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा, 2024 में SSIFS में 23 श्रीलंकाई

राजनयिकों/अधिकारियों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

- बहु-क्षेत्रीय अनुदान सहायता के तहत STEM विषयों में बागान स्कूलों में 2000 से अधिक शिक्षकों को भी अगस्त-अक्तूबर 2024 से प्रशिक्षित किया गया।
- 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत भारतीय संस्थान विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

भारतीय समुदाय

- भारतीय मूल के लोगों (PIO) में सिंधी, बोराह, गुजराती, मेमन, पारसी, मलयाली एवं तेलूगु भाषी लोग शामिल हैं जो श्रीलंका में बस गए हैं (इनमें से ज़्यादातर विभाजन के बाद) और विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों में लगे हुए हैं।
- हालाँकि, उनकी संख्या, आई.ओ.टी. (भारतीय मूल के तमिल) की तुलना में बहुत कम है किंतु, वे आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और अच्छी स्थिति में हैं।
- लगभग 1.6 मिलियन आई.ओ.टी. ज़्यादातर चाय या रबर बागानों में काम करते हैं, कोलंबो में रहने वाले आई.ओ.टी. का कुछ हिस्सा व्यवसाय में संलग्न है।
- इसके अलावा, श्रीलंका में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में लगभग 7,500 एन.आर.आई. लगे हुए हैं।

भारत-थाईलैंड संबंध

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 से 4 अप्रैल, 2025 तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा की।

प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा के बारे में

- इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025 में भाग लिया और बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से भेंट की।
- दोनों नेताओं ने भारत व थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की।
- थाई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को यादगार बनाने के लिए एक विशेष डाक टिकट जारी किया, जिसमें 18वीं सदी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाया गया है।

वार्ता के प्रमुख क्षेत्र

- राजनीतिक आदान-प्रदान, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी, रणनीतिक जुड़ाव, व्यापार तथा निवेश व लोगों के बीच संबंधों को अधिक मज़बूत करना।
- मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर धोखाधड़ी सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सहयोग।
- वैश्विक मुद्दे और बिम्सटेक, आसियान व मेकांग गंगा सहयोग सहित उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग विकसित करना।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा-पत्र
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय संबंध

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और थाईलैंड के संबंध 2,000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुँची।
- थाईलैंड में रामायण को 'रामकियेन' के रूप में जाना जाता है और वहाँ की संस्कृति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया।
- थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 'स्वर्णभूमि' कहा गया है।

राजनयिक संबंध

- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए। दोनों पक्षों ने वर्ष 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगाँठ मनाई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्तूबर, 2024 को वियनतियाने (लाओस की राजधानी) में 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से मुलाकात की थी।
- प्रधानमंत्री मोदी 16वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 से 4 नवंबर, 2019 तक थाईलैंड के दौरे पर गए थे।
  - इस यात्रा के दौरान गुरुनानक देव की 550वीं जयंती और तमिल पुस्तक थिरुक्कुरल के थाई अनुवाद के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया।

- इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 नवंबर, 2016 को दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को श्रद्धांजलि देने के लिए बैंकॉक का दौरा किया था।
- थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिन्धोर्न नियमित रूप से भारत आती रही हैं।
  - उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार (2004), प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार (2016) एवं पद्म भूषण (2017) से सम्मानित किया जा चुका है।

द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र

- **संयुक्त आयोग की बैठक :** संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक 27 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- **विदेश कार्यालय परामर्श :** भारत एवं थाईलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7वाँ दौर 7 अगस्त, 2023 को बैंकॉक में आयोजित किया गया।
- **द्विपक्षीय वार्ता :** भारत एवं थाईलैंड ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह, शिक्षा पर, वीज़ा और कांसुलर मामलों पर तथा समुद्री सहयोग पर संयुक्त कार्य बल जैसे विभिन्न वार्ता तंत्रों को संस्थागत रूप दिया है।
  - दोनों पक्ष इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं।

रक्षा सहयोग

- भारत एवं थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन 25 जनवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे।
- जारी रक्षा सहयोग पहलों में रक्षा वार्ता, दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त समुद्री गश्त, वार्षिक वार्ता, विषय-वस्तु विशेषज्ञों का आदान-प्रदान दौरा और अधिकारियों का प्रशिक्षण, त्रिपक्षीय/बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आदि शामिल हैं।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग

- हाल के वर्षों में भारत एवं थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है।
- भारत के वाणिज्य विभाग के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2024 की अवधि के दौरान, थाईलैंड भारत का 19वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसका कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024 (जनवरी-दिसंबर) में भारत थाईलैंड का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और वर्ष 2024 में कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार के आँकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	कुल व्यापार (राशि बिलियन $ में)	थाईलैंड से आयात	थाईलैंड को निर्यात
2021-22	15.08	9.33	5.74
2022-23	16.90	11.20	5.80
2023-24	14.95	9.91	5.04
2024-25	11.12	7.96	3.16

- **भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति :** 13वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 20 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में हुई।

सांस्कृतिक सहयोग

- थाई सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को उनके दो प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्त और अरहंत महा मोग्गलाना के साथ 22 फरवरी से 19 मार्च, 2024 तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भेजा।
  - 25 दिनों की अवधि में थाईलैंड एवं मेकांग क्षेत्र के पड़ोसी देशों से 4.2 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- सितंबर 2009 में बैंकॉक में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र खोला गया।
- 22 दिसंबर, 2022 को भारत और थाईलैंड के मध्य वर्ष 2022-2027 के लिए भारत-थाईलैंड सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारतीय फिल्मों, भोजन एवं अन्य उत्सवों के अलावा थाईलैंड में भारतीय सांस्कृतिक मंडलियों की नियमित यात्राएँ आयोजित की जाती हैं।
- वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगाँठ मनाने के साथ-साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम के तहत भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए कई स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा ने 29 अक्तूबर, 2024 को बैंकॉक के लिटिल इंडिया के पाहुरात में आयोजित 'अद्‌भुत थाईलैंड दिवाली महोत्सव 2024' का उद्‌घाटन किया।

पर्यटन एवं संपर्क सहयोग

- थाईलैंड 15 से अधिक भारतीय शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है, जहाँ मौसमी बदलाव के साथ 400 से ज़्यादा साप्ताहिक उड़ानें हैं।
- कोविड से पहले वर्ष 2019 में लगभग 1.9 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया था।
- थाईलैंड के पर्यटन एवं खेल मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान लगभग 2.1 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया, जो थाईलैंड में आने वाले कुल पर्यटकों का लगभग 6% है और इस अवधि के दौरान थाईलैंड आने वाले पर्यटकों का तीसरा सबसे बड़ा समूह भारतीय थे।

❖ थाईलैंड ने 15 जुलाई, 2024 से नए वीज़ा उपाय प्रस्तुत किए, जिसके तहत भारतीय पासपोर्टधारक बिना वीज़ा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकते हैं और देश में 60 दिनों तक रह सकते हैं, जिसे आगे 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग

❖ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर वर्ष 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे।

❖ भारत, थाईलैंड को विभिन्न योजनाओं के तहत सालाना लगभग 75 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है।

❖ भारत ने आसियान देशों को आई.आई.टी. में 1,000 पी.एच.डी. फेलोशिप की पेशकश की है जिसमें थाईलैंड के लिए 100 स्लॉट शामिल हैं।

❖ वर्तमान में विभिन्न थाई विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 6 भारत अध्ययन केंद्र और 13 भारत कॉर्नर हैं।

❖ **पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता**

- राजकुमारी महाचक्री सिरिन्धोर्न को वर्ष 2017 में पद्म भूषण प्रदान किया गया।
- बी.एच.यू. के पूर्व छात्र थाईलैंड के सुप्रीम पैट्रिआर्क सोमदत फ्रा अरियावोंगसाखतयन को वर्ष 2018 में पद्म श्री प्रदान किया गया।
- मार्च 2022 में डॉ. चिरापत प्रपंडविद्या ने 'साहित्य एवं शिक्षा' श्रेणी के तहत पद्म श्री प्राप्त किया।

थाईलैंड में भारतीय प्रवासी

❖ थाईलैंड में भारतीय मूल के लोगों की कुल संख्या लगभग 4 से 5 लाख होने का अनुमान है जिसमें 25,000 से अधिक एन.आर.आई. शामिल हैं।

❖ **इन समुदाय में मुख्यत:** पंजाबी हिंदू, नामधारी एवं अन्य सिख संप्रदाय, गोरखपुरी, मलयाली, तमिल, गुजराती, मारवाड़ी व सिंधी शामिल हैं।

दूतावास

❖ बैंकॉक में दूतावास के अलावा, उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में भी भारत का एक वाणिज्य दूतावास है।

❖ थाईलैंड के भारत में नई दिल्ली में दूतावास के अलावा मुंबई, कोलकाता व चेन्नई शहरों में 3 वाणिज्य दूतावास हैं।

क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय समूह

❖ थाईलैंड एवं भारत क्षेत्रीय स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें आसियान; पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS); बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक); मेकांग गंगा सहयोग (MGC); एशिया सहयोग वार्ता (ACD); हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और अयेयावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (ACMECS) शामिल हैं।

देशनामा : थाईलैंड

❖ **अवस्थिति :** इंडोचाइनीज प्रायद्वीप पर दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित

❖ **राजव्यवस्था :** संसदीय संवैधानिक राजतंत्र

❖ **राजा :** वजीरालोंगकोर्न

❖ **प्रधानमंत्री :** पैतोंगतार्न शिनावात्रा

❖ **राजधानी :** बैंकॉक

❖ **आबादी :** 6.6 करोड़

❖ **क्षेत्रफल :** 5,13,115 वर्ग किमी. (50वाँ स्थान)

❖ **प्रमुख नदियाँ :** चाओ फ्राया और मेकांग नदी

❖ **जलवायु :** उष्णकटिबंधीय मानसूनी एवं सवाना प्रकार

❖ **अर्थव्यवस्था :** 23वीं सबसे बड़ी (PPP के आधार पर)

❖ **मानव विकास सूचकांक :** 0.803 (66वाँ स्थान)

❖ **सीमा साझा :** उत्तर-पश्चिम में म्याँमार, उत्तर-पूर्व और पूर्व में लाओस, दक्षिण-पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी एवं मलेशिया और दक्षिण-पश्चिम में अंडमान सागर से; दक्षिण-पूर्व में वियतनाम तथा दक्षिण-पश्चिम में इंडोनेशिया व भारत के साथ समुद्री सीमा।

❖ **धर्म :** 93.46% बौद्ध धर्म; 5.37% इस्लाम; 1.13% ईसाई धर्म; 0.03% अन्य

ईरान का परमाणु कार्यक्रम एवं भारत का दृष्टिकोण

संदर्भ

9 अप्रैल, 2025 को अमेरिका ने ईरान के साथ होने वाली परमाणु वार्ता से पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान द्वारा परमाणु हथियारों का विकास मध्य-पूर्व के साथ-साथ समग्र वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है।

ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम के बारे में

शुरुआत

वर्ष 1957 में ईरान एवं अमेरिका ने एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत ईरान को परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का अवसर मिला।

ऐतिहासिक विकास क्रम

- वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने परमाणु ऊर्जा को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में देखा।
- 2000 के दशक के प्रारंभ में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में यूरेनियम संवर्द्धन (Enrichment) को प्रमुखता दी।
- वर्ष 2006 में ईरान ने पुष्टि की कि उसने नतांज़ स्थित संयंत्र में यूरेनियम संवर्द्धन कार्य शुरू कर दिया है।

ईरान पर प्रतिबंध

- ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक चिंताएँ व विवाद तब और बढ़ गए जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्थान 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (IAEA) के निरीक्षण को अस्वीकार कर दिया।
- पश्चिमी देशों एवं संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे।

ईरान का रुख

ईरान ने इन प्रतिबंधों को नकारते हुए अपने कार्यक्रम को जारी रखा, जबकि पश्चिमी देशों ने कड़ा दबाव बनाने की कोशिश की कि ईरान केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करे।

2015 का परमाणु समझौता (JCPOA)

- वर्ष 2015 में ईरान और P5+1 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस, चीन एवं जर्मनी) के बीच एक महत्त्वपूर्ण परमाणु समझौता हुआ, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान (JCPOA) कहा गया।
- इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और यूरेनियम संवर्द्धन की गतिविधियों को घटाने पर सहमति दी, जिसके बदले में आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई।
- हालाँकि, वर्ष 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा तरीके से इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया, जिसके बाद ईरान ने फिर से अपनी परमाणु गतिविधियाँ बढ़ानी शुरू कर दी।

खतरे की स्थिति

- वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में तेज़ी से वृद्धि की और यूरेनियम संवर्द्धन स्तर को 20% से 60% तक बढ़ा दिया जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक संवर्द्धन स्तर से काफी करीब था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ा आघात था और ईरान पर कड़े आर्थिक एवं कूटनीतिक दबाव बनाने के प्रयास तेज़ हो गए।

ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से खतरें

- **पारंपरिक शक्ति संतुलन में बदलाव :** ईरान के परमाणु हथियार प्राप्त करने से वह मध्य-पूर्व में एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन जाएगा, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल जाएगा।
- **ईरान के प्रॉक्सी युद्धों का जोखिम :** इससे ईरान प्रॉक्सी समूहों (जैसे– हिज़बुल्लाह, हौती विद्रोही) को अधिक प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे अमेरिका एवं उसके सहयोगियों (जैसे– इज़रायल) के लिए सुरक्षा खतरे बढ़ सकते हैं।
- **परमाणु प्रसार का खतरा :** ईरान का परमाणु हथियार प्राप्त करना न केवल मध्य-पूर्व में, बल्कि पूरी दुनिया में परमाणु प्रसार को बढ़ावा दे सकता है।
- **एन.पी.टी. (न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी) पर प्रभाव :** ईरान के परमाणु हथियारों के विकास से एन.पी.टी. की ताकत कमज़ोर हो सकती है क्योंकि यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयासों के खिलाफ होगा।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश में स्थित होने और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग एवं व्यापारिक संबंध मज़बूत होने के कारण भारत के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम गंभीर चिंता का विषय है।
- अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते हैं तो यह भारत के लिए सुरक्षा एवं कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक नई चुनौती हो सकती है।
- भारत को इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर रुख अपनाना होगा और ईरान को यह समझाना होगा कि परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का पालन करना ही वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम है।
- भारत को इस मुद्दे पर संयम के साथ कूटनीतिक प्रयास करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का प्रसार न हो।

निष्कर्ष

ईरान का परमाणु विकास कार्यक्रम एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है, जो न केवल मध्य-पूर्व बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बन सकता है। वैश्विक समुदाय को ईरान के परमाणु

हथियारों के विकास पर निगरानी रखनी चाहिए और इसे रोकने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक व अन्य उपायों का प्रयोग करना चाहिए।

भारत-बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट सुविधा

संदर्भ

8 अप्रैल, 2025 को भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है।

भारत-बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में

- वर्ष 2020 में भारत द्वारा बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों से बांग्लादेश के सामान को नेपाल, भूटान व म्याँमार जैसे देशों में भेजने (निर्यात) के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की व्यवस्था की गई थी।
  - ट्रांसशिपमेंट सुविधा एक लॉजिस्टिक प्रक्रिया है जिसमें एक देश के बंदरगाह या हवाई अड्डे से वस्तुओं को किसी अन्य देश के लिए पुनः भेजा जाता है।
- यह सुविधा बांग्लादेश के तैयार माल के निर्यात को आसान एवं सस्ता बनाती थी।

सुविधा के लाभ

- **भारत-बांग्लादेश व्यापार में सहयोग :** यह सहयोग दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करता था और आपसी विश्वास को बढ़ावा देता था।
- **किफायती और समयबद्ध परिवहन :** यह सुविधा बांग्लादेश के व्यापारियों को अपने माल को तीसरे देशों में भेजने के लिए एक कुशल एवं किफायती तरीका प्रदान करती थी।
- **बांग्लादेश के निर्यात में वृद्धि :** इस सुविधा से बांग्लादेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाने में मदद मिली है, विशेष रूप से नेपाल, भूटान एवं म्याँमार के लिए।

भारत द्वारा सुविधा बंद करने के कारण

- यह कदम भारत के बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ तथा होने वाले देरी की समस्याओं को दूर करने के लिए उठाया गया है।
- भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय व्यापार में रुकावट एवं उच्च लागत के कारण लिया गया है जो भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे।
- बांग्लादेश के व्यापार को प्रभावित करने वाला यह निर्णय उस समय लिया गया जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के माध्यम से चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की बात की थी।
  - चीन में मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को स्थलरुद्ध बताया था और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित किया था।
- हालाँकि, इस निर्णय से पहले थाईलैंड में बिम्सटेक 2025 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मोहम्मद यूनुस के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी।

इस कदम के प्रभाव

- **व्यापारिक तनाव :** इस निर्णय से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इससे द्विपक्षीय व्यापार एवं सहयोग में कमी आ सकती है।
- **बांग्लादेश को आर्थिक क्षति :** बांग्लादेश को नुकसान की संभावना है क्योंकि इस निर्णय से उसके निर्यात में देरी एवं लागत में वृद्धि हो सकती है।
- **नकारात्मक सार्वजनिक धारणा :** बांग्लादेश में इस निर्णय को नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन व्यापारियों एवं निर्यातकों के बीच, जो इस सुविधा पर निर्भर थे।
- **भारत की छवि प्रभावित :** यह कदम, विशेषकर बांग्लादेश में भारत की छवि को भी प्रभावित कर सकता है जहाँ इसे एक व्यापारिक सहयोग के रूप में देखा जाता था।
- **बांग्लादेश की चीन से निकटता :** इस कदम से बांग्लादेश का चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में वृद्धि करना भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है और चीन के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकता है।

आगे की राह

- **द्विपक्षीय संवाद :** भारत को बांग्लादेश के साथ इस फैसले को लेकर खुली बातचीत करनी चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मज़बूत रहें और यह निर्णय दीर्घकालिक रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझ में आए।
- **नई लॉजिस्टिक रणनीतियाँ :** भारत को अपने बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे निर्णयों से बचा जा सके और व्यापार की बाधाएँ कम हो सकें।
- **चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों पर नज़र :** भारत को बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते संबंधों पर सावधानी से नज़र

रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न बने।

निष्कर्ष

भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का निर्णय व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से बांग्लादेश के निर्यातकों एवं व्यापारियों पर। हालाँकि, यह कदम भारत के लॉजिस्टिक अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से लिया गया है। भविष्य में भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव को कम करने के लिए संवाद व सहयोग की आवश्यकता है। बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते संबंधों को लेकर भारत को सतर्क रहना होगा और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठाने होंगे

चीन का हाइड्रोजन बम उपकरण व शक्ति-संतुलन

संदर्भ

चीन ने एक ऐसे हाइड्रोजन बम (उपकरण) का सफल परीक्षण किया है जो पारंपरिक परमाणु सामग्री के बिना फायरबॉल उत्पन्न करता है और पूर्णतया रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। साथ ही, चीन हाइड्रोजन एवं मीथेन-आधारित प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। ऐसे में इस घटनाक्रम को वैश्विक शक्ति-संतुलन, सामरिक स्थिरता तथा भारत की सुरक्षा नीति के दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है।

हाइड्रोजन बम उपकरण

- यह एक नया हाइड्रोजन-आधारित विस्फोटक उपकरण है। नाभिकीय संलयन पर निर्भर पारंपरिक हाइड्रोजन बमों के विपरीत इस उपकरण में मैग्नीशियम हाइड्राइड (MgH_2) का उपयोग किया गया है जो ठोस अवस्था में हाइड्रोजन संगृहीत करता है।
- जब इसे पारंपरिक विस्फोटक से सक्रिय किया जाता है, तो यह तीव्र ऊष्मीय विघटन (Thermal Decomposition) के माध्यम से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है।
- यह हाइड्रोजन गैस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अत्यधिक उच्च तापमान वाली आग का एक गोला (Fireball) उत्पन्न करती है।
- यह उपकरण पारंपरिक ट्राइ-नाइट्रो-टॉलूईन (TNT) विस्फोटकों की तुलना में अधिक समय तक उच्च तापमान बनाए रखता है जिससे यह सैन्य लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम है।
- विशेषज्ञों के अनुसार यह नया उपकरण :
  - Miniaturized यानी छोटे आकार में फिट हो सकता है (जैसे- मिसाइल वॉरहेड)
  - संभावित रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल पर लगाया जा सकता है।
  - सटीकता, विनाश क्षमता एवं गतिशीलता में अत्यधिक उन्नत है।

रणनीतिक महत्त्व

यह उपकरण चीन की सैन्य क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण नवाचार है। इसकी उच्च तापीय तीव्रता एवं लंबी अवधि इसे शहरी युद्ध परिदृश्यों में उपयोगी बनाती है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक परमाणु हथियारों का उपयोग संभव नहीं है।

हाइड्रोजन बम के बारे में

- हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है जो पारंपरिक परमाणु बम की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है।
- यह दो चरणों में कार्य करता है
  - **पहला चरण :** यूरेनियम या प्लूटोनियम-आधारित विखंडन (Fission)
  - **दूसरा चरण :** ड्यूटेरियम/ट्रिटियम-आधारित संलयन (Fusion)
- इस तकनीक की विनाशकारी क्षमता अत्यधिक होती है जो कई किलोमीटर तक विनाश कर सकती है।

हाइड्रोजन बम व परमाणु बम में अंतर

अंतर का आधार	परमाणु बम	हाइड्रोजन बम
प्रौद्योगिकी	विखंडन प्रक्रिया पर आधारित	विखंडन व संलयन प्रक्रिया पर आधारित
ईंधन	यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239	ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम (हाइड्रोजन के समस्थानिक)
ऊर्जा का स्रोत	बड़े परमाणु के छोटे परमाणुओं में टूटने से	छोटे परमाणुओं के आपस में जुड़ने (फ्यूज होने) से
विस्फोटक क्षमता	कम (किलोटन तक)	अत्यधिक (मेगाटन तक)
संरचना	अपेक्षाकृत सरल	अत्यंत जटिल (दो चरणों वाला बम)
प्रभाव क्षेत्र	सीमित क्षेत्र में विनाश	व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक विनाश
उत्पन्न तापमान	लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस	100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक
पहली बार उपयोग	वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर	वर्ष 1952 में अमेरिका द्वारा पहला परीक्षण

वैश्विक एवं क्षेत्रीय प्रभाव

शक्ति-संतुलन में बदलाव

चीन का यह कदम अमेरिका एवं रूस जैसे परमाणु शक्तियों के समकक्ष अपनी स्थिति मज़बूत करने की दिशा में एक संकेत है। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की एक नई दौड़ को जन्म दे सकता है।

भारत के लिए रणनीतिक चिंता

चीन की परमाणु क्षमताओं में यह वृद्धि भारत के लिए प्रत्यक्ष रणनीतिक चुनौती है। भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारण (Credible Minimum Deterrence) नीति को नए सिरे से मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है।

सामरिक स्थिरता पर प्रभाव

यदि हाइड्रोजन बम को किसी देश की 'पहले प्रयोग नहीं' (NFU) नीति में शामिल किया जाता है तो इससे प्रतिरोधक संतुलन (Deterrence Balance) पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं।

भारत की प्रतिक्रिया और संभावित कदम

रणनीतिक प्रतिक्रिया

भारत को अपनी रणनीतिक बल कमान (Strategic Forces Command) की समीक्षा करनी चाहिए और नई तकनीकों में निवेश करना चाहिए। अग्नि-VI जैसे उन्नत अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) पर ध्यान केंद्रित करना उपयुक्त होगा।

राजनयिक पहल

- भारत को वैश्विक स्तर पर निरस्त्रीकरण (Disarmament) के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- भारत को CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मज़बूत करना चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा और तकनीकी निवेश

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों को उन्नत अनुसंधान में लगाया जाना चाहिए।
- बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली को अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता है।

बाकू टू बेलेम रोडमैप

संदर्भ

भारत ने ब्रिक्स समूह के देशों से जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'बाकू टू बेलेम रोडमैप' (Baku to Belem Roadmap) पर एकजुट होने का आह्वान किया है।

'बाकू टू बेलेम रोडमैप' के बारे में

- **क्या है :** यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना है जिसे COP29 (2024) बाकू में प्रस्तावित किया गया था तथा इसे ब्राज़ील के बेलेम में होने वाले COP30 सम्मेलन में अंतिम रूप दिया जाना है।
- **लक्ष्य :** वर्ष 2035 तक विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए सभी सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों से कम-से-कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त (Climate Fund) तैयार करना।

'बाकू टू बेलेम रोडमैप' का उद्देश्य

- जलवायु संकट का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
- विकासशील देशों के स्मार्ट, न्यायसंगत एवं सतत् विकास को समर्थन देना
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसाधनों एवं तकनीकी सहायता को बढ़ावा देना
- 1.5 °C तापमान सीमा को पाने के लिए वैश्विक सहयोग को मज़बूती देना

'बाकू टू बेलेम रोडमैप' की प्रमुख विशेषताएँ

- ब्रिक्स (BRICS) और G-20 देशों की भागीदारी
- विकासशील देशों की आर्थिक एवं सामाजिक विविधताओं को ध्यान में रखकर रणनीति
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण एवं स्थानीय अनुकूलन नीति को प्राथमिकता
- जलवायु न्याय (Climate Justice) को केंद्र में रखकर कार्य योजना
- COP30 में ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) के तहत पारदर्शिता एवं प्रगति मूल्यांकन

'बाकू टू बेलेम रोडमैप' का महत्त्व

निम्नांकित बिंदुओं के संदर्भ में 'बाकू टू बेलेम रोडमैप' का महत्त्व स्पष्ट है-

- **जलवायु संकट की बढ़ती गंभीरता :** वर्ष 2020 के बाद के वर्षों में दुनिया भर में तापमान में तीव्र वृद्धि, बाढ़, सूखा एवं समुद्रस्तर में वृद्धि जैसी आपदाएँ बढ़ी हैं।
- **विकासशील देशों की आर्थिक सीमाएँ :** अफ्रीका, दक्षिण एशिया एवं लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के कई देश जलवायु अनुकूलन व हरित ऊर्जा की दिशा में कदम नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं।
- **कमज़ोर वैश्विक सहयोग :** विकसित देशों ने पूर्व में वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष \$100 बिलियन जलवायु वित्त का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो कि अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है।

आर्थिक घटनाक्रम

रेसिप्रोकल टैरिफ

संदर्भ

अमेरिका द्वारा 5 अप्रैल, 2025 से विश्व के विभिन्न देशों पर लागू रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tarrif) को 9 अप्रैल की घोषणा में अगले 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, जबकि चीन पर टैरिफ की दर को बढ़ाकर 245% कर दिया गया है। इससे व्यापार युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत हो गई है।

रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में

- **क्या है :** रेसिप्रोकल टैरिफ या पारस्परिक शुल्क एक व्यापार नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों के बराबर शुल्क लगाता है।
  - **उदाहरण :** अगर देश A ने देश B के उत्पादों पर 20% शुल्क लगाया है, तो देश B भी देश A के उत्पादों पर 20% शुल्क लागू कर सकता है।
- **उद्देश्य :** व्यापार असंतुलन को दूर करना और समान व्यापारिक शर्तों को सुनिश्चित करना।

रेसिप्रोकल टैरिफ की वर्तमान स्थिति

- अमेरिका ने लगभग सभी देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की, जो 5 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुआ। भारत के लिए टैरिफ दर 26% रही।
- हालाँकि, इन टैरिफ को 9 अप्रैल से आगामी 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान में अमेरिका द्वारा सभी देशों पर एक सामान्य 10% बेसलाइन टैरिफ लागू है।
- नई टैरिफ व्यवस्था में, अमेरिका द्वारा 60 देशों पर देश विशेष टैरिफ लागू किए गए हैं। चीन पर टैरिफ दर को बढ़कर 245% कर दिया गया है।
  - उदाहरण के लिए, भारत पर 26% टैरिफ लागू किया गया है।
- यह टैरिफ उन देशों पर लगाया गया है, जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाते थे।

टैरिफ लगाने के कारण

- इस कदम के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना व घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है।
  - इससे अमेरिका के घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अधिक महँगे आयातों से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- अमेरिका पर लगातार 1.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार घाटा था, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया।
  - उनके अनुसार, अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण अमेरिकी उत्पादों को नुकसान हो रहा था और घरेलू उत्पादन क्षमता घट रही थी।

विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया

- कनाडा, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों ने इसके खिलाफ कदम उठाए हैं।
- यूरोपीय संघ ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आ सकती है, जबकि चीन ने इसे आर्थिक युद्ध की शुरुआत बताया।
- कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में मामला उठाने की धमकी दी है।

रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव

वैश्विक संदर्भ में

- इन टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है।
- इसके अलावा, विकासशील देशों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें उच्च शुल्कों का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके निर्यात को प्रभावित करेगा।
- उच्च शुल्कों के कारण आयातित वस्तुएँ महँगी हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
- अन्य देशों से व्यापार विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं।

भारत के संदर्भ में

- अमेरिका का भारत के साथ 45.6 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है, जिसके कारण भारत, अमेरिकी आयात पर कर लगाने वाले प्रत्येक देश पर ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रमुख लक्ष्यों में से एक बन गया है।
- भारत पर 26% का टैरिफ लगाया गया है, जो उसके निर्यात को प्रभावित करेगा।
- भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएँ, जैसे कि वस्त्र, कृषि उत्पाद, और रासायनिक उत्पाद, अमेरिका में महँगे हो सकते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप, भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है।
- लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि भारत को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का अवसर मिल सकता है।

आगे की राह

- ❖ भारत को इस स्थिति में अपनी व्यापारिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है।
- ❖ भारत को चाहिए कि वह अपने व्यापारिक साझेदारों से बातचीत बढ़ाए और डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत अपने हितों का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध (US-China Trade War)

प्रमुख घटनाक्रम

- ❖ कई चरणों में अमेरिका द्वारा चीन पर टैरिफ।
- ❖ चीन द्वारा प्रतिक्रिया में अमेरिका पर टैरिफ।
- ❖ अंततः अमेरिका द्वारा चीन पर 245% का उच्च टैरिफ लगाया गया।
- ❖ अंततः चीन द्वारा अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया गया।
- ❖ चीन ने इसे आर्थिक युद्ध की शुरुआत बताया।

प्रभाव

- ❖ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव
- ❖ व्यापार में अनिश्चितता
- ❖ वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका
- ❖ विकासशील देशों पर आर्थिक दबाव

वर्तमान व्यापार स्थिति (2024)

- ❖ वर्ष 2024 में कुल द्विपक्षीय व्यापार : लगभग 585 अरब डॉलर
- ❖ अमेरिका का चीन से आयात : 440 अरब डॉलर
- ❖ चीन का अमेरिका से आयात : 145 अरब डॉलर
- ❖ अमेरिका का चीन से व्यापार घाटा : 295 अरब डॉलर

चीन की प्रतिक्रिया

- ❖ मामला विश्व व्यापार संगठन (WTO) में उठाने की योजना।
- ❖ डब्ल्यू.टी.ओ. में सुनवाई के बाद अमेरिका को टैरिफ पर सफाई देनी होगी।
- ❖ चीन के पक्ष में फैसला आने पर टैरिफ में संशोधन या टैरिफ वापसी संभव।

डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम

- ❖ आपसी सहमति और नियमों के अनुरूप टैरिफ व शुल्क लागू करने की अनुमति।
  - हालाँकि, ये शुल्क विश्व व्यापार नियमों के अनुकूल होने चाहिए।
- ❖ व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य।

भविष्य की संभावनाएँ

- ❖ व्यापारिक तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता
- ❖ संभावित रूप से नए व्यापार समझौते और सहयोग के अवसर

- ❖ इसके अलावा, भारत को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों पर विचार करना चाहिए, ताकि उसे अमेरिका जैसे देशों पर अधिक निर्भर न होना पड़े।
- ❖ भारत को अब अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को विविध बनाते हुए, अधिक से अधिक देशों से आर्थिक साझेदारी बढ़ानी चाहिए।
- ❖ साथ ही, घरेलू उत्पादन और रोज़गार सृजन पर ज़ोर देने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी बाज़ारों पर निर्भरता कम की जा सके।

निष्कर्ष

अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने का वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। इससे जहाँ अमेरिका को कुछ राहत मिल सकती है, वहीं अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत को इस समय अपनी नीतियों में लचीलापन और सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि वह इस वैश्विक बदलाव से उबर सके।

व्यापार युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

हाल के वर्षों में अमेरिका एवं चीन जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अस्थिरता आई है। वैश्वीकरण के कारण इस अस्थिरता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

क्या है व्यापार युद्ध

- ❖ व्यापार युद्ध की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब देश एक-दूसरे पर आयात शुल्क (Tariff) बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, अमेरिका एवं चीन के बीच जारी टैरिफ वॉर ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। इससे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की मांग बढ़ने से भारत जैसे उभरते बाज़ारों के लिए नए अवसर व चुनौतियाँ दोनों उत्पन्न हो गई हैं।

वर्तमान व्यापार युद्ध से भारतीय आयात में वृद्धि के संभावित कारण

- ❖ **वैकल्पिक आपूर्ति केंद्र के रूप में चीन से शिफ्टिंग :** अमेरिका जैसे पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इससे कुछ कंपनियाँ भारत को विनिर्माण एवं आपूर्ति केंद्र के रूप में देख रही हैं। हालाँकि, अल्पावधि में भारत को अभी भी आवश्यक कच्चे माल एवं उत्पादों के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है।
- ❖ **विनिर्माण आधार की सीमाएँ :** भारत का विनिर्माण क्षेत्र अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वह घरेलू मांग की पूर्ति पूरी तरह से कर सके। इससे उच्च तकनीक वाले उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आदि का आयात बढ़ सकता है।

- **रुपए का अवमूल्यन एवं तेल आयात :** वैश्विक अस्थिरता के चलते रुपए का मूल्य कमज़ोर हुआ है जिससे तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात पर भार बढ़ सकता है।
- **वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश :** चीन एवं अमेरिका के बीच तनाव के कारण कई देश भारत को एक वैकल्पिक व्यापार भागीदार के रूप में देख रहे हैं। इससे भारत का निर्यात तो बढ़ सकता है किंतु, उच्च गुणवत्ता वाले आगतों के लिए आयात भी बढ़ेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव

- **सस्ते उत्पादों की डंपिंग :** ट्रेड वॉर के चलते अमेरिकी बाज़ार में निर्यात करने में समस्या का सामना करने वाले चीन जैसे देश अपने अतिरिक्त माल को भारत जैसे विकासशील देशों की ओर मोड़ सकते हैं। इससे भारत में सस्ते चीन निर्मित उत्पादों की डंपिंग से घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **आयात वृद्धि का दबाव :** अमेरिका-चीन के बीच व्यापार शुल्कों के चलते कंपनियाँ चीन से हटकर भारत जैसे विकल्पों की ओर झुक सकती हैं, जिससे भारत के आयात में कुछ तकनीकी एवं औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण भारत को कम दरों पर आयात उपलब्ध हो सकता है, जिससे आयात में वृद्धि हो सकती है।
- **व्यापार घाटे में वृद्धि :** आयात में अप्रत्याशित वृद्धि से भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़ सकता है जो चालू खाता घाटे (CAD) एवं मुद्रा विनिमय दर पर भी दबाव उत्पन्न कर सकता है।
- **घरेलू MSMEs पर प्रभाव :** सस्ते आयातित उत्पादों के भारत में डंपिंग से घरेलू सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता घट सकती है जिससे रोज़गार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत के लिए संभावित अवसर

- **निर्यात अवसरों में वृद्धि :** व्यापार युद्ध के कारण अमेरिका जैसे देश भारत से अधिक आयात करने पर विचार कर सकते हैं, विशेषकर आई.टी. सेवाओं, फार्मास्युटिकल्स, ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत का प्रवेश :** भारत को 'चीन $1' रणनीति के अंतर्गत वैश्विक आपूर्ति शृंखला में स्थान पाने का अवसर मिल सकता है।
- **घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन :** यदि भारत आत्मनिर्भरता की नीति के अंतर्गत अपने उद्योगों को मज़बूत करता है तो आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।

भारत की नीति प्रतिक्रिया

- **'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों को बढ़ावा :** सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है।
- **पी.एल.आई. योजना (Production Linked Incentive) :** इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन मिल रहा है।
- **नई विदेश व्यापार नीति (2023) :** इसमें भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **टैरिफ नीति में बदलाव :** अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि।
- **FTA समीक्षा :** मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा कर संतुलित आयात-निर्यात को सुनिश्चित करना।

सुझाव

- **प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का विकास :** भारत को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी।
- **लॉजिस्टिक्स एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार की आवश्यकता :** विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना कठिन होगा।
- **नीतिगत स्थिरता एवं व्यापारिक सुगमता :** निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियों में स्पष्टता एवं स्थिरता ज़रूरी है।

निष्कर्ष

व्यापार युद्ध भारत के लिए अवसर व चुनौती दोनों लेकर आया है। अल्पावधि में आयात में वृद्धि संभावित है किंतु, दीर्घावधि में यदि भारत अपनी विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त करता है तो यह देश की आयात पर निर्भरता घटाने के साथ ही वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

मौद्रिक नीति में परिवर्तन एवं इसके प्रभाव

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2025 में अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में मौद्रिक नीति को संशोधित किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में परिवर्तन

रेपो दर में कटौती

- **परिवर्तन :** आर.बी.आई. ने रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.25% से 6% कर दिया है।
  - रेपो दर वह दर होती है जिस पर आर.बी.आई. वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जब रेपो दर घटती है तो बैंकों को सस्ता ऋण मिलता है, जिससे उधार देने की क्षमता एवं निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- **उद्देश्य :** इस निर्णय का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहित करना और मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य सीमा के अंदर रखना है।
- **कारण :** वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट व अमेरिकी डॉलर के कमज़ोर होने के

बावजूद भारत के आर्थिक संकेतक आशाजनक हैं, जिससे आर.बी.आई. ने यह कदम उठाया।

तरलता समायोजन सुविधा (LAF)

- इसके तहत स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर को 5.75% पर समायोजित किया गया।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक दर को बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है।

मुद्रास्फीति लक्ष्य

मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य सी.पी.आई. मुद्रास्फीति को 4% (±2%) तक बनाए रखना है।

जी.डी.पी. एवं मुद्रास्फीति के अनुमान

- आर.बी.आई. ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जी.डी.पी. वृद्धि का अनुमान 6.5% रखा है।
- यह पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है किंतु फिर भी आर्थिक सुधार की उम्मीद है।
- मुद्रास्फीति के अनुमान में भी सुधार हुआ है और इसे 4% के आसपास रहने की संभावना जताई गई है जो विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण संभव हो सकता है।

मौद्रिक नीति के प्रभाव

- **उधारी एवं निवेश में वृद्धि :** जब रेपो दर घटती है तो बैंकों के लिए उधार देना सस्ता हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि ब्याज दरों में गिरावट से घरेलू निवेश एवं उधारी बढ़ेगी। इससे व्यावसायिक गतिविधियाँ एवं उपभोक्ता व्यय बढ़ सकते हैं जो अर्थव्यवस्था को गति देंगे।
- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण :** मौद्रिक नीति समिति का प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। खाद्य मुद्रास्फीति में कमी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण से मुद्रास्फीति में स्थिरता आ सकती है।
- **बैंकिंग क्षेत्र में सुधार :** बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति में सुधार होगा, जिससे बैंकों को अधिक ऋण देने और निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध होगी। ब्याज दरों में नरमी का परिणाम ऋण बाज़ार के लिए सकारात्मक हो सकता है जिससे कंपनियों को सस्ता वित्तपोषण मिलेगा।
- **ग्रामीण मांग एवं कृषि क्षेत्र पर प्रभाव :** कृषि क्षेत्र में रबी फसल के अच्छे उत्पादन और समान मानसून के कारण ग्रामीण मांग में सुधार हो सकता है। इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल सकता है जिसकी गति पिछले कुछ समय से धीमी थी।
- **वैश्विक अनिश्चितताएँ :** हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं किंतु वैश्विक अनिश्चितताएँ (जैसे– व्यापारिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एवं वैश्विक मुद्रास्फीति) से जोखिम बना हुआ है। इन कारकों से घरेलू विकास दर प्रभावित हो सकती है।

वित्तीय स्थिति और बाह्य आर्थिक प्रभाव

- **विदेशी मुद्रा भंडार :** आर.बी.आई. के पास लगभग 676.3 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो लगभग 11 महीने के आयात कवर के बराबर है।
  - यह स्थिति भारत को बाह्य वित्तीय अस्थिरता से बचाती है और चालू खाता घाटा को नियंत्रित करने में मदद करती है।
- **विदेशी निवेश :** भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि का अनुमान जताया है, विशेष रूप से संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के माध्यम से।
  - हालाँकि, उच्च प्रत्यावर्तन (Reversion) एवं बाहरी निवेश में कुछ कमी देखी जा सकती है किंतु ऋण प्रवाह में सुधार हुआ है।

अर्थव्यवस्था में रचनात्मकता के अवसर

संदर्भ

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Creative Economy) तेज़ी से उभरते हुए क्षेत्रों में से एक है जो न केवल सांस्कृतिक विविधता को प्रकट करती है बल्कि आर्थिक वृद्धि, रोज़गार एवं वैश्विक पहचान का भी माध्यम बन रही है। रचनात्मक या क्रिएटिव इकोनॉमी को 'आरेंज इकोनामी' भी कहते हैं।

क्या है रचनात्मक अर्थव्यवस्था

- यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो रचनात्मकता, कौशल एवं प्रतिभा पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है–
  - फिल्म, संगीत, फैशन
  - हस्तशिल्प, लोककला, डिज़ाइन
  - एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट
  - आर्किटेक्चर, प्रकाशन, मीडिया

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

- वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर रचनात्मक सेवाओं का निर्यात 1.4 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि रचनात्मक वस्तुओं का निर्यात 713 बिलियन डॉलर था।
- सामूहिक रूप से रचनात्मक अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करती है और दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन नौकरियों का समर्थन करती है।
- रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) रिपोर्ट 'क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक, 2024' के अनुसार, तीन क्षेत्र रचनात्मक अर्थव्यवस्था (2022) के मुख्य योगदानकर्ता हैं :

- सॉफ्टवेयर सेवाएँ (41.3%)
- अनुसंधान एवं विकास (30.7%)
- विज्ञापन, बाज़ार अनुसंधान एवं वास्तुकला (15.5%)

❖ यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 2021 को International Year of Creative Economy for Sustainable Development घोषित किया था।

केस अध्ययन : इंडोनेशिया की एंट्रोडम परियोजना

❖ इंडोनेशिया के बिनस स्कूल के छात्रों ने बाढ़ से निपटने के लिए एंट्रोडम परियोजना की शुरुआत की। इसके लिए बिनस टीम ने पशु एवं वनस्पति जगत से संरचनाओं की खोज की।

❖ इंडियन हार्वेस्टर चींटियों के घोंसलों से प्रेरित होकर छात्रों ने एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की जो प्रकृति के अनुकूल थी।

❖ यह विशुद्ध रचनात्मक प्रतिभा है जिसे बड़े पैमाने पर नवाचार में बदलने के लिए निवेश की आवश्यकता है जिसे अन्यत्र भी लागू किया जा सके।

भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की स्थिति

❖ वर्ष 2022 में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का आकार लगभग $120 अरब आँका गया था।

❖ इस क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त है।

❖ ग्रामीण भारत में हस्तशिल्प एवं पारंपरिक कला इस अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत हैं।

❖ वर्ष 2019 में रचनात्मक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात कुल $121 बिलियन था जिसमें रचनात्मक सेवाओं का योगदान लगभग $100 बिलियन था।

भारत के लिए अवसर

❖ भारत जैसे देश में अत्यधिक रचनात्मकता मौजूद है किंतु, ऐसी रचनात्मकता कई बार नवाचार में तब्दील नहीं हो पाती है।
- रचनाकार विचारों से युक्त होते हैं, जबकि नवोन्मेषक विचारों को उत्पादों एवं सेवाओं में बदलते हैं।
- भारत को रचनात्मकता एवं नवाचार के बीच की खाई को पाटने के लिए निवेश की ज़रूरत है।

❖ जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) के बीच यदि रचनात्मक क्षेत्रों को नीति समर्थन मिले, तो यह रोज़गार, निर्यात एवं सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर तीनों को बढ़ा सकता है।

❖ ग्रासरूट इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क (GIAN) जैसे संगठनों द्वारा ज़मीनी स्तर पर नवाचारों की पहचान एवं मान्यता पर अग्रणी कार्य के परिणामस्वरूप सैकड़ों ज़मीनी स्तर के रचनात्मक विचारों को लोकप्रिय बनाया गया है।

चुनौतियाँ

❖ **असंगठित क्षेत्र के रूप में :** अधिकांश कलाकार एवं शिल्पकार असंगठित क्षेत्र में हैं जिन्हें न नीति सहायता मिलती है न ही सामाजिक सुरक्षा।

❖ **डिजिटल विभाजन :** डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच सीमित होने से रचनात्मक कार्यों की वैश्विक पहुँच बाधित होती है।

❖ **IPR सुरक्षा की कमी :** कई कलाकारों की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा नहीं हो पाती है जिससे उनका शोषण होता है।

❖ **नीति का अभाव :** भारत में अब तक रचनात्मक क्षेत्र के लिए कोई समर्पित नीति (Creative Economy Policy) नहीं है।

सरकार द्वारा प्रयास

भारत सरकार ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Creative Economy) को बढ़ावा देने के लिए कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं, ताकि देश की सांस्कृतिक विविधता, कलात्मक प्रतिभा एवं नवाचार क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके। प्रमुख सरकारी प्रयासों में शामिल हैं–

एक ज़िला, एक उत्पाद (ODOP) योजना

❖ **उद्देश्य :** हर ज़िले की विशिष्ट कला, शिल्प या उत्पाद को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पहचान दिलाना
- इससे स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है।

राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति (National Design Policy)

❖ इसे डिज़ाइन सेक्टर को संगठित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।

❖ इसके तहत भारत डिज़ाइन परिषद् (India Design Council) की स्थापना की गई है जो रचनात्मक डिज़ाइन के माध्यम से औद्योगिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान पर कार्य करता है।

यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क (UCCN) में भागीदारी

भारत के कई शहर, जैसे- जयपुर (शिल्प व लोक कला), वाराणसी (संगीत) एवं चेन्नई (संगीत) को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। इससे स्थानीय सांस्कृतिक व्यवसायों को वैश्विक मंच मिला है।

स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंडअप इंडिया

रचनात्मक क्षेत्र में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप व टैक्स छूट जैसे लाभ दिए जाते हैं।

फिल्म एवं मीडिया क्षेत्र में प्रोत्साहन

❖ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) और फिल्म सुविधा कार्यालय (FFO) के माध्यम से फिल्मों व डॉक्यूमेंट्री निर्माण को समर्थन।

- अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भागीदारी के लिए सब्सिडी एवं लॉजिस्टिक सहायता।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (National Culture Fund)

इस निधि के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत एवं कलात्मक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

डिजिटल इंडिया मिशन एवं ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म

कारीगरों एवं कलाकारों को ऑनलाइन मंच, जैसे- GeM, अमेजॉन कारीगर (Amazon Karigar) आदि के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में मदद मिल रही है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

शिक्षा में कला, संगीत, नाटक एवं शिल्प जैसे रचनात्मक विषयों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है जिससे भविष्य में रचनात्मक पेशों को अधिक बढ़ावा मिलेगा।

सुझाव

- **राष्ट्रीय रचनात्मक अर्थव्यवस्था नीति (NCEP) का निर्माण :** इससे संस्कृति, कौशल, तकनीक एवं व्यापार का समन्वय हो।
- **IPR फ्रेंडली वातावरण :**
  - कलाकारों एवं डिज़ाइनरों के लिए सरल IPR पंजीकरण व कानूनों की जानकारी।
  - अनौपचारिक नवाचारों सहित सभी नवाचारों को भारतीय बौद्धिक संपदा संरक्षण नीतियों एवं विनियमों में समायोजन के माध्यम से बेहतर संरक्षण की आवश्यकता है।
- **MSME एवं स्टार्टअप सहयोग :** क्रिएटिव स्टार्टअप्स को MSME एवं स्टार्टअप इंडिया योजनाओं में शामिल कर प्रोत्साहन देना।
- **स्थानीय से वैश्विक (Local to Global) :** GI टैगिंग, पारंपरिक कला को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी।
- **रचनात्मक गतिविधियों में निवेश :**
  - भारत द्वारा सभी स्तरों पर रचनात्मक गतिविधियों में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
  - यह आवश्यक है कि सरकार 'एक ज़िला, एक उत्पाद' पहल की सफलता के बाद 'एक ज़िला, एक नवाचार' में निवेश करे।

एक राज्य-एक आर.आर.बी.

संदर्भ

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 'एक राज्य-एक आर.आर.बी.' के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय को अधिसूचित किया है।

एक राज्य-एक आर.आर.बी. सिद्धांत की पृष्ठभूमि

- व्यास समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2004-05 में आर.आर.बी. का समेकन शुरू किया।
- तीन चरणों के माध्यम से वर्ष 2020-21 तक आर.आर.बी. की संख्या 196 से घटाकर 43 कर दी गई।
- वर्तमान में यह आर.आर.बी. के विलय का चौथा चरण है।

क्या है एक राज्य-एक आर.आर.बी. सिद्धांत

- इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक राज्य में अनेक आर.आर.बी. के स्थान पर केवल एक आर.आर.बी. होगा जो किसी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित होगा।
- **उदाहरण :**
  - बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय पटना में होगा और यह पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित होगा।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में 26 राज्यों और 2 केंद्र-शासित प्रदेशों में 43 आर.आर.बी. कार्यरत हैं।
- विलय के बाद 26 राज्यों और 2 केंद्र-शासित प्रदेशों में 28 आर.आर.बी. होंगे। 700 ज़िलों में इनकी 22,000 से अधिक शाखाएँ होंगी।
- विलय की प्रभावी तिथि 1 मई, 2025 निर्धारित है।
- राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा व राजस्थान) में आर.आर.बी. को क्रमशः एक इकाई में विलय किया जाना है, ताकि इनमें से प्रत्येक 'एक राज्य-एक आर.आर.बी.' के लक्ष्य को साकार कर सके।
- इनके संचालन का मुख्य क्षेत्र ग्रामीण परिवेश है जिसमें लगभग 92% शाखाएँ ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

कानूनी प्रावधान

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप, ये आर.आर.बी. सार्वजनिक हित में एक एकल इकाई में विलय हो जाएंगे।
- जैसे- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समाहित कर दिया गया है।

आर.आर.बी. के बारे में

- **स्थापना :** 26 सितंबर, 1975 को एक अध्यादेश द्वारा (बाद में आर.आर.बी. अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित)।
- **उद्देश्य :** कृषि, व्यापार एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छोटे किसानों, मज़दूरों, कारीगरों व ग्रामीण उद्यमियों को ऋण तथा बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।
- **स्थापना :** प्रायोजक बैंक के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित।
- **संयुक्त स्वामित्व :** केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%) और प्रायोजक बैंक (35%) का स्वामित्व
- **पर्यवेक्षण एवं विनियमन**
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण नाबार्ड करता है।
  - कर उद्देश्यों के लिए उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सहकारी समितियों के रूप में माना जाता है।

RBI का त्रिभाषा फॉर्मूला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय बैंक संघ को बैंकिंग सेवाओं में मराठी को शामिल करने के भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के निर्देश का तत्काल अनुपालन करने का आग्रह किया है।

RBI त्रिभाषी फॉर्मूला के बारे में

- **क्या है :** आर.बी.आई. ने वर्ष 2015 से बैंकों के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला अनिवार्य किया है जिसके तहत उन्हें अपनी सेवाओं में अंग्रेज़ी, हिंदी एवं राज्य की क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने का निर्देश है।
  - **बोर्ड :** बैंक शाखाओं में बोर्ड तीनों भाषाओं में प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
  - **मुद्रित सामग्री :** खुदरा ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाता खोलने के फॉर्म, भुगतान पर्चियाँ, पासबुक एवं अन्य मुद्रित सामग्री त्रिभाषी रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।
  - **चेक :** चेक हिंदी एवं अंग्रेज़ी में मुद्रित होने चाहिए और ग्राहक तीनों में से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं।
- **उद्देश्य :** क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि बैंकिंग सेवाएँ ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच सकें।
- **अनुपालन :** बैंकों को बोर्ड प्रदर्शित करके, खाता खोलने के फॉर्म और पासबुक जैसी मुद्रित सामग्री उपलब्ध कराकर तथा तीनों भाषाओं में लेनदेन करके आर.बी.आई. के निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- **प्रवर्तन :** अगर ग्राहकों को लगता है कि किसी बैंक ने आर.बी.आई. के निर्देशों का पालन नहीं किया है तो वे बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसे भी जानिए!

कोठारी आयोग (1968)

- भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिए त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी।
- इस सूत्र में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी (यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य हिंदी भाषी है या नहीं) और एक तीसरी भाषा का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया था।
- यह सूत्र बैंकिंग से संबंधित नहीं है और केवल शिक्षा पर केंद्रित था।

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020

- इस नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला अनिवार्य किया गया है, जिसके अनुसार छात्रों को तीन भाषाएँ सीखने की आवश्यकता है।
- इनमें से दो भाषाएँ मूल भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए, जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।
- यह फॉर्मूला राज्यों को विशिष्ट भाषाएँ चुनने में लचीलापन देता है, लेकिन इसके लिए कम-से-कम दो भाषाओं का मूल भारतीय होना ज़रूरी है।

बैंकनेट पोर्टल

बैंकों की परिसंपत्तियों की लिस्टिंग एवं नीलामी को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए 'बैंकनेट' (BAANKNET) नामक एक नया ई-नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है।

बैंकनेट पोर्टल के बारे में

- **क्या है :** यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) ऋणों की वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी के उद्देश्य से एक उन्नत एवं एकीकृत ई-नीलामी पोर्टल है।
- **नाम :** BAANKNET = Bank Asset Auction Network
- **नोडल मंत्रालय :** वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जनवरी 2025 से प्रारंभ
- **उद्देश्य :**
  - पारदर्शी, कुशल एवं सुरक्षित ई-नीलामी सुनिश्चित करना
  - हितधारकों का विश्वास बढ़ाना
  - परिसंपत्ति बिक्री से मूल्य प्राप्ति को अधिकतम करना

- **उपयोगकर्ता :** सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंक और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) देश भर में संपत्तियों की सूचीकरण व नीलामी के लिए इस मंच का उपयोग कर रहे हैं।

बैंकनेट पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ

- अत्याधुनिक अभिनव मंच
- मज़बूत व आसान इंटरफेस
- स्वचालित के.वाई.सी. एवं सुरक्षित भुगतान गेटवे
- व्यापक संपत्ति सूचीकरण
- सरलीकृत नेविगेशन
- पारदर्शिता एवं निर्बाध प्रक्रिया
- बैंक सत्यापन से नीलामी प्रक्रिया में प्रामाणिकता व विश्वसनीयता

ई-विक्रय (e-BKray) प्लेटफॉर्म के बारे में

- **क्या है :** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली कार्यवाही के तहत परिसंपत्तियों के निपटान के लिए एक डिजिटल नीलामी मंच
- **शुभारंभ :** 28 फरवरी, 2019 को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा लॉन्च
- **उद्देश्य :**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ई-नीलामी प्रक्रियाओं को मानकीकृत एवं सरल बनाना
  - प्रतिस्पर्द्धी बोली और उच्चतर परिसंपत्ति मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना
- **कार्य :**
  - वसूली कार्यवाही के अंतर्गत बैंक संपत्तियों की केंद्रीकृत ई-नीलामी
  - संपत्ति नीलामी प्रक्रियाओं को मानकीकृत कर प्रशासनिक बोझ को कम करना
  - वास्तविक समय नीलामी ट्रैकिंग और पारदर्शी बोली प्रक्रिया
  - बैंकों को एन.पी.ए. परिसंपत्तियों को कुशलतापूर्वक एवं शीघ्रता से वसूलने में सहायता करना

भीम 3.0

'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भीम सर्विसेज लिमिटेड' ने भीम ऐप को अपग्रेड करके 'भीम 3.0' (BHIM 3.0) लॉन्च किया है। यह अप्रैल 2025 से उपलब्ध है। भीम (BHIM) ऐप की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी।

भीम 3.0 ऐप की प्रमुख विशेषताएँ

- BHIM 3.0 देश की 15 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध होगा तथा कम इंटरनेट स्पीड वाले क्षेत्रों में भुगतान करने में मदद करेगा।
- इसके डैशबोर्ड पर उपयोगकर्ता अपने मासिक व्यय को ट्रैक कर सकते हैं तथा किए गए सभी व्यय को अलग-अलग श्रेणी में विभाजित किया जा सकेगा।
- BHIM 3.0 के साथ उपयोगकर्ता के यू.पी.आई. अकाउंट में परिवार के अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जा सकता है।
- BHIM 3.0 के साथ ही व्यापारियों के लिए BHIM Vega भी लॉन्च किया गया है जो कि एक इन-ऐप पेमेंट सॉल्यूशन है। यह यूजर्स को बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप पर स्विच किए ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट पेमेंट करने की सुविधा देता है।

एन.पी.सी.आई. भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL)

- **क्या है :** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
- **स्थापना :** अगस्त 2024 में
- **उद्देश्य :** भारत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप के माध्यम से सुरक्षित, कुशल एवं नवीन यू.पी.आई. भुगतान समाधान प्रदान करना

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

- **क्या है :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर-लाभकारी कंपनी
- **उद्देश्य :** भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में भारत में खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणाली का संचालन करना
- **आरंभ :** वर्ष 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में
- **प्रमुख सेवाएँ :**
  - रुपे कार्ड (RuPay card)
  - त्वरित भुगतान सेवा (IMPS)
  - एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)
  - भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM)
  - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)
  - राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)
  - भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)

❑❑❑

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बायोमास उपग्रह मिशन

संदर्भ

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा 29 अप्रैल, 2025 में वेगा-सी रॉकेट (Vega-C Rocket) के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन का उद्देश्य विश्व के वनों का मानचित्रण करना है।

बायोमास उपग्रह मिशन के बारे में

- **क्या है :** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 'जलवायु एवं पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम' के अंतर्गत सातवाँ 'पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन'
- **कार्य :** वनों के स्वास्थ्य एवं कार्बन चक्र में वनों की भूमिका का आकलन करने के लिए वैश्विक वनों का मानचित्रण करने के साथ-साथ कार्बन स्तर का मापन करना
- **मिशन का नेतृत्व :** पूरे यूरोप के शोधकर्ताओं के सहयोग से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा
- **प्रक्षेपण :** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट 'वेगा-सी' का उपयोग करके फ्रेंच गुयाना से

बायोमास उपग्रह मिशन का उद्देश्य

- रडार का उपयोग करके अंतरिक्ष से वन-आधारित बायोमास एवं कार्बन सामग्री की मात्रा का निर्धारण करना
- वन संरचनाओं का सटीक 3D मॉडल तैयार करना और समय के साथ बायोमास में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना

बायोमास मिशन की मुख्य विशेषताएँ

- **पी-बैंड SAR प्रौद्योगिकी :** गहन वनों के मानचित्रण के लिए 70 सेमी. तरंगदैर्ध्य के साथ पी-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह
- **रडार एंटीना :** एक विशाल एंटीना वन की वितान (Canopy) एवं भूमि पर स्थित बायोमास संरचनाओं की स्कैनिंग करने के लिए
- **कार्बन प्रवाह निगरानी :** कार्बन अवशोषण एवं उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए तथा जलवायु फीडबैक लूप की समझ में सुधार के लिए
- **वैश्विक कवरेज :** उष्णकटिबंधीय एवं बोरियल वनों को कवर करने के साथ-साथ हिम टोपी (Ice Sheet) की गतिविधि और भू-भाग मॉडल की निगरानी करना
  - बोरियल वन का नाम नार्थ विंड (North Wind) के ग्रीक देवता 'बोरियस' के नाम पर रखा गया है। यह वन विश्व की कुल भूमि के लगभग 10% भाग पर आच्छादित है जो आर्कटिक महासागर के निकट पाया जाता है।
  - ग्रीक पौराणिक कथाओं में नार्थ विंड को बोरियस के रूप में चित्रित किया गया है जो सर्दी एवं तूफानों के एक शक्तिशाली देवता हैं।
- **सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा :** माप के लिए निरंतर प्रकाश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 666 किमी. की ऊँचाई पर संचालन

क्या आप जानते हैं

सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) रडार का ही एक रूप है जिसका उपयोग वस्तुओं के द्वि-आयामी चित्र या त्रि-आयामी संरचना बनाने के लिए किया जाता है। भूमि की उच्च-रेज़ॉल्यूशन छवियों को प्राप्त करने के लिए एक्स-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (Synthetic Aperture Radars) का उपयोग महत्त्वपूर्ण है।

पृथ्वी अन्वेषण कार्यक्रम (Earth Explorer Programme)

- यह ई.एस.ए. की अनुसंधान-संचालित उपग्रह श्रृंखला है जिसे पृथ्वी की गत्यात्मक प्रणालियों का अन्वेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पहला अंतरिक्ष यान 'ग्रेविटी फील्ड एंड स्टिडी-स्टेट ओसियन सर्कुलेशन एक्सप्लोरर (GOCE) मिशन 2009 में प्रक्षेपित किया गया और वर्ष 2013 तक कार्यरत रहा।
- इसका सबसे हालिया मिशन अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर (अर्थकेयर) मिशन था, जिसे मई 2024 में लॉन्च किया गया था।

अल्फाल्फा घास : विशेषताएँ एवं उपयोग

संदर्भ

जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (GEAC) ने अमेरिका से आनुवंशिक रूप से संशोधित अल्फाल्फा (Alfalfa) घास के आयात को मंज़ूरी दे दी है। हालाँकि, भारत के कृषि मंत्रालय से इसकी अंतिम मंज़ूरी लंबित है।

अल्फाल्फा के बारे में

- **क्या है :** यह एक फलीदार पौधा है जिसे एक पौष्टिक एवं औषधीय घास के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ल्यूसर्न के नाम से भी जाना जाता है।
- **वैज्ञानिक नाम :** मेदिकागो सातिव (Medicago sativa)

- **उत्पत्ति :** इसकी उत्पत्ति मूलत: दक्षिण एवं मध्य एशिया से मानी जाती है किंतु सदियों से इसे दुनिया भर में उगाया जाता रहा है।
- **जलवायु :** यह प्राय: गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है।

अल्फाल्फा की विशेषताएँ

- **पौष्टिक तत्त्व :** अल्फाल्फा में प्रोटीन, विटामिन A, C, K, कैल्शियम, आयरन एवं फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह पौष्टिकता एवं ऊर्जा से भरपूर होती है।
- **पत्तियाँ एवं फूल :** अल्फाल्फा की पत्तियाँ गहरी हरी एवं समृद्ध होती हैं। इसके बैंगनी या नीले रंग के छोटे-छोटे फूल होते हैं।
- **जड़ तंत्र :** अल्फाल्फा का जड़ तंत्र गहरा एवं मज़बूत होता है जो इसे सूखे व गर्म परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करता है।

अल्फाल्फा के स्वास्थ्य लाभ

- **कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण :** अल्फाल्फा के बीज एवं पत्तियाँ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होती हैं।
- **पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना :** यह घास पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और कब्ज़ जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है।
- **हृदय स्वास्थ्य :** इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम एवं पोटैशियम हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
- **मधुमेह में सहायक :** यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

अल्फाल्फा के उपयोग

- **पशुपालन :** अल्फाल्फा घास का प्रमुख उपयोग पशुओं के आहार में किया जाता है, विशेष रूप से गायों, बकरियों, भेड़ों एवं घोड़ों के लिए। यह उन्हें प्रोटीन एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करता है।
- **मानव आहार :** अल्फाल्फा के पत्तों का उपयोग सलाद, सूप या जूस के रूप में किया जा सकता है। इसके बीजों का उपयोग अल्फाल्फा स्प्राउट्स के रूप में होता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
- **औषधीय उपयोग :** अल्फाल्फा का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है। इसे रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करने, अस्थियों को मज़बूत बनाने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **मृदा उर्वरता :** अल्फाल्फा को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए भी उगाया जाता है क्योंकि यह मृदा में नाइट्रोजन को संचित करता है।

प्रसवोत्तर प्रीक्लेम्पसिया

संदर्भ

डचेस ऑफ ससेक्स 'मेघन मार्कल' के अनुसार, उन्हें प्रसव के तुरंत बाद प्रसवोत्तर प्रीक्लेम्पसिया (Postpartum Preeclampsia) नामक एक दुर्लभ स्वास्थ्य स्थिति का पता चला था।

प्रसवोत्तर प्रीक्लेम्पसिया के बारे में

- यह एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो कुछ महिलाओं में बच्चे को जन्म देने के बाद उत्पन्न हो सकती है।
- यह उच्च रक्तचाप एवं मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति से जुड़ी होती है।
- हालाँकि, यह स्थिति गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्पसिया के रूप में विकसित हो सकती है और कुछ मामलों में यह प्रसव के तुरंत बाद भी उत्पन्न हो सकती है।
- समय पर उपचार न होने पर यह गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है, जैसे– दौरे, स्ट्रोक, मस्तिष्क क्षति एवं मौत।

प्रसवोत्तर प्रीक्लेम्पसिया के प्रमुख लक्षण

- सिरदर्द
- दृष्टि में परिवर्तन (जैसे– धुंधलापन या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता)
- चेहरे, हाथ, पैरों या अंगों में सूजन
- मतली एवं उल्टी होना
- पेट दर्द, तेज़ी से वज़न बढ़ना
- साँस लेने में कठिनाई

प्रमुख कारण

- इस रोग का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। हालाँकि, इसे रक्तचाप में वृद्धि, रक्त वाहिकाओं में संकुचन और शरीर में सूजन के रूप में देखा जा सकता है।
- गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में रक्त प्रवाह में वृद्धि और हॉर्मोनल बदलाव इस स्थिति को प्रभावित करते हैं।

वैश्विक स्थिति

- यह स्थिति सामान्यत: 4% से 6% महिलाओं को प्रभावित करती है। हालाँकि, यह एक आपात स्थिति है जिसे तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है।
- विशेषकर विकसित देशों में, स्वास्थ्य संस्थाएँ इस स्थिति की जाँच एवं उपचार के लिए अधिक संवेदनशील हैं, फिर भी इसके प्रति जागरूकता की कमी बनी रहती है।

भारत में स्थिति

- भारत में भी यह रोग एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, जहाँ मातृ मृत्यु दर उच्च है।
- ग्रामीण इलाकों में इसकी पहचान कम ही होती है और इलाज का स्तर शहरों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं होता है।

प्रमुख जोखिम

- **पूर्व रोग के प्रति प्रवण :** उच्च रक्तचाप, मधुमेह या किडनी रोग जैसी स्थितियाँ महिला को अधिक जोखिम में डाल सकती हैं।
- **ऑटोइम्यून बीमारियाँ :** ल्यूपस या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ इस स्थिति के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
- **पिछला इतिहास :** यदि महिला को अपनी पिछली गर्भावस्था में प्रीक्लेम्पसिया या उच्च रक्तचाप हुआ हो, तो इस स्थिति के पुन: होने की संभावना बढ़ सकती है।
- **आयु :** 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं को अधिक जोखिम होता है।
- **मोटापा :** अधिक वज़न या मोटापे से पीड़ित महिलाएँ भी इस स्थिति के प्रति संवेदनशील होती हैं।
- **मल्टीपल प्रेगनेंसी :** जुड़वाँ या तीन बच्चों के जन्म के दौरान इस स्थिति के होने की संभावना अधिक होती है।

इससे बचाव के उपाय

- **स्वस्थ जीवनशैली :** गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम की सलाह
- **नियमित जाँच :** गर्भवती महिलाओं को रक्तचाप एवं मूत्र की नियमित जाँच कराना
- **डॉक्टर की सलाह :** उच्च रक्तचाप या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए डॉक्टर की सलाह
- **तनाव का प्रबंधन :** मानसिक एवं शारीरिक तनाव को कम करने के लिए योग व ध्यान

उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली

संदर्भ

भारत में सड़क परिवहन के विकास के साथ-साथ टोल संग्रहण प्रणाली में भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। फास्टैग (FASTag) की सफलता के बाद अब सरकार उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली (Satellite-Based Tolling System) को लागू करने की दिशा में अग्रसर है।

उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली के बारे में

- **क्या है :** इस आधुनिक डिजिटल टोल संग्रहण व्यवस्था में जी.पी.एस. (GPS) एवं उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग करके टोल शुल्क वसूला जाता है।
- **कार्यप्रणाली :**
  - वाहन में GPS-आधारित ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता
  - वाहन की गति एवं दिशा की उपग्रह द्वारा ट्रैकिंग
  - वाहन की टोल योग्य दूरी का स्वत: आकलन
  - लिंक्ड अकाउंट से निर्धारित शुल्क का स्वत: कट जाएगा (जैसे फास्टैग या बैंक खाता)।

प्रमुख विशेषताएँ

- **जी.पी.एस. तकनीक का उपयोग :** वाहन में लगे GPS डिवाइस के ज़रिए उसकी गति एवं मार्ग की निगरानी की जाती है।
- **ऑनबोर्ड यूनिट (OBU) :** वाहन में एक डिवाइस लगाई जाती है जो उपग्रह से संपर्क करके लोकेशन डाटा भेजती है।
- **टोल प्लाज़ा की आवश्यकता नहीं :** इसमें भौतिक टोल प्लाज़ा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। टोल शुल्क स्वचालित रूप से वाहन के वर्चुअल ट्रैकिंग के आधार पर संगृहीत किया जाता है।
- **दूरी-आधारित शुल्क (Distance-Based Tolling) :** इस प्रणाली में 'Pay as you Drive' मॉडल अपनाया जाता है, अर्थात् वाहन जितनी दूरी टोल वाली सड़क पर चलेगा, उतना ही शुल्क देना होगा।
- **डिजिटल भुगतान की सुविधा :** वाहन मालिक के बैंक खाते, फास्टैग वॉलेट या अन्य डिजिटल मोड से टोल शुल्क स्वत: काट लिया जाता है।
- **वाहन ट्रैकिंग एवं निगरानी :** सिस्टम वाहन की गति, लोकेशन एवं ट्रैवल रूट को ट्रैक करता है जिससे बेहतर निगरानी व यातायात प्रबंधन संभव होता है।

उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली के प्रमुख लाभ

- **दूरी के आधार पर न्यायसंगत शुल्क :** इस प्रणाली में वाहन जितनी दूरी टोल योग्य सड़कों पर तय करता है, उतना ही शुल्क लिया जाता है।
- **ईंधन, समय एवं प्रदूषण में कमी :** वाहनों को टोल प्लाज़ा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे ईंधन की बचत, यात्रा में लगने वाले समय एवं प्रदूषण में कमी आती है।
- **भ्रष्टाचार एवं टोल चोरी में कमी :** यह प्रणाली स्वचालित एवं डिजिटल है, इसलिए इसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होने से टोल चोरी तथा भ्रष्टाचार की संभावना घट जाती है।
- **बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन व निगरानी :** जी.पी.एस.-आधारित ट्रैकिंग से वाहनों के आवागमन, लोकेशन एवं भीड़ की निगरानी संभव होती है, जिससे यातायात नियंत्रण व सड़क सुरक्षा बेहतर होती है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा :** सभी टोल भुगतान डिजिटल माध्यमों से होने के कारण यह प्रणाली डिजिटल लेनदेन एवं वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है।

- **टोल प्लाज़ा के रखरखाव पर व्यय में कमी :** भौतिक टोल प्लाज़ा की आवश्यकता समाप्त हो जाने से संचालन, रखरखाव एवं मानव संसाधन पर होने वाला व्यय कम होता है।
- **डाटा संग्रह व विश्लेषण :** यह प्रणाली यातायात, सड़क उपयोग एवं यात्रा पैटर्न डाटा एकत्र कर सकती है जो भविष्य की योजना व नीति-निर्माण में उपयोगी होता है।

मुख्य चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकीय अवसंरचना की कमी :** देशभर में, खासकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में, जी.पी.एस. व वाहन ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना तथा उपयोग को सुनिश्चित करना
- **डाटा सुरक्षा एवं गोपनीयता :** वाहन की लोकेशन एवं ट्रैवल डाटा के अत्यंत संवेदनशील होने के कारण डाटा के दुरुपयोग या हैकिंग की संभावना
- **पुराने वाहनों में प्रणाली का समावेशन (Retrofitting) :** जो वाहन पहले से इस तकनीक से लैस नहीं हैं, उनमें उपकरण लगाना महँगा व समय-साध्य है।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी :** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल भुगतान, GPS ट्रैकिंग आदि की जानकारी का अभाव
- **विनियामक ढाँचे की आवश्यकता :** उपग्रह-आधारित टोलिंग के लिए स्पष्ट नियम, अधिकार, विवाद समाधान तंत्र और पारदर्शिता की आवश्यकता
- **नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्याएँ :** भारत के कई दुर्गम क्षेत्रों में GPS सिग्नल और डाटा कनेक्टिविटी की सुलभता में कमी
- **प्रारंभिक लागत :** प्रणाली की स्थापना की शुरुआत में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता

आगे की राह

- **तकनीकी अवसंरचना का विकास**
  - चरणबद्ध क्रियान्वयन
  - नेविगेशन और ट्रैकिंग के लिए GPS-आधारित उपकरणों का प्रसार
  - निजी क्षेत्र की भागीदारी से नेटवर्क विस्तार
- **डाटा सुरक्षा एवं गोपनीयता**
  - मज़बूत साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क
  - डाटा एन्क्रिप्शन और कस्टमर की सहमति-आधारित एक्सेस
  - डाटा संरक्षण कानूनों को लागू करना
- **पुराने वाहनों में उपकरण लगाना (Retrofitting)**
  - सरकार द्वारा सब्सिडी या टैक्स रिबेट
  - स्थानीय सर्विस सेंटरों के माध्यम से आसान इंस्टॉलेशन
  - अनिवार्य फिटमेंट के लिए स्पष्ट समय सीमा
- **डिजिटल साक्षरता एवं जागरूकता**
  - ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - टोल एवं जी.पी.एस. से संबंधित सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना
  - सहायता केंद्र व हेल्पलाइन सेवा
- **प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी व्यवस्था**
  - केंद्र-राज्य समन्वय के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स
  - एकीकृत डिजिटल कंट्रोल रूम
  - टोल ट्रैकिंग के लिए रीयल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम
- **विनियामक व कानूनी ढाँचा**
  - स्पष्ट नीति एवं कार्यप्रणाली
  - विवाद समाधान तंत्र की स्थापना
  - निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए नियामक दिशा-निर्देश
- **नेटवर्क व कनेक्टिविटी समस्या का संधान**
  - दूरदराज़ के क्षेत्रों में उपग्रह-आधारित इंटरनेट (VSAT)
  - 4G/5G नेटवर्क विस्तार पर बल
  - मोबाइल टॉवरों की संख्या बढ़ाना
- **उच्च प्रारंभिक लागत से निपटना**
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल)
  - वैश्विक वित्तीय संस्थानों से सहयोग
  - चरणबद्ध निवेश-नीति अपनाना

निष्कर्ष

उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली पारंपरिक टोल प्रणाली का एक आधुनिक विकल्प है, फिर भी इसके सफल कार्यान्वयन हेतु सरकार को ठोस तकनीकी अवसंरचना, कानूनी ढाँचा, और जन-सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो यह प्रणाली भारत की सड़कों को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और कुशल बना सकती है।

निसार उपग्रह मिशन

संदर्भ

नासा एवं इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह 'निसार' को जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा।

निसार मिशन के बारे में

- **परिचय :** निसार (NISAR) एक अत्याधुनिक पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellite) है।

- यह उपग्रह दुनिया का पहला द्वि-आवृत्ति (Dual-Frequency) सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) सैटेलाइट है।

❖ **पूरा नाम :** NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)

❖ **मिशन में शामिल घटक :**
- NASA द्वारा प्रदत्त घटक : L-बैंड रडार, GPS प्रणाली, डाटा संग्रह एवं भंडारण के लिए सॉलिड-स्टेट रिकॉर्डर, पेलोड डाटा सबसिस्टम, रिफ्लेक्टर एंटीना
- ISRO द्वारा प्रदत्त घटक : S-बैंड रडार, GSLV प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यान (Spacecraft Bus) और संबंधित प्रक्षेपण सेवाएँ

❖ **मिशन का उद्देश्य :** धरती की सतह पर होने वाले सूक्ष्म एवं धीमे बदलावों की निगरानी करना, जिनमें शामिल हैं-
- भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी एवं आपदा प्रबंधन में सहायता
- हिमखंडों एवं ग्लेशियरों के बहाव की गति की निगरानी
- समुद्री तटरेखा में हो रहे बदलाव
- जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना
- कृषि, वनस्पति एवं जल संसाधनों की स्थिति की निगरानी
- स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों की पहचान करना

मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

❖ **डुअल SAR रडार प्रणाली :** L-बैंड एवं S-बैंड रडार मिलकर उच्च-गुणवत्ता वाली, विस्तृत व विश्वसनीय छवियाँ निर्मित करेंगे।

❖ **ऑल-वेदर क्षमताएँ :** बादल, बारिश जैसी स्थितियों में भी डाटा एकत्र करने में सक्षम

❖ **240 किलोमीटर चौड़ी इमेजिंग रेंज :** प्रत्येक 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह की स्कैनिंग

❖ **रिफ्लेक्टर एंटीना :** यह अब तक का NASA का सबसे बड़ा एंटीना है, जो रडार सिग्नल को केंद्रित करेगा।

❖ **तीन से पाँच वर्ष तक संचालन :** NASA के लिए न्यूनतम 3 वर्ष, जबकि ISRO के लिए 5 वर्ष तक सटीक निगरानी की योजना

निसार मिशन का महत्त्व

❖ यह भारत और अमेरिका के बीच वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक है।

❖ यह मिशन उन तकनीकी सीमाओं को पार करता है, जो अब तक गहराई से पृथ्वी की निगरानी में बाधा डालती थीं।

❖ निसार से प्राप्त जानकारी का उपयोग वैश्विक आपदा प्रबंधन, जलवायु कार्रवाई एवं सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होगा।

स्टेलाइट नोज़ल डायवर्जेंट

संदर्भ

इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के चौथे चरण के लिए स्टेलाइट का उपयोग करके स्वदेशी नोज़ल डायवर्जेंट (Nozzle Divergent) विकसित किया है।

नोज़ल डायवर्जेंट (Nozzle Divergent) के बारे में

❖ **क्या है :** नोज़ल डायवर्जेंट रॉकेट इंजन का वह हिस्सा होता है जो गैसों को तेज़ी से बाहर निकालकर धक्का (Thrust) उत्पन्न करता है।
- यह नोज़ल इंजन के ऑपरेशन के दौरान बेहद उच्च तापमान (1100°C से अधिक) एवं यांत्रिक दाब सहन करता है।
- यह थ्रस्ट की दिशा एवं वेग को नियंत्रित करता है जो रॉकेट की स्थिरता व मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

❖ **प्रयुक्त सामग्री :**
- PSLV के चौथे चरण में पहले विदेशों से आयातित कोलंबियम (Columbium: C-103) नामक दुर्लभ और उच्च ताप प्रतिरोधी धातु का उपयोग होता था। कोलंबियम की आयात पर निर्भरता के कारण लागत और आपूर्ति दोनों प्रभावित होती थीं।

कोलंबियम (C-103) के बारे में

❖ अमेरिका में कोलंबियम नाम से प्रारंभिक खोज 1801 में
- बाद में कोलंबियम एवं टैंटलम को एक माना जाने लगा।

❖ वर्ष 1844 में जर्मन वैज्ञानिक हाइनरिच रोज के प्रयासों से कोलंबाइट को नोबियम नाम से अलग तत्त्व के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

❖ **IUPAC द्वारा 1950 में मानक नाम :** नोबियम (Niobium)
- यूरोप में नोबियम नाम प्रचलित हो गया, जबकि अमेरिका अब भी कोलंबियम का प्रयोग करता रहा।

❖ C-103 एक नोबियम-आधारित मिश्रधातु (Alloy) है जिसमें निम्नलिखित तत्त्व शामिल होते हैं: नोबियम (Nb ~89%), Hafnium (Hf ~10%) एवं Titanium (Ti ~1%)
- इसे कभी-कभी 'Nb-10Hf-1Ti' भी कहते हैं।

❖ **मुख्य गुण :** बहुत उच्च ताप सहनशीलता, अत्यधिक हल्का एवं मज़बूत, काफी अच्छा वेल्डेबल मेटल, ऑक्सीकरण प्रतिरोध सीमित

❖ **प्रयोग :** रॉकेट इंजन के नोज़ल, थ्रस्ट चैंबर, सैटेलाइट में उच्च ताप वहन संरचनाओं के निर्माण में, हाइपरसोनिक परियोजनाओं में, क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स में, सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट, ज्वेलरी, स्पेस एवं हाइड्रोजन रॉकेट्स में

- इसरो द्वारा स्टेलाइट का उपयोग करके स्वदेशी नोज़ल डायवर्जेंट विकसित किया गया जो कि कोलंबियम की तुलना में 90% तक सस्ता विकल्प है।

स्टेलाइट (Stellite) के बारे में

- **क्या है :** कोबाल्ट-आधारित एक मिश्रधातु
  - इसमें क्रोमियम, निकल, टंगस्टन एवं लोहा आदि शामिल हैं जो इसे उच्च ताप व दाब सहने योग्य बनाते हैं।
  - इसरो द्वारा विकसित विशेष स्टेलाइट को KC20WN नाम दिया गया।
- **विकास एवं परीक्षण :** इसे तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- **तकनीकी विशेषताएँ :**
  - उच्च ताप सहनशीलता
  - उच्च यांत्रिक शक्ति
  - सटीकता से ढलने योग्य
  - संक्षारण एवं घर्षण-रोधी
  - लंबे समय तक परीक्षण (665 सेकंड हॉट टेस्ट)

रणनीतिक महत्त्व

- **आत्मनिर्भरता :** भारत अब इस महत्त्वपूर्ण तकनीक के लिए विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहेगा।
- **लागत में कमी :** इसके उपयोग से लागत में 90% तक की कमी होगी, जिससे अंतरिक्ष मिशनों की संख्या व दक्षता बढ़ेगी।
- **निर्यात क्षमता :** भारत भविष्य में अंतरिक्ष तकनीकों के निर्यातक के रूप में उभर सकता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा :** स्वदेशी तकनीकें रणनीतिक रूप से अधिक सुरक्षित एवं सुलभ होती हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं।
- **भविष्य के मिशनों के लिए महत्त्वपूर्ण :** यह विकास भविष्य में लॉन्च व्हीकल्स, उपग्रहों एवं विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों में स्वदेशी तकनीकों के अधिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है।

अंतरिक्ष-आधारित क्वांटम सेंसर

संदर्भ

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अत्यधिक सटीकता से मानचित्रण करने के लिए पहला अंतरिक्ष-आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है।

अंतरिक्ष-आधारित क्वांटम सेंसर के बारे में

- **नाम :** क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पैथफाइंडर (QGGPf)
- **विकास :** नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) द्वारा निजी कंपनियों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित तथा मिशन नासा के अर्थ साइंस टेक्नोलॉजी ऑफिस (ESTO) द्वारा समर्थित

प्रमुख विशेषताएँ

- **क्वांटम तकनीक का उपयोग :** QGGPf में अत्यधिक ठंडे रुबिडियम परमाणुओं का उपयोग किया गया है जो क्वांटम इंटरफेरोमेट्री के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म परिवर्तनों को मापते हैं।

रुबिडियम परमाणु (Rb)

- रुबिडियम परमाणु (Rb) एक क्षारीय धातु (Alkali Metal) है जो आवर्त सारणी के समूह 1 में आता है।
- इसका परमाणु क्रमांक 37 है।
- रुबिडियम, वायु एवं जल से बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करता है। यह पृथ्वी में दुर्लभ नहीं है किंतु शुद्ध रूप में मुश्किल से मिलता है।
  - जल के साथ प्रतिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस के साथ-साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है।
- **अन्य उपयोग**
  - प्रयोगशाला में अणुओं के स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन में उपयोग
  - इसके आइसोटोप Rb-87 का परमाणु घड़ी में प्रयोग

क्वांटम इंटरफेरोमेट्री

- क्वांटम इंटरफेरोमेट्री तकनीक में क्वांटम कणों (जैसे- फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु आदि) की तरंग-स्वभाव (Wave Nature) का उपयोग करके अत्यंत सूक्ष्म बदलावों को मापा जाता है।
- यह परंपरागत 'इंटरफेरोमेट्री' का ही एक उन्नत रूप है किंतु, इसमें क्लासिकल तरंगों के बजाय क्वांटम तरंगों का उपयोग होता है।

- **उच्च संवेदनशीलता :** यह सेंसर पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण सेंसरों की तुलना में दस गुना अधिक संवेदनशीलता प्रदान करता है जिससे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्मतम बदलावों का पता लगाया जा सकता है।
- **दीर्घकालिक सटीकता :** अत्यधिक ठंडे परमाणुओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष-आधारित गुरुत्वाकर्षण माप लंबे समय तक सटीक बनी रहें।
- **विविध अनुप्रयोग :** इस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है–
  - जलवायु परिवर्तन
  - जल संसाधन प्रबंधन
  - भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी
  - भूगर्भीय संरचनाओं का अध्ययन

पार्किंसन के उपचार में सहायक स्टेम सेल थेरेपी

संदर्भ

नेचर पत्रिका में प्रकाशित दो स्वतंत्र नैदानिक परीक्षणों ने पार्किंसंन रोग के लिए स्टेम सेल थेरेपी की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है।

हालिया शोध

- इस परीक्षण में ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल (Human Induced Pluripotent Stem Cells) और मानव भ्रूण स्टेम सेल (Human Embryonic Stem Cells) से प्राप्त कोशिकाओं का उपयोग किया गया।
- सेल थेरेपी, विशेष रूप से मस्तिष्क में डोपामाइन-उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन्स (डोपामिनर्जिक) की भरपाई करके, कम प्रतिकूल प्रभावों के साथ अधिक प्रभावी उपचार कर सकती है।
- पार्किंसंस रोग के लिए सेल थेरेपी की सुरक्षा एवं संभावित दुष्प्रभावों की जाँच के लिए क्योटो विश्वविद्यालय (जापान) के शोधकर्ताओं ने चरण I/II परीक्षण किया।

ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल का प्रयोग

- इसके तहत मस्तिष्क में ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से प्राप्त डोपामिनर्जिक प्रोजेनिटर का प्रत्यारोपण किया गया।
- प्रत्यारोपित कोशिकाओं ने किसी अतिवृद्धि के बिना या ट्यूमर के बिना डोपामाइन का उत्पादन किया।
- इस परीक्षण में शोधकर्ताओं ने पार्किंसंन रोग (अध्ययन का एक द्वितीयक परिणाम) से जुड़े मोटर लक्षणों में कमी देखी।

मानव भ्रूण स्टेम सेल का प्रयोग

- शोधकर्ताओं ने मानव भ्रूण स्टेम सेल से प्राप्त डोपामिनर्जिक न्यूरॉन प्रोजेनिटर सेल उत्पाद (बेमडेनप्रोसेल) की सुरक्षा का पता लगाया।
- इसके तहत रोगियों के मस्तिष्क के पुटामेन में बेमडेनप्रोसेल का सर्जिकल प्रत्यारोपण किया गया।
- इस परीक्षण में चिकित्सा से संबंधित कोई गंभीर प्रतिकूल घटना नहीं हुई और रोगियों के मोटर फंक्शन में कुछ सुधार भी देखा गया।

पार्किंसंन रोग के बारे में

- पार्किंसंन रोग एक दीर्घकालिक (Chronic) एवं वृद्धिशील (Progressive) तंत्रिका तंत्र विकार है जो मुख्यत: मस्तिष्क के उस भाग को प्रभावित करता है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

कारण

- **डोपामिन नामक रसायन की कमी**
  - पार्किंसन रोग मुख्यत: डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में गिरावट के कारण होता है।
  - यह रसायन सब्सटैंटिया निग्रा (Substantia Nigra) नामक मस्तिष्क भाग द्वारा उत्पादित होता है।
- **आनुवंशिक कारण :** कुछ मामलों में यह रोग वंशानुगत भी हो सकता है।
- **पर्यावरणीय कारक :** विषैले रसायनों के संपर्क में आना, कीटनाशक, औद्योगिक प्रदूषण इत्यादि।

मुख्य लक्षण

- हाथ व पैरों में कंपन
- गति में सुस्ती आना
- शारीरिक संतुलन की समस्या एवं अकड़न
- बोलने व लिखने में कठिनाई

निदान

- MRI एवं CT Scan के माध्यम से
- न्यूरोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर रोग की पहचान

उपचार

- पार्किंसंन रोग का कोई स्थायी उपचार नहीं है किंतु, लक्षणों को निम्नलिखित माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है-
  - Levodopa, Dopamine Agonists एवं MAO-B Inhibitors जैसी दवाओं का उपयोग
  - शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी एवं एक्सरसाइज
  - डीप ब्रेन स्टीमुलेशन (Deep Brain Stimulation: DBS) गंभीर मामलों में मस्तिष्क में एक डिवाइस प्रत्यारोपित की जाती है।

भारत में स्थिति

- भारत में लगभग 70 लाख से अधिक लोग पार्किंसंन से प्रभावित माने जाते हैं।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICMR) और NIMHANS जैसे संस्थान इस पर अध्ययन कर रहे हैं।
- जन-जागरूकता की कमी और देर से निदान इस रोग के उपचार में एक बड़ी चुनौती है।

K2-18b में बायोसिग्नेचर की खोज

संदर्भ

- कैंब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को दूर स्थित एक ग्रह 'K2-18b' के वायुमंडल में कुछ ऐसे रासायनिक संकेत प्राप्त हुए हैं जो अब तक के पृथ्वी से परे जीवन की मौजूदगी के मज़बूत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इससे संबंधित अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया है।

- यह अध्ययन नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने किया है जो कि अंतरिक्ष से ग्रहों की रासायनिक संरचना का पता लगाने में सक्षम है।

K2-18b ग्रह के बारे में

K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से ढाई गुना बड़ा और लगभग 124 प्रकाश-वर्ष दूर है। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। यह एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से कम चमकीला है।

बायोसिग्नेचर

- यह एक ऐसा वैज्ञानिक संकेत, पदार्थ, तत्त्व, अणु या विशेषता है जो किसी ग्रह, चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंड पर जीवन (वर्तमान या अतीत) की उपस्थिति का संकेत देता है।
- यह जीवन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है, जैसे- रासायनिक यौगिक, भौतिक संरचनाएँ या पर्यावरणीय पैटर्न।
- बायोसिग्नेचर का अध्ययन विशेष रूप से एक्सोबायोलॉजी एवं एस्ट्रोबायोलॉजी में महत्त्वपूर्ण है जो पृथ्वी से परे जीवन की खोज से संबंधित है। बायोसिग्नेचर को 'केमिकल फॉसिल' या 'मॉलिक्यूलर फॉसिल' भी कहते हैं।

बायोसिग्नेचर के प्रकार

- **रासायनिक बायोसिग्नेचर :** उदाहरण- मीथेन, ऑक्सीजन और जटिल कार्बनिक अणु (जैसे- अमीनो एसिड, लिपिड, या न्यूक्लिक एसिड)
- **भौतिक बायोसिग्नेचर :** उदाहरण- जीवाश्म, माइक्रोबियल मैट या सूक्ष्मजीवों/प्राचीन जीवों द्वारा निर्मित अन्य संरचनाएँ (जैसे- सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाई गई चट्टानी संरचनाएँ स्ट्रोमैटोलाइट्स)
- **वायुमंडलीय बायोसिग्नेचर :** उदाहरण: ऑक्सीजन और मिथेन का एक-साथ मौजूद होना (ये गैसें सामान्य रूप से रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं और बिना जैविक स्रोत के स्थिर नहीं रहती हैं।)
- **सतही एवं पर्यावरणीय बायोसिग्नेचर :** उदाहरण- जैविक प्रक्रियाओं से निर्मित विशिष्ट खनिज, जैसे- मृदा में सल्फेट या कार्बोनेट और जीवन से संबंधित सतह पर रंग या पैटर्न (जैसे- शैवाल या पौधों का)

हैबिटेबल ज़ोन

यह किसी तारे के आसपास का वह क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर संभावित रूप से तरल जल मौजूद हो सकता है। इसे 'गोल्डीलॉक्स ज़ोन' (Goldilocks Zone) के नाम से भी जाना जाता है।

हालिया अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- वैज्ञानिकों ने K2-18b ग्रह के वातावरण में दो गैसों डायमेथिल सल्फाइड (DMS) एवं डायमेथिल डाईसल्फाइड (DMDS) की उपस्थिति का पता लगाया है।
  - ये दोनों गैसें पृथ्वी पर केवल जीवों, खासकर समुद्री सूक्ष्मजीवों (जैसे- Phytoplankton) द्वारा बनाई जाती हैं।
- अध्ययन के अनुसार, इस बात का भी अनुमान है कि इन दोनों गैसों की मात्रा पृथ्वी की तुलना में हज़ारों गुना अधिक है।
- इससे पहले K2-18b में मीथेन एवं कार्बन डाइ-ऑक्साइड के संकेत पाए गए थे, इसलिए K2-18b पर बायोसिग्नेचर (Biosignature) की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए आगे के अध्ययनों की आवश्यकता है।

खोज का महत्त्व

- K2-18b पर दूसरी बार जीवन से जुड़े रसायनों के संकेत प्राप्त हुए हैं। पहली बार किसी सुदूर स्थित ग्रह के वातावरण में DMS एवं DMDS जैसी जैविक गैसों की इतनी अधिक मात्रा देखी गई है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जीवन की प्रत्यक्ष खोज नहीं की है बल्कि ये ऐसे बायोसिग्नेचर हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत हो सकते हैं।

आयरनवुड TPU

संदर्भ

गूगल ने 'आयरनवुड' (Ironwood) नामक एक नई कंप्यूटर चिप लॉन्च की है। यह कंपनी की सातवीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रोसेसिंग यूनिट

- प्रोसेसिंग यूनिट (PU) वस्तुतः हार्डवेयर यूनिट हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क हैं। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क पढ़ने एवं गणित की समस्या हल करने जैसे कार्य करता है, उसी प्रकार प्रोसेसिंग यूनिट भी कार्य करती हैं। ये कार्य गणना करना, तस्वीर लेना या टेक्स्ट भेजना आदि हो सकते हैं।
- सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU), ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) एवं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) इसके उदाहरण हैं।

आयरनवुड TPU के बारे में

- यह एक उन्नत कंप्यूटर चिप तथा सातवीं पीढ़ी की TPU (Tensor Processing Unit) है। यह एक एप्लीकेशन-विशिष्ट एकीकृत सर्किट (Application-Specific Integrated Circuit

: ASIC) है जिसे विशिष्ट रूप से मशीन लर्निंग एवं AI के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- ASIC ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप (Circuit) होती है जो किसी एक विशिष्ट (Specific) कार्य के लिए ही डिज़ाइन एवं निर्मित की जाती है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन माइनिंग या कैलकुलेटर में प्रयुक्त चिप या सर्किट।

- यह बड़े पैमाने पर डाटा को तेज़ी से संसाधित करने और गहन न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।

आयरनवुड TPU के प्रमुख उद्देश्य

- **AI मॉडल्स की तीव्र प्रोसेसिंग :** आयरनवुड को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह बड़े एवं जटिल AI मॉडल्स को भी अत्यंत तीव्रता से रन कर सके।
- **डाटा प्रोसेसिंग की दक्षता :** यह चिप 'टेंसर ऑपरेशंस' को बहुत तेज़ी एवं कुशलता से निष्पादित करती है जिससे मशीन लर्निंग टास्क अधिक तेज़ी से पूरे होते हैं।
  - टेंसर का अर्थ डाटा को बहुआयामी तरीके से स्टोर करने वाला ढाँचा। टेंसर ऑपरेशंस का अर्थ होता है इन टेंसर डाटा स्ट्रक्चर पर अलग-अलग गणितीय, लॉजिकल एवं AI से जुड़ी प्रोसेसिंग करना।
- **Google सेवाओं का समर्थन :** गूगल के कई लोकप्रिय AI-संचालित प्लेटफॉर्म, जैसे- Search, YouTube एवं DeepMind इसी प्रकार की TPUs पर रन करते हैं। आयरनवुड इनमें और सुधार लाने के लिए तैयार की गई है।

आयरनवुड TPU के लाभ

- **बेहतर प्रदर्शन :** आयरनवुड उच्च गति से गणनाएँ करता है जिससे बड़े AI मॉडल्स का प्रशिक्षण घंटे भर में संभव हो जाता है जिसे करने में पहले कई सप्ताह का समय लगता था।
- **ऊर्जा दक्षता :** यह TPU AI टास्क को बेहद कम ऊर्जा में पूरा करने में सक्षम है जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी है।
- **स्केलेबिलिटी :** आयरनवुड को बड़े डाटा सेंटरों में तैनात किया जा सकता है और यह मल्टी-मॉडल AI वर्कलोड्स को संभालने में सक्षम है।
- **विशेषीकृत डिज़ाइन :** TPUs को विशेष रूप से 'टेंसर ऑपरेशंस' के लिए डिज़ाइन किया गया है जो मशीन लर्निंग एवं डीप लर्निंग में मूल भूमिका निभाते हैं।
- **Google क्लाउड इंटीग्रेशन :** आयरनवुड को Google Cloud के साथ सहज रूप से एकीकृत किया गया है जिससे डेवलपर्स को AI मॉडल्स को स्केल करने में आसानी होती है।

TPU, CPU एवं GPU

- **CPU (Central Processing Unit) :** यह एक सामान्य उद्देश्य वाला प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है।
  - यह कार्यों को क्रमबद्ध रूप से (Sequentially) निष्पादित करता है। हालाँकि, आधुनिक CPUs में एक से अधिक कोर होते हैं जो इसे सीमित मल्टीटास्किंग में सक्षम बनाते हैं।
- **GPU (Graphics Processing Unit) :** यह विशेष रूप से एक ही समय में कई कार्यों को निष्पादित करने (Parallel Processing) के लिए डिज़ाइन किया गया होता है।
- **TPU (Tensor Processing Unit) :** इसे विशिष्ट रूप से मशीन लर्निंग एवं AI के लिए डिज़ाइन किया गया है।

टाइप 5 डायबिटीज़

संदर्भ

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ महासंघ (IDF) ने 'टाइप 5 डायबिटीज़' को एक स्वतंत्र डायबिटीज़ श्रेणी के रूप में मान्यता दी है।

टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में

- **परिचय :** यह कुपोषण से संबंधित एक विशेष प्रकार का डायबिटीज़ है जो मुख्यत: दुबले-पतले, कुपोषित किशोरों एवं युवाओं को प्रभावित करता है।
- **पहला मामला एवं नामकरण :** इसका पहला मामला वर्ष 1955 में जमैका में पाया गया तब इसे 'J-Type Diabetes' कहा गया।
  - वर्ष 1985 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे 'कुपोषण से संबंधित मधुमेह (Malnutrition Related Diabetes Mellitus)' नाम दिया। हालाँकि, वर्ष 1999 में वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के कारण इसे सूची से हटा दिया गया।
  - वर्ष 2023 में हुए नए शोधों और वर्ष 2025 में IDF की मान्यता के बाद इसे फिर से टाइप 5 डायबिटीज़ के रूप में मान्यता दी गई।
- **संबंधित आँकड़े :** वैश्विक स्तर पर 25 मिलियन (2.5 करोड़) लोग इससे प्रभावित हैं। इसका प्रसार मुख्यत: एशियाई एवं अफ्रीकी देशों, जैसे- भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया व रवांडा में है।

लक्षण

- अत्यधिक थकान
- वज़न में कमी
- बार-बार संक्रमण होना
- शरीर में बहुत कम वसा (10-12%)

- कुपोषण से संबंधित लक्षण, जैसे- प्रोटीन, ज़िंक एवं विटामिन A की कमी
- पीड़ितों का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 18.5 से कम होना
- शरीर में इंसुलिन का स्राव सामान्य से 70% तक कम होना

प्रबंधन एवं उपचार

वर्तमान में टाइप 5 डायबिटीज़ के लिए कोई स्थायी एवं मानक उपचार मार्गदर्शिका नहीं है। इसके लिए IDF की कार्यसमिति द्वारा अगले दो वर्षों में विशेष निदान एवं उपचार दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। फिर भी इसके प्रारंभिक उपचार में निम्नलिखित उपायों को शामिल किया जा सकता है-

- **औषधीय उपचार :** इसके तहत कम मात्रा में इंसुलिन के साथ-साथ कुछ मौखिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- **पोषण-आधारित उपचार :** इसके तहत प्रोटीन से भरपूर आहार, निम्न कार्बोहाइड्रेट एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आवश्यक आपूर्ति करना।

आगे की राह

- वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य नीति-निर्माताओं को जागरूक करने की आवश्यकता

इन्हें भी जानिए!

- **टाइप 1 डायबिटीज़ :** यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इससे इंसुलिन की कमी हो जाती है जो ऊर्जा के लिए कोशिकाओं में ग्लूकोज़ को प्रवेश करने देने के लिए आवश्यक है।
- **टाइप 2 डायबिटीज़ :** मोटापे के कारण होने वाली डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यत: जीवनशैली एवं अनुवांशिक कारणों से होती है। विकासशील देशों में डायबिटीज़ के अधिकांश मामले इसी बीमारी के कारण होते हैं।
- **टाइप 3 डायबिटीज़ :** शोधकर्ताओं ने टाइप 3 मधुमेह को एक चयापचय सिंड्रोम के रूप में परिभाषित किया है जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ने से संबंधित असामान्यताएँ हो सकती हैं।
- **टाइप 4 डायबिटीज़ :** इसे 'एल्डरली-ऑनसेट डायबिटीज़' या 'स्किन-थीक डायबिटीज़' भी कहा जाता है। यह प्राय: वृद्ध लोगों, खासकर 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में होता है।

- कुपोषण की रोकथाम के लिए मातृ एवं शिशु पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में समावेशन, जिससे यह रोग जल्दी पहचाना जा सके और सही से प्रबंधित किया जा सके
- इस पर वैश्विक स्तर पर अनुसंधान को बढ़ावा देना
- पोषण-आधारित हस्तक्षेप के ज़रिए इसके प्रभाव को कम करना
- मेडिकल पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाना

टेक्स्ट नेक सिंड्रोम

संदर्भ

डिजिटल युग में स्मार्टफोन एवं टैबलेट के अत्यधिक उपयोग से बच्चों व युवाओं में 'टेक्स्ट नेक सिंड्रोम' (Text Neck Syndrome) की समस्या बढ़ती जा रही है।

टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में

- **क्या है :** यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की गर्दन एवं ऊपरी पीठ (Neck & Upper Spine) में लगातार झुककर स्क्रीन देखने के कारण दर्द, जकड़न व असामान्य मुद्रा (Posture) की समस्या उत्पन्न होती है।
- **कारण :** यह मुख्यत: स्मार्टफोन, टैबलेट एवं लैपटॉप के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होती है।
  - यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने सिर को झुकाकर स्क्रीन को देखता है जिससे गर्दन, कंधों एवं रीढ़ की हड्डी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का प्रभाव

शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

- तटस्थ स्थिति में एक वयस्क के सिर का वज़न लगभग 5 किग्रा. होता है किंतु, सिर को झुकाने के साथ गर्दन की ओर भार बढ़ता है और सिर को 60 डिग्री तक झुकाने पर रीढ़ पर लगभग 27 किलो तक का भार पड़ता है।
- इसके दीर्घकालिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनमें शामिल हैं–
  - रीढ़ की अस्थि का टेढ़ा होना (Flattening of the Spinal Curvature)
  - गठिया का जल्दी शुरू होना (Early Onset of Arthritis)
  - रीढ़ की अस्थि का गलत संरेखण (Spinal Misalignment)
  - रीढ़ की अस्थि का अध:पतन (Spinal Degeneration)
  - डिस्क स्पेस का संपीड़न (Disc Space Compression)
  - डिस्क हर्नियेशन (Disc Herniation)

- तंत्रिका या मांसपेशियों की क्षति (Nerve or Muscle Damage)
- ग्रीवा स्नायुबंधन की सूजन (Inflammation of Cervical Ligaments)
- तंत्रिका जलन (Nerve Irritation)
- रीढ़ की अस्थि के टेढ़ेपन में वृद्धि (Increase in Spine Curvature)

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव

- लगातार झुके रहने से न केवल शारीरिक थकावट होती है, बल्कि मानसिक तनाव व चिड़चिड़ापन भी देखा गया है।
- आत्मविश्वास पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि शारीरिक मुद्रा व्यक्ति की मनोदशा एवं सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है।

आर्थिक बोझ

चिकित्सा सेवाओं एवं फिजियोथेरेपी की मांग में वृद्धि से स्वास्थ्य बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उत्पादकता में गिरावट और कार्य से अनुपस्थित होना भी एक गंभीर चिंता है।

समाधान और रणनीतियाँ

व्यक्तिगत स्तर पर

- **20-20-20 नियम :** हर 20 मिनट बाद, 20 फीट की दूरी पर, 20 सेकंड तक किसी वस्तु को देखना
- गर्दन एवं पीठ की नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज
- स्क्रीन को आँखों के स्तर (बराबर) पर रखने की आदत

नीति एवं जागरूकता

- स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता (Digital Health Literacy) शामिल करना
- कार्यस्थलों पर श्रमदक्षता प्रशिक्षण (Ergonomic Training)

इसे भी जानिए!

Phantom Vibration Syndrome (PVS) : यह एक प्रकार का सेंसरी मिसइंटरप्रेटेशन (Sensory Misinterpretation) है जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर में (प्राय: जेब में) एक हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है (जैसे- मोबाइल फोन पर कॉल या मैसेज आया हो) जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। इसे फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम (Phantom Ringing Syndrome) या रिंगएक्सिटी (Ringxiety) के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलत: एक प्रकार का स्पर्शजन्य मतिभ्रम (Tactile Hallucination) है।

  - एर्गोनॉमिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं आरामदायक रहने के लिए सिखाता है। यह प्रशिक्षण उन लोगों के लिए है जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों के कारण शारीरिक तनाव एवं जोखिमों का अनुभव कर रहे हैं।
- डिजिटल डिटॉक्स अभियान के माध्यम से आमजन में जागरूकता का प्रसार करना

प्रौद्योगिकीय समाधान

- स्मार्टफोन कंपनियों द्वारा मुद्रा चेतावनी प्रणाली (Posture Alert Systems) का विकास
- वियरेबल्स एवं हेल्थ ऐप्स द्वारा खराब मुद्रा पर चेतावनी देना

क्या आप जानते हैं

हाल में हुए एक शोध के अनुसार, 18 से 44 वर्ष की आयु के 79% लोग लगभग हर समय अपना फोन अपने पास रखते हैं तथा दिन में केवल दो घंटे ही बिना फोन के व्यतीत करते हैं।

व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक

संदर्भ

केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT Bombay) ने राज्य में व्हीकल-टू-ग्रिड (Vehicle-to-Grid: V2G) तकनीक के संभावित कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है।

व्हीकल-टू -ग्रिड (V2G) तकनीक के बारे में

- **क्या है :** V2G ऐसी प्रौद्योगिकियाँ हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बैटरियों को ग्रिड में वापस विद्युत (शक्ति) भेजने में सक्षम बनाती है।
  - जब इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग में नहीं होते हैं तब ये बैटरियाँ वितरण ग्रिड को सहारा देने वाले विकेंद्रीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में कार्य कर सकती हैं।
  - जब किसी निष्क्रिय इलेक्ट्रिक वाहन को जब द्वि-दिशात्मक (Bi-directional) चार्जर से जोड़ा जाता है तो वह वितरण ग्रिड को समर्थन प्रदान कर सकता है।
- **V2G तकनीक के प्रमुख घटक :**
  - **ग्रिड-टू-व्हीकल (G2V) :** ग्रिड से व्हीकल (वाहन) की बैटरी को चार्ज करना
  - **व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) :** व्हीकल (वाहन) से ग्रिड में बिजली वापस भेजना

- **उद्देश्य**
  - नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे- सौर एवं पवन ऊर्जा के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना
  - स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को सक्षम करना
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लाभकारी एवं टिकाऊ बनाना
- **वर्तमान स्थिति :** भारत में V2G तकनीक अभी शुरुआती चरण में है। हालाँकि, कुछ डिस्कॉम (DISCOM) ने स्मार्ट चार्जिंग एवं V2G एकीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई है।
  - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने रिवर्स चार्जिंग अर्थात् बैटरी-टू-ग्रिड तक के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।

व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक के लाभ

- **ग्रिड स्थिरता :** वर्तमान में बिजली की बढ़ती मांग के समय अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करके ग्रिड पर लोड (भार) कम करता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन :** दिन में सौर ऊर्जा का संग्रह करके रात में उसे ग्रिड को वापस लौटाया जा सकता है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन :** EV मालिकों को बिजली बेचने के बदले भुगतान मिल सकता है।
- **आपातकालीन बिजली स्रोत :** आपदा की स्थिति में या ग्रिड फेल होने की स्थिति में बैटरियों से प्राप्त बिजली का उपयोग किया जा सकता है।
- **स्मार्ट चार्जिंग :** समय-आधारित दरों के माध्यम से अधिक कुशल चार्जिंग।

भारत में V2G तकनीक की प्रमुख चुनौतियाँ

- **नीतिगत एवं विनियामक बाधाएँ :** भारत की वर्तमान बिजली बाज़ार संरचना EVs जैसी विकेंद्रीकृत प्रणालियों को वापस ग्रिड में विद्युत (शक्ति) लौटाने की अनुमति नहीं देती है। इसके लिए वर्तमान विद्युत नियमों में संशोधन की आवश्यकता है।
- **तकनीकी अवसंरचना की कमी :** द्वि-दिशात्मक चार्जर, स्मार्ट मीटर एवं उन्नत चार्जिंग स्टेशन जैसी तकनीकों की उपलब्धता व पहुँच बहुत सीमित है।
  - इसके अलावा EVs एवं ग्रिड के बीच तालमेल के लिए आवश्यक तकनीकी मानकों का अभाव है। इस तकनीक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग दोनों पर विचार करना होगा।
- **आर्थिक व्यवहार्यता एवं निवेश की कमी :** V2G तकनीक में निवेश की लागत उच्च है और इसका लाभ अभी स्पष्ट नहीं है तथा EV मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ठोस आर्थिक मॉडल नहीं है।
- **बैटरी पर प्रभाव :** बार-बार चार्ज एवं डिस्चार्ज करने से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों का जीवनकाल कम हो सकता है।
- **EV स्वामित्व और उपयोग में विविधता :** भारत में EVs की संख्या अभी बहुत सीमित है और उपयोग मुख्यतः व्यक्तिगत स्तर तक सीमित है।
- **जागरूकता एवं प्रशिक्षण की कमी :** EV मालिकों, डिस्कॉम एवं नीति-निर्माताओं के बीच V2G तकनीक की जानकारी व समझ का अभाव है।
  - इसके लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की ज़रूरत है, ताकि तकनीकी कार्यबल तैयार हो सके।

सुझाव एवं आगे की राह

भारत में व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने एवं उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए–

स्पष्ट एवं सक्षम नीतियाँ बनाना

- द्वि-दिशात्मक चार्जिंग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और मानक का निर्धारण
- EVs द्वारा ग्रिड को बिजली देने के लिए विनियामक अनुमति एवं टैरिफ मॉडल का विकास
- स्मार्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए ToU (Time-of-Use) विद्युत दरें तय करना

तकनीकी एवं बुनियादी ढाँचा विकास

- देशभर में द्वि-दिशात्मक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को बढ़ावा देना
- चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाना

वित्तीय प्रोत्साहन एवं सब्सिडी

- EV मालिकों को बिजली ग्रिड में ऊर्जा वापस देने के लिए भुगतान या मुआवज़ा
- बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को V2G तकनीक अपनाने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना
- पायलट प्रोजेक्ट्स और R&D के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाना

जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आम नागरिकों को V2G तकनीक के लाभ एवं उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान

- तकनीकी स्टॉफ एवं EV डीलर्स को V2G सिस्टम के संचालन व रखरखाव का प्रशिक्षण
- डिस्कॉम कर्मचारियों को V2G के स्मार्ट ग्रिड से जुड़ी प्रक्रियाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल)

- EV कंपनियों, चार्जिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स एवं ग्रिड एजेंसियों के बीच सहयोग व साझेदारी को बढ़ावा देना
- IITs, IISc एवं अन्य तकनीकी संस्थानों को रिसर्च व पायलट प्रोजेक्ट्स में भागीदारी बढ़ाना

बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार

- V2G उपयोग के लिए अनुकूल दीर्घकालिक एवं उच्च चक्र जीवन वाली बैटरियों पर अनुसंधान किया जाना
- बैटरी प्रबंधन प्रणाली (Battery Management System: BMS) का विकास

निष्कर्ष

व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, जिससे न केवल ग्रिड की स्थिरता में सुधार होगा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में जैसे-जैसे EV अपनाने की गति बढ़ रही है, वैसे-वैसे V2G जैसे अभिनव समाधानों की आवश्यकता और इनकी संभावनाएँ भी बढ़ रही हैं। यह तकनीक एक हरित, लचीले एवं स्मार्ट ऊर्जा भविष्य की कुंजी बन सकती है।

आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण के 50 वर्ष

19 अप्रैल, 2025 को भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह 'आर्यभट्ट' के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूर्ण हुए।

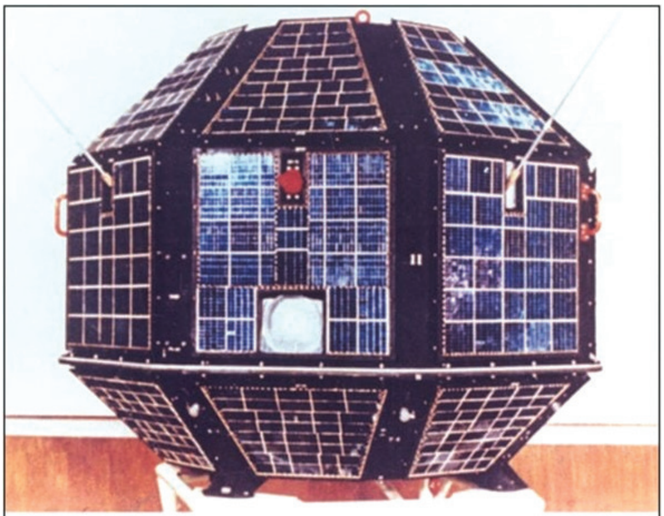

Aryabhata Satellite (1975)

आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में

- **उपग्रह का नाम :** उपग्रह का नाम प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया।
  - उस समय इस सफल प्रक्षेपण के बाद भारत उपग्रह को कक्षा में भेजने वाला विश्व का 11वाँ देश बना था।
- **सहयोगी देश :** यह प्रक्षेपण भारत एवं सोवियत संघ के बीच वर्ष 1972 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत किया गया था।
- **प्रक्षेपण तिथि :** 19 अप्रैल, 1975
- **प्रक्षेपण स्थल :** कपुस्टिन यार, सोवियत संघ
- **मिशन की अवधि :** 5 वर्ष, 11 माह
- **प्रक्षेपण यान :** कॉसमॉस-3एम
- **निर्माता :** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
- **प्रमुख उद्देश्य :**
  - अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रयोग, विशेष रूप से एक्स-रे खगोलशास्त्र
  - सौर न्यूट्रॉन एवं गामा किरणों का अवलोकन
  - ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन

तकनीकी विशेषताएँ

- **डिज़ाइन एवं वज़न :** आर्यभट्ट को 26 भुजाओं वाले बहुफलक के रूप में डिज़ाइन किया गया था जिसका व्यास 1.4 मीटर था और आकार अर्द्ध-गोलाकार था।
- **वज़न:** 360 किग्रा.
- **ऊर्जा स्रोत :** सौर पैनल और निकेल-कैडमियम बैटरी
- **कक्षा :** निम्न भू कक्षा (Low Earth Orbit)

जुगुलर शिराएँ

जुगुलर शिराएँ (Jugular Vein) गर्दन में स्थित प्रमुख शिराएँ होती हैं जो सिर एवं गर्दन से ऑक्सीजनरहित (De-oxygenated) रक्त को हृदय की ओर वापस ले जाती हैं। ये शरीर के रक्त संचार तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

जुगुलर शिराओं के प्रकार और उनकी संरचना

गर्दन के दोनों ओर कुल तीन प्रमुख जुगुलर शिराएँ होती हैं:

1. आंतरिक जुगुलर शिरा (Internal Jugular Vein : IJV)

- **स्थिति :** यह गर्दन के भीतर गहराई में स्थित होती है और आंतरिक कैरोटिड धमनी (Internal Carotid Artery) तथा वैगस तंत्रिका (Vagus Nerve) के साथ कैरोटिड शीथ (Carotid Sheath) में बंद रहती है।
- **कार्य :** यह मस्तिष्क, चेहरे एवं गर्दन से रक्त एकत्र करती है और उसे सबक्लैवियन शिरा (Subclavian Vein) में प्रवाहित करती है।

- सबक्लैवियन शिरा दोनों कंधों के नीचे कॉलर बोन (Collar Bone) के पीछे बाएँ एवं दाएँ दोनों तरफ स्थित होती है।

❖ **चिकित्सकीय महत्त्व :** इसका उपयोग केंद्रीय शिरापरक कैथेटर (Central Venous Catheter) डालने के लिए किया जाता है।

2. बाह्य जुगुलर शिरा (External Jugular Vein : EJV)

❖ **स्थिति :** यह सतही शिरा होती है और स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मांसपेशी (Sternocleidomastoid Muscle) के ऊपर से गुज़रती है।
- स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मांसपेशी गर्दन के दोनों ओर स्थित होती है।
- गर्दन की सतह के पास होने के कारण यह आसानी से देखी जा सकती है।

❖ **कार्य :** यह सिर के बाहरी भाग और चेहरे के कुछ हिस्सों से रक्त को एकत्र करके सबक्लैवियन शिरा में प्रवाहित करती है।

❖ **महत्त्व :** सतह के पास इसकी उपस्थिति के कारण इसे केंद्रीय शिरापरक दाब (Central Venous Pressure) मापने में सहायक माना जाता है।

3. अग्र भाग में स्थित जुगुलर शिरा (Anterior Jugular Vein : AJV)

❖ **स्थिति :** यह गर्दन के मध्य भाग में स्थित होती है।

❖ **कार्य :** यह ठोड़ी एवं निचले जबड़े के आसपास के क्षेत्रों से रक्त निकालकर बाह्य जुगुलर शिरा या सीधे सबक्लैवियन शिरा में ले जाती है।

चिकित्सकीय दृष्टिकोण से महत्त्व

❖ **जुगुलर शिरापरक उभार (Jugular Venous Distention : JVD) :** यदि जुगुलर शिरा बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई दे, तो यह हार्ट फेल्योर, फेफड़ों में उच्च रक्तचाप या सुपीरियर वेना कावा में रुकावट जैसी स्थितियों का संकेत हो सकता है।

❖ **केंद्रीय शिरापरक पहुँच (Central Venous Access: CVA) :** चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान दवाओं, तरल पदार्थों या रक्तचाप की निगरानी के लिए आंतरिक जुगुलर शिरा में कैथेटर डाला जाता है।

कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान की नई विधि

टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ एवं कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान के लिए नई विधि विकसित की है। यह अध्ययन प्रतिष्ठित 'PLOS One' जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

नई तकनीक के बारे में

❖ **परिचय :** यह तकनीक कोशिकाओं की गति एवं चाल में बदलाव के आधार पर कोशिकाओं के कैंसरग्रस्त या स्वस्थ होने के बारे में जानकारी देती है।
- कैंसर की पहचान बायोप्सी, स्कैन और अन्य तकनीकी परीक्षण के माध्यम से होती है।

❖ **शोध में प्रयुक्त तकनीक एवं कार्यान्वयन :** वैज्ञानिकों ने इस शोध के लिए एक खास तरह की माइक्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया जिसे फेज-कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। इस तकनीक में किसी भी लेबल या रंग की आवश्यकता नहीं होती है जिससे कोशिकाएँ अपनी प्राकृतिक स्थिति में देखी जा सकती हैं।
- कोशिकाओं को पेट्री डिश में रखा गया।
- किसी भी लेबल या रसायन के बिना उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया।
- कंप्यूटर द्वारा उनके चलने की दिशा, गति व मोड़ का विश्लेषण किया गया।

❖ **अध्ययन में शामिल कोशिकाएँ :** शोधकर्ताओं ने दो प्रकार की कोशिकाओं पर अध्ययन किया–
- **स्वस्थ फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएँ :** जो सामान्य ऊतक बनाने में सहायक होती हैं।
- **कैंसरग्रस्त फाइब्रोसारकोमा कोशिकाएँ :** जो तंतु संयोजी ऊतक से उत्पन्न होने वाले एक प्रकार के कैंसर को दर्शाती हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

❖ इस शोध में वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं की चाल (Movement) को रिकॉर्ड करके यह विश्लेषण किया कि स्वस्थ कोशिकाएँ एवं कैंसरग्रस्त कोशिकाएँ किस तरह से अलग तरीके से चलती हैं।

❖ वैज्ञानिकों के अनुसार, कैंसर कोशिकाएँ अलग पैटर्न में चलती हैं, उनकी चाल अधिक 'मुड़ती' हुई होती है। वे अधिक बार हल्के मोड़ लेती हैं तथा उनकी गति भी अलग होती है।

❖ इन सभी आँकड़ों के आधार पर, शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाने में 94% तक की सटीकता हासिल की कि कौन-सी कोशिकाएँ कैंसरग्रस्त हैं।

खोज का महत्त्व

❖ **जल्दी एवं आसान कैंसर निदान :** बिना किसी रसायन या जटिल प्रक्रिया के केवल कोशिकाओं की चाल देखकर कैंसर का पता लगाया जा सकता है।

❖ **घाव भरने एवं ऊतक वृद्धि के अध्ययन में उपयोगी :** यह तकनीक ऊतक पुनर्निर्माण एवं कोशिकाओं की मरम्मत जैसी अन्य जैविक प्रक्रियाओं को भी समझने में मदद कर सकती है।

❖ **अनुसंधान कार्य को बढ़ावा :** कोशिकीय गतिशीलता (Cell Motility) से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

❑❑❑

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

वन एवं वन्यजीव

डायर वुल्फ : विलुप्त प्रजाति का पुनर्जनन

संदर्भ

- टाइम मैगज़ीन में 'डायर वुल्फ' (Dire Wolf) के पुनर्जनन का दावा किया गया है। यह प्रजाति लगभग 12,500 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुकी थी। डायर वुल्फ को जॉर्ज आर.आर. मार्टिन की प्रसिद्ध सीरीज़ 'गेम ऑफ थ्रोन्स' में भी देखा गया है।
- कोलोसल बायोसाइंसेज (Colossal Biosciences) नामक कंपनी का दावा है कि उसने प्राचीन डी.एन.ए. एवं आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस प्रजाति का 'पुनर्जनन' किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम 'डि-एक्सटिंक्शन' है।

डायर वुल्फ : प्रजाति, आवास एवं विशेषताएँ

- **प्रजाति** : Aenocyon dirus या Canis dirus
- **आवास** : हिमयुग के दौरान विशेषकर उत्तरी अमेरिका के जंगलों व घास के मैदानों में एवं दक्षिणी अमेरिका में
- **शिकार** : मैमथ, बाइसन एवं स्लॉथ जैसे बड़े शिकार
  - यह एक विशाल माँसाहारी स्तनपायी था।
- **रूपात्मक विशेषताएँ** : सामान्य ग्रे वुल्फ की तुलना में डायर वुल्फ अधिक भारी (संभवत: 50-80 किग्रा.), मज़बूत जबड़ा एवं विशाल शरीर
  - इनके शक्तिशाली जबड़े अस्थियों को भी चबा सकते थे। यह आधुनिक ग्रे वुल्फ (Canis lupus) का निकटवर्ती था किंतु, इसका आकार एवं शारीरिक बनावट अधिक मज़बूत थी।
- **विलुप्ति का कारण** : हिमयुग के अंत में जलवायु परिवर्तन, शिकार की कमी एवं मानव गतिविधियाँ

कोलोसल बायोसाइंसेज का प्रोजेक्ट : डायर वुल्फ का पुनर्जनन

- कोलोसल बायोसाइंसेज कंपनी विलुप्त प्रजातियों के पुनर्विकास या पुनर्जनन (De-extinction) के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करती है। इस कंपनी ने डायर वुल्फ के तीन शावकों 'रोमुलस, रेमस एवं खालेसी' के जन्म की घोषणा की है।
- कोलोसल बायोसाइंसेज ने पहले भी वूली मैमथ एवं तस्मानियाई टाइगर जैसे विलुप्त प्राणियों के पुनर्जनन की योजना बनाई है।
- हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ये नए भेड़िए पूरी तरह डायर वुल्फ नहीं हैं बल्कि ये ग्रे वुल्फ के जेनेटिक रूप से संशोधित संस्करण हैं, जिनमें डायर वुल्फ की कुछ विशेषताएँ हैं। डायर वुल्फ एवं ग्रे वुल्फ में विकासक्रम के स्तर पर 2.5 से 6 मिलियन वर्षों का अंतर है और वे पूरी तरह से अलग वंश (Genus) में आते हैं।

पुनर्जनन की प्रक्रिया और तकनीक

- **प्राचीन डी.एन.ए. का उपयोग** : डायर वुल्फ के जीवाश्मों से प्राप्त प्राचीन डी.एन.ए. का विश्लेषण किया गया। हालाँकि, प्राचीन डी.एन.ए. प्राय: क्षतिग्रस्त एवं टुकड़ों में होता है जिसे सीधे क्लोनिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
  - इसके लिए दाँत एवं आंतरिक कान की अस्थियों का प्रयोग किया गया।
- **जीन एडिटिंग** : प्राचीन डी.एन.ए. से डायर वुल्फ की विशेषताओं (जैसे– बड़ा सिर, मज़बूत जबड़े एवं सफेद फर) को नियंत्रित करने वाले जीन की पहचान की गई। इसके बाद क्रिस्पर-कैस9 जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके ग्रे वुल्फ के भ्रूण में इन जीन को शामिल किया गया।
- **क्लोनिंग** : संशोधित ग्रे वुल्फ कोशिकाओं को क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से भ्रूण में विकसित किया गया, जिसे बाद में सरोगेट मादा भेड़िए में प्रत्यारोपित किया गया। इस प्रक्रिया से तीन शावकों का जन्म हुआ।

क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक

क्रिस्पर-कैस9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats: CRISPR) जीन एडिटिंग तकनीक डी.एन.ए. को सटीक रूप से विखंडित करने और संशोधित करने में सहायक होती है। इसका उपयोग इस प्रोजेक्ट में निम्नलिखित तरीके से किया गया–

- **जीन की पहचान** : डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ के जीनोम की तुलना की गई। लगभग 19,000 जीनों में से 14 जीनों में 20 बदलावों को डायर वुल्फ की विशेषताओं के लिए ज़िम्मेदार पाया गया।
- **डी.एन.ए. में बदलाव** : क्रिस्पर का उपयोग करके ग्रे वुल्फ के डी.एन.ए. में डायर वुल्फ के विशिष्ट जीन खंडों को शामिल किया गया।
- **नियंत्रित परिवर्तन** : इस तकनीक ने सुनिश्चित किया कि केवल वही विशेषताएँ जोड़ी जाएँ जो डायर वुल्फ को परिभाषित करती थीं, जैसे– मज़बूत जबड़े और बड़ा सिर।

अन्य प्रमुख बिंदु

- **वैज्ञानिक विवाद** : विशेषज्ञों का कहना है कि डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ 25 लाख से 60 लाख साल पहले अलग-अलग प्रजातियों में बंट गए थे। इसलिए, नए भेड़ियों को पूरी तरह डायर वुल्फ कहना गलत हो सकता है। इन्हें 'जेनेटिक रूप से संशोधित ग्रे वुल्फ' कहा जा रहा है।

- **पुनर्जनन की परिभाषा :** कोलोसल बायोसाइंसेज का मानना है कि पुनर्जनन का मतलब विलुप्त प्रजाति की विशेषताओं को पुनर्जनन करना है, न कि पूरी तरह उसी प्रजाति को पुनर्जनन करना। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक समुदाय में बहस का विषय है।
- **नैतिक प्रश्न :** विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जनन करने से कई नैतिक सवाल उठते हैं। क्या हमें प्रकृति के साथ इस तरह का हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या ये संकर प्राणी प्राकृतिक पर्यावरण में जीवित रह पाएंगे? ये प्रश्न वैज्ञानिकों एवं नीति-निर्माताओं के लिए विचारणीय हैं।

डोमोइक एसिड एवं डायटम

संदर्भ

कैलिफोर्निया के तट पर 'शैवाल प्रस्फुटन' (Algal Bloom) के कारण 'डोमोइक एसिड' के उत्सर्जन से 'सी लॉयन' का व्यवहार आक्रामक हो गया है। इनका व्यवहार सामान्यत: सौम्य एवं मित्रवत होता है।

डोमोइक एसिड का प्रभाव

- स्यूडो-निटज्चिया (Pseudo-nitzschia) नामक डायटम (एक प्रकार का सूक्ष्म शैवाल) द्वारा उत्पादित न्यूरोटॉक्सिन 'डोमोइक एसिड' खाद्य शृंखला में प्रवेश कर रहा है जिससे मछली व सी लॉयन जैसे बड़े (व छोटे) समुद्री जानवर प्रभावित हो रहे हैं।
- यह न्यूरोटॉक्सिन सी लॉयन के तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक उत्तेजित करता है जिससे तनाव, आक्रामकता एवं माँसपेशियों में ऐंठन व स्थायी मस्तिष्क क्षति की समस्या होती है। उच्च सांद्रता में यह न्यूरोटॉक्सिन मनुष्यों के लिए भी खतरनाक है।

शैवाल प्रस्फुटन का कारण

- **उत्प्रवाह (Upwelling) :** उच्च गति वाली हवाओं (ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी) के कारण पोषक तत्त्वों से भरपूर गहरे पानी का ऊपर उठना
- **अपशिष्ट जल का निर्वहन :** महासागरों में रासायनिक अपशिष्ट के प्रवाह के कारण
- **जंगल की आग का अपवाह :** कैलिफोर्निया में जंगल की आग से निकली राख एवं मलबे से समुद्री पारिस्थितिकी में बाधा

डायटम के बारे में

परिचय

- एककोशिकीय एवं अत्यंत सूक्ष्म शैवाल
- प्रोटिस्टा किंगडम (जगत) में वर्गीकृत
- 64,000-1,00,000 प्रजातियाँ व 1,200 वंश
- **आवास :** महासागर, नदी, झील, आर्द्रभूमि, चट्टान, मीठा जल, खारा जल, प्रवाही जल, स्थिर जल, चट्टान, रेत एवं जलमग्न सतह

संरचना

- **दो भागों में कोशिका भित्ति का विभाजन :** एपिथिका एवं हाइपोथिका
- कुछ तंतु (Fiber) एवं शाखित संरचनाएँ भी बनाते हैं।

प्रकार

- **सेंट्रीक डायटम :** गोलाकार और पानी में प्लवक का निर्माण
- **पेनेट डायटम :** लंबे आकार के और छिद्र (Slit) युक्त

भूमिका व महत्त्व

- खाद्य शृंखला का प्रमुख घटक
- वैश्विक ऑक्सीजन का 20% से 25% उत्पादन
- CO_2 अवशोषक एवं जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मददगार
- पर्यावरणीय संकेतक, जल गुणवत्ता व पारितंत्र की स्थिति दर्शाते हैं।

हानिकारक प्रभाव

- कुछ विषाक्त प्रजातियाँ मछलियों और जल-जीवों की मौत का कारण
- अत्यधिक वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित

अन्य उपयोग

- सिलिका, कीटनाशक, फिल्टर, पॉलिश, कागज़ व प्लास्टिक उद्योग में
- डूबने से हुई मौत के मामलों में साक्ष्य के रूप में फॉरेंसिक जाँच के लिए

सी लॉयन (Sea Lion) के बारे में

परिचय

- एक समुद्री स्तनधारी जानवर
- Pinniped समूह का सदस्य (जिसका अर्थ है फिन-फुटेड)
- मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीव प्रमुख आहार
- बड़ी-बड़ी कॉलोनी में निवास

मुख्य शारीरिक पहचान

- विशाल व मज़बूत शरीर
- बाह्य कर्ण (Ear flaps) स्पष्ट रूप से दृश्यमान
- मज़बूत व लचीले फ्लिपर्स तथा फ्लिपर्स से चलने में सक्षम

आवास

- मुख्य रूप से समुद्र तटों, तटीय क्षेत्रों एवं द्वीपों पर
- प्रशांत महासागर के तटों पर अधिक

वैज्ञानिक महत्त्व

- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मददगार
- पर्यावरणीय बदलावों के प्रति संवेदनशील

लोबोथोरैक्स भारत

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री मछलियों की मुख गुहा में सक्रिय रहने वाले परजीवी आइसोपोड (Parasitic Isopod) की एक नई प्रजाति की खोज की है।

नई प्रजाति के बारे में

- **नाम :** लोबोथोरैक्स भारत (Lobothorax bharat)
  - नई प्रजाति का यह नाम पहली बार भारत में प्राप्त होने के कारण दिया गया है।
- **खोज स्थल :** ओडिशा तट, बंगाल की खाड़ी
- **वंश (Genus) :** लोबोथोरैक्स (Lobothorax)

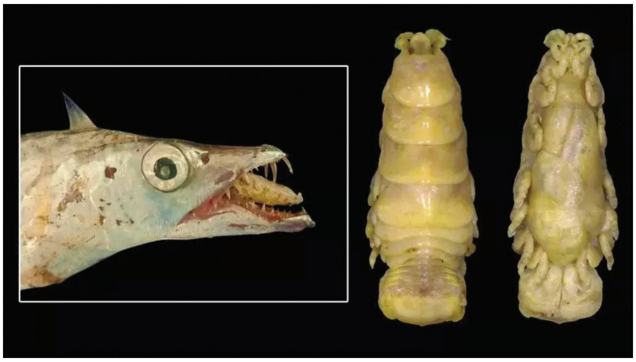

प्रजाति की प्रमुख विशेषताएँ

- यह परजीवी मछली के मुख गुहा में रहकर उसके रक्त व बलगम (Mucus) से पोषण प्राप्त करता है।
- प्रभावित मछलियों में एनीमिया जैसी समस्या उत्पन्न होती है।
- इसके पैरों में हुक के आकार की संरचना होती है, जिससे यह मछली की मुख गुहा में मज़बूती से जुड़ा रहता है।
- अपनी निकटतम प्रजाति लोबोथोरैक्स टाइपस ब्लीकर (Lobothorax typus Bleeker) से आकृति एवं आनुवंशिकी में काफी भिन्न।

खोज का महत्त्व

- यह लोबोथोरैक्स वंश की चौथी प्रजाति है।
- यह खोज समुद्री पारितंत्र के जटिल संबंधों को उजागर करती है।
- समुद्री जीवन की विविधता एवं संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान।
- यह शोध, समुद्री जैव-विविधता के निरंतर अन्वेषण और अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)

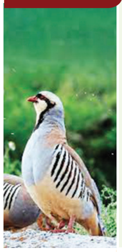

- **स्थापना :** जुलाई 1916
- **मुख्यालय :** कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- **नोडल मंत्रालय :** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- **पहली महिला निदेशक :** धृति बनर्जी

मुख्य उद्देश्य

- भारत में जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण व अध्ययन
- राष्ट्रीय प्राणि संग्रह का संरक्षण व विकास
- प्रजातियों की पहचान, वर्गीकरण और सूचीकरण
- संकटग्रस्त व स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की समीक्षा
- जीव-जंतुओं व संरक्षण क्षेत्रों का प्रकाशन
- पारिस्थितिकी व जैव-विविधता पर अध्ययन

थियोबाल्डियस कोंकणेंसिस

भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने महाराष्ट्र में स्थलीय घोंघे (Land Snail) की एक प्रजाति की खोज की है।

स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति के बारे में

- **परिचय :** ये घोंघे स्थलीय गैस्ट्रोपॉड मोलस्क होते हैं और समुद्री या मीठे जल के घोंघों के विपरीत भूमि पर रहते हैं।
  - आवास के आधार पर आमतौर पर घोंघे को स्थलीय घोंघे (Land Snail), मीठे जल के घोंघे (Freshwater Snail) और समुद्री घोंघे (Sea Snail) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **खोज स्थल :** महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र
- **नामकरण :** कोंकण क्षेत्र में खोजे जाने के कारण इसका नाम 'थियोबाल्डियस कोंकणेंसिस' (Theobaldius konkanensis) रखा गया है।
- **वंश (Genus) :** थियोबाल्डियस (Theobaldius)
- **स्थानिक :** शोधकर्ताओं के अनुसार, घोंघा की यह प्रजाति उत्तरी पश्चिमी घाट के कोंकण क्षेत्र में स्थानिक है।
- **विशेषताएँ :**
  - यह प्रजाति मुख्यत: उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्द्ध-सदाबहार वनों में पाई जाती है।
  - यह प्रजाति दिन एवं रात दोनों समय सक्रिय रहती है तथा दोपहर में छायादार स्थानों पर आसानी से मिल जाती है।
  - नई प्रजाति अन्य सभी भारतीय थियोबाल्डियस प्रजातियों से भिन्न है।

- **कोंकण क्षेत्र में प्रमुख जोखिम :** इस क्षेत्र में मानवजनित गतिविधियों के बढ़ने के कारण स्थलीय घोंघे की अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं जिससे इनका वितरण भी अनियमित हो गया है।

स्थलीय घोंघे की पारिस्थितिकी भूमिका

- जलवायु के प्रति संवेदनशील होने के कारण उत्कृष्ट जैव-संकेतक के रूप में
- अपघटक की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से मृदा के पोषक चक्रण में योगदान
- पक्षियों, सरीसृपों एवं स्तनधारियों सहित विभिन्न जानवरों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में

क्या आप जानते हैं

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर थियोबाल्डियस की 20 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो भारत, श्रीलंका एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में वितरित हैं।

वुली फ्लाइंग गिलहरी

- हिमाचल प्रदेश की मियार घाटी में पहली बार वुली फ्लाइंग गिलहरी (Woolly Flying Squirrel) के अस्तित्व का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया।
- यह खोज हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव प्रकोष्ठ एवं नेचर कंज़र्वेशन फाउंडेशन (NCF) द्वारा मिलकर किए गए 'भारत में हिम तेंदुआ संख्या आकलन' (Snow Leopard Population Assessment in India : SPAI) कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी।

वुली फ्लाइंग गिलहरी के बारे में

- **परिचय :** घने एवं ऊनी बालों व ग्लाइडिंग क्षमता के लिए प्रसिद्ध उत्तर-पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली रात्रिचर गिलहरी
- **अन्य नाम :** 'वेस्टर्न वुली फ्लाइंग गिलहरी' (Western Woolly Flying Squirrel)
- **वंश (Genus) :** युपेटारस (Eupetaurus)
- **कुल (Family) :** स्क्युरिडे (Sciuridae)
- **IUCN स्थिति :** संकटग्रस्त (Endangered)
- **प्रमुख विशेषताएँ**
  - यह एक पतली झिल्लीदार त्वचा (Patagium) के सहारे वृक्ष-से-वृक्ष तक ग्लाइड करने में सक्षम
  - मुख्यत: रात्रि के समय सक्रिय
  - वृक्षों की छाल, पत्तियाँ, फल आदि खाने वाली एक शाकाहारी जीव
  - अत्यंत शर्मीला जीव होने के कारण देखना या रिकॉर्ड करना बहुत कठिन

प्रमुख जोखिम

- आवास का क्षरण
- उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित पारितंत्र
- इसके व्यवहार, संख्या एवं पारिस्थितिकी के बारे में सीमित वैज्ञानिक विवरण

महत्त्व

- ऐसा माना जाता रहा है कि यह गिलहरी केवल पाकिस्तान एवं कश्मीर के कुछ भागों में ही पाई जाती है। यह हिमाचल प्रदेश के स्तनधारी जीवों की सूची में एक नई एवं दुर्लभ प्रजाति है।
- यह खोज न केवल हिमाचल प्रदेश की जैव-विविधता में वृद्धि को दर्शाता है, बल्कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों के संवेदनशील पारितंत्र के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी एवं इसे संरक्षित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

मियार घाटी

- **अवस्थिति :** यह घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति ज़िले के पश्चिमी भाग में स्थित है।
  - यह पीर पंजाल एवं ज़ांस्कर रेंज के बीच स्थित लाहौल रेंज का एक हिस्सा है।
  - इसका 50% से अधिक क्षेत्र ग्लेशियरों से ढका है।

विशेषताएँ :

- हिमालयी घास के मैदान, चट्टानी पर्वत और विविध क्षेत्र वन्यजीवों के लिए आदर्श आवास
- इस घाटी में वुली फ्लाइंग गिलहरी के अलावा स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, हिमालयी वुल्फ एवं माउंटेन वीजल जैसी कई दुर्लभ प्रजातियों के साक्ष्य

दुर्लभ गोल्डन टाइगर

असम के काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अत्यंत दुर्लभ गोल्डन टाइगर (GoldenTiger) देखा गया।

गोल्डन टाइगर के बारे में

- **परिचय :** यह कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि बंगाल टाइगर का ही एक रूप है जो कि एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutation) के कारण सामान्य से अलग दिखता है।
  - इसे 'Golden Tabby Tiger' भी कहा जाता है।

- **सुनहरे रंग का कारण :** यह एक प्रकार का जैविक परिवर्तन (Pseudomelanism) है जिसके कारण बाघ के शरीर की धारियाँ हल्की एवं कोट (त्वचा की बाहरी सतह) का रंग सुनहरा हो जाता है।
- **संख्या :** वैश्विक स्तर पर 10 से भी कम
- **IUCN स्थिति :** संकटग्रस्त (Endangered)

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- **अवस्थिति :** असम राज्य के गोलाघाट एवं नौगाँव ज़िलों में विस्तृत
  - यह उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ है।
- **स्थापना :** वर्ष 1974
- **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल :** वर्ष 1985 में घोषित
- एक सींग वाले गैंडा (Indian One-Horned Rhinoceros) की सर्वाधिक संख्या यहीं पाई जाती है।
  - इसके अलावा यहाँ हांथी, जंगली भैंस, रॉयल बंगाल टाइगर एवं हिरण आदि पाए जाते हैं।
- यह क्षेत्र दलदली भूमि, ऊँची घास के मैदानों, दलदले वनों एवं झीलों के साथ अनेक प्रजातियों के लिए आदर्श है।

कोलॉसल स्क्विड

- पहली बार कोलॉसल स्क्विड (Colossal Squid) को गहरे समुद्र में उसके प्राकृतिक आवास में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले इन जीवों को केवल मृत या घायल अवस्था में ही देखा गया था। इनके बारे में अभी बहुत कम जानकारी है।
- इसे अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) की टीम ने ऑटोमेटिक अंडरवॉटर कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया है।

कोलॉसल स्क्विड के बारे में

- **परिचय :** यह सिफालोपॉड वर्ग का एक दुर्लभ विशालकाय एवं गहराई में रहने वाला समुद्री जीव है।
- **नाम :** मेसोनीचोटेउथिस हैमिल्टनी (Mesonychoteuthis hamiltoni)
- **प्रमुख विशेषताएँ :** विशेषज्ञों के अनुसार, विशाल स्क्विड सात मीटर या 23 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वज़न 500 किग्रा. तक हो सकता है।
  - कोलॉसल स्क्विड का शरीर विशाल होता है किंतु भुजाएँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं।
- इनका विशाल आकार इनके शिकार करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही इन्हें शिकार बनने से भी बचाता है।
  - इनकी जीवन प्रत्याशा, आहार व्यवहार एवं प्रजनन प्रक्रिया अभी भी अज्ञात है।
  - इनके विशाल एवं संवेदनशील नेत्र और अत्यधिक गहराई में निवास करने की प्रवृत्ति के कारण इन्हें देख पाना अत्यंत कठिन होता है।

ग्रेट व्हाइट शार्क

मियामी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पिछले दो दशकों के अध्ययन में पाया गया कि दक्षिण अफ्रीका के 'फाल्स बे' में ग्रेट व्हाइट शार्क के विलुप्त होने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।

ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में

- **परिचय :** यह लार्ज मैकेरल शार्क की एक प्रजाति है जो सभी प्रमुख महासागरों के सतही जल में पाई जाती है।
  - इसे व्हाइट शार्क, व्हाइट पॉइंटर या ग्रेट व्हाइट के रूप में भी जाना जाता है।
- **वंश एवं कुल :** कार्चारोडोन (Carcharodon) वंश के लैम्निडे (Lamnidae) कुल से संबंधित
  - यह कार्चारोडोन वंश की एकमात्र ज्ञात जीवित प्रजाति है।
- **संरक्षण स्थिति**
  - IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील (VU) के रूप में वर्गीकृत
  - CITES की परिशिष्ट II में शामिल
- **पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका**
  - **शीर्ष शिकारी :** यह शीर्ष शिकारी के रूप में मध्यम स्तर के शिकारियों एवं शाकाहारी जीवों की संख्या को संतुलित करती है।
  - **संकेतक प्रजाति :** यह एक प्रमुख संकेतक प्रजाति है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को दर्शाता है।

फाल्स बे (False Bay) के बारे में

- **अवस्थिति :** दक्षिण अफ्रीका, केप प्रायद्वीप (Cape Peninsula) के दक्षिण-पूर्व में
- **संबंधित सागर :** अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean)
- **नज़दीकी शहर :** केप टाउन (Cape Town)
- **प्रसिद्ध तट :** सिमन्स टाउन (Simon's Town), मुइज़ेनबर्ग (Muizenberg), फिश होक (Fish Hoek)
- **प्राकृतिक विशेषताएँ :** समुद्री जैव-विविधता के लिए प्रसिद्ध एवं दक्षिण अफ्रीका के बायो डायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का हिस्सा
  - यहाँ के तट व्हेल देखने, डॉल्फिन, सील कॉलोनी एवं शार्क (विशेषकर ग्रेट व्हाइट शार्क) के अध्ययन के लिए मशहूर हैं।
- **जलवायु एवं महासागरीय प्रभाव :** अगुलहास धारा के प्रभाव से फाल्स बे का पानी अपेक्षाकृत गर्म

हालिया अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **व्हाइट शार्क की विलुप्ति के कारण**
  - अनियंत्रित शिकार एवं सुरक्षा जालों (Nets) का अत्यधिक प्रयोग
  - ऑर्का व्हेल्स (Killer Whales) द्वारा व्हाइट शार्क के शिकार की बढ़ती घटनाएँ
- **समुद्री पारिस्थितिकी में प्रमुख परिवर्तन**
  - व्हाइट शार्कों की विलुप्ति के कारण केप फर सील (आर्कटोसेफालस पुसिलस) और सेवेनगिल शार्क (नोटोरिंचस सेपेडियनस) की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उन मछली प्रजातियों में भी कमी आई है जिन पर ये शिकारी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं।
  - यह बदलाव समुद्री पारिस्थितिकी में श्रृंखलाबद्ध असंतुलन (Cascading Effects) को दर्शाता है।
  - इनकी अनुपस्थिति से कुछ प्रजातियाँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं जो नीचे की खाद्य श्रृंखला को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
- **संरक्षण की आवश्यकता :** शोध में ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी शीर्ष प्रजातियों के संरक्षण की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है।

अंटार्कटिक महासागर पर दुर्लभ जीवों की खोज

ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिक समुद्र तल पर पहले से अज्ञात विभिन्न प्रजातियों की खोज की है।

समुद्री सुअर (Sea Pigs)

- यह आँखरहित जीव लगभग 1.5 से 6 इंच (4 से 15 सेमी.) लंबे होते हैं। ये पारदर्शी, फूले हुए शरीर वाले एवं ट्यूब जैसी अनेक टांगों से युक्त होते हैं।
- इनका नाम इनके मुलायम व फूले हुए शरीर एवं छोटे-छोटे पैरों के कारण पड़ा है जिससे ये कुछ-कुछ सुअर जैसे दिखते हैं।
- ये समुद्र की सतह पर रेंगते हुए जैविक कचरे एवं मृत जीवों के अंशों का भक्षण करते हैं जिससे वे समुद्र तल की सफाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ये महासागर की सतह से 3,300 से 19,500 फीट (1 से 6 किमी.) नीचे रहते हैं।

समुद्री मकड़ी (Sea Spiders)

- ये वास्तविक मकड़ी नहीं हैं, बल्कि आर्थ्रोपोडा के एक अलग समूह से संबंधित हैं जो भूमि पर रहने वाले अर्चिडों की तुलना में केकड़ों से अधिक निकटता से संबंधित हैं।

- इनके लंबे एवं पतले आठ पैर व शरीर छोटा होता है। कुछ प्रजातियों के पैर 20 इंच (51 सेमी.) तक होते हैं।
- इनकी 1,300 से अधिक प्रजातियाँ समुद्र तल पर विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाई जाती हैं।
- ये जीव छोटे व मुलायम शरीर वाले अकशेरुकी (Soft-Bodied Invertebrates) का भक्षण करते हैं और अपने प्रॉबोसिस (शोषक ग्रंथियों) की सहायता से पोषक तत्त्व ग्रहण करते हैं।

समुद्री तितली (Sea Butterfly)

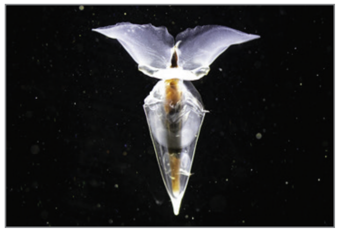

- ये समुद्री घोंघे की एक प्रजाति हैं जो अपने दो पंख जैसे अंगों (Parapodia) के माध्यम से पानी में उड़ती हुई प्रतीत होती हैं।
- ये न केवल अपनी सुंदरता के कारण महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि समुद्री खाद्य श्रृंखला में भी इनका बड़ा योगदान है क्योंकि ये छोटे जीव प्लवकों (Plankton) का भक्षण करती हैं और बड़े समुद्री जीवों के भोजन का स्रोत बनती हैं।

अंटार्कटिक महासागर (Antarctic Ocean)

- **परिचय :** अंटार्कटिक महासागर पृथ्वी के पाँच प्रमुख महासागरों में से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसे दक्षिणी महासागर (Southern Ocean) भी कहते हैं।
- **क्षेत्रफल एवं विस्तार :** इसका क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ वर्ग किमी. (20 Million km^2) तथा यह पृथ्वी की सतह का लगभग 6% भाग घेरता है।
- **महत्त्वपूर्ण गर्त (Trench) :** दक्षिण सैंडविच गर्त (South Sandwich Trench) अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई लगभग 7,235 मीटर है।
- **संबद्ध सागर :** रॉस सागर, वेडेल सागर, अमुंडसेन सागर जैसे क्षेत्र अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा हैं।
- **भौगोलिक विशेषताएँ :**
  - **अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (ACC) :** यह करंट महासागर को पूरी पृथ्वी पर बिना किसी बाधा के घेरता है जो इसे अद्वितीय बनाता है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो पृथ्वी के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाता है।

जैवस्काइलावायरस

फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने पहली बार जैवस्काइलावायरस (Jyvaskylavirus) नामक एक विशाल वायरस (Giant Virus) की पहचान की है। यह खोज University of Jyvaskyla के नैनोसाइंस सेंटर में हुई।

विशाल वायरस (Giant Virus) के बारे में

- **परिचय :** ये वायरस आकार में सामान्य वायरस की तुलना में काफी बड़े होते हैं और कभी-कभी ये बैक्टीरिया जितने बड़े भी हो सकते हैं।
- **आकार :** इनका आकार 200 से 400 नैनोमीटर या इससे भी अधिक हो सकता है।
- **संक्रमण :** ये प्राय: इंसानों को संक्रमित न करके अमीबा जैसे सूक्ष्मजीवों (Microscopic Organisms) को संक्रमित करते हैं।
- **पारिस्थितिकी भूमिका :**
  - सूक्ष्मजीवों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
  - मृदा एवं पानी की जैव-विविधता के संतुलन में सहायक होते हैं।
- **अन्य प्रमुख बिंदु :** इनमें कई ऐसे जीन होते हैं जो सामान्य वायरसों में नहीं पाए जाते हैं।
  - ये मृदा, झील, समुद्र व ठंडे क्षेत्रों (जैसे- आर्कटिक, फिनलैंड) में भी पाए जाते हैं।
  - हाल के वर्षों में यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका में ऐसे कई वायरस पाए गए हैं। इनके जीवन चक्र (Life Cycle) और प्रसार (Distribution) के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है।
  - वैज्ञानिकों के अनुसार, ये वायरस जीवन की शुरुआत तथा वायरसों के विकास को समझने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हालिया खोज से संबंधित तथ्य

- **नाम :** हालिया खोजे गए इस विशाल वायरस का नाम जैवस्काइलावायरस (Jyvaskylavirus) रखा गया है।
- **आकार :** इस वायरस का आकार लगभग 200 नैनोमीटर है जो कि सामान्य फ्लू या कोरोनावायरस से लगभग दोगुना बड़ा है।
  - वैज्ञानिकों ने इसे तब खोजा, जब उन्होंने पर्यावरण से लिए गए नमूनों को एक प्रकार की अमीबा (Acanthamoeba castellanii) के साथ मिलाया।
- **प्रमुख बिंदु :** वैज्ञानिकों ने इस वायरस की संरचना एवं जीनोम (आनुवंशिक जानकारी) का अध्ययन किया और पाया कि यह वायरस फ्राँस में पाए गए Marseillevirus से मेल खाता है।
- **महत्त्व :** इस खोज से सूक्ष्मजीवों के बीच अंत:क्रिया एवं सभी जीवित जीवों की आबादी को विनियमित करने में वायरस की भूमिका को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, विशाल वायरस की संरचना के बारे में नई जानकारी भी मिलेगी।
  - यह खोज दर्शाती है कि मृदा एवं पानी में, विशेष रूप से ठंडे उत्तर के इलाकों में, ऐसे वायरस पहले से अधिक पाए जा सकते हैं।

सैटिरियम क्यूरियोसोलस

कनाडा के रॉकी पर्वतों में वैज्ञानिकों ने सैटिरियम क्यूरियोसोलस (Satyrium curiosolus) नामक तितली की एक नई प्रजाति की पहचान की है जो लगभग 40,000 वर्षों से अपने निकटतम संबंधियों से पूरी तरह से अलग-थलग रही है।

सैटिरियम क्यूरियोसोलस के बारे में

- **पहचान एवं नामकरण :** यह तितली पहले सैटिरियम सेमिलुना (Satyrium semiluna) के रूप में पहचानी जाती थी, किंतु जीनोमिक अध्ययन और पारिस्थितिक विश्लेषण में इसे एक स्वतंत्र व विशिष्ट प्रजाति के रूप में पहचाना गया।
  - इस प्रजाति को सैटिरियम क्यूरियोसोलस (Satyrium curiosolus) नाम दिया गया।
- **निवास :** यह तितली कनाडा के रॉकी पर्वत क्षेत्र में स्थित ब्लैकिस्टन फैन नामक अत्यंत सीमित एवं विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है जो वाटर्टन लेक्स नेशनल पार्क का हिस्सा है।
- **आनुवंशिक विविधता :** पूर्ण जीनोम अनुक्रमण (Whole Genome Sequencing) से पता चला है कि इस प्रजाति में आनुवंशिक विविधता बहुत कम है।
  - यह प्रजाति हज़ारों वर्षों से पृथक् रूप से विकसित हो रही है (संभवत: 40,000 वर्षों से)।
  - लंबे समय तक अंत:प्रजनन (Inbreeding) से यह एक संकुचित किंतु स्थिर आबादी बन गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह तितली अपने लार्वा के विकास के लिए विशेष रूप से सिल्वर ल्यूपिन (Lupinus argenteus) पौधे पर निर्भर है जिसे अन्य संबंधित प्रजातियों में नहीं देखा गया।
- इसके लार्वा का एक विशेष चींटी प्रजाति Lasius ponderosae के साथ पारस्परिक संबंध (Mutualism) होता है। जहाँ लार्वा चींटियों को मीठा स्राव प्रदान करते हैं और बदले में चींटियाँ उन्हें परजीवियों व शिकारी से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

संरक्षण संबंधी चिंताएँ

- इस तितली की अत्यधिक कम आनुवंशिक विविधता और सीमित आवास इसे जलवायु परिवर्तन व अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाते हैं।
- पारंपरिक उपाय, जैसे– जननिक पुनर्स्थापन (Genetic Rescue) इसके लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि निकट प्रजातियों से प्रजनन असंगतता के कारण आउटब्रीडिंग डिप्रेशन का खतरा है।

खोज के महत्त्व

- यह अध्ययन छिपी हुई विविधता को सामने लाने के लिए जीनोमिक एवं पारिस्थितिकी आँकड़ों को साथ जोड़ने के महत्त्व को भी उजागर करता है।
- आधुनिक जीनोमिक तकनीकों का उपयोग पारंपरिक वर्गीकरण से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। यह न केवल जैव-विविधता की बेहतर समझ प्रदान कर सकता है, बल्कि यह संरक्षण के लिए आवश्यक वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करता है।

संभावित संरक्षण उपाय

वैज्ञानिकों के अनुसार, इसकी विशिष्टता को बनाए रखने के लिए इसके आवास का संरक्षण और दीर्घकालिक निगरानी आवश्यक है जिसमें निम्न उपाय शामिल हैं-

- इस तितली की नई आबादियाँ दूसरी सुरक्षित जगहों पर बसाई जा सकती हैं।
- इसके जीवन चक्र, जैसे- पौधों व चींटियों से संबंध को समझकर लंबे समय की निगरानी ज़रूरी है।
- इसकी पारिस्थितिक भूमिका और सह-निर्भर प्रजातियों (पौधों, चींटियों) का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- जलोढ़ पंखे जैसे विशिष्ट पर्यावासों की सुरक्षा।

जलवायु परिवर्तन

कार्बन अधिकार : महत्त्व, संरक्षण एवं प्रासंगिकता

संदर्भ

- राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव ने 'उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय भूमि व जंगलों में स्वदेशी लोगों, अफ्रीकी मूल के लोगों तथा स्थानीय समुदायों के कार्बन अधिकार' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कार्बन अधिकारों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है।
- यह रिपोर्ट 33 देशों में कार्बन अधिकारों की स्थिति का अब तक का सबसे व्यापक कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

कार्बन अधिकारों के बारे में

- **परिभाषा :** कार्बन अधिकार (Carbon Rights) वे कानूनी अधिकार होते हैं जो यह तय करते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे– वनों या अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों) में संग्रहीत कार्बन पर किसका स्वामित्व है और इससे उत्पन्न लाभों का हकदार कौन होगा?
- ये अधिकार विशेष रूप से 'रीड प्लस (REDD+)' जैसी योजनाओं में महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें कार्बन उत्सर्जन को घटाने के बदले वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- वर्तमान में कार्बन अधिकारों की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है। कार्बन अधिकार शब्द में दो मूलभूत अवधारणाएँ सम्मिलित हैं–
  - भूमि, वृक्ष, मिट्टी आदि में निहित कार्बन को संगृहीत करने के संपत्ति अधिकार, और
  - इन संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण (अर्थात् उत्सर्जन व्यापार योजनाओं के माध्यम से) से उत्पन्न होने वाले लाभों का अधिकार

REDD एवं REDD+

- REDD (निर्वनीकरण एवं वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी लाना) संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसे विकासशील देशों में वनों की क्षति एवं क्षरण में कमी लाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया।
- REDD+ इस ढाँचे का विस्तार करके संरक्षण एवं संधारणीय वन प्रबंधन को शामिल करता है जो टिकाऊ विकास को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालता है। इसे वर्ष 2010 में स्वीकार किया गया था।

कार्बन अधिकारों का महत्त्व

- **जलवायु परिवर्तन से निपटना :** वनों में संगृहीत कार्बन को सुरक्षित रखने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महत्त्वपूर्ण है।
- **स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण :** यदि कार्बन अधिकार औपचारिक रूप से स्थानीय या आदिवासी समुदायों को दिए जाएँ, तो उन्हें आर्थिक लाभ के साथ-साथ अपनी भूमि व संसाधनों पर स्वामित्व की मान्यता मिलती है।
- **जैव-विविधता की सुरक्षा :** जब समुदायों को जंगलों की देखभाल करने का अधिकार मिलता है तो वे पारंपरिक तरीकों से पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इससे जैव-विविधता को भी संरक्षण मिलता है।

आदिवासी समुदायों के लिए इसकी प्रासंगिकता

- आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय सदियों से जंगलों की रक्षा करते आए हैं किंतु, उनके भूमि व कार्बन अधिकार प्रायः औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं।
- यह अधिकार मिलने से उन्हें न सिर्फ आर्थिक लाभ मिल सकता है बल्कि यह संस्कृति, पहचान एवं आजीविका की रक्षा में भी सहायक होगा।
- इससे इन समुदायों की भूमिका को वैश्विक जलवायु समाधान में मान्यता मिलेगी।

- जहाँ स्पष्ट अधिकार नहीं होते हैं, वहाँ कार्बन बाज़ार का लाभ प्रायः बाहरी एजेंसियाँ उठाती हैं जबकि पारंपरिक रूप से वनों की देखरेख करने वाले समुदाय पीछे रह जाते हैं।

भारत में कार्बन अधिकारों को मज़बूत करने के लिए सुझाव

- **कानूनी स्पष्टता :** कार्बन अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पर्यावरण कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।
- **सामुदायिक वन अधिकार (CFR) का पूर्ण कार्यान्वयन :** सी.एफ.आर. को व्यापक रूप से लागू कर यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय समुदाय जंगलों पर सामूहिक अधिकार प्राप्त करें।
- **जनभागीदारी को बढ़ावा :** स्थानीय समुदायों को कार्बन क्रेडिट कार्यक्रमों में बराबर भागीदारी का अवसर दिया जाए।
- **क्षमता निर्माण :** समुदायों को प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता प्रदान किया जाए ताकि वे कार्बन प्रबंधन, निगरानी एवं लाभ वितरण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेही :** कार्बन परियोजनाओं में पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित हों, ताकि समुदायों को उनके हक का लाभ वास्तविकता में प्राप्त हो सके।

इसे भी जानिए!

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन से जुड़े अधिकार दिए गए हैं।
  - यह अधिनियम वन में रहने वाले इन समुदायों की आजीविका, आवास एवं सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के माध्यम से आदिवासियों को स्थानीय स्तर पर वन संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार है।

वैश्विक प्रवाल विरंजन

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ इनिशिएटिव के साथ साझेदारी में चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना की पुष्टि की है।

प्रवाल विरंजन के बारे में

- प्रवाल (Coral) और उनके भीतर रहने वाले शैवाल (Zooxanthellae) सहजीवी संबंध में रहते हैं।
- समुद्री तापमान में वृद्धि सहित अन्य कारणों के साथ ही जब यह संबंध टूटता है और शैवाल बाहर निकल जाते हैं जिससे प्रवाल रंगहीन होकर कमज़ोर हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) कहते हैं।

वर्तमान संकट के मुख्य कारण

- **ग्लोबल वार्मिंग :** समुद्री सतह का तापमान 1.1°C से अधिक बढ़ चुका है।

पहली वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना (1998)

- **कारण :** वर्ष 1997-98 का अत्यंत शक्तिशाली एल-नीनो प्रभाव
- **प्रभाव :**
  - दुनिया भर के 16% प्रवाल भित्तियाँ स्थायी रूप से नष्ट हो गए।
  - विशेष रूप से हिंद महासागर, ग्रेट बैरियर रीफ (ऑस्ट्रेलिया) और कैरिबियन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए।
- **महत्त्व :** पहली बार वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर प्रवालों में एक-साथ विरंजन देखा था।

दूसरी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना (2010)

- **कारण :** वर्ष 2009-10 के दौरान पुनः मज़बूत एल-नीनो घटना एवं समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि।
- **प्रभाव :**
  - लगभग 60 देशों की प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित हुईं।
  - दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारी नुकसान।
- **महत्त्व :** इस घटना ने पुष्टि की कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हीटवेव बार-बार प्रवालों को खतरे में डाल रही है।

तीसरी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना (2014-2017)

- **कारण :** तापमान में वृद्धि (लगभग 2 0C की)
- **प्रभाव :**
  - अब तक की सबसे लंबी एवं व्यापक प्रवाल विरंजन घटना।
  - ग्रेट बैरियर रीफ में भारी क्षति-50% से अधिक प्रवाल नष्ट हुए।
  - प्रशांत, हिंद एवं अटलांटिक महासागर में व्यापक प्रभाव।
- **महत्त्व :**
  - वैज्ञानिकों ने इसे 'चरणबद्ध संकट' कहा है क्योंकि यह कई वर्षों तक जारी रहा।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रवालों की संवेदनशीलता उजागर हुई।

- **एल-नीनो प्रभाव :** वर्ष 2023-24 में एल-नीनो के कारण असामान्य समुद्री ऊष्मा

- **महासागर अम्लीकरण :** समुद्री जल में CO_2 के घुलने से pH मान में कमी
- **प्रदूषण :** पोषक तत्त्वों एवं रसायनों से प्रवाल कमज़ोर होते हैं।
- **मानवजनित गतिविधियाँ :** अति मत्स्यन, पर्यटन, तटीय निर्माण

प्रवाल विरंजन का प्रभाव

- **जैव-विविधता में गिरावट :** प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जीवन के 25% जीवों को आवास प्रदान करती हैं।
- **आर्थिक क्षति :** पर्यटन, मछली पालन एवं तटीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव।
- **तटीय समुदायों पर संकट :** प्रवाल, तटों को तूफानों से बचाते हैं, उनके क्षरण से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा कमज़ोर होती है।

प्रवाल संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI)

- यह वर्ष 1994 में प्रारंभ की गई एक स्वैच्छिक साझेदारी (Voluntary Partnership) है जो विश्व स्तर पर प्रवाल भित्तियों एवं संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण व सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है।
- **प्रमुख संस्थापक देश :** ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जापान, फिलीपींस, अमेरिका
- **मुख्य उद्देश्य :**
  - प्रवाल भित्तियों एवं संबंधित तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण व पुनर्स्थापन
  - वैज्ञानिक अनुसंधान एवं निगरानी को बढ़ावा देना
  - स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना
  - वैश्विक नीति-निर्माण (जैसे- UN एवं CBD के मंचों पर) में मार्गदर्शन देना
- भारत ICRI का सदस्य है और समय-समय पर प्रवाल संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों व रिपोर्टों में सक्रिय भागीदारी करता है।
  - भारत के लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार जैसे क्षेत्र इसमें विशेष रूप से शामिल हैं।

UNEP कोरल रीफ इनिशिएटिव

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme: UNEP) द्वारा प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के संरक्षण एवं सतत् प्रबंधन के लिए चलाई जा रही एक वैश्विक पहल है।
- यह पहल वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति समर्थन एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से प्रवाल भित्तियों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण व अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों से बचाने का प्रयास करती है।

30 by 30 पहल

- इसका उद्देश्य वैश्विक संरक्षण करना है जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक समुद्री क्षेत्रों के 30% को संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) के रूप में घोषित करना है।
- यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जैव-विविधता की रक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण व पारितंत्र के क्षरण से निपटने में मदद करेगी।

वैज्ञानिक उपाय

हीट-रेसिस्टेंट प्रवाल, कृत्रिम भित्तियाँ, जीन बैंक

भारत के प्रयास

भारतीय प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क

भारतीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के संरक्षण एवं निगरानी के लिए एक प्रमुख पहल है। यह नेटवर्क भारतीय तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की स्थिति का आकलन करने, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कार्य करता है।

तटीय क्षेत्र विनियमन (CRZ) नियम

- ये नियम भारत में तटीय क्षेत्रों की रक्षा एवं प्रबंधन के लिए बनाए गए हैं।
- ये नियम भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 1991 में लागू किए गए थे।
- इसका उद्देश्य तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हुए तटीय विकास गतिविधियों को नियंत्रित करना है।

पर्यावरणीय सूचना केंद्र

- यह एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय सूचना प्रणाली है जो भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर डाटा संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसारण के लिए स्थापित की गई है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में सूचना का संग्रहण, प्रसंस्करण व वितरण करना है, ताकि यह जानकारी पर्यावरणीय नीति-निर्माण, अनुसंधान तथा आम जनता के बीच आसानी से पहुँच सके।

आगे की राह

- वैश्विक उत्सर्जन में कटौती
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी
- प्रवालों के लिए संरक्षित क्षेत्र
- अनुकूलनशील प्रवाल प्रजातियों पर शोध
- पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता

निष्कर्ष

प्रवाल भित्तियों की वर्तमान स्थिति वैश्विक पर्यावरणीय संकट का संकेत है। यह केवल समुद्री पारिस्थितिकी नहीं, बल्कि मानव जीवन, आजीविका एवं जलवायु संतुलन के लिए भी खतरा है। इस दिशा में समूहिक वैश्विक प्रयास, वैज्ञानिक नवाचार और स्थानीय संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है।

प्रदूषण

एंटीबायोटिक प्रदूषण

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत की नदियों की कुल लंबाई का 80% भाग एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारण गंभीर पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है।

अध्ययन के बारे में

- यह अध्ययन कनाडा के McGill विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है जिसमें 72 देशों की 877 नदी स्थलों पर 21 सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं की उपस्थिति की जाँच की गई।
- यह अध्ययन विशेष रूप से जल संसाधनों के प्रदूषण से संबंधित है, जो न केवल लोगों के लिए, बल्कि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- शोधकर्ताओं के अनुसार, एंटीबायोटिक प्रदूषण विशेष रूप से विकासशील देशों में, अत्यधिक बढ़ गया है। भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इथियोपिया और वियतनाम जैसे देशों में एंटीबायोटिक प्रदूषण का उच्च स्तर पाया गया है।
  - यह प्रदूषण न केवल पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संकटों को भी जन्म देता है।
- **प्रमुख प्रदूषक दवाएँ :** अध्ययन के अनुसार, कुछ विशेष एंटीबायोटिक दवाएँ भारतीय नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रही हैं।
  - इनमें अमॉक्सिसिलिन, सेफ्ट्रिआक्सोन एवं सेफिक्सिम जैसी दवाएँ प्रमुख हैं। विशेष रूप से सेफिक्सिम भारतीय नदियों में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरी है।
  - इन दवाओं के अत्यधिक उत्सर्जन से न केवल जलीय जीवन को नुकसान हो रहा है, बल्कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं।
- **उत्सर्जन की मात्रा और उसका प्रभाव :** इन एंटीबायोटिक दवाओं का जलस्रोतों में अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है। इससे जल में इनकी मात्रा बहुत बढ़ गई है जो प्रदूषण के स्तर को और अधिक बढ़ाती है।
  - नदियों में इन दवाओं के लंबे समय तक रहने से जलीय जीवों की जैविक विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह जल चक्र को भी प्रभावित कर सकता है।
  - इससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि प्रदूषित जल का उपयोग खेती में किया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता है।

एंटीबायोटिक प्रदूषण (Antibiotic Pollution)

पर्यावरण में एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित, अव्यवस्थित एवं अनावश्यक रूप से उत्सर्जन या रिसाव के कारण होने वाले जल, मृदा एवं वायु प्रदूषण को एंटीबायोटिक प्रदूषण कहते हैं।

भारत की स्थिति

- भारत में लगभग 31.5 करोड़ लोग ऐसी नदियों के पास रह रहे हैं जो एंटीबायोटिक अवशेषों से दूषित हैं और इसका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- दिल्ली, लखनऊ, गोवा व चेन्नई की नदियों में 2 से 5 गुना अधिक एंटीबायोटिक अवशेष पाए गए हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 58,000 नवजातों की मौत एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण होती है।

एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारक

- **फार्मास्युटिकल उद्योग से उत्सर्जन :** दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों से उपचारित या अपशोधित अपशिष्ट जल सीधे नदियों, नालों या भू-जल स्रोतों में छोड़ा जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स होते हैं।
- **अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग :** मनुष्यों व पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, जिनका कुछ अंश शरीर से निकलकर मल-मूत्र के साथ बाहर आता है और सीवेज के ज़रिए जलस्रोतों में मिल जाता है।
- **असंगठित चिकित्सा प्रणाली :** भारत जैसे देशों में बिना चिकित्सक की सलाह के दवा खरीदना एवं स्वयं चिकित्सा करना सामान्य है। इससे दवाओं की खपत बढ़ती है और उनका अपशिष्ट बढ़ता है।
- **कृषि एवं पशुपालन में उपयोग :** कई बार एंटीबायोटिक्स का उपयोग पशुओं का तेज़ी से विकास करने या बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है जिससे ये दवाएँ उनके मल के साथ मृदा व जलस्रोतों में पहुँच जाती हैं।

एंटीबायोटिक प्रदूषण के प्रभाव

- **एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) :** जब बैक्टीरिया लगातार एंटीबायोटिक्स के संपर्क में रहते हैं, तो वे इनके खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। इसका मतलब है कि सामान्य संक्रमणों का उपचार भी कठिन या असंभव हो सकता है।

- **पर्यावरणीय असंतुलन :** जलीय जीवों, सूक्ष्मजीवों एवं मृदा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने से खाद्य श्रृंखला व पारिस्थितिक तंत्र अव्यवस्थित हो सकते हैं।
- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव :** दूषित पानी या भोजन के ज़रिए ये एंटीबायोटिक अवशेष शरीर में प्रवेश कर सकते हैं जिससे एलर्जी, आंतों की समस्याएँ एवं दवा प्रतिरोध जैसी गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे की राह

- **उद्योगों में सुधार :** फार्मास्युटिकल कंपनियों को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि एंटीबायोटिक अवशेषों का उत्सर्जन नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए सरकार को सख्त पर्यावरणीय नियमों को लागू करने की ज़रूरत है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण :** सरकार एवं संबंधित एजेंसियों को नदियों व जलस्रोतों के प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एंटीबायोटिक प्रदूषण के लिए विशेष मानक एवं दिशा-निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता :** जनता को एंटीबायोटिक दवाओं के सही उपयोग एवं अव्यवस्थित रूप से इनका सेवन करने से बचने के लिए शिक्षित करना बेहद महत्त्वपूर्ण है। स्व-चिकित्सा और अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान की ज़रूरत है।
- **वन हेल्थ दृष्टिकोण :** 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ते हुए एक समग्र समाधान पर विचार किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण के तहत एंटीबायोटिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

जैव-विविधता

बफर ज़ोन विकास योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी बाघ अभयारण्यों के बफर ज़ोन के समग्र विकास के लिए 'बाघ अभयारण्य बफर ज़ोन विकास योजना' को मंज़ूरी दी है।

बफर ज़ोन विकास योजना के बारे में

- **क्या है बफर ज़ोन :** बाघ अभयारण्यों के अंतर्गत बफर ज़ोन, बाघों के मुख्य निवास स्थान (Core Area) के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जो उनके सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए संवेदनशील होता है। हालाँकि, इस क्षेत्र में मानव गतिविधियाँ कुछ सीमा तक संचालित हो सकती हैं।
- **उद्देश्य :** इस योजना का उद्देश्य बाघों एवं अन्य वन्यजीवों के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है।
- **कुल बजट :** ₹145 करोड़
- **अवधि :** वित्तीय वर्ष 2025-26 से वर्ष 2027-28 तक

योजना के मुख्य घटक

- **चेन-लिंक फेंसिंग :** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए
- **घास के मैदानों का विकास :** शाकाहारी वन्यजीवों के लिए चरागाह सुनिश्चित करना
- **जलस्रोतों का निर्माण :** वन्यजीवों की जल ज़रूरतों को पूरा करना
- **वन्यजीव संरक्षण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय :** जंगलों में आग की रोकथाम एवं सुरक्षा
- **वन्यजीवों की स्वास्थ्य निगरानी व उपचार :** बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार सेवाएँ
- **स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण :** इको-टूरिज़्म, गाइडिंग, हस्तशिल्प, आदि के लिए

योजना का संभावित प्रभाव

- **पर्यावरणीय लाभ :** जैव-विविधता में वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली एवं वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही
- **सामाजिक-आर्थिक लाभ :** स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर, पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल और समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल को बढ़ावा

क्या आप जानते हैं

- मध्य प्रदेश को 'टाइगर स्टेट' के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ की बाघों की संख्या 785 है जो कि वर्ष 2018 में 526 थी। यहाँ कुल 9 टाइगर रिज़र्व हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवीनतम (नौवाँ) टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है।
- **मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिज़र्व :** कान्हा टाइगर रिज़र्व, पेंच टाइगर रिज़र्व, सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व, बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, नौरादेही टाइगर रिज़र्व, पन्ना टाइगर रिज़र्व, संजय दुबरी टाइगर रिज़र्व एवं रातापनी टाइगर रिज़र्व।

❑❑❑

भूगोल

भू-भौतिकी घटनाएँ

भारत में जिप्सम खनन

संदर्भ

राजस्थान के कई गाँव जिप्सम खनन से प्रभावित रहे हैं। वहाँ के निवासियों ने जिप्सम खनन के कारण प्रभावित हुई भूमि को पुनर्जीवित किया है जिससे वहाँ स्थानीय वनस्पति एवं जानवरों को पुनः देखा जा सकता है।

भारत में जिप्सम भंडार एवं खनन की स्थिति

- अनुमानित रूप से भारत का कुल जिप्सम भंडार लगभग 1,286 मिलियन टन है जिसमें से 80% से अधिक हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है।
- जिप्सम के भंडार वाले अन्य राज्यों में गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर और तमिलनाडु शामिल हैं।
- इस खनिज का निष्कर्षण खुले गर्त (Openpit) एवं भूमिगत खनन दोनों तरीकों से किया जाता है जो निक्षेप (भंडार) की गहराई व गुणवत्ता पर निर्भर करता है।
- जिप्सम का खनन मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जैसे– एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (FAGMIL) द्वारा किया जाता है।
    - FAGMIL का संचालन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत होता है।

जिप्सम का आर्थिक महत्त्व

- निर्माण उद्योग के लिए जिप्सम एक महत्त्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग सीमेंट, प्लास्टर एवं ड्राईवॉल के उत्पादन में किया जाता है।
- यह कृषि के लिए आवश्यक खनिज है जहाँ यह मृदा कंडीशनर के रूप में कार्य करता है और फसलों के लिए कैल्शियम व सल्फर का स्रोत है।
- भारत के तीव्र शहरीकरण और कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण जिप्सम की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है।

पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ

- **आवास व्यवधान :** खनन गतिविधियों से प्राकृतिक आवासों का विनाश हो सकता है जिससे स्थानीय जैव-विविधता प्रभावित हो सकती है।
- **मृदा अपरदन :** खनन कार्यों के दौरान ऊपरी मृदा को हटाने से मृदा अपरदन हो सकता है जिससे भूमि की उर्वरता कम हो सकती है।
- **जल प्रदूषण :** खनन प्रक्रियाएँ गाद एवं रसायनों के साथ आसपास के जलस्रोतों को दूषित कर सकती हैं जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र व स्थानीय समुदाय प्रभावित हो सकते हैं।
- **वायु प्रदूषण :** खनन एवं प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न धूल वायु प्रदूषण में वृद्धि कर सकती है जिससे श्रमिकों व निवासियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

संधारणीय खनन प्रथाएँ

- **खनन क्षेत्रों का पुनर्वास :** वनस्पतियों के पुनर्विकास एवं वन्यजीवों के लिए आवास निर्माण के माध्यम से खनन क्षेत्रों को बहाल करके पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सकता है।
- **विनियामक अनुपालन :** खनन गतिविधियों में पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विनियमन एवं निगरानी तंत्र को मज़बूत करना आवश्यक है।
- **संसाधनों का कुशलतम उपयोग :** संसाधन निष्कर्षण को अधिकतम करने और अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से खनन कार्यों की दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
- **सामुदायिक सहभागिता :** निर्णयन प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन गतिविधियों से उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लाभ हो।

विश्वामित्री नदी पुनरुद्धार परियोजना

संदर्भ

गुजरात सरकार ने वडोदरा में विश्वामित्री नदी परियोजना के तहत विश्वामित्री नदी में बाढ़ प्रबंधन के लिए 100 दिवसीय एक परियोजना की शुरुआत की है।

विश्वामित्री नदी पुनरुद्धार परियोजना के बारे में

- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य नदी की प्रवाह क्षमता को बढ़ाना और शहरी जल निकायों के प्रबंधन में सुधार करना है।
- **नोडल निकाय :** वडोदरा नगर निगम
- **आवश्यकता :** पिछले वर्ष वडोदरा में आई बाढ़ से बुनियादी ढाँचे की व्यापक क्षति एवं निवासियों के विस्थापन के परिणामस्वरूप ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने नदी पुनरुद्धार प्रयासों के तहत इस योजना की शुरुआत की है।
- **महत्त्व :** यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ शहरी पर्यावरण बहाली एवं जलवायु लचीलेपन की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस परियोजना के तहत शामिल गतिविधियाँ

- **जलवहन क्षमता में वृद्धि :** इस परियोजना के तहत 100 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विश्वामित्री नदी की जलवहन क्षमता को 40% तक बढ़ाया जाएगा।
  - इसके तहत विश्वामित्री नदी को गहरा एवं चौड़ा करना तथा शहर से होकर प्रवाहित होने वाली छोटी नदियों से गाद निकालना, वर्षा जल संचयन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- **अपशिष्ट प्रबंधन :** इसके तहत एक मज़बूत अपशिष्ट प्रबंधन घटक भी शामिल है जिसके एक हिस्से के रूप में 500 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा एकत्र करके उसका पुनर्चक्रण किया जाएगा।
- **शहरी झील एवं नहर संपर्क :** इसके हिस्से के रूप में जल वितरण एवं भंडारण में सुधार के लिए नदी को स्थानीय जल निकायों, जैसे– अजवा सलाव, प्रतापपुरा सरोवर, डेना झील एवं विभिन्न शहरी नहरों से जोड़ा जाएगा।
- **भू-जल पुनर्भरण :** इस परियोजना में भू-जल पुनर्भरण घटक के तहत कुल 474 वर्षा जल पुनर्भरण कुओं की योजना बनाई गई है जिससे शहरी सतही अपवाह में कमी आने और भू-जल स्तर में वृद्धि होने का अनुमान है।

विश्वामित्री नदी

- **उद्गम :** गुजरात के पंचमहल ज़िले में पावागढ़ पहाड़ियों की पश्चिमी एवं दक्षिणी ढलानों से
- **अपवाह क्षेत्र :** वडोदरा शहर से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई भरूच ज़िले में खंभात की खाड़ी में गिरती है।
- **सहायक नदियाँ :** धांधर नदी, जंबुवा एवं खानपुर
- **अन्य प्रमुख बिंदु :**
  - इस नदी का वडोदरा खंड मगर मगरमच्छों (Crocodylus Palustris) की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है जो इसे एक अद्वितीय शहरी नदी पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है।
  - यह नदी मुख्यत: वर्षा पर निर्भर है।

हीटवेव के लिए IMD की कलर कोडित चेतावनी प्रणाली

संदर्भ

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department: IMD) ने तेलंगाना के कुछ ज़िलों के लिए ऑरेंज हीटवेव अलर्ट जारी किया है।

क्या है हीटवेव

- भारत में गर्मी के मौसम के दौरान तापमान में अत्यधिक वृद्धि एक सामान्य किंतु खतरनाक परिघटना है, जिसे 'ग्रीष्मलहर' (Heatwave) कहा जाता है।
- IMD के अनुसार, जब मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों में 30°C से अधिक होता है तथा सामान्य तापमान में 4.5°C या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज होती है, तब उसे 'हीटवेव' कहा जाता है।
- यदि तापमान सामान्य से 6.4°C से अधिक हो, तो यह 'गंभीर हीटवेव' की श्रेणी में आता है।
- IMD इस प्रकार की मौसमी आपदाओं के लिए एक सुव्यवस्थित कलर कोडित चेतावनी प्रणाली के माध्यम से आमजन एवं प्रशासन को समय रहते सचेत करता है।

रंग	स्तर	अर्थ	प्रशासनिक कार्रवाई
ग्रीन	कोई चेतावनी नहीं	सामान्य मौसम	निगरानी बनाए रखें
येलो	जागरूकता	तापमान में वृद्धि, लेकिन सामान्य दायरे में	सतर्कता एवं सार्वजनिक जानकारी प्रसारित करें
ऑरेंज	गंभीर	हीटवेव की स्थिति, स्वास्थ्य पर असर संभव	सार्वजनिक सेवाओं की तैयारी, जल वितरण, कार्यावधि में कमी
रेड	अत्यंत गंभीर	गंभीर हीटवेव, जन-स्वास्थ्य पर संकट	आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय करना, लोगों को घरों में रहने की सलाह

हीटवेव का प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव :** हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकावट और मृत्यु तक की संभावना
- **आर्थिक क्षति :** श्रम उत्पादकता में गिरावट, कृषि पर प्रभाव, ऊर्जा की अत्यधिक मांग
- **पर्यावरणीय प्रभाव :** वन्य जीवन पर प्रभाव, सूखे की आशंका, जलस्रोतों पर दबाव

नीति एवं सुझाव

- स्थानीय हीट एक्शन प्लान (HAP) तैयार करना, जैसे– अहमदाबाद मॉडल
- शहरी नियोजन में जलवायु-उत्तरदायी वास्तुकला को शामिल करना
- श्रमिकों एवं स्कूलों के लिए समय-सारणी में लचीलापन लाना
- पेयजल एवं शीतलन केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाना

सामान्य हीटवेव व समुद्री हीटवेव में अंतर

अंतर का आधार	सामान्य हीटवेव	समुद्री हीटवेव
स्थान	स्थल पर घटित होती है (जैसे- भारत के मैदानी व शुष्क क्षेत्र)	महासागरों एवं समुद्री जल में घटित होती है।
परिभाषा	IMD के अनुसार, जब अधिकतम तापमान सामान्य से ≥4-5°C अधिक हो, और कुल तापमान 40°C (मैदान) या 30°C (पहाड़ी क्षेत्र) से अधिक हो।	जब समुद्र की सतह का तापमान लगातार ≥5 दिनों तक सामान्य से अधिक हो जाता है। यह असामान्य रूप से गर्म समुद्री स्थिति को दर्शाता है।
कारण	उच्च वायुमंडलीय दाब, एल-नीनो, शुष्क हवाएँ, शहरी हीट आइलैंड प्रभाव आदि।	समुद्री धाराओं में बदलाव, एल-नीनो प्रभाव, वैश्विक तापवृद्धि, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
प्रभाव	मानव स्वास्थ्य पर संकट (हीट स्ट्रोक), जल संकट, कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव, श्रम उत्पादकता में गिरावट।	कोरल ब्लीचिंग, समुद्री जैव-विविधता पर खतरा, मत्स्यपालन पर प्रतिकूल प्रभाव, मौसम प्रणाली में बदलाव उदाहरण: वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में समुद्री हीटवेव के कारण अत्यधिक प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) हुई थी।

अरल सागर त्रासदी

संदर्भ

हालिया शोध में अरल सागर में पानी के समाप्त हो जाने के बाद से सतह के ऊपर उठने जैसे भूगर्भीय परिवर्तन के संकेत प्राप्त हुए हैं।

अरल सागर के बारे में

- **परिचय :** यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी जो अब सूखकर अरलकुम रेगिस्तान बन चुका है।
- **अवस्थिति :** कज़ाकिस्तान (उत्तर) और उज़्बेकिस्तान (दक्षिण) के बीच की सीमा पर
- **सूखने का कारण**
  - इस झील को आमू दरिया एवं सीर (स्यर) दरिया नदियों से जल प्राप्त होता था।
  - 1960 के दशक में सोवियत संघ ने कृषि कार्यों के लिए इन नदियों के पानी को मोड़ दिया, जिससे झील का जलस्तर कम होता चला गया।
  - विगत 80 वर्षों में अरल सागर का 1.1 अरब टन पानी समाप्त हो गया।

क्या है अरल सागर त्रासदी

- अरल सागर के सूखने से बना अरलकुम रेगिस्तान वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े धूल के स्रोतों में से एक है।
- इस रेगिस्तान से ज़हरीली धूल उठती है जिसमें कीटनाशक एवं उर्वरकों के अवशेष मिले हुए हैं।
- जर्मनी की लाइबनिट्स इंस्टीट्यूट और फ्रेई यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक, वर्ष 1985 से वर्ष 2015 के बीच इस क्षेत्र से निकलने वाली धूल 14 मिलियन टन से बढ़कर 27 मिलियन टन हो गई।
- ये धूल ताज़िकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान की राजधानियों तक पहुँच रही है जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है।
- विगत 30 वर्षों में धूल भरी आँधियों की घटनाएँ 7% बढ़ गई हैं।

मौसम पर प्रभाव

- अरलकुम रेगिस्तान से केवल धूल का ही प्रसार नहीं हो रहा है बल्कि यह मौसम को भी बदल रहा है।
- इस धूल की वजह से रात में ज़मीन ठंडी रहती है लेकिन दिन में गर्मी बरकरार रहती है।
- वर्षभर में हल्की ठंडक का प्रभाव दिखता है किंतु, ये छोटा-सा बदलाव मौसम के बड़े पैटर्न को प्रभावित कर सकता है।
- धूल की वजह से वायुदाब बढ़ रहा है जिससे शीतकाल में मौसम परिवर्तित हो रहा है और ग्रीष्मकाल में गर्मी का प्रभाव कम हो रहा है।

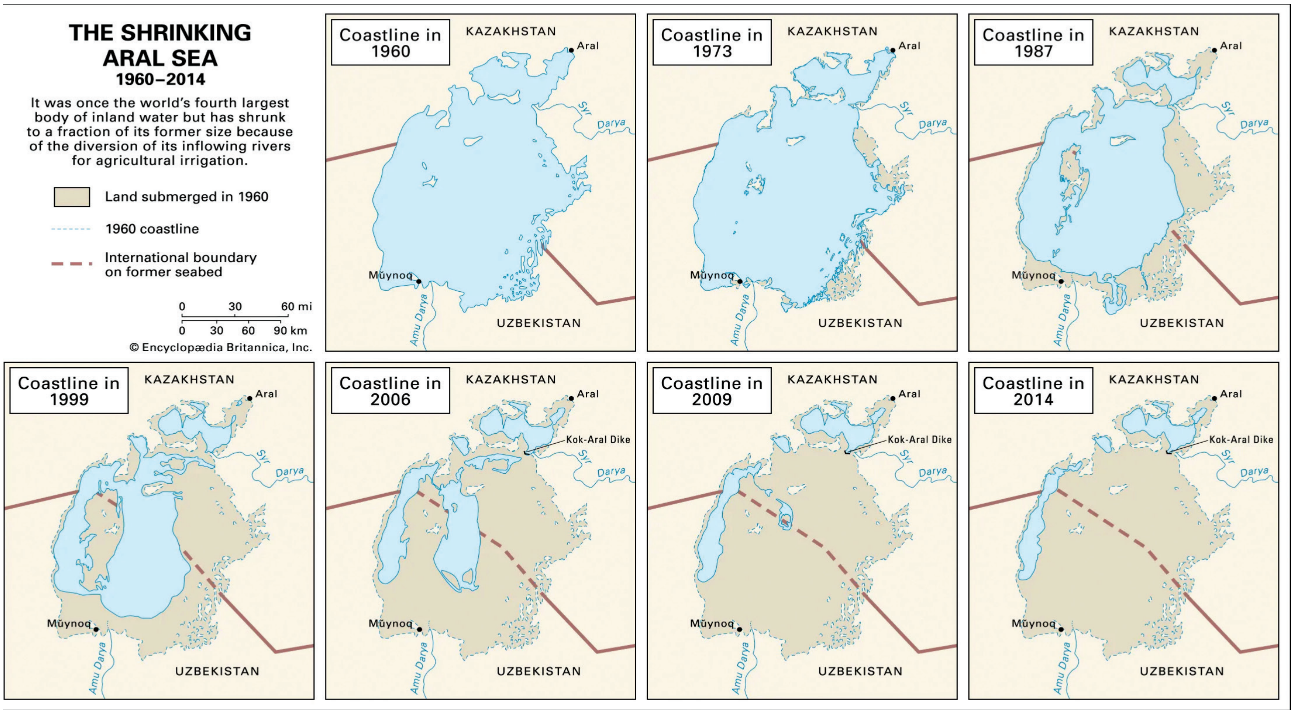

शांत चेर्नोबिल

- वैज्ञानिक अरल सागर की इस त्रासदी को 'शांत चेर्नोबिल' कहते हैं। यह चेतावनी है कि इंसानी गलतियाँ प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं।
- अरल सागर के अलावा ईरान की उर्मिया झील और पश्चिम एवं मध्य एशिया की अन्य झीलें भी सूख रही हैं जिससे धूल व मौसम की समस्याएँ बढ़ रही हैं।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि इन बदलावों को समझने एवं भविष्यवाणी करने के लिए और शोध ज़रूरी है।

क्या आप जानते हैं

चेर्नोबिल घटना 26 अप्रैल, 1986 को यूक्रेन (तत्कालीन सोवियत संघ) के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में घटित एक भयावह परमाणु दुर्घटना थी। यह घटना प्राकृतिक आपदा और मानव त्रुटि का एक गंभीर मिश्रण थी, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यह अब तक की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है।

हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में हिम स्थायित्व में कमी

संदर्भ

हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र को 'एशिया के जल स्तंभ' के रूप में जाना जाता है जो एशिया की 10 प्रमुख नदी प्रणालियों का उद्गम स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) द्वारा जारी 'हिंदूकुश स्नो अपडेट, 2024' रिपोर्ट में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी घाटियों में हिम स्थायित्व (Snow Persistence) में गंभीर गिरावट को दर्शाती है जो कि क्षेत्रीय जल सुरक्षा, कृषि एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- गंगा नदी बेसिन में पिछले 22 वर्षों में सबसे कम हिम स्थायित्व रिकॉर्ड किया गया, जो दीर्घकालिक ऐतिहासिक औसत से 17% कम रहा।
  - वर्ष 2015 में गंगा बेसिन का हिम स्थायित्व सामान्य से 25.6% अधिक था।
- ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में यह सामान्य से 14.6% कम रहा और सिंधु नदी बेसिन में 23.3% की गिरावट देखी गई।
- अफगानिस्तान एवं ईरान के लिए महत्त्वपूर्ण आमू दरिया व हेलमंड नदी घाटियों में गिरावट क्रमशः 28.2% और 32% कम रहा।

हिम स्थायित्व (Snow Persistence)

- हिम स्थायित्व (Snow Persistence) का तात्पर्य उस अवधि से है जब कोई क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है। इस अवधि में सर्दियों के मौसम में बर्फ जमती है और बसंत-गर्मी में वह धीरे-धीरे पिघलती है।
- **हिम स्थायित्व गिरावट :** जब किसी क्षेत्र में सामान्य की तुलना में कम समय तक बर्फ रहती है या वह जल्दी पिघल जाती है तो यह स्थिति हिम स्थायित्व में गिरावट कहलाती है।

हिम स्थायित्व का महत्त्व

हिम स्थायित्व जल सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन, कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण आधार है। इसके महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है–

- **जल संसाधनों की निरंतरता सुनिश्चित करना :** हिमालयी क्षेत्रों में जमा बर्फ बसंत एवं गर्मियों में पिघलती है और धीरे-धीरे नदियों में जल प्रवाह बनाए रखती है। ऐसे में हिम स्थायित्व का बने रहना पीने के पानी, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए आवश्यक जल उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।
  - गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों में जल का एक बड़ा हिस्सा हिमगलन (Snowmelt) से आता है।
    - गंगा: 10.3%
    - ब्रह्मपुत्र: 13.2%
    - सिंधु: लगभग 40%
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में योगदान :** पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की खेती (विशेष रूप से रबी फसल) की सिंचाई हिमगलन से प्राप्त जल पर निर्भर करती है। इसमें गिरावट से जल की कमी होगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि, कृषकों की आय में कमी, खाद्य असुरक्षा में वृद्धि हो सकती है।
- **जल-विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक :** भारत में कई हाइड्रोपावर परियोजनाएँ (विशेषकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर में) हिमजल पर आधारित हैं। हिम स्थायित्व में गिरावट से बाँधों एवं जलाशयों में जल की मात्रा घटने से विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा।
- **जलवायु परिवर्तन का संकेतक :** हिम स्थायित्व में निरंतर कमी की प्रवृत्ति ग्लोबल वार्मिंग का एक ठोस व स्पष्ट संकेतक है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव-विविधता की रक्षा :** हिमालय जैसे क्षेत्रों की वनस्पति एवं जीव-जंतु ठंडे मौसम व बर्फीले आवास पर निर्भर करते हैं।
- **प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम में सहायक :** नियमित एवं स्थिर हिम स्थायित्व बाढ़ व ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) से रक्षा करता है।
- **स्थानीय समुदायों की आजीविका से संबंध :** पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, पशुपालन, कृषि जैसी गतिविधि संबंधी रोज़गार का सीधा संबंध बर्फ की उपलब्धता एवं मौसमी संतुलन से है।

वर्ष 2024 में हिम स्थायित्व में गिरावट के कारण

क्षेत्रीय तापमान में तीव्र वृद्धि

- हिंदूकुश क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में शीतकालीन मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहा है जिससे बर्फ देर से जमी एवं शीघ्र पिघल गई। उच्च तापमान से बर्फ की संरचना में परिवर्तन होता है और उसका स्थायित्व काल घटता है।

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) का कमज़ोर होना

- हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी मुख्यत: पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर होती है। वर्ष 2023-24 के शीतकाल में इन प्रणालियों की आवृत्ति एवं तीव्रता में कमी देखी गई। इससे हिमपात में कमी आई और बर्फ की मोटाई व विस्तार प्रभावित हुआ।

जलवायु परिवर्तन से मौसम चक्र में असामान्यता

- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र अनियमित हो गया है जिसमें असमय बारिश, शुष्क शीतकाल और बसंत ऋतु में अत्यधिक तापमान वृद्धि ने बर्फ के स्थायित्व को कम किया है।

स्थानीय भूमि उपयोग परिवर्तन

- वनों की कटाई, पर्यटन संबंधी निर्माण एवं सड़क/हाइड्रो परियोजनाएँ बर्फ के जमाव वाले क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इससे स्थानीय सूक्ष्म जलवायु में बदलाव आता है जो बर्फ की संरचना और उसके स्थायित्व को प्रभावित करता है।

प्रभावी निगरानी एवं डाटा की कमी

- कई क्षेत्रों में हिम स्तर, बर्फबारी एवं तापमान का रियल-टाइम डाटा अनुपलब्ध है। इससे पूर्वानुमान एवं अनुकूलन नीति-निर्धारण में कठिनाई होती है और प्रतिक्रिया में देरी होती है।

हिम स्थायित्व (Snow Persistence) में गिरावट के प्रभाव

जल संसाधनों पर प्रभाव

- गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों में गर्मी के मौसम में जल प्रवाह में कमी।
- खरीफ एवं रबी फसलों के लिए आवश्यक जलापूर्ति बाधित।

कृषि पर प्रभाव

- सिंचाई जल की अनुपलब्धता से फसल उत्पादकता में गिरावट।
- लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका पर संकट।

ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव

- हाइड्रोपावर परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता में गिरावट।
- परंपरागत ऊर्जा स्रोतों (जैसे– जीवाश्म ईंधन) पर निर्भरता बढ़ेगी।

पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

- हिमरेखा (Snowline) के ऊपर खिसकने से अल्पाइन जैव-विविधता पर खतरा।
- हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग जैसे प्रजातियों के प्रजनन चक्र व आवास में व्यवधान।

भू-राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

- सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के सीमा पार प्रवाह से जल विवाद की संभावनाएँ।
- अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD), सार्क (SAARC) जैसे मंचों पर क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।

आपदा जोखिम में वृद्धि

- ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOF) जैसी घटनाओं में वृद्धि।
- अचानक बाढ़ एवं भूस्खलन से मानव जीवन व अवसंरचना पर खतरा।

मानव स्वास्थ्य एवं जीवनशैली पर प्रभाव

- जल संकट से पेयजल की गुणवत्ता पर प्रभाव।
- पर्वतीय पर्यटन, शीतकालीन खेल, पशुपालन जैसी गतिविधियों पर प्रभाव।

नीतिगत सुझाव

- **देशी वृक्ष प्रजातियों द्वारा पुनर्वनीकरण :** देशज व स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के माध्यम से पुनर्वनीकरण हिम क्षेत्र में भूमि की नमी बनाए रखने और हिम स्थायित्व में सहायक हो सकता है। यह प्रक्रिया बर्फ के पिघलने की दर को धीमा करती है जिससे गर्मियों में जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
- **मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण :** बेहतर मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ जल संकट के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।
  - यह स्थानीय समुदायों को समय रहते तैयारी करने और संसाधनों के समुचित प्रबंधन में सक्षम बनाती हैं।
- **जल अवसंरचना का आधुनिकीकरण :** जल अवसंरचना में सुधार जैसे माइक्रो-इरिगेशन, जल संचयन संरचनाएँ और वितरक नेटवर्क उपाय दीर्घकालिक अनुकूलन के लिए अनिवार्य हैं।
- **हिमक्षेत्रीय नीति एवं संरक्षण :** हिमपात एवं बर्फबारी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लक्षित नीतियाँ विकसित की जानी चाहिए ताकि ये क्षेत्र अव्यवस्थित विकास, वनों की कटाई व पर्यावरणीय क्षरण से सुरक्षित रह सकें।
- **सामुदायिक भागीदारी एवं क्षेत्रीय सहयोग :** स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर समुदायों की सहभागिता निर्णय-निर्धारण में अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, क्षेत्रीय मंचों जैसे ICIMOD और SAARC पर्यावरण योजना के माध्यम से देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

हिंदूकुश हिमालय में घटती हिम स्थायित्व से निपटना केवल वैज्ञानिक या पर्यावरणीय चुनौती नहीं है, बल्कि यह नीति, सामाजिक भागीदारी एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक जटिल परत भी है। इस संकट के समाधान के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण व दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।

हिंदूकुश हिमालय से संबंधित प्रमुख तथ्य

- **परिचय :** हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र एशिया का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र है जिसे प्राय: 'तीसरा ध्रुव' (Third Pole) कहा जाता है।
  - यह अंटार्कटिका एवं आर्कटिक के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिम भंडार है।
- **विस्तार :** यह पर्वतीय क्षेत्र लगभग 3,500 किमी. में 8 देशों, यथा- अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन (तिब्बत क्षेत्र), बांग्लादेश एवं म्याँमार में विस्तारित है।
- **नदी स्रोत :** सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांग्त्जी, साल्विन, मेकांग, इरावदी नदी, तारिम, आमू दरिया आदि

डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो-कॉन्टिनेंट : एक नया महाद्वीप

- स्वीडन एवं कनाडा के वैज्ञानिकों की टीम ने ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच डेविस स्ट्रेट में एक नया महाद्वीप खोजने का दावा किया है जिसे 'डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो-कॉन्टिनेंट' नाम दिया गया है।
- यह खोज प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics) एवं उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास को समझने में महत्त्वपूर्ण है।

विशेषताएँ

- **भौगोलिक अवस्थिति :** डेविस स्ट्रेट (ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप (कनाडा) के बीच)
  - **संबंधित जल निकाय :** लैब्राडोर सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर।

- **निर्माण अवधि :** यह क्षेत्र मेसोज़ोइक युग (लगभग 145 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व) के दौरान पैंजिया महाद्वीप के टूटने के समय बना।
  - टेक्टॉनिक प्लेटों की गति के कारण यह भूखंड मुख्य महाद्वीपों से अलग होकर समुद्र में डूब गया।
  - इसकी भू-आकृतिक संरचना सामान्य महासागरीय पृष्ठभूमि से भिन्न है। यह ज़्यादा मोटा, पुराना एवं कम सघन है।
- **भू-आकृतिक संरचना :** यह एक अर्द्ध-विभाजित एवं जलमग्न माइक्रो-कॉन्टिनेंट है जिसकी मोटाई लगभग 19 किमी. है।

महत्त्व

- **प्लेट विवर्तनिकी को समझना :** यह खोज विभिन्न कालावधि में महाद्वीपीय विखंडन की जानकारी प्रदान करती है।
- **ऊर्जा संसाधन खोज :** इस क्षेत्र में तेल एवं गैस के भंडार की संभावना को लेकर अध्ययन जारी हैं।
- **भूवैज्ञानिक इतिहास का पुनर्निर्माण :** पृथ्वी की संरचना और विकासक्रम को समझने में सहायता।
- **भविष्य के अनुसंधान :** यह क्षेत्र भूगर्भीय अनुसंधान और संभावित ऊर्जा संसाधनों की खोज के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

चर्चित स्थल

माउंट कनलाओन

फिलीपींस स्थित एक स्ट्रैटोज्वालामुखी 'माउंट कनलाओन' में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है और वहाँ निकासी के लिए प्रोटोकॉल लागू हो गए। यह हाल के महीनों में प्रशांत अग्नि मेखला (Pacific Ring of Fire) में दूसरा बड़ा विस्फोट है।

माउंट कनलाओन (Mount Kanlaon) के बारे में

- **क्या है :** एक सक्रिय एंडेसिटिक स्ट्रैटोज्वालामुखी
  - एंडेसिटिक (Andesitic) ज्वालामुखीय चट्टान या मैग्मा का एक प्रकार है जिसमें लगभग 60% सिलिका होती है। यह सिलिकारहित बेसाल्ट और सिलिका-समृद्ध रायोलाइट के बीच का मध्यवर्ती प्रकार है।
  - यह प्राय: स्ट्रैटोज्वालामुखी एवं क्षेपण (Subduction) क्षेत्रों के निर्माण से संबंधित है।
- **अवस्थिति :** फिलीपींस के नीग्रोस ऑक्सिडेंटल एवं नीग्रोस ओरिएंटल प्रांतों में विस्तृत नीग्रोस द्वीप पर स्थित
- **ऊँचाई :** विसायस (Visayas) की सबसे ऊँची चोटी और विश्व स्तर पर 42वीं सबसे ऊँची द्वीप चोटी
  - विसायस फिलीपींस के तीन मुख्य द्वीपसमूहों में से एक है।
- **मुख्य विशेषताएँ :** लुगुड क्रेटर (Lugud Crater) एवं मार्गजा कैल्डेरा (Margaja Caldera), कनलाओन नेचुरल पार्क तथा मम्बुकल हॉट स्प्रिंग्स जैसी भूतापीय सुविधाओं की मौजूदगी

प्रशांत अग्नि मेखला

- प्रशांत अग्नि मेखला (Pacific Ring of Fire) को सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। यह प्रशांत महासागर में एक वृत्ताकार भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जहाँ विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं।
- इसका प्रमुख कारण प्लेट के क्षेपण (Subduction) की प्रक्रिया है जहाँ सघन महासागरीय प्लेटें हल्की महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेटों के नीचे धँस जाती हैं। इसमें प्रशांत, फिलिपीनी, नाज़्का, कोकोस, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिकी जैसी मुख्य प्लेट्स शामिल हैं।

रामगढ़ झील पुनरुद्धार परियोजना

- राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रामगढ़ झील पुनरुद्धार परियोजना का शिलान्यास किया। इससे जल संकट से राहत, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा, इतिहास एवं संस्कृति का संरक्षण और कृषि में सहायता मिलेगी।

- इस परियोजना का कार्यान्वयन पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (रामजल सेतु) परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के अंतर्गत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में भी शामिल किया गया है।

रामगढ़ झील के बारे में

- **अवस्थिति :** जयपुर से 32 किमी. दूर
- **निर्माण :** वर्ष 1876 में जयपुर के तत्कालीन शासक सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा
- **क्षेत्रफल :** 15.5 वर्ग किमी.

अन्य प्रमुख बिंदु

- वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की नौकायन स्पर्द्धाएँ इसी झील में आयोजित की गई थीं।
- झील और आसपास के इलाकों के सघन वन को भारत सरकार ने वर्ष 1982 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था।
- यह अभयारण्य खटियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है जो चीतल और नीलगाय सहित वन्यजीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का आवास है। यहाँ एक पुराने किले और जमवाय माता मंदिर के खंडहर हैं।

चर्चित समुदाय

कोच-राजबोंगशी समुदाय

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कोच-राजबोंगशी समुदाय के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित 28,000 मामलों को वापस लेने की घोषणा की है।

कोच-राजबोंगशी समुदाय के बारे में

- **परिचय :** यह पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का एक स्थानीय समुदाय है जो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, नेपाल, बांग्लादेश व भूटान में बसा हुआ है।
  - इन्हें वर्तमान असम में 'कोच-राजबोंगशी', पश्चिम बंगाल में 'राजबोंगशी', मेघालय में 'कोच' और नेपाल में 'राजबंशी' के नाम से जाना जाता है।
- **मूल निवास :** यह मूल रूप से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के निचले भाग के निवासी हैं।
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति :** इस समुदाय के लोग अपनी उत्पत्ति कामतापुर साम्राज्य (650 ई. से 1494 ई.) से जोड़ते हैं।
  - यह साम्राज्य वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल एवं बांग्लादेश के कुछ हिस्से में विस्तृत था।
- **आबादी :** असम में लगभग 25 लाख कोच-राजबोंगशी हैं जो निचले असम, गोलाघाट, कालियाबोर, बरहामपुर, मोरीगाँव, जोनाई एवं लखीमपुर में फैले हुए हैं।
- **भाषाएँ :** राजबोंगशी भाषा एवं कोच भाषा
- **आजीविका :** प्राथमिक आजीविका स्रोत कृषि है और वे प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं।
- **अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग :** यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग करने वाले असम के छह समुदायों में से एक हैं।
  - **अन्य पाँच समुदाय :** अहोम, चुटिया, मटक, आदिवासी (चाय जनजाति) व मोरन
  - 29 फरवरी, 2016 को गृह मंत्रालय द्वारा इन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

हालिया मुद्दा

- असम मंत्रिमंडल ने कोच-राजबोंगशी समुदाय के खिलाफ विभिन्न विदेशी न्यायाधिकरणों में दर्ज लगभग 28,000 मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
- इस निर्णय से इन लोगों पर से 'डी' या संदिग्ध मतदाता (Doubtful Voters : 'D' Voters) का टैग प्रभावी रूप से हट जाएगा।
  - 'डी' मतदाता वे होते हैं, जिन्हें सरकार ने विश्वसनीय नागरिकता दस्तावेज़ों की कमी के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया है।
- इस निर्णय से यह समुदाय भारत के नागरिक के रूप में अपने अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और आगामी विधान सभा चुनाव (2026) में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
- असम सरकार का मानना है कि कोच-राजबोंगशी एक स्वदेशी समुदाय हैं और असम की संस्कृति का एक अनिवार्य अंग हैं।

विदेशी न्यायाधिकरण (Foreign Tribunals)

- असम में 100 विदेशी न्यायाधिकरण हैं जिनकी स्थापना वर्ष 1946 के विदेशी अधिनियम और 1964 के विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश के तहत अवैध अप्रवासी संदिग्ध व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए की गई थी।
- न्यायाधीशों/अधिवक्ताओं को इन न्यायाधिकरणों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- असम राज्य में अभी तक विदेशी न्यायाधिकरणों ने 1,59,353 लोगों को विदेशी घोषित किया है।

❑❑❑

कृषि

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण

संदर्भ

केंद्रीय कैबिनेट ने देश में सिंचाई ढाँचे को मज़बूत करने और किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए 'कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण' (M-CADWM) योजना को मंज़ूरी दी है।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण

- **परिचय :** यह योजना 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)' के तहत एक उप-योजना है।
- **उद्देश्य**
  - खेतों तक पानी पहुँचाने वाली प्रणाली का आधुनिकीकरण करना
  - पानी का कुशल एवं न्यूनतम उपयोग करना
  - छोटे किसानों को सिंचाई सुविधा देना
  - खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाना
  - युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ना
- **बजट परिव्यय :** ₹1,600 करोड़ रुपए
- **समयावधि :** वर्ष 2025 से वर्ष 2026 तक की अवधि के लिए
- **नोडल मंत्रालय :** जल शक्ति मंत्रालय

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **आधुनिक तकनीकों का प्रयोग :** इसके तहत पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (SCADA) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा जिससे जल-उपयोग दक्षता में सुधार किया जा सके।
- **भूमिगत दबावयुक्त पाइप प्रणाली :** खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में आसानी से पानी के पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके।
- **सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा :** इसमें ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर पानी की बचत को बढ़ावा दिया जाना शामिल है।
- **जल उपयोगकर्ता समितियों को सशक्त बनाना :** इस योजना के तहत जल उपयोगकर्ता समितियों (WUSs) को सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण (IMT) का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इन समितियों को स्वतंत्र रूप से सिंचाई परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार मिलता है।
- **किसान संगठनों से जोड़ना :** इस योजना के तहत जल उपयोगकर्ता समितियों (WUSs) को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) से जोड़ा जाएगा जिससे किसानों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
- **युवाओं के लिए अवसर :** यह योजना युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने का भी कार्य करेगी जिसमें आधुनिक तकनीक और रोज़गार के नए अवसर शामिल हैं।

महत्त्व

प्रारंभिक रूप से यह स्वीकृति देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए दी गई है। इन परियोजनाओं के डिज़ाइन एवं संरचना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए अप्रैल 2026 से कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- **आरंभ :** 1 जुलाई, 2015
- **मंत्रालय :** जल शक्ति मंत्रालय
- **उद्देश्य :**
  - खेतों तक पानी की पहुँच बढ़ाना
  - सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना
  - खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना
  - स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना
- **शामिल घटक**
  - **जलस्रोतों का विकास :** तालाब, चेक डैम एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना
  - **जल वितरण प्रणाली का विस्तार :** नहरों, पाइपलाइनों आदि के माध्यम से खेतों तक पानी पहुँचाना
  - **सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विस्तार :** ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाकर पानी की बचत करना
  - **जल प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण :** किसानों को प्रशिक्षण देकर जल प्रबंधन की समझ बढ़ाना

चावल में आर्सेनिक का बढ़ता स्तर

संदर्भ

द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है जो वर्ष 2050 तक एशियाई देशों में कैंसर के करोड़ों मामलों का कारण बन सकता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- अध्ययन के अनुसार, बढ़ता तापमान एवं कार्बन डाइ-ऑक्साइड का स्तर मृदा की रासायनिक संरचना को इस प्रकार बदल रहा है कि आर्सेनिक की उपलब्धता व अवशोषण क्षमता चावल के पौधों में अधिक हो गई है।
    - यह प्रभाव मृदा की रासायनिक संरचना एवं जल निकासी प्रणाली पर निर्भर करता है।
- चावल उगाने के दौरान दूषित मृदा एवं सिंचित जल से चावल में अकार्बनिक आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है।
- अनुमान है कि वर्ष 2050 तक चीन में 1.34 करोड़ कैंसर के मामले केवल आर्सेनिकयुक्त चावल के सेवन से हो सकते हैं।
- सर्वाधिक जोखिम चीन, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, म्याँमार, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस में है जहाँ चावल मुख्य खाद्य है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- अध्ययन के अनुसार, आर्सेनिक के स्तर में वृद्धि कैंसर के अलावा हृदय रोग, मधुमेह जैसे अन्य स्वास्थ्य जोखिमों को भी बढ़ा सकती है।
- आर्सेनिक के संपर्क में आने से तंत्रिका-विकास संबंधी समस्याएँ व गर्भावस्था एवं प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

चावल में बढ़ते आर्सेनिक के स्तर को कम करने के सुझाव

कृषि क्षेत्र में सुधार

- कम आर्सेनिक अवशोषण करने वाली धान की किस्मों का विकास।
- जल प्रबंधन तकनीकों को अपनाना (जैसे- Alternate Wetting and Drying : AWD)
- जैविक खेती एवं मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना

जन स्वास्थ्य पहल

- आहार विविधता को बढ़ावा देना, ताकि चावल पर निर्भरता घटे।
- खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल एवं सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

नीतिगत पहल

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आर्सेनिक निगरानी को शामिल करना।
- ICAR एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- जलवायु परिवर्तन एवं कृषि स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में समन्वित रणनीति बनाना।

आर्सेनिक के बारे में

- **क्या है :** पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रासायनिक तत्त्व
    - हालाँकि, यह कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। यह एक विषैला पदार्थ है जो मृदा, जल एवं वायु में मौजूद हो सकता है।
    - इसका प्रतीक As और परमाणु संख्या 33 है।
- **आर्सेनिक के दो मुख्य रूप हैं :** कार्बनिक एवं अकार्बनिक
    - **कार्बनिक आर्सेनिक :** यह आर्सेनिक ऐसे यौगिकों में होता है जो कार्बन से जुड़ा होता है। यह समान्यत: मछली, केकड़ा, झींगा आदि समुद्री जीवों में पाया जाता है।
    - यह आमतौर पर कम विषैला (Less Toxic) होता है।
    - **अकार्बनिक आर्सेनिक :** यह आमतौर पर भू-जल, मृदा, चट्टानों, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक आदि में पाया जाता है।
    - यह अत्यधिक विषैला एवं कैंसरजन्य (Highly Toxic and Carcinogenic) होता है जिसके लंबे समय तक सेवन से कैंसर के अलावा मधुमेह, त्वचा रोग आदि का जोखिम होता है।

भूमि पुनरुद्धार साझेदारी

संदर्भ

ब्रिक्स समूह ने 'ब्रिक्स भूमि पुनरुद्धार साझेदारी' की शुरुआत करते हुए वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को निष्पक्ष, समावेशी, नवीन एवं टिकाऊ बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है।

भूमि पुनरुद्धार साझेदारी के बारे में

- ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने इस कदम का समर्थन किया।
- **उद्देश्य :** भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण एवं मृदा उर्वरता हानि के मुद्दों का समाधान करना
- **प्रमुख तत्त्व**
    - खाद्य सुरक्षा
    - जलवायु अनुकूलन
    - महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तीकरण
    - सतत् मत्स्यपालन एवं पशुधन विकास
    - मृदा एवं भूमि बहाली
    - डिजिटल कृषि प्रमाणन
    - वैश्विक दक्षिण की कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय एवं व्यापार तंत्र को बढ़ावा

साझेदारी के लाभ

- ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना और सदस्य देशों में संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख लाभ हैं :

पर्यावरणीय स्थिरता

- **भूमि क्षरण का मुकाबला :** यह क्षरित भूमि की उर्वरता को बहाल करने के साथ ही मरुस्थलीकरण का मुकाबला करती है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में वृद्धि करती है।
- **जैव-विविधता का समर्थन :** प्राकृतिक आवासों की पुनर्बहाली के माध्यम से वनस्पतियों एवं जीवों के संरक्षण में योगदान देती है।
- **जलवायु शमन :** पुनर्बहाल की गई भूमि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सहायक है।

खाद्य एवं जल सुरक्षा

- **कृषि उत्पादकता में वृद्धि :** बेहतर मृदा स्वास्थ्य फसल की पैदावार को बढ़ाती है जो विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए फायदेमंद है।
- **जल प्रतिधारण में सुधार :** स्वस्थ मृदा अपवाह को कम करती है और भू-जल पुनर्भरण में वृद्धि कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

आर्थिक विकास

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का सशक्तीकरण :** भूमि बहाली कृषि वानिकी, वाटरशेड विकास एवं पारिस्थितिकी बहाली परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित करती है।
- **स्थायी आजीविका :** टिकाऊ खेती एवं संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से आय सृजन के समर्थन से ग्रामीण निर्धनता में कमी आती है।

समावेशी विकास

- **लघु एवं सीमांत किसानों पर केंद्रित :** भारत ने इस साझेदारी के माध्यम से हाशिए पर स्थित समुदायों को बहाली मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर बल दिया है।
- **सामुदायिक भागीदारी :** यह नियोजन एवं कार्यान्वयन में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित कर लचीलापन व स्वामित्व को बढ़ाती है।

भू-राजनीतिक सहयोग

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूती :** यह समान पारिस्थितिक चुनौतियों वाले विकासशील देशों के बीच एकजुटता एवं संसाधन साझाकरण को बढ़ाती है।
- **नीति सामंजस्य :** यह सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों एवं डाटा के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर पर्यावरण शासन में अभिसरण को बढ़ावा देती है।

वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण

- **SDG 15 (भूमि पर जीवन) का समर्थन :** भूमि क्षरण को रोकने एवं भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने में योगदान।
- **संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक (2021-2030) का समर्थन :** निम्नीकृत पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की दिशा में वैश्विक गति को मज़बूती।

भारतीय कपास निगम

भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India : CCI) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) परिचालन के अंतर्गत 32.84 लाख बेल कपास की खरीद की, जिससे लगभग 7.25 लाख किसानों को सीधा लाभ हुआ है।

भारतीय कपास निगम (CCI) के बारे में

- **क्या है :** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनीरत्न उपक्रम
- **स्थापना :** 31 जुलाई, 1970 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत
- **उद्देश्य :** कपास उगाने वाले सभी क्षेत्रों में कपास किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा करना और भारत में कपड़ा उद्योग को अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति सुनिश्चित करना
- **प्रमुख भूमिका :**
  - बिना किसी मात्रात्मक सीमा के मूल्य समर्थन परिचालन करना
  - घरेलू कपड़ा उद्योग की कच्चे माल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कपास खरीदना
  - कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन III एवं IV के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करना
  - 12 कपास उत्पादक राज्यों में 400 से अधिक खरीद केंद्रों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करना
- **प्रमुख पहल :** मूल्य समर्थन संचालन, घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की खरीद और कस्तूरी कपास भारत कार्यक्रम

इसे भी जानिए!

- विश्व में कपास उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है।
- भारत में लगभग 11.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती होती है।
- वर्ष 2022-23 में भारत ने 343.47 लाख गांठ (5.84 मिलियन मीट्रिक टन) कपास का उत्पादन किया। यह वैश्विक उत्पादन का लगभग 23.83% है।
- भारतीय कपास उद्योग लगभग 60 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करता है।
- कपास वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।
- प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं।

उद्योग

उद्योगों की ब्लू श्रेणी

संदर्भ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने आवश्यक पर्यावरण सेवाओं (EES) से संबंधित उद्योगों के लिए 'ब्लू श्रेणी' (Blue Category) नामक एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

उद्योगों की ब्लू श्रेणी के बारे में

- 'ब्लू श्रेणी' उद्योग ऐसे उद्योगों के लिए एक नई श्रेणी है जो पर्यावरणीय सेवाओं के प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, जैसे– कचरा प्रबंधन, बायोगैस उत्पादन, सीवेज उपचार आदि।
- यह नया वर्गीकरण अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक (Waste-to-Energy Incinerators) उद्योगों को ब्लू श्रेणी में शामिल करने के कारण विवादास्पद रहा है जिन्हें पहले 'रेड श्रेणी' (उच्च प्रदूषण करने वाला उद्योग) के तहत रखा गया था।
- अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक उद्योगों को इस श्रेणी में शामिल करना प्रदूषण के दृष्टिकोण से एक गलत कदम सिद्ध हो सकता है क्योंकि ये उद्योग अत्यधिक CO_2 उत्सर्जन करते हैं और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हानिकारक होते हैं।

ब्लू श्रेणी के उद्योगों की मुख्य विशेषताएँ

- **आवश्यक सेवा :** इन उद्योगों को आवश्यक पर्यावरण सेवाओं (EES) के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **कम प्रदूषण :** ब्लू श्रेणी के उद्योगों को उन उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।
- **संवेदनशीलता :** हालाँकि, ये उद्योग प्रदूषण कम करने के दावे करते हैं किंतु, इनमें से कुछ उद्योग प्रदूषण के मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव :** ब्लू श्रेणी के उद्योगों में अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक उद्योगों का समावेश किया गया है जो वस्तुत: प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं।

शामिल उद्योग

ब्लू श्रेणी में शामिल होने वाले उद्योगों में अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक, बायोगैस संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र एवं अन्य कचरा प्रबंधन सेवाएँ शामिल हैं।

रंग-आधारित औद्योगिक वर्गीकरण पद्धति

- वर्ष 2016 में सी.पी.सी.बी. ने 'उद्योगों के पुनर्वर्गीकरण' ढाँचे के तहत उद्योगों का रंगों के आधार पर वर्गीकरण शुरू किया।
  - इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा सशक्त किया गया।
- सी.पी.सी.बी. ने औद्योगिक वर्गीकरण को एक रंग-आधारित प्रणाली में विभाजित किया है जिसमें 'श्वेत', 'हरा', 'नारंगी' एवं 'लाल' श्रेणियाँ शामिल हैं।
- इसमें श्वेत श्रेणी न्यूनतम प्रदूषण करने वाले उद्योगों को दर्शाती है, जबकि लाल श्रेणी सर्वाधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों को दर्शाती है।

वर्गीकरण आधार

- **प्रदूषण सूचकांक (PI) :** 0 से 100 तक
  - 0–20 : श्वेत (न्यूनतम प्रदूषणकारी)
  - 21–40 : हरा
  - 41–59 : नारंगी
  - 60–100 : लाल (सर्वाधिक प्रदूषणकारी)

मुख्य चुनौतियाँ

- **उत्सर्जन का उच्च स्तर :** अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक उद्योगों से CO_2 का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक है।
- **स्वास्थ्य प्रभाव :** इन उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायन और प्रदूषक वायुमंडल में फैलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
- **सर्कुलर इकोनॉमी का उल्लंघन :** अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक उद्योग सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हैं जो कचरे के पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

समाधान

- **स्मार्ट और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का उपयोग :** अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक के बजाय अन्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा।
- **कचरा पुनर्चक्रण :** कचरे को पुन: उपयोग में लाने के बजाय जलाना प्रदूषण को बढ़ाता है, इसलिए कचरा पुनर्चक्रण और संसाधन पुन: उपयोग पर ज़ोर देना चाहिए।
- **सार्वजनिक जागरूकता :** लोगों को प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वे ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों का विरोध करें और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहतर विकल्प चुनें।

❑❑❑

अवसंरचना

प्लास्टिक पार्क योजना

संदर्भ

नवीन पेट्रोकेमिकल्स योजना की छत्रक योजना के अंतर्गत भारत सरकार का रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग प्लास्टिक पार्क योजना को क्रियान्वित कर रहा है।

प्लास्टिक पार्क योजना के बारे में

- **परिचय :** यह देश के प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग को संगठित करने, निवेश, उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित क्लस्टर-आधारित योजना है।
- **क्या है प्लास्टिक पार्क :** प्लास्टिक पार्क एक ऐसा विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसे विशेष तौर पर प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों के लिए विकसित किया गया है।
  - यहाँ अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ सामान्य सुविधाएँ, जैसे- अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण केंद्र, जल उपचार संयंत्र आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - ये पार्क क्लस्टर विकास मॉडल पर आधारित होते हैं जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और उद्योगों को लागत में लाभ मिले।
- **नोडल निकाय :** इस योजना को रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
  - राज्य सरकारें विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन में भाग लेती हैं।
- **वित्तीय आवंटन :** केंद्र सरकार प्रत्येक प्लास्टिक पार्क परियोजना को अधिकतम ₹40 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50% हो सकता है। यह अनुदान साझा अवसंरचना के निर्माण के लिए होता है।
- **विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक पार्क :** अब तक विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्कों को मंज़ूरी दी गई है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- **प्रतिस्पर्द्धात्मकता और गुणवत्ता में सुधार :** आधुनिक तकनीक व अनुसंधान के ज़रिए घरेलू प्लास्टिक उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाना।
- **निवेश और निर्यात में बढ़ोतरी :** बेहतर सुविधाओं के साथ निवेश को आकर्षित करना और निर्यात क्षमता बढ़ाना।
- **पर्यावरणीय स्थिरता :** अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल विकास सुनिश्चित करना।
- **क्लस्टर विकास मॉडल :** संसाधनों का संयुक्त उपयोग और लागत में कमी सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर-आधारित विकास।

प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें प्रस्तावित स्थान, वित्तीय विवरण आदि के साथ प्रारंभिक प्रस्ताव भेजती हैं।
- योजना संचालन समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत की जाती है।
- विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद अंतिम मंज़ूरी दी जाती है।

योजना के लाभ

- प्लास्टिक उद्योग को एकीकृत और संगठित करने में सहायक
- छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बेहतर सुविधाएँ
- निवेश और रोज़गार के अवसरों मे वृद्धि
- अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण की सुविधाओं से पर्यावरणीय लाभ

भारत में प्लास्टिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य पहलें

- **उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence- CoE) :** देशभर में 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं जो प्लास्टिक व पॉलिमर में अनुसंधान, सतत् विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
- **कार्यबल का कौशल विकास :** सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) प्लास्टिक तकनीक में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।
- **पर्यावरणीय पहल :**
  - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) नियमों के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग को बढ़ावा।
  - एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध।
  - चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन जिसमें पुनर्चक्रण एवं बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का उपयोग शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** भारत WTO, UNEP एवं ISO जैसे संगठनों के साथ समन्वय में कार्य कर रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन

संदर्भ

वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना के मूल में समावेशी विकास है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास हर नागरिक, हर व्यवसाय एवं हर क्षेत्र तक पहुँचे। इसके लिए निर्बाध आपूर्ति शृंखलाओं से लेकर अंतिम-मील कनेक्टिविटी तक एक कुशल एवं स्केलेबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की आवश्यकता है।

भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर द्वारा कार्बन उत्सर्जन

- एक समावेशी लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बुनियादी ढाँचा, दक्षता एवं पहुँच महत्त्वपूर्ण है। साथ ही, भविष्य के लिए तैयार, लचीले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्यावरण और इसकी प्राथमिकताएँ भी आवश्यक हैं।
- वर्तमान में भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर दुनिया में सर्वाधिक कार्बन-गहन है। देश के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इसका हिस्सा लगभग 13.5% है।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कुल उत्सर्जन में सड़क परिवहन का हिस्सा लगभग 88% से अधिक है।
  - घरेलू विमानन का योगदान लगभग 4% है।
  - तटीय एवं अंतर्देशीय शिपिंग उत्सर्जन भार में वृद्धि करता है किंतु, यह सड़क माल ढुलाई की तुलना में काफी कम है।
- जैसे-जैसे देश वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे परिवहन, वेयरहाउसिंग एवं आपूर्ति शृंखला उत्सर्जन को कम करना अनिवार्य है।

सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता

सरकारी नीतियों में वर्ष 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल एवं यात्री और तटीय शिपिंग कार्गो आवागमन में तेज़ी से विस्तार की परिकल्पना की गई है। यह वृद्धि आर्थिक गति में वृद्धि करने के साथ ही इसकी मापनीयता एवं स्थिरता लक्ष्यों को भी बनाए रखने में सहायक है।

रेल परिवहन

- चीन एवं अमेरिका जैसे देश माल परिवहन को सड़क से रेल पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर रहे हैं क्योंकि सड़क परिवहन की तुलना में रेल माल ढुलाई उत्सर्जन को काफी कम करती है।
- भारत में उत्सर्जन कम करने और दक्षता में सुधार के लिए माल परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने पर बल देना चाहिए।
  - रेल मार्ग के विद्युतीकरण से यह परिवहन का अधिक टिकाऊ, लगभग शून्य-कार्बन उत्सर्जन वाला माध्यम बन सकता है।

सड़क परिवहन

- सड़क माल परिवहन को स्वच्छ बनाने के लिए एक केंद्रित संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक ट्रकों को बिजली देने के लिए राजमार्गों पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार लगाने की घोषणा की है।
  - इस संबंध में दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर पर पहला पायलट प्रोजेक्ट उच्च दक्षता एवं आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए माल ढुलाई से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में एक सफलता हो सकती है।

जल परिवहन

- तटीय शिपिंग एवं अंतर्देशीय जलमार्गों में डीकार्बोनाइज़ेशन की अपार संभावनाएँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का लक्ष्य वर्ष 2008 के स्तर की तुलना में वर्ष 2050 तक वैश्विक शिपिंग उत्सर्जन में 50% की कटौती करना है।
  - इसके लिए शिपिंग उद्योग को अमोनिया, हाइड्रोजन, LNG, जैव-ईंधन, मेथेनॉल एवं बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- भारत LNG-संचालित जहाज़ों, सौर-सहायता, इलेक्ट्रिक या जैव-ईंधन चालित नौकाओं को पेश करके अपने हरित संक्रमण को तेज़ कर सकता है। उत्सर्जन में कटौती करने वाले ये कदम माल ढुलाई को कुशल एवं टिकाऊ बनाए रख सकते हैं।

वायु परिवहन

परिष्कृत ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वायु परिवहन में डीकार्बोनाइज़ेशन एक व्यापक चुनौती प्रस्तुत करता है। हालाँकि, संधारणीय विमानन ईंधन में प्रगति और अन्य परिवहन साधनों में दक्षता में सुधार उत्सर्जन को ऑफसेट करने में मदद कर सकता है।

वेयरहाउस

- उच्च ऊर्जा खपत के कारण वेयरहाउसिंग कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है।
  - सौर, पवन एवं भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से वेयरहाउस के कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprints) में भारी कटौती हो सकती है।

निष्कर्ष

- भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन उत्सर्जन में कटौती करने के साथ ही, एक अधिक प्रतिस्पर्द्धी, लचीला एवं भविष्य के लिए तैयार उद्योग के निर्माण से संबंधित है।
- रेल माल ढुलाई को बढ़ाकर, सड़क परिवहन को विद्युतीकृत करके, स्वच्छ समुद्री ईंधन को अपनाकर और गोदामों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाकर, भारत निम्न पर्यावरणीय प्रभाव के साथ एक उच्च प्रदर्शन करने वाला लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बना सकता है।
- वर्तमान में देश को सही नीतियों एवं निवेशों के साथ एक स्वच्छ, हरित व अधिक कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करने पर बल दिया जाना चाहिए।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का उन्नयन

संदर्भ

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जो बढ़ते निवेश, डिजिटल परिवर्तन एवं मज़बूत नीतिगत पहलों से प्रेरित है। इस क्षेत्र की अद्वितीय विकास क्षमता निजी इक्विटी निवेश में उछाल तथा वेयरहाउस की क्षमता दरों में उल्लेखनीय वृद्धि में परिलक्षित होती है।

भारत का बढ़ता लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

लॉजिस्टिक्स हब के विकास में गति

- वर्तमान में चेन्नई, मुंबई, पुणे एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बने हुए हैं।
- लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स इन प्रमुख बाज़ारों में वेयरहाउस एवं पूर्ति केंद्र विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के अवसरों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं।
- वर्तमान में कई मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है और उन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जा रहा है।
  - इससे अंततः परिवहन लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल ट्विन को अपनाना

तकनीकी प्रगति के साथ ही उद्योग द्वारा 'डिजिटल ट्विन्स' को अपनाने से लॉजिस्टिक्स उद्योग को गोदाम संचालन एवं इन्वेंट्री और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी।

क्विक-कॉमर्स का विकास

- क्विक-कॉमर्स (Q-Commerce) प्लेटफॉर्म शहरी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला रहे हैं जिसके अगले 2-3 वर्षों में तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है।
- इसने तीव्र डिलीवरी व इन्वेंट्री प्रबंधन में सुधार करने तथा परिवहन लागत में कमी लाने के लिए शहर में वितरण केंद्रों की मांग को काफी हद तक बढ़ा दिया है।
- अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा से प्रेरित 'क्यू-कॉमर्स' वर्ष 2025 में स्वचालित वेयरहाउसिंग के साथ-साथ एआई-संचालित वैयक्तिकरण (Personalization) और गैर-किराना श्रेणियों में तेज़ी से विस्तार की संभावना है।
- उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए इसका मुख्य फोकस तीव्र डिलीवरी नवाचारों पर होगा जो भारतीय वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास पर अनुकूल प्रभाव डालेगा।

कोल्ड चेन अवसंरचना का तीव्र विकास

- बढ़ती संगठित खुदरा श्रृंखलाओं, त्वरित सेवा रेस्तरां (Quick Service Restaurants) की तेज़ वृद्धि, समग्र रूप से वृद्धिशील खाद्य खपत, अंतिम-मील डिलीवरी, फॉर्म-टू-फोर्क आपूर्ति श्रृंखला अवधारणा और फार्मास्युटिकल उन्नति के साथ वर्ष 2025 में भारत की कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स आवश्यकता तेज़ी से बढ़ेगी।
- वर्तमान में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष के अंत तक टियर 1, 2 एवं 3 शहरों में ऐसी कई सुविधाओं की तैनाती की जाएगी।

संचालन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अभूतपूर्व गति से प्रौद्योगिकी को एकीकृत कर रहा है। वर्ष 2025 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का बढ़ता उपयोग शिपमेंट की वास्तविक समय ट्रैकिंग एवं खराब होने वाले शिपमेंट की निगरानी व नियंत्रण को सक्षम करके लॉजिस्टिक्स दक्षता में निरंतर वृद्धि कर रहा है।
- इन्वेंट्री प्रबंधन में रोबोटिक्स को अपनाना और वेयरहाउस प्रबंधन में ब्लॉकचेन का उपयोग चालू वर्ष एवं उसके बाद सुरक्षा, दक्षता व सटीकता के नए स्तर जोड़ेगा।

संधारणीयता पर केंद्रित पहल

- भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग पारंपरिक रूप से इतर वर्तमान में सभी मोर्चों पर बदलावों को अपना रहा है। इसके तहत कार्बन उत्सर्जन में कमी, पैकेजिंग समाधानों को अनुकूलित करने और अपव्यय को कम करने के लिए संधारणीय प्रथाओं को अपनाना शामिल हैं।
- आपूर्ति केंद्रों एवं गोदामों को बिजली देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, अंतिम मील डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े, लॉजिस्टिक्स संचालन में चक्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना और विशाल वेयरहाउसिंग सुविधाएँ कुछ महत्त्वपूर्ण संधारणीय पहल हैं।

विशेष कौशल प्रशिक्षण

- विगत कुछ वर्षों में आपूर्ति श्रृंखला एवं इन्वेंट्री प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति अनुकूलनशीलता पर प्रासंगिक कार्यबल को प्रशिक्षित करने पर अधिक ध्यान दिया गया है।
- कौशल विकास सरकार के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है। यह हाल ही में केंद्रीय बजट में कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणाओं से परिलक्षित होता है जो सामान्य सिद्धांत के बजाय उद्योग के लिए विशेष कौशल प्रदान करेंगे।

लॉजिस्टिक क्षेत्र का जी.डी.पी. में योगदान

- वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 13-14% का योगदान देता है।
- वर्ष 2024 की पहली छमाही में इस सेक्टर को सभी परिसंपत्ति वर्गों में निजी इक्विटी निवेश का 66% हिस्सा प्राप्त हुआ।
- थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3P) प्लेयर्स, ई-कॉमर्स, रिटेल बिज़नेस एवं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मांग लॉजिस्टिक्स स्पेस की मांग में निरंतर वृद्धि कर रही हैं।
- वर्ष 2024 में औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स स्पेस क्षमता में वर्ष-दर- वर्ष लगभग 25% की वृद्धि देखी गई।

भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- अनुपयुक्त इंटरमॉडल परिवहन मिश्रण
  - इंटरमॉडल परिवहन मिश्रण से तात्पर्य कम-से-कम दो अलग-अलग परिवहन साधनों, जैसे- ट्रक, जहाज़, रेलमार्ग एवं हवाई जहाज़ का उपयोग करके माल की आवाजाही से है, जिसमें पारगमन में माल को संभालने की आवश्यकता नहीं होती है।

❖ आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएँ
❖ बढ़ती लागत

लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के प्रयास

❖ पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी सरकारी पहल लॉजिस्टिक क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगी।
❖ केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी और परियोजना नियोजन में निजी क्षेत्र को अधिक समर्थन दिया गया है।
❖ बजट में एयर कार्गो हैंडलिंग के लिए बुनियादी ढाँचे एवं वेयरहाउस के उन्नयन की भी रूपरेखा तैयार की गई है।

निष्कर्ष

मज़बूत नीति समर्थन, बढ़ते निवेश एवं तकनीकी प्रगति के साथ भारत का लॉजिस्टिक्स उद्योग एक बड़े परिवर्तनकारी बदलाव का अनुभव कर रहा है। इससे तकनीक-सक्षम समाधान, स्थिरता एवं कार्यबल विकास में निवेश करने वाली कंपनियों को क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त मिलेगी।

शिपिंग उद्योग पर पहला वैश्विक कार्बन टैक्स

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा शिपिंग उद्योग पर वैश्विक कार्बन टैक्स लगाने के संबंध में निर्णय लिया गया जिस पर भारत समेत 63 देशों ने पक्ष में मतदान किया।

शिपिंग उद्योग पर वैश्विक टैक्स के बारे में

❖ **परिचय :** यह कर (Tax) जहाज़ों को उनके उत्सर्जन तीव्रता के अनुसार 'प्रदूषण करो, भुगतान करो' की नीति पर केंद्रित है।
  - ऐसा पहली बार है जब किसी पूरे वैश्विक उद्योग पर कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है।

शिपिंग उद्योग पर वैश्विक टैक्स का उद्देश्य

❖ **कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना :** IMO का लक्ष्य वर्ष 2030 तक शिपिंग क्षेत्र के उत्सर्जन में कम-से-कम 20% की कमी लाना है।
❖ **स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देना :** यह टैक्स कंपनियों को हरित तकनीकों की ओर प्रोत्साहित करेगा।
❖ **प्रदूषण पर नियंत्रण :** शिपिंग उद्योग से होने वाले प्रदूषण में कमी

टैक्स का क्रियान्वयन

❖ यह नीति वर्ष 2025 से लागू होने की संभावना है।
❖ जहाज़ों को उनके उत्सर्जन की तीव्रता के अनुसार टैक्स देना होगा।
❖ पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने वाले जहाजों को-
  - $380 प्रति टन टैक्स देना होगा जो कि उनके सबसे प्रदूषणकारी हिस्से पर होगा।
  - $100 प्रति टन अन्य अतिरिक्त उत्सर्जन पर।

प्रस्ताव के संदर्भ में विभिन्न देशों की स्थिति

❖ **समर्थक देश :** इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 63 देशों में भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे विकासशील देश शामिल हैं।
❖ **विरोध करने वाले देश :** विरोध करने वाले विभिन्न तेल-समृद्ध देशों में सऊदी अरब, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेज़ुएला आदि शामिल हैं।
❖ अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया और वोटिंग से भी अनुपस्थित रहा।

शिपिंग उद्योग पर वैश्विक टैक्स के लाभ

❖ **समुद्री क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन :** कार्बन कर से प्राप्त समस्त राजस्व को समुद्री क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
❖ **संभावित आय :** वर्ष 2030 तक इस टैक्स से 40 अरब डॉलर तक की आय अनुमानित है।
❖ **कार्बन उत्सर्जन में कमी :** 10% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का अनुमान

शिपिंग उद्योग पर वैश्विक टैक्स की आलोचनाएँ

❖ टैक्स की इस प्रणाली में विकासशील एवं छोटे द्वीपीय देशों के लिए किसी वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि वे जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
❖ IMO का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 20% उत्सर्जन में कमी लाना था किंतु, वर्तमान योजना से केवल 10% कमी ही अनुमानित है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बारे में

❖ **स्थापना :** वर्ष 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत की गई थी और यह वर्ष 1959 से सक्रिय है।
❖ **मुख्यालय :** लंदन, यूनाइटेड किंगडम
❖ **कार्य :**
  - समुद्री परिवहन की सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का निर्माण और निगरानी।
  - जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु शिपिंग क्षेत्र में सुधार करना।

इतिहास, कला एवं संस्कृति

डोकरा धातु शिल्पकला एवं मीनाकारी कला

संदर्भ

- थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा को डोकरा धातु शिल्प से निर्मित पीतल की मयूर नौका उपहार में दी।
- साथ ही, प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा के पति पिटक सुकसावत को मीनाकारी कला से निर्मित बाघ आकृति वाले सुनहरे कफलिंक (Gold Cufflinks) उपहार में दिए।

डोकरा धातु शिल्प : पीतल की मयूर नौका

- **परिचय :** यह ढोकरा डामर जनजातियों द्वारा प्रचलित एक प्राचीन धातु कला है जो लुप्त-मोम ढलाई (Lost-Wax Casting) से बनाई जाती है।
  - इसे ढोकरा या डोकरा कोबेल मेटल क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है।
  - इस कला का नामकरण ढोकरा डामर जनजातियों के नाम पर किया गया है।
    - ये जनजाति ओडिशा व पश्चिम बंगाल के मुख्य पारंपरिक धातुकार हैं।
- **विस्तार क्षेत्र :** यह कला मुख्यत: पूर्वी भारत में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में प्रचलित है।
  - वर्तमान में यह गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण भारत में भी पाई जाती है।
- **जी.आई. टैग :** वर्ष 2018 में तेलंगाना के आदिलाबाद डोकरा को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दिया गया।
- **तकनीक :** लुप्त-मोम ढलाई तकनीक में मोम के सांचे का उपयोग करके धातु की वस्तुएँ बनाई जाती हैं।
- **भारत में प्रयोग :** इस तरह की धातु की ढलाई तकनीक का उपयोग भारत में 4,000 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है।
  - इस तकनीक का उपयोग करके बनाई गई मूर्ति का सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति है।

पीतल की मयूर नौका की विशेषताएँ

- यह नौका छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों द्वारा निर्मित पारंपरिक भारतीय धातु शिल्प का शानदार उदाहरण है।
- शांति से नाव चलाता एक आदिवासी सवार मनुष्यों एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है जो डोकरा कला का एक केंद्रीय विषय है।
- मोर की मूर्ति जटिल पैटर्न एवं रंगीन लाख के जड़ाऊ काम से सुसज्जित है।

मीनाकारी कला के बारे में

- **परिचय :** पक्षियों, फूलों एवं पत्तियों के नाटकीय रूपांकनों में चमकीले रंगों के साथ विभिन्न प्रकार की धातुओं को चित्रित करने या अलंकृत करने की कला
- **उत्पत्ति :** मूल रूप से फारस (ईरान) में
- **भारत में आगमन :** 16वीं सदी में मुगल शासन के साथ
- **प्रचलन :** राजस्थान एवं गुजरात राज्यों में
- **तकनीक :** धातु, पत्थर एवं कपड़ों पर रंग व डिज़ाइन बनाने के लिए काँच के बारीक पाउडर का उपयोग
- **डिज़ाइन :** प्राय: फूल, पत्तियाँ, पक्षी व जानवरों के पैटर्न शामिल
- **रंग :** काले, नीले, हरे, गहरे पीले, लाल, नारंगी एवं गुलाबी जैसे रंग प्रमुख
- **प्रमुख कलाकार :** कुदरत सिंह
  - इनको मीनाकारी कला का जादूगर माना जाता है जिन्हें वर्ष 1968 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कफलिंक्स की विशेषताएँ

- कफलिंक्स में राजसी बाघ के चेहरे वाली आकृति साहस एवं नेतृत्व का प्रतीक है।
- इन्हें सोने की परत के साथ उच्च गुणवत्ता वाली चाँदी से तैयार किया गया है।
- इसमें जीवंत तामचीनी (Enamel) का काम किया गया है जो भारत की समृद्ध आभूषण परंपराओं को दर्शाता है।

सारनाथ मूर्तिकला शैली

संदर्भ

थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न को सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध की पीतल की प्रतिमा भेंट की।

सारनाथ मूर्तिकला शैली के बारे में

- **उद्‌भव एवं विकास :** इस शैली का उद्‌भव कुषाण काल में हुआ और गुप्त काल के दौरान यह अपनी विकसित अवस्था में पहुँची।

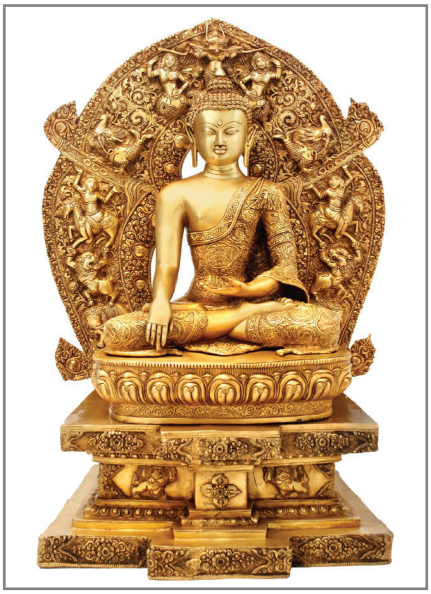

- **नामकरण :** सारनाथ में उत्पत्ति के कारण इस शैली का नाम सारनाथ शैली पड़ा।
  - सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने 'धर्मचक्रप्रवर्तन' (प्रथम उपदेश) दिया था।
  - सारनाथ से कुषाणकालीन बोधिसत्व की खड़ी मुद्रा में एक विशाल मूर्ति मिली है।
- **निर्माण सामग्री :** प्राचीन काल में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में पत्थर के साथ-साथ पीतल जैसी धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है।
- **विशेषताएँ :** सारनाथ कला की बुद्ध मूर्तियाँ शांति एवं ज्ञान की भावना प्रकट करती हैं।
  - **भाव-भंगिमा :** बुद्ध की मूर्तियों में झुकी हुई आँखें एवं नुकीली नाक होती है। होंठ पर सौम्य मुस्कान उकेरी गई है। सारनाथ शैली में बुद्ध की मुखाकृति कोमल है जो अत्यधिक शांति एवं ज्ञान को समेटे हुए है।
  - **मुद्रा :** बुद्ध को धर्मचक्र मुद्रा (शिक्षा मुद्रा) में बैठे हुए दिखाया जाता है। उनके हाथ शिक्षा देने एवं धर्म चक्र घुमाने की मुद्रा में होते हैं।
  - **शारीरिक मुद्रा :** मूर्तियों में प्रायः अभंग मुद्रा दर्शाई जाती है जिसमें शरीर थोड़ा झुका होता है। इससे गति एवं सुंदरता का आभास होता है।
  - **प्रभामंडल :** बुद्ध की मूर्ति के पीछे का प्रभामंडल प्रायः जटिल पुष्प डिज़ाइनों से सुसज्जित होता है जो मूर्ति की सुंदरता एवं आध्यात्मिक महत्त्व को बढ़ाता है।

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता एवं नाट्यशास्त्र

संदर्भ

भारत की दो महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों 'श्रीमद्‌भगवद्‌गीता' एवं 'नाट्यशास्त्र' की पांडुलिपियों को यूनेस्को की 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया गया है।

यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में

- **परिचय :** 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' (Memory of the World: MoW) यूनेस्को द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किया गया एक वैश्विक कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य :** यूनेस्को के अनुसार, दस्तावेज़ी धरोहर पूरी मानवता के लिए होते हैं और उसे सभी के लिए संरक्षित एवं सुलभ होना चाहिए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - सामूहिक स्मृति के लोप से बचाव
  - सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा दस्तावेज़ों का संरक्षण
  - वैश्विक जनसमुदाय को इनका ज्ञान सुलभ कराना
- **शामिल प्रविष्टियाँ :** इस रजिस्टर में शामिल सामग्रियों में पांडुलिपियाँ, मौखिक परंपराएँ, ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग, पुस्तकालयों व अभिलेखागार की महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं, जो 'वैश्विक महत्त्व एवं सार्वभौमिक मूल्य' वाली होती हैं।
  - **अब तक शामिल कुल प्रविष्टियाँ :** वर्ष 2025 में शामिल की गई 74 नवीन प्रविष्टियों के साथ इस रजिस्टर में अब कुल 570 प्रविष्टियाँ शामिल हो गई हैं।

भारत की कुल प्रविष्टियाँ

- वर्ष 2025 में 'श्रीमद्‌भगवद्‌गीता' एवं 'नाट्यशास्त्र' सहित भारत की ओर से अब तक 13 प्रविष्टियाँ इस रजिस्टर में दर्ज की जा चुकी हैं जिनमें से दो संयुक्त प्रविष्टियाँ हैं।
- प्रमुख प्रविष्टियों का विवरण निम्नलिखित है –

क्रम	नाम	वर्ष	विशेषता
1.	आई.ए.एस. का तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह (पुस्तक)	1997 में	एशियाई अध्ययन संस्थान (IAS) में संरक्षित अधिकांश तमिल चिकित्सा पांडुलिपियाँ योगियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्राचीन चिकित्सा पद्धति को दर्शाती हैं। यह प्रणाली जड़ी-बूटियों, जड़ी-बूटियों की जड़ों, पत्तियों, फूलों, छालों, फलों आदि से दवाइयाँ प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या करती है।
2.	डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार (पुस्तक)	भारत, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से 2003 में	डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। यह एशिया में संचालित प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सबसे बड़ी व सबसे प्रभावशाली थी।
3.	पांडिचेरी की शैव पांडुलिपि (पांडुलिपि)	2005 में	11,000 पांडुलिपियों के संग्रह में मुख्यत: हिंदू भगवान शिव के धर्म व पूजा से संबंधित शैव सिद्धांत के ग्रंथों की पांडुलिपियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह शामिल है। 10वीं शताब्दी ई. में यह धार्मिक परंपरा हिंदू धर्म की एक प्रमुख धारा के रूप में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे पूर्व में कंबोडिया तक फैली हुई थी।
4.	ऋग्वेद (पांडुलिपि)	2007 में	वेदों को प्राय: हिंदू समुदाय के धर्मग्रंथों के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, मानव जाति के इतिहास में सर्वप्रथम साहित्यिक दस्तावेज़ों में से एक होने के कारण ये धर्मग्रंथों के रूप में अपनी पहचान से कहीं आगे हैं। ऋग्वेद चार वेदों में सबसे प्राचीन और कथित तौर पर आर्य संस्कृति का स्रोत है।
5.	तारीख-ए-खानदान-ए-तैमूरिया (पांडुलिपि) इसे तैमूर नामा भी कहते हैं।	2011 में	तारीख-ए-खानदान-ए-तैमूरिया में तैमूरियों अर्थात् ईरान एवं भारत में तैमूर व उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास दर्ज है। इस समृद्ध सचित्र पांडुलिपि (कलाकृति) को मुगल सम्राट व तैमूर वंशज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल के बाईस वर्ष बाद 1577-78 ई. में लिखा व तैयार किया गया था। इसकी चित्रकलाएँ चित्रकला इतिहास में मुगलों द्वारा प्राप्त की गई ऊँचाई के अद्वितीय उदाहरण हैं।
6.	लघुकाल चक्र तंत्र राजटिका (विमलप्रभा) (पांडुलिपि)	2011 में	ये पांडुलिपियाँ अपने ऐतिहासिक, बौद्धिक व सौंदर्यात्मक मूल्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। तंत्र के अतिरिक्त इसमें ज्योतिष व खगोल विज्ञान की विस्तृत चर्चा भी है। तंत्र में आयुर्वेद का विषय-वस्तु बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें ग्लोब के माप दिए गए हैं जो आचार्य वसुबंधु द्वारा लिखित चौथी सदी के ग्रंथ अभिधर्मकोश में दिए गए मापों से अधिक विस्तृत हैं। इस पांडुलिपि का महत्त्व मध्यकालीन भारत की दुर्भाग्यपूर्ण अशांत स्थिति को देखते हुए भी सर्वोपरि है, जहाँ कई बौद्ध पांडुलिपियाँ खो गई थीं।
7.	शांतिनाथ चरित्र (पत्र)	2013 में	यह देवनागरी लिपि में लिखा गया संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ के जीवन व समय का वर्णन है। यह ग्रंथ 14वीं सदी के अंत में 1396 ई. (1453 विक्रम संवत) में लिखा गया था। इस अनूठी पांडुलिपि में गुजरात के जैन चित्रकला शैली में शांतिनाथ के जीवन के दृश्यों की 10 से अधिक छवियाँ हैं। यह पांडुलिपियों में लघु चित्रकला में बेहतरीन अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है। पांडुलिपि में प्रयुक्त स्याही गम लैम्पब्लैक एवं चाँदी खनिज से बना सफेद रंग है।

8.	गिलगित पांडुलिपि (पांडुलिपि)	2017 में	भोजपत्र (Birch Bark) एवं मृदा लेपित गिलगित पांडुलिपियाँ भारत की सबसे पुरानी मौजूद पांडुलिपियाँ हैं। इन पांडुलिपियों में विहित (Canonical- मूल ग्रंथ जैसे त्रिपिटक) और गैर-विहित (Non-canonical- टीका व अन्य संबद्ध ग्रंथ, जैसे- दीपवंश आदि) दोनों प्रकार के बौद्ध कार्य शामिल हैं जो संस्कृत, चीनी, कोरियाई, जापानी, मंगोलियन, मांचू व तिब्बती धर्म-दार्शनिक साहित्य के विकास पर प्रकाश डालते हैं। गिलगित पांडुलिपि में अन्य बातों के अलावा बौद्ध धर्म के सूत्र, समाधिराजसूत्र व सद्धर्मपुंडरीकसूत्र (कमल सूत्र) शामिल हैं, जो धर्म, अनुष्ठान, दर्शन, प्रतिमा-विज्ञान, लोक कथाओं, चिकित्सा व मानव जीवन और ज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करते हैं। पुरालेखीय दृष्टि से इन पांडुलिपियों का समय 5वीं से 6वीं सदी ई. तक माना जा सकता है तथा ये उस काल की गुप्त ब्राह्मी एवं उत्तर गुप्त ब्राह्मी लिपि की बौद्ध संकर संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। पांडुलिपियों का मुख्य भाग भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में है, जबकि शेष संग्रह श्री प्रताप सिंह संग्रहालय, जम्मू एवं कश्मीर में है।
9.	मैत्रेयवरकरण (Maitreyayvarakarana) (पुस्तक)	2017 में	मैत्रेयवरकरण अत्यंत लघु ग्रंथ है, जो ताड़ पत्र पर कुटिला एवं रंजना लिपि के मिश्रित संयोजन में लिखा गया है। यह पाल काल (गोपालदेव के समय, 57वीं रेंगा; लगभग 10वीं शताब्दी ई.) की एक पांडुलिपि है जो एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के पास है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य के अवतार 'मैत्रेय' अंततः प्रबुद्ध बुद्ध के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। यह ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब बौद्ध साहित्य स्थविरवाद से महायान संप्रदाय में संक्रमण का सामना कर रहा था। बौद्ध संस्कृत में व्याकरण (Vyakarana) भविष्य के बुद्ध की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान के बारे में एक विशेष प्रकार की रचना को दर्शाता है, जैसा कि बुद्धवचन के नवंग खंड में पाया जाता है। महायान अवधारणा के अनुसार, व्याकरण एक विशेष प्रकार के अवदान-साहित्य को दर्शाता है जो किसी विशेष दुनिया में किसी प्राणी या देवता या मुख्य शिष्य के भविष्य के बुद्धत्व से संबंधित है। एक ग्रंथ के रूप में यह बौद्ध जगत में लोगों के लिए धार्मिक एवं प्रतीकात्मक प्रेरणा का स्रोत है।
10.	अभिनवगुप्त (940-1015 ई.) की कृतियाँ की पांडुलिपियों का संग्रह (पुस्तक)	2023 में	इस संग्रह में अभिनवगुप्त (940-1015 ई.) की 248 पांडुलिपियाँ शामिल हैं जो दर्शन, सौंदर्यशास्त्र, साहित्यिक सिद्धांत, प्रदर्शन कला, संगीत, तंत्र, योग व भक्ति के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट भारतीय विचारक थे। ये 10वीं सदी में श्रीनगर में रहते थे। लगभग 41 ग्रंथों में रचित ये पांडुलिपियाँ उस ज्ञान संस्कृति का दस्तावेज़ीकरण करती हैं जिसका बौद्धिक एवं कलात्मक प्रभाव एक समय पूर्वोत्तर एशिया, मध्य एशिया व दक्षिण एशिया में व्याप्त था। ये दस्तावेज़ एक गैर-ईश्वर-केंद्रित ज्ञान संस्कृति वैदिक/आगमिका (Agamika) के एक असाधारण दिमाग द्वारा अभिव्यक्ति के एकमात्र मौजूद अभिलेख हैं। वैदिक/आगमिका एक ज्ञान प्रणाली है जिसमें विशिष्ट सत्तामीमांसा, विशिष्ट विश्वास प्रणाली, विशिष्ट पूजा पद्धतियाँ एवं विशिष्ट कला प्रथाएँ और उनके ग्रहण में विशिष्ट प्रथाएँ हों।

11.	गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की बैठक के अभिलेख	अल्जीरिया, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, सर्बिया द्वारा संयुक्त रूप से 2023 में	इस संग्रह में पाठ्य अभिलेखों की 76 फाइलें, 242 तस्वीरें, 1 ऑडियो संग्रह एवं 15 फिल्में शामिल हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की पहली शिखर बैठक घाना, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब गणराज्य एवं यूगोस्लाविया द्वारा यूगोस्लाविया (बेलग्रेड) में आयोजित की गई थी। इसने वैश्विक तनाव को कम करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों की सक्रिय भूमिका को दर्शाया और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व नस्लवाद के अंत के साथ-साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं विश्व शांति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। यह आंदोलन 120 देशों, 17 पर्यवेक्षकों, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक-साथ लाया है, जो 4.3 बिलियन लोगों (विश्व की जनसंख्या का 57%) और दुनिया के 54.53 मिलियन वर्ग किमी. क्षेत्र के बराबर है।

नाट्यशास्त्र के बारे में

- **परिचय :** नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, जिसे परंपरागत रूप से महर्षि भरतमुनि द्वारा रचित माना जाता है। यह भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है।
- **रचनाकाल :** इसका रचना काल अनुमानत: 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच है, जबकि यूनेस्को के अनुसार यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध हुआ। इसमें प्रमुख रूप से 'रस' (Aesthetic Experience) की अवधारणा दी गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इसमें 36,000 छंद हैं जिन्हें गंधर्ववेद के रूप में जाना जाता है। इसमें नाट्य (नाटक), अभिनय (प्रदर्शन), रस (सौंदर्यपूर्ण अनुभव), भाव (भावना), संगीत को परिभाषित करने वाले नियमों का एक व्यापक समूह शामिल है।
- इस प्रकार यह भारतीय रंगमंच, काव्यशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र, नृत्य व संगीत के चरित्र को स्पष्ट करता है। यह एक दार्शनिक ग्रंथ भी है जो दर्शक को एक सांस्कृतिक चेतना की समानांतर वास्तविकता में ले जाता है।

श्रीमद्भगवद्गीता के बारे

- **परिचय :** श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत महाकाव्य के छठे अंक (भीष्म पर्व, अध्याय 23-40) में संकलित है।
- **रचना :** इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है।
- **संरचना :** 18 अध्यायों में 700 श्लोक

विषय-वस्तु

- गीता मूलत: अर्जुन एवं कृष्ण के बीच संवाद है जो महाभारत युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले घटित होता है। इसमें अर्जुन-कृष्ण के समक्ष अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध करने में अपनी शंकाएँ व्यक्त करते हैं।
- अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के उत्तर जीवन, कर्तव्य, धर्म, आत्मा, मोक्ष आदि पर आधारित गूढ़ दार्शनिक संवाद बन जाता है।
- कृष्ण के उत्तर गीता का केंद्रीय विषय हैं तथा जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक और नैतिक आधार प्रदान करते हैं।
- भगवद्गीता सतत्, संचयी प्राचीन बौद्धिक भारतीय परंपरा में एक केंद्रीय ग्रंथ है जो वैदिक, बौद्ध, जैन व चार्वाक जैसे विभिन्न वैचारिक आंदोलनों को संश्लेषित करता है।
- अपनी दार्शनिक व्यापकता और गहराई के कारण आज भी यह विश्वभर में अध्ययन व चिंतन का विषय बना हुआ है और अनेकों भाषाओं में अनुवादित है।

पोप फ्रॉंसिस के उत्तराधिकारी का चयन

संदर्भ

ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रॉंसिस के निधन के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

नए पोप का चयन

नए पोप को चुनने की प्रक्रिया को 'पापल कॉन्क्लेव' (The Papal Conclave) कहा जाता है। यह कार्डिनल्स कॉलेज द्वारा की जाने वाली सदियों पुरानी परंपरा है। नए पोप के चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है–

पोप की मृत्यु या इस्तीफा

- यह प्रक्रिया किसी पोप की मृत्यु या उनके इस्तीफे (जैसे- वर्ष 2013 में पोप बेनेडिक्ट XVI के मामले में हुआ था) के बाद शुरू होती है।
- पोप की मृत्यु के बाद वेटिकन में नौ दिनों का पारंपरिक शोक मनाया जाता है जिसे नोवेन्डियाल्स (Novendiales) कहा जाता है। नए पोप का चुनाव पोप की मृत्यु के 15 से 20 दिन बाद शुरू होता है।

रिक्त सीट (सेडे वैकेंट)

- लैटिन भाषा में 'सेडे वैकेंट' का अर्थ है 'सीट का खाली होना'। इस अवधि के दौरान सभी बड़े फैसले रोक दिए जाते हैं।
- रिक्ति के दौरान चर्च के मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त कार्डिनल (जिसे कैमरलेंगो कहा जाता है) पोप की मृत्यु की पुष्टि करने के साथ ही तैयारियों की देखरेख करता है।
  - रोमन कैथोलिक चर्च में पोप के बाद सर्वोच्च पद पर कार्डिनल होता है। इन्हें पोप द्वारा विशेष मान्यता देकर नियुक्त किया जाता है।
  - इनका प्रमुख कार्य पोप के चुनाव में भाग लेना और चर्च की सर्वोच्च नीतियों पर सलाह देना होता है।
  - भारत से भी कई कार्डिनल हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, कार्डिनल वर्जीस अलेंचेर्री (केरल से) और कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेसियस (मुंबई से)।
  - ये भारत में चर्च का नेतृत्व करने के साथ ही वेटिकन के निर्णयों में भी भाग लेते हैं।

कॉन्क्लेव की शुरुआत

- केवल 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल ही मतदान के पात्र हैं।
- वे वेटिकन सिटी के सिस्टिन चैपल में एकत्रित होते हैं।
- भारत के चार कार्डिनल ने भी कॉन्क्लेव में भाग लिया है, जिनमें शामिल हैं :
  - कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ
  - कार्डिनल बेसिलियस क्लीमिस
  - कार्डिनल एंथनी पूला (पहले दलित कार्डिनल)
  - कार्डिनल जॉर्ज जैकब कूवाकड
- कॉन्क्लेव को बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता है तथा इस दौरान प्रतिभागियों के फोन, इंटरनेट या संपर्क पर प्रतिबंध होता है।

मतदान प्रक्रिया

- प्रत्येक कार्डिनल अपने चुने हुए उम्मीदवार का नाम मतपत्र पर लिखता है।
- निर्वाचित होने के लिए, उम्मीदवार को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना होता है।
- एक गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत प्रतिदिन चार बार (दो सुबह, दो शाम को) मतदान होता है।

धुएँ के संकेत

- प्रत्येक मतदान के बाद मतपत्र जला दिए जाते हैं।
  - काले धुएँ (फुमाता नेरा) का अर्थ है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
  - सफेद धुआँ (फुमाताबियांका) संकेत देता है कि नए पोप का चयन कर लिया गया है।

स्वीकृति एवं घोषणा

कार्डिनल को आवश्यक मत प्राप्त होने के बाद उसके पोप के रूप में निर्वाचित होने के संबंध में सहमति प्राप्त की जाती है जिसके पश्चात् वह अपने लिए एक नया नाम चुनता है जिसे 'पपेल नेम' कहा जाता है।

पोप के नाम की घोषणा

- हेबेमस पापम ('हमारे पास एक पोप है!') के उद्बोधन के साथ ही नए पोप की घोषणा की जाती है।
- इसके पश्चात् नए पोप संट पीटर बेसिलिका की बालकनी पर आते हैं और अपना पहला आशीर्वाद देते हैं।

पोप फ्राँसिस के बारे में

- **पूरा नाम :** जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो (Jorge Mario Bergoglio)
- **पद :** 266वें पोप (Pope)– रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख
- **पदभार ग्रहण :** 13 मार्च, 2013
  - जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो के नाम से जन्में फ्राँसिस को वर्ष 2013 में पोप चुना गया था। उनके पूर्ववर्ती पोप बेनेडिक्ट XVI लगभग 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप बने थे।
- **जन्म :** 17 दिसंबर, 1936 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना
- **मृत्यु :** 21 अप्रैल, 2025 को वेटिकेन सिटी
- **राष्ट्रीयता :** अर्जेंटीना
- **विशेषता :** पहले लैटिन अमेरिकी एवं पहले जेसुइट पोप

ईसाई धर्म में कैथोलिक (Catholic) एवं प्रोटेस्टेंट (Protestant) संप्रदाय में मुख्य अंतर

बिंदु	कैथोलिक	प्रोटेस्टेंट
बाइबल की भूमिका	बाइबल+परंपराएँ मान्य	केवल बाइबल को सर्वोच्च मान्यता (Sola Scriptura)
चर्च की अवधारणा	पोप के नेतृत्व में एकमात्र सच्चा चर्च	कई स्वतंत्र चर्च और सभी को बराबर मान्यता
पोप का महत्त्व	पोप= संट पीटर के उत्तराधिकारी व सर्वोच्च धर्मगुरु	पोप का विरोध, बाइबल से असंगत माना
धार्मिक पद (Priesthood)	उत्तराधिकार के तहत केवल पादरियों को अधिकार	महिला सहित हर आस्थावान को 'प्रीस्टहुड'

युखरिस्ट/ईस भोज	ईसा के शरीर एवं रक्त के संकेत के रूप में रोटी (Bread) व शराब	प्रतीकात्मक- केवल स्मृति एवं श्रद्धा का भाव
संस्कार (Sacraments)	7 संस्कार- बपतिस्मा, पुष्टिकरण, युखरिस्ट, विवाह, तपस्या, पवित्र आदेश एवं बिमारियों या मृत्यु संबंधी संस्कार (Extreme Unction)	केवल 2 संस्कार- बपतिस्मा एवं ईस भोज
मरियम और संत पूजन	मरियम को 'स्वर्ग की रानी' के रूप में मान्यता, संतों की पूजा और मध्यस्थता मान्य	मरियम का सम्मान किंतु पूजनीय नहीं; हर व्यक्ति सीधे ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है
ब्रह्मचर्य (Celibacy)	पुजारियों के लिए अनिवार्य ब्रह्मचर्य	पुजारियों को विवाह की छूट- स्वयं मार्टिन लूथर ने भी विवाह किया

मेहरगढ़ के संबंध में नया शोध

संदर्भ

नेचर पत्रिका में नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ के संबंध में प्रकाशित एक नए शोध ने मेहरगढ़ पर अब तक के सभी अध्ययनों को चुनौती दी है।

अध्ययन के बारे में

- यह अध्ययन नवपाषाण समाधियों से प्राप्त मानव दंत-इनेमल (Tooth-Enamel) पर नई रेडियोकार्बन डेटिंग विधि के विश्लेषण के आधार पर किया गया।
- मेहरगढ़ को अब तक विश्व के प्राचीनतम कृषि स्थलों में एक माना जाता था। शोध से प्राप्त साक्ष्यों से न केवल कृषि के आरंभ की तिथि में परिवर्तन हुआ है, बल्कि यह भी संकेत है कि मेहरगढ़ में कृषि का विकास संभवतः स्थानीय नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रभावों के प्रसार (Diffusion) का परिणाम था।

शोध के प्रमुख निष्कर्ष

अवधि का पुनर्निर्धारण

- 23 नवपाषाण समाधियों से प्राप्त मानव दंत-इनेमल (Tooth-Enamel) पर विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि आरंभिक नवपाषाण काल लगभग 5223-4914 ई.पू. से 4769-4679 ई.पू. के बीच रहा जो कि केवल 186 से 531 वर्षों तक ही चला।
  - पहले यह माना जाता था कि मेहरगढ़ की नवपाषाण संस्कृति का प्रसार लगभग 3000 वर्षों तक रहा था।

कृषि का विकास

- पहले यह माना जाता था कि मेहरगढ़ में कृषि का स्वतः विकास हुआ।
- नए साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मेहरगढ़ में कृषि स्थानीय रूप से नहीं, बल्कि पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से ईरान एवं मेसोपोटामिया से आई थी
- इसके पक्ष में साक्ष्यः
  - पशुपालन में पश्चिम एशियाई पालतू जानवरों की उपस्थिति
  - जैव-पुरातात्विक (Bio-archaeological) विश्लेषण

मृदभांड निर्माण के संदर्भ में

- मेहरगढ़ के कालखंड I में मृदभांड नहीं पाए गए थे, जबकि पश्चिमी एशिया में उस समय तक मृद्भांड आम हो चुके थे।
- कालखंड IIA (लगभग 4650 ई. पू. के बाद) में पहली बार मृद्भांड मिलते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ मृद्भांड का निर्माण अपेक्षाकृत देरी से शुरू हुआ।

स्थल संरचना का विकास

9 कब्रगाह स्तर एवं भवन निर्माण की परतें बहुत ही कम समय में निर्मित हुई। इससे मेहरगढ़ के धीरे-धीरे विकास की पूर्वधारणा अब अस्थिर प्रतीत होती है।

मेहरगढ़ के बारे में

- **परिचय** : मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास कच्छी मैदान में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है।
  - मेहरगढ़ को हड़प्पा संस्कृति की पूर्ववर्ती (Precursor) माना जाता है।
- **भौगोलिक महत्त्व** : यह स्थल दक्षिण एशिया को ईरान एवं पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग पर स्थित है।
- **खोज** : इसकी खोज वर्ष 1974 में फ्राँसीसी पुरातत्वविद् Jean-François Jarrige एवं उनकी टीम द्वारा की गई।
- **कालक्रम (Chronology)** : मेहरगढ़ की संस्कृति को आमतौर पर 4 प्रमुख कालों में बाँटा गया है जिसकी अलग-अलग विशेषताएँ हैं जो निम्न हैं–
  - कालखंड I: कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत
  - कालखंड II : मृद्भांडों का उपयोग शुरू, घरों में ईंटों का प्रयोग
  - कालखंड III : औज़ारों में सुधार, व्यापार के संकेत, सामाजिक संरचना का विकास
  - कालखंड IV: शहरीकरण के संकेत, बाद में हड़प्पा संस्कृति से जुड़ाव

प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य

- **बस्तियाँ :** कच्ची ईंटों से बने मकान, भंडारण कक्ष, आंगन
- **दफन स्थल :** कब्रों में मृद्भांड, औज़ार, आभूषण, पुनर्जन्म की धारणा
- **कृषि उपकरण :** हाथ से चलाए जाने वाले हंसिए, दरांती, अनाज पीसने की चक्की
- **पशुपालन :** गोवंश, भेड़, बकरी, अस्थि अवशेष
- **औज़ार एवं कला :** अस्थि, तांबे एवं पत्थर से बने औज़ार, मिट्टी की मूर्तियाँ
- **व्यापार संकेत :** दूरस्थ क्षेत्र से आए मनके, सीप, व्यापार या संपर्क के संकेत
- **कपास के प्राचीनतम साक्ष्य :** उत्खनन में कपास के रेशे एवं बीजों के अवशेष

विश्व धरोहर दिवस

संदर्भ

प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को 'विश्व धरोहर दिवस' (World Heritage Day) का आयोजन किया जाता है।

विश्व धरोहर दिवस के बारे में

- **परिचय :** इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरास्थल दिवस भी कहा जाता है। यह दिन मानव विरासत के सम्मान एवं सुरक्षा पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य विश्वभर के ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों एवं सांस्कृतिक विरासतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उनके संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं व व्यक्तियों को सम्मानित करना है।
- **वर्ष 2025 का विषय :** 'आपदाओं एवं संघर्षों से खतरे में धरोहर: ICOMOS की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारियाँ एवं सीख' (Heritage under Threat from Disasters and Conflicts: Preparedness and Learning from 60 years of ICOMOS Actions)
  - यह विषय प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवजनित संघर्षों से धरोहरों को होने वाले खतरे तथा उससे निपटने की प्रभावी तैयारियों व रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **आरंभ :** इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1982 में ICOMOS (अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद्) द्वारा की गई थी।
  - वर्ष 1983 में यूनेस्को (UNESCO) ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी।

धरोहर संरक्षण के प्रयास

विश्व धरोहर अभिसमय

(The World Heritage Convention)

- **परिचय :** यह वर्ष 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे औपचारिक रूप से विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय कहा जाता है।
  - भारत ने वर्ष 1977 में इस समझौते को स्वीकार किया।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य दुनिया भर में 'उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य' वाले प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्थलों की पहचान करना तथा उनका संरक्षण करना है।
- **कुल सूचीबद्ध धरोहर स्थल :** इस समझौते के तहत अक्तूबर 2024 तक विश्व के कुल 1,223 विश्व धरोहर स्थल सूचीबद्ध हैं। इनमें 952 सांस्कृतिक, 231 प्राकृतिक एवं 40 मिश्रित हैं।

भारत के सूचीबद्ध स्थल

- वर्ष 1983 में आगरा किला, ताजमहल, अजंता एवं एलोरा गुफाएँ विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल बनें।
- अक्तूबर 2024 तक इस सूची में भारत के कुल 43 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। इसके अलावा 62 स्थल यूनेस्को की संभावित सूची (Tentative List) में हैं।
- **2024 में शामिल स्थल :** असम के मोइदम्स (अहोम वंश का माउंड-ब्यूरियल सिस्टम) को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

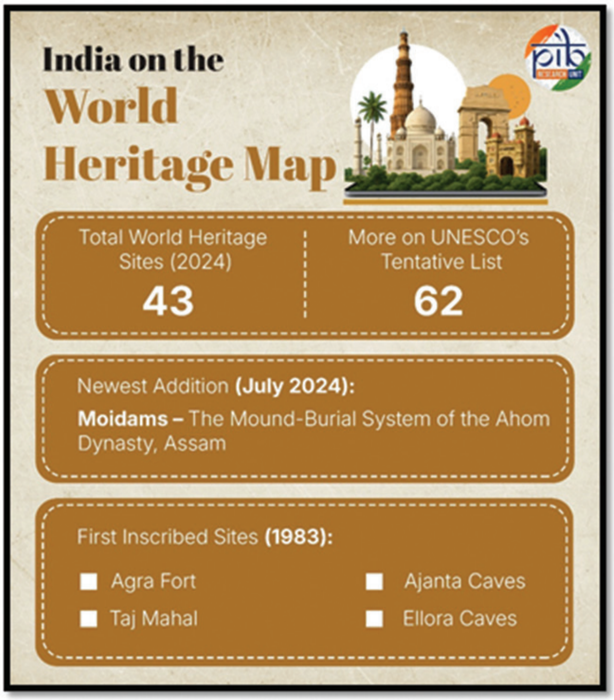

- **सरकारी प्रयास :** धरोहरों की रक्षा में भारत की प्रतिबद्धता

भारत सरकार एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं-

- **प्राचीन वस्तुओं की वापसी :** सरकार को वर्ष 1976 से वर्ष 2024 तक विदेशों से 655 पुरावशेष पुनः प्राप्त हुए हैं जिनमें से 642 पुरावशेष वर्ष 2014 से पुनः प्राप्त हुए हैं।
- **एडॉप्ट अ हैरिटेज योजना :** वर्ष 2017 में आरंभ और वर्ष 2023 में अद्यतन की गई इस योजना के तहत निजी-सार्वजनिक

संस्थाएँ सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण में CSR फंड के माध्यम से भाग लेती हैं।

- इस कार्यक्रम के तहत अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं विभिन्न राज्यों के विभिन्न साझेदार संगठनों के बीच 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

❖ **राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों का निर्माण :** भारत में 3,697 प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया है।

❖ **विरासत स्थलों का पुनरुद्धार एवं पुनर्विकास :** भारत ने संरक्षण एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से प्रमुख विरासत स्थलों को पुनर्जीवित किया है। इनमें शामिल हैं-

- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (वाराणसी)
- महाकाल लोक (उज्जैन)
- कामाख्या कॉरिडोर (गुवाहाटी)
- चारधाम परियोजना, सोमनाथ पुनर्निर्माण, कुरुक्षेत्र, अयोध्या एवं काशी के कायाकल्प कार्य

❖ **राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन :** इस मिशन के तहत अब तक 12.3 लाख प्राचीन वस्तुएँ और 11,406 धरोहर स्थल डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं।

❖ **भारतीय धरोहर डिजिटल स्पेस (IHDS) :** इस पहल का उद्देश्य इमर्सिव टूल्स एवं अनुसंधान सहायता के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

❖ **साहित्यिक विरासत की मान्यता :** वर्ष 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र व सहृदयालोक-लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर (MOWCAP) में शामिल किया गया।

- रामचरितमानस, पंचतंत्र व सहृदयालोक-लोकन की रचना क्रमशः गोस्वामी तुलसीदास, विष्णु शर्मा एवं पंडित आचार्य आनंदवर्द्धन ने की थी।

❖ **भारत का पहला पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय :** वर्ष 2025 में गुजरात के वडनगर में इसका उद्घाटन किया गया।

- इसमें वडनगर के 2,500 वर्ष पुराने इतिहास को दर्शाया गया है जिसमें 5,000 से अधिक कलाकृतियाँ शामिल हैं। इनमें चीनी मिट्टी की वस्तुएँ, सिक्के, औज़ार एवं कंकाल के अवशेष शामिल हैं।

स्टेगोडॉन गणेशा

❖ भूविज्ञानी एवं शोधकर्ता सुरेश चोपाने ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर तालुका में वर्धा एवं पेनगंगा नदी के किनारे विलुप्त हो चुके स्टेगोडॉन गणेशा नामक प्राचीन हाथी प्रजाति के दुर्लभ जीवाश्मों की खोज की है।

❖ स्टेगोडॉन गणेशा एक प्राचीन हाथी प्रजाति है जिसे आधुनिक एशियाई हाथियों का पूर्वज माना जाता है। ये जीवाश्म 25,000 वर्ष पुराने हैं जो प्लेइस्टोसिन युग के अंत के हैं।

❖ जीवाश्म अवशेषों में जाँघ की विशाल हड्डियाँ, दाढ़ के दाँत, पसलियों के टुकड़े, खोपड़ी का ऊपरी भाग एवं एक आंशिक दाँत शामिल हैं।

❖ इससे पूर्व वर्ष 2021-22 के दौरान वारोरा तालुका में किए गए सर्वेक्षणों में एलिफस नामाडिकस जैसी दिखने वाली विशाल हाथी की आकृति के अवशेष प्राप्त हुए, जो एक अन्य विलुप्त प्रजाति है।

देवगिरी किला

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) देवगिरी किले में लगी आग की जाँच कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही इस किले के संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार है जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत अपनी गतिविधियों का विनियमन करता है।

देवगिरी किले के बारे में मुख्य बिंदु

❖ **अवस्थिति :** महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में स्थित

- देवगिरी किले को दौलताबाद का किला भी कहते हैं।

❖ **निर्माण :** 12वीं सदी में यादव वंश के शासक भील्लम पंचम द्वारा

❖ **राजनीतिक महत्त्व :** दिल्ली सल्तनत की राजधानी रहने के साथ-साथ बहमनी सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, मुगल साम्राज्य एवं हैदराबाद के निज़ामों के अधीन रहा।

- 1327 ई. में मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दौलताबाद का नाम दिया और अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ स्थानांतरित की थी।

❖ **प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाएँ :** चंद मीनार, बरादरी, चीनी महल, रंग महल एवं भारत माता मंदिर

- **बरादरी :** मुगल सम्राटों का पसंदीदा ग्रीष्मकालीन निवास

❖ **तीन परकोटे :** कालकोट, महाकोट एवं अंबरकोट

❖ **विशिष्टता :** किले की रणनीतिक अवस्थिति एवं वास्तुकला के कारण महाराष्ट्र के सात आश्चर्यों में से एक माना जाता है।

जिबली कला

ओपन ए.आई. द्वारा चैटजीपीटी के चौथे मॉडल के अपडेट के बाद इस मॉडल से निर्मित स्टूडियो जिबली कला की छवियाँ इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं।

जिबली कला (Ghibli Art) के बारे में

❖ **कला के जनक :** प्रसिद्ध जापानी एनिमेटर हयाओ मियाज़ाकी

❖ **स्टूडियो जिबली :** हयाओ मियाज़ाकी ने 15 जून, 1985 में

निर्देशक ईसाओ ताकाहाता और निर्माता तोशियो सुज़ुकी के साथ 'स्टूडियो जिबली' की सह-स्थापना की थी।

- वर्तमान में जिबली कला शैली द्वारा निर्मित छवियों को स्टूडियो जिबली के कारण व्यापक रूप से पहचाना जाता है।

❖ **स्टूडियो जिबली की प्रसिद्ध फिल्में**

- माई नेबर टोटोरो (1988)
- प्रिंसेस मोनोनोके (1997)
- ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज़ (1988)
- स्पिरिटेड अवे (2001)
- हाउल्स मूविंग कैसल (2004)

जिबली शब्द की उत्पत्ति

❖ जिबली नाम लीबियाई अरबी शब्द से आया है जिसका अर्थ है– 'उत्तरी अफ्रीका में बहने वाली गर्म रेगिस्तानी हवा'

❖ ऐतिहासिक रूप से जिबली शब्द का प्रयोग इटली के पायलटों द्वारा गर्म भूमध्यसागरीय हवा का वर्णन करने के लिए किया जाता था।

❖ हयाओ मियाज़ाकी ने एनीमेशन की दुनिया में एक नई व ताज़ा हवा लाने के लिए इस नाम को चुना।

जिबली कला की विशेषताएँ

❖ **हस्त-चित्रित एनीमेशन :** पारंपरिक तकनीकों के प्रति प्रतिबद्धता इस कला को मूर्त एवं यथार्थ गुणवत्ता प्रदान करती है।

❖ **काल्पनिक दुनिया :** समृद्ध पृष्ठभूमि एवं वातावरण दर्शकों को काल्पनिक दुनिया में डुबो देते हैं।

❖ **भावनात्मक रूप :** छवियाँ प्राय: प्रकृति, पहचान एवं मानवीय संबंधों जैसे सार्वभौमिक विषयों का पता लगाती हैं।

❖ **जादुई यथार्थवाद :** यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काल्पनिक तत्त्वों के साथ मिश्रित करती है।

जिबली कला की सीमाएँ

❖ **कॉपीराइट मुद्दा :** इसे संबोधित करते हुए ओपन ए.आई. ने जीवित कलाकारों की शैली में चित्र बनाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लागू किए हैं। हालाँकि, जिबली जैसी व्यापक स्टूडियो शैलियों की अभी भी अनुमति है।

❖ **तकनीकी मुद्दे :** कुछ उपयोगकर्ताओं ने, विशेष रूप से नि:शुल्क श्रेणी के उपयोगकर्ताओं ने, सामग्री नीति प्रतिबंधों के कारण विफल प्रॉम्प्ट संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट की है।

गोलकोंडा ब्लू हीरा

❖ भारत की शाही विरासत का दुर्लभ 'द गोलकोंडा ब्लू रॉयल हीरा' जेनेवा में क्रिस्टी की 'मैग्नीफिसेंट ज्वेल्स' सेल में नीलाम किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक हीरा होल्कर वंश के शासकों के पास था।

द गोलकोंडा ब्लू रॉयल हीरा के बारे में

❖ **परिचय :** यह 23.24-कैरेट का गहरे नीले रंग का एक दुर्लभ हीरा है जो एक अँगूठी में जड़ा हुआ है। इसे पेरिस के प्रसिद्ध डिज़ाइनर JAR ने डिज़ाइन किया है।

- इसके 35 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹300–₹430 करोड़) में बिकने का अनुमान है।

❖ **प्राप्ति स्थल :** इसकी प्राप्ति वर्तमान तेलंगाना की प्रसिद्ध गोलकोंडा (गोलकुंडा) खानों से हुई थी। विश्व की कुछ सबसे बेहतरीन हीरा खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है जिनमें कोहिनूर, होप डायमंड, ड्रेसडेन ग्रीन आदि हीरे शामिल हैं।

- इन हीरों की विशेषता इनकी असाधारण पारदर्शिता, रंग एवं दुर्लभ होना है।

❖ **ऐतिहासिक महत्त्व :**

- यह हीरा इंदौर के महाराजा यशवंत राव होल्कर द्वितीय के पास था जो आधुनिकता और कला प्रेमी शासक थे।
- वर्ष 1923 में उनके पिता ने इसे एक ब्रेसलेट में जड़वाया था। स्वतंत्रता के बाद यह हैरी विंस्टन नामक अमेरिकी जौहरी के पास पहुँचा।
- फिर यह बड़ौदा के महाराजा के पास आया और वर्तमान में यह निजी स्वामित्व में है।

होल्कर वंश के बारे में

❖ **परिचय :** होल्कर वंश मराठा साम्राज्य की एक प्रमुख शाखा थी, जिसने इंदौर रियासत पर शासन किया।

❖ **स्थापना :** मल्हार राव होल्कर द्वारा 1732 ई. में

❖ **राजधानी :** इंदौर

प्रमुख शासक

❖ **मल्हार राव होल्कर :** होल्कर वंश के संस्थापक एवं मराठा साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण सूबेदार

❖ **अहिल्याबाई होल्कर :** मल्हार राव की पुत्रवधू 'अहिल्याबाई होल्कर' इस वंश की सबसे प्रसिद्ध शासिका थीं जिन्हें न्यायप्रिय, धार्मिक एवं जनकल्याणकारी रानी के रूप में याद किया जाता है।

- राजधानी का इंदौर से महेश्वर स्थानांतरण
- महेश्वर एवं इंदौर व राज्य के बाहर पवित्र स्थलों पर मंदिरों का निर्माण

❖ **तुकोजीराव होल्कर :** अहिल्याबाई के शासनकाल में सेनापति एवं बाद में शासक

❖ **यशवंत राव होल्कर :** इस वंश के अंतिम शासकों में से थे और आधुनिक कला एवं वास्तुकला में उनकी विशेष रुचि थी।

त्रिपुरा जात्रा उत्सव

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में जात्रा उत्सव का उद्घाटन किया।

जात्रा उत्सव के बारे में

- यह बंगाल एवं ओडिशा का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है।
- इसकी उत्पत्ति 16वीं सदी में वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन के उदय से मानी जा सकती है जिसका नेतृत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था।
- चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति एवं प्रेम के संदेश का प्रसार करने के लिए संगीत व नृत्य का उपयोग किया तथा इसी आधार पर जात्रा का विकास हुआ।
- यह उत्सव मूलतः वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है किंतु इसमें अन्य धार्मिक व सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है।

जात्रा उत्सव की विशेषताएँ

- इस जात्रा में धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं का अभिनय होता है। ये कथाएँ प्रायः भगवान श्रीकृष्ण, राम, शिव और अन्य पौराणिक पात्रों से संबंधित होती हैं।
- जात्रा में पौराणिक कथाओं के अलावा धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक विषयों पर भी प्रदर्शन होते हैं। इनमें हास्य, वीरता, प्रेम एवं युद्ध जैसे विभिन्न जटिल विषयों को भी बड़े आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।

माता कर्मा

प्रख्यात संत, समाज सुधारक एवं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी

- **परिचय :** साहू तेली समुदाय की भक्ति संत एवं समाज सुधारक और अपनी भक्ति व सामाजिक योगदान के लिए प्रसिद्ध
- **उपनाम :** कर्माबाई या कर्मा देवी
- **प्रभाव क्षेत्र :** छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्रों में उनकी भक्ति व कार्यों को लेकर कई लोककथाएँ और किवदंतियाँ प्रचलित
- **जीवनकाल :** 1017-1064 ई.
- **भक्ति मान्यता :** भगवान कृष्ण द्वारा पुरी (ओडिशा) में उनकी खिचड़ी स्वीकार करने की मान्यता
  - तब से माता कर्माबाई की खिचड़ी का पहला प्रसाद पुरी में भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया जाता है।
- **सामाजिक सुधार :** अस्पृश्यता, रूढ़िवाद के खिलाफ संघर्ष एवं महिला सशक्तीकरण

ज्योतिराव फुले

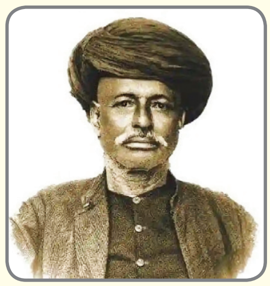

- 11 अप्रैल, 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई गई।
- **परिचय :** अग्रणी समाज सुधारक, अस्पृश्यता एवं जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के घोर विरोधी, भारतीय समाज में सामाजिक समानता व शिक्षा क्षेत्र में अहम योगदान
- **जीवन काल :** 11 अप्रैल, 1827 - 28 नवंबर, 1890
- **मात का नाम :** चंद्रभागा फुले
- **पिता का नाम :** गोविंदराव फुले
- **पत्नी :** सावित्रीबाई फुले (वर्ष 1840 में विवाह)
- **उपाधि :** वर्ष 1888 में महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर द्वारा 'महात्मा' की उपाधि
- **सामाजिक योगदान**
  - अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की रोकथाम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कई सामाजिक कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका
  - जातिवाद, महिला उत्पीड़न और असमानता के खिलाफ आवाज़
  - सावित्रीबाई की मदद से वर्ष 1848 में पुणे में तात्यासाहेब भिड़े के घर पर पहले बालिका स्कूल की शुरुआत
- **सत्य शोधक समाज :** वर्ष 1873 में, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज (सत्य के साधकों का समाज) की स्थापना की।
  - इसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना था।
- **प्रमुख पुस्तकें :** गुलामगिरी, तृतीय रत्न, किसान का धर्म, सत्यशोधक समाज की स्थापना पर लेख

❑❑❑

सामाजिक मुद्दे

भारत में मानव तस्करी से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

मानव तस्करी (Human Trafficking) भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। यह केवल एक आपराधिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। यह अपराध विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्रभावित करता है।

भारत में मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष तस्करी के हज़ारों मामले दर्ज होते हैं किंतु, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है क्योंकि कई मामले रिपोर्ट ही नहीं होते हैं।

प्रमुख राज्य और पीड़ितों की संख्या

- मानव तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु शामिल हैं।
  - वर्ष 2022 में ओडिशा में मानव तस्करी के सर्वाधिक पीड़ितों की संख्या (1,120) दर्ज की गई जिनमें अधिकांश महिलाएँ व बच्चे शामिल थे।
  - महाराष्ट्र 805 पीड़ितों के साथ दूसरे स्थान पर था।
  - इसी वर्ष तेलंगाना में मानव तस्करी के 391 मामले दर्ज किए गए, जो इस राज्य में मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को दर्शाता है।

कानूनी प्रक्रिया और सज़ा दर

मानव तस्करी के मामलों में सज़ा दर चिंताजनक रूप से कम है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में सज़ा दर केवल 10.6% थी, जबकि वर्ष 2016 में 27.8% थी।

मानव तस्करी के प्रमुख उद्देश्य

- यौन शोषण
- बाल श्रम
- जबरन विवाह
- घरेलू नौकर के रूप में शोषण
- अवैध अंग व्यापार
- भिक्षावृत्ति

मानव तस्करी के प्रमुख कारण

- आर्थिक असमानता एवं गरीबी
- बेरोज़गारी एवं आजीविका के अवसरों की कमी
- शिक्षा एवं जागरूकता की कमी
- लोगों को अधिकारों व खतरों के प्रति जानकारी न होना
- लिंग-आधारित भेदभाव
- अपराध सिंडिकेट एवं कमज़ोर कानून प्रवर्तन
- प्राकृतिक आपदाएँ व आंतरिक विस्थापन

समाधान

कानूनी एवं संस्थागत सुधार

- मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण एवं पुनर्वास) विधेयक को शीघ्र पारित कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- सभी राज्यों में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTUs) को सशक्त करना।

जागरूकता और शिक्षा

- गाँवों व शहरी बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाना।
- स्कूली पाठ्यक्रमों में जीवन कौशल व आत्मरक्षा प्रशिक्षण शामिल करना।

पीड़ितों का पुनर्वास

आश्रय गृह, मनोवैज्ञानिक सहायता एवं आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से पीड़ितों को पुनर्स्थापित करना।

सामुदायिक भागीदारी

पंचायत, महिला मंडल एवं स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- सीमावर्ती देशों (जैसे- नेपाल, बांग्लादेश) के साथ मिलकर सीमा पर आसूचना एवं निगरानी को बढ़ावा देना।

❑❑❑

आंतरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय सैन्य अंतरिक्ष नीति : चुनौतियाँ एवं समाधान

संदर्भ

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत एक राष्ट्रीय सैन्य अंतरिक्ष नीति एवं सिद्धांत पर कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय सैन्य अंतरिक्ष नीति के बारे में

- यह नीति भारत के राष्ट्रीय सीमाओं से परे खतरों की निगरानी, प्रतिकूल गतिविधियों पर नज़र रखने तथा वास्तविक समय पर खुफिया जानकारी एकत्र करने में सशस्त्र बलों के लिए एक मार्गदर्शक नीति के रूप में कार्य करेगी।
- यह नीति अंतरिक्ष में उपग्रह-रोधी हथियारों, अंतरिक्ष मलबे एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बढ़ते खतरे पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इस नीति के तहत भारत द्वारा 52 सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया जाएगा जो खुफिया, निगरानी एवं टोही कार्यों के लिए समर्पित होंगे।
    - इससे अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों के माध्यम से भारत की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि होगी।
- वर्ष 2019 में अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया था जिसने अंतरिक्ष में अपने सामरिक हितों के लिए निम्न भू-कक्षा (LEO) में किसी उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी।

अन्य देशों से तुलना

- **अमेरिका :** अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) का अमेरिकन स्पेस फोर्स के रूप में एक अलग अंतरिक्ष शाखा है जो सैन्य संचालन एवं सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है।
- **चीन :** चीन ने भी अपनी सैन्य अंतरिक्ष नीति को बहुत मज़बूती से विकसित किया है और यह अपनी अंतरिक्ष सेना के निर्माण की दिशा में बढ़ रहा है।
- **रूस :** रूस अंतरिक्ष से सैन्य संचालन एवं सुरक्षा के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है और इसकी रूसी स्पेस फोर्स अंतरिक्ष से संबंधित सैन्य कार्यों को नियंत्रित करती है।

भविष्य में चुनौतियाँ

- **अंतरिक्ष युद्ध की बढ़ती संभावना :** अंतरिक्ष में सैन्य संचालन की बढ़ती महत्ता के कारण अंतरिक्ष युद्ध की संभावना भी बढ़ सकती है। इससे संबंधित सुरक्षा और युद्ध रणनीतियों को तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **उपग्रहों की सुरक्षा :** उपग्रहों की सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती होगी क्योंकि यह अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। एंटी-सैटेलाइट मिसाइलों जैसे नए हथियारों के विकास से उपग्रहों की सुरक्षा में खतरा हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय तनाव :** जब देश अपनी सैन्य अंतरिक्ष नीति को बढ़ाते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर उन देशों के साथ जो अंतरिक्ष संसाधनों का समान उपयोग चाहते हैं।
- **प्रौद्योगिकी की तेज़ी से बढ़ती मांग :** अंतरिक्ष तकनीक तेज़ी से विकसित हो रही है और भारत को इन बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। इसमें लागत, नवाचार एवं शुद्ध तकनीकी दक्षता की ज़रूरत होगी।

समाधान

- **अंतरिक्ष रक्षा रणनीति :** भारत को सशक्त अंतरिक्ष रक्षा रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें उपग्रहों की सुरक्षा, खतरों का शीघ्रता से पता लगाने व उनका मुकाबला करने के उपाय शामिल हों।
- **वैश्विक सहयोग एवं नियम :** अंतरिक्ष में सैन्य संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं नियमों का निर्माण करने की आवश्यकता है, ताकि अंतरिक्ष में शांति बनी रहे तथा संघर्षों को टाला जा सके।
- **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में निवेश :** भारत को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में नवाचार एवं नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करना होगा ताकि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनी रह सके।
- **मानव संसाधन विकास :** अंतरिक्ष में सैन्य संचालन की सफलता इसके मानव संसाधनों पर निर्भर करती है। इसके लिए उच्च स्तर के प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- **स्पेस फोर्स की स्थापना :** एक समर्पित स्पेस फोर्स की स्थापना से अंतरिक्ष में सैन्य संचालन को अधिक प्रभावी एवं संरचित किया जा सकता है।
- **वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाना :** भारत को अपनी मौजूदा अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेषकर उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रहों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों एवं अन्य आवश्यक सैन्य तकनीकों के विकास में।
- **सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण :** अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर अंतरिक्ष में सामूहिक सुरक्षा प्रणालियाँ विकसित की जा सकती हैं। इससे अंतरिक्ष में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- **नागरिक व सैन्य अंतरिक्ष सहयोग :** नागरिक और सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच सहयोग बढ़ाकर भारत अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठा सकता है।

निष्कर्ष

भारत की राष्ट्रीय सैन्य अंतरिक्ष नीति का निर्माण देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने और अंतरिक्ष से संबंधित सुरक्षा मामलों में अग्रणी बनने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने से न केवल भारत की सैन्य शक्ति मज़बूत होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की स्थिति सशक्त होगी।

सीमापार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख

संदर्भ

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू एवं कश्मीर की बरसैन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से भारत-पाक संबंधों में गिरावट आई है। प्रारंभिक खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, यह हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन द्वारा प्रायोजित था। इसके बाद भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए राजनयिक, रणनीतिक एवं सुरक्षा-आधारित कई कदम उठाए।

भारत सरकार की 5-स्तरीय रणनीतिक प्रतिक्रिया

सिंधु जलसंधि का स्थगन

- वर्ष 1960 की सिंधु जलसंधि का तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबन
- इस संधि के दायित्वों से भारत अब मुक्त रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता है।

अटारी चेकपोस्ट बंद करना

- भारत-पाक व्यापार व यात्रा के प्रमुख मार्ग 'अटारी चेकपोस्ट' को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
- जिन पाक नागरिकों ने वैध वीज़ा पर भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई, 2025 तक भारत छोड़ने का निर्देश।

सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) से पाकिस्तान बाहर

- पाक नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत यात्रा की अनुमति रद्द।
- पहले से जारी SVES वीज़ा रद्द घोषित और ऐसे नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश।
    - सार्क वीज़ा छूट योजना वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में हुए चौथे शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि सार्क देशों के कुछ श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों को एक विशेष यात्रा दस्तावेज़ का हकदार होना चाहिए, जो उन्हें इस क्षेत्र में वीज़ा से छूट देगा।
- वर्तमान में इस सूची में पात्र व्यक्तियों की 24 श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनमें गणमान्य व्यक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार, खिलाड़ी आदि शामिल हैं।
- 'वीज़ा स्टिकर' संबंधित सदस्य राज्यों द्वारा उस विशेष देश की पात्र श्रेणियों को जारी किए जाते हैं।
    - वीज़ा स्टिकर की वैधता प्रायः एक वर्ष के लिए होती है। कार्यान्वयन की समीक्षा सार्क सदस्य राज्यों के आव्रजन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जाती है।
- सार्क वीज़ा स्टिकर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा किसी विशेष शहर तक सीमित न रहे और इससे उन्हें पुलिस रिपोर्टिंग एवं सार्क के सदस्य देशों में से किसी में भी प्रवेश पर अतिरिक्त फॉर्म भरने जैसी परेशानियों से बचाया जा सके।

राजनयिक निष्कासन

- पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना एवं वायु सलाहकार निष्कासित घोषित; एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश।
- भारत ने भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने समकक्ष सलाहकारों को वापस बुलाया।

राजनयिक मिशनों के आकार में कमी

- दोनों देशों के मिशनों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय।
- यह प्रक्रिया 1 मई, 2025 तक पूरी की जानी है।

जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारक

पाकिस्तान की भूमिका

- **सीमापार आतंकवाद :** पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार, वित्त एवं पनाहगाह प्रदान करना।
- **ISI की रणनीति :** अस्थिरता फैलाकर भारत को सामरिक व राजनीतिक नुकसान पहुँचाना।
- **घुसपैठ :** नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को बढ़ावा देना।

असंतोष एवं अलगाववादी भावना

- ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से कुछ वर्गों में अलगाववाद की भावना।
- धारा 370 के हटने के बाद उपजे राजनीतिक असंतोष का आतंकी संगठनों द्वारा लाभ उठाया जाना।

युवाओं में कट्टरपंथ एवं भटकाव

- बेरोज़गारी, शिक्षा की कमी और राजनीतिक हाशिए पर रखना कुछ युवाओं को चरमपंथ की ओर मोड़ता है।
- सोशल मीडिया एवं धार्मिक कट्टरता के ज़रिए युवाओं का ब्रेनवॉश किया जाता है।

सूचना तकनीक एवं सोशल मीडिया का दुरुपयोग

- WhatsApp, Telegram और अन्य सुरक्षित ऐप्स के माध्यम से संचार व भर्ती।
- फर्जी खबरों एवं भड़काऊ सामग्री के ज़रिए मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare)।

स्थानीय सहयोग एवं आतंकवाद का नेटवर्क

- कुछ स्थानीय लोगों का आतंकवादियों को आश्रय देना, सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी देना, आदि।
- हवाला नेटवर्क के माध्यम से फंडिंग।

राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक शिथिलता

- लंबे समय तक रही राजनीतिक अस्थिरता ने प्रशासन को कमज़ोर किया।
- लोगों में लोकतंत्र एवं व्यवस्था पर विश्वास में कमी।

समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान न होना

- राजनीतिक संवाद, विकास कार्यक्रम और स्थानीय भागीदारी की धीमी गति।
- 'हार्ट्स एंड माइंड्स' की नीति में निरंतरता की कमी।

समाधान

- कूटनीतिक दबाव एवं सीमा पर सुरक्षा
- स्थानीय युवाओं की मुख्यधारा में भागीदारी
- शिक्षा एवं रोज़गार के अवसर
- कट्टरपंथ की रोकथाम
- न्यायपूर्ण एवं प्रभावशाली प्रशासन

बरसैन घाटी

- **भौगोलिक अवस्थिति :** बरसैन घाटी जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के अंतर्गत पहलगाम क्षेत्र के पास स्थित एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है।
- **भू-प्राकृतिक विशेषता :** हिमालयी पर्वतमाला की इस घाटी को 'मिनी स्विट्ज़रलैंड' भी कहते हैं।
- **नदी :** बरसैन घाटी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नदी 'लिद्दर' (Lidder River) है।
  - यह शेषनाग झील (Sheshnag Lake) से निकलती है और पहलगाम होते हुए अनंतनाग ज़िले में जाकर झेलम नदी में मिलती है।
  - यह पहलगाम, बरसैन घाटी एवं अमरनाथ यात्रा मार्ग से होकर प्रवाहित होती है।
- **पर्यटन महत्त्व :** बरसैन घाटी एडवेंचर टूरिज़्म, ट्रेकिंग, हाइकिंग एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।

नाग मिसाइल प्रणाली

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए के नाग मिसाइल प्रणाली और लगभग 5,000 हल्के वाहनों के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है।

नाग मिसाइल प्रणाली (NAMIS) के बारे में

- **क्या है :** बख्तरबंद वाहनों एवं टैंकों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई एक स्वदेशी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली
- **विकासकर्ता :** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL)
- **प्रारंभ :** वर्ष 1988 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में नाग मिसाइल का विकास प्रारंभ

नाग मिसाइल प्रणाली की विशेषताएँ

- नाग मिसाइल में इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे यह रात में और खराब मौसम में भी प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है।
- इसकी रेंज 2.5–4 किमी. तक है।
- यह दागों एवं भूल जाओ (Fire and Forget) तकनीक से सुसज्जित है।
- यह मिसाइल मल्टीप्लेटफॉर्म सपोर्ट के साथ आती है और ऑटोमैटिक लक्ष्य लॉकिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे इसकी सटीकता में वृद्धि होती है।
- इसे भारतीय सेना द्वारा पूर्ण परिचालन के रूप में उपयोग में लिया गया है।

ग्लाइड बम 'गौरव'

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने सुखोई-30 एम.के. आई. (Sukhoi–30 MKI) युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम (LRGB) 'गौरव' का सफल परीक्षण किया।

'गौरव' के बारे में

- **क्या है :** स्टैंड-ऑफ दूरी से (दुश्मन की हवाई रक्षा सीमा से परे) सतह पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित एक सटीक-निर्देशित एवं लंबी दूरी का ग्लाइड बम
- **विकास एवं डिज़ाइन :** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशाला 'रिसर्च सेंटर इमारत' (RCI), आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज, चाँदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन व विकसित
- **शामिल भागीदार :** विकास-सह-उत्पादन भागीदारों में अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज और विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम शामिल
- **रणनीतिक महत्त्व :** सटीकता, दूरी से हमला एवं स्वदेशीकरण
- **प्रमुख विशेषताएँ :**
  - **वज़न :** 1,000 किग्रा.
  - **मारक क्षमता :** 30 किमी. से 150 किमी. (100 किमी. के निकट प्रदर्शित)
  - **लॉन्च प्लेटफॉर्म :** सुखोई-30 एम.के.आई. (Su–30 MKI)

प्रोजेक्ट वर्षा

भारत द्वारा प्रोजेक्ट वर्षा (Project Varsha) के अंतर्गत वर्ष 2026 में पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस 'आई.एन.एस. वर्षा' चालू करने की योजना है। साथ ही, भारत तीसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी 'आई.एन.एस. अरिदमन' को चालू करने की योजना भी बना रहा है।

प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में

- **क्या है :** भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई एक वर्गीकृत नौसैनिक बुनियादी ढाँचा परियोजना
- **उद्देश्य :** अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी बेस आई.एन.एस. वर्षा का निर्माण करना

- **अवस्थिति :** आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से लगभग 50 किमी. दक्षिण में रामबिल्ली के पास
- **उद्देश्य :** बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और चीन के सामरिक विस्तार के प्रति अवरोधक एवं संतुलन का कार्य करना

प्रमुख विशेषताएँ

- गुप्त तैनाती के लिए अंडरवाटर पनडुब्बी बाड़ एवं सुरंगें।
- 12 परमाणु पनडुब्बियों को पार्क करने की क्षमता।
- हवाई निगरानी एवं उपग्रह द्वारा पहचान से सुरक्षा प्रदान करना।
- इससे उन्नत परमाणु अवसंरचना तक पहुँच संभव होगी।

सामरिक महत्त्व

- अपनी परमाणु पनडुब्बियों की परिचालन तत्परता और सुरक्षा सुनिश्चित करके, प्रोजेक्ट वर्षा भारत की द्वितीयक हमलावर (Second Strike) क्षमता को बढ़ाता है। यह एक विश्वसनीय परमाणु निवारक बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- मलक्का जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख अवरोध बिंदुओं तक पनडुब्बी की तीव्र पहुँच सुनिश्चित होगी। यह चीन की दोहरे उपयोग वाली नौसैनिक सुविधाओं का मुकाबला करता है।

आई.एन.एस. अरिदमन के बारे में

- **परिचय :** उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के अंतर्गत 7,000 टन की परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN)
- **निर्माण :** शिपबिल्डिंग सेंटर, विशाखापत्तनम द्वारा BARC एवं DRDO के सहयोग से
- **उद्देश्य :** निवारक गश्त के दौरान गहरे समुद्र में बिना निगरानी में आए कार्य करना
- **प्रारंभ :** वर्ष 2025 में चालू होने की उम्मीद
  - इससे भारत का परमाणु त्रिकोण मज़बूत होगा।

प्रमुख विशेषताएँ

- अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक K-4 बैलिस्टिक मिसाइल (3,500 किमी. रेंज) ले जाने में सक्षम।
- भारत के पहले दो एस.एस.बी.एन., आई.एन.एस. अरिहंत एवं आई.एन.एस. अरिघात से अधिक उन्नत।
- भारत के अंतर-जलीय परमाणु निरोधक घटक का हिस्सा।

INS सूरत : एक आधुनिक स्टील्थ विध्वंसक

- भारतीय नौसेना ने 24 अप्रैल, 2025 को अपने नवीनतम स्टील्थ विध्वंसक पोत INS सूरत से सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (Surface-to-Air Missile) का सफल परीक्षण किया।
- यह परीक्षण अरब सागर में एक सी-स्किमिंग (Sea-Skimming) लक्ष्य के विरुद्ध किया गया, जो भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

सी-स्कीमिंग (Sea-Skimming)

- सी-स्कीमिंग तकनीक या रणनीति में कोई मिसाइल, ड्रोन या विमान समुद्र की सतह के बहुत निकट (प्रायः 3 से 10 मीटर की अत्यंत निम्न ऊँचाई पर) उड़ान भरता है। इसका मुख्य उद्देश्य रडार एवं अन्य निगरानी प्रणालियों से बचना है। पानी की सतह के निकट रहने से रडार की किरणें सीधा उसे नहीं पकड़ पाती हैं (क्योंकि रडार की लाइन-ऑफ-साइट लिमिट होती है)।
- फ्राँस की एक्सोसेट (Exocet), अमेरिका की हार्पून (Harpoon), भारत की ब्रह्मोस BrahMos (सुपरसोनिक सी-स्कीमिंग) एवं चीन की C-802 (YJ-82) मिसाइल इसके उदाहरण हैं।

उद्देश्य

- दुश्मन के रडार से छुपकर अचानक हमला करना
- मिसाइल को कम समय में डिटेक्ट करना मुश्किल बनाना
- दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना

INS सूरत : एक आधुनिक स्टील्थ विध्वंसक

- **परिचय :** INS सूरत, विशाखापत्तनम श्रेणी (Visakhapatnam-class) का चौथा एवं अंतिम विध्वंसक पोत है जिसे प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किया गया है।
- **निर्माण एवं कमीशनिंग :** इसका निर्माण मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है तथा इस पोत को 15 जनवरी, 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- **तकनीकी विशेषताएँ :** यह भारतीय नौसेना का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम युद्धपोत है जो उन्नत सेंसर, रडार एवं हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है।
  - इसमें सुपरसोनिक सतह-से-सतह में मार करने वाली 'ब्रह्मोस' मिसाइलें एवं 'बराक-8' मध्यम दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई गई हैं।
  - यह विध्वंसक पोत जल के नीचे युद्ध (Undersea Warfare) की क्षमता से लैस है जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-सबमरीन हथियार एवं सेंसर आदि शामिल हैं।
  - इसमें 75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया है जो भारत की बढ़ती रक्षा स्वावलंबन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **रणनीतिक महत्त्व :** प्रौद्योगिकीय उपलब्धि एवं आत्मनिर्भरता
- **अन्य विशेषताएँ :** लगभग 163 मीटर लंबाई, लगभग 7,400 टन वज़न एवं 30 नॉट्स (लगभग 55 किमी./घंटा) गति

❑❑❑

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता

संदर्भ

रूस-यूक्रेन युद्ध विश्व नेताओं और वैश्विक मंचों के बीच चर्चा का एक प्रमुख विषय रहा है। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच हाल ही में हुई बातचीत ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह नेताओं के लिए ऐसी स्थिति को संबोधित करने का सही तरीका है जो जीवन को प्रभावित करना जारी रखती है। क्या नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता पर फिर से विचार करना चाहिए?

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता

- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से तात्पर्य वैश्विक संदर्भ में उन नैतिक मानकों, सिद्धांतों और मूल्यों के अनुपालन से है जो विभिन्न देशों के मध्य संबंधों का संचालन करते हैं।
- यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि वैश्विक मंच पर निर्णय मानवता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के आधार पर लिए जाएंगे।
- इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दे शामिल हैं जिनमें मानवाधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता, वैश्विक न्याय, संसाधनों का दोहन और युद्ध का संचालन आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख नैतिक मूल्य

- सभी देशों के लिए समान अधिकार और सम्मान
- सभी देशों को विकास करने के समान अवसर देना
- अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना
- आंतरिक और बाहरी मामलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना
- आपस में सहयोग बढ़ाने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में काम करना
- गरीबी, अभाव, असमानता को दूर करना
- नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकना
- विश्व आर्थिक व्यवस्था में निष्पक्षता

पंचशील सिद्धांत

- भारत द्वारा अपनी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित विदेश नीति में पंचशील सिद्धांतों का पालन किया जाता है।
- पंचशील समझौते में पाँच मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं :
  - एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना।
  - एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना।
  - एक-दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना।
  - समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना।
  - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का ऐतिहासिक विकास

- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक विचारों का इतिहास चाणक्य, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे प्राचीन राजनीतिक दार्शनिकों से जुड़ा है।
- वेस्टफेलिया की शांति संधि (1648) ने आधुनिक राष्ट्र-राज्य प्रणाली और राज्य संप्रभुता के सिद्धांत की स्थापना की।
- 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल में व्यक्तिगत अधिकारों, तर्क और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर ज़ोर दिया गया।
- प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध की भयावहता के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र) और मानवाधिकार ढाँचे का विकास हुआ।
- शीतयुद्ध का युग संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक संघर्ष और छद्म युद्धों से चिह्नित था।
- शीतयुद्ध के बाद की अवधि में वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और गैर-राज्य अभिनेताओं के प्रसार में वृद्धि देखी गई है।
- 9/11 (अमेरिका) एवं 26/11 (मुंबई) के आतंकवादी हमलों और उसके बाद के 'आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध' ने बल प्रयोग, यातना और निगरानी के बारे में नैतिक प्रश्न खड़े किए हैं।
- कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य असमानताओं, वैक्सीन वितरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित नैतिक मुद्दों को उजागर किया है।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत

- **यथार्थवाद (Realism)** : इस सिद्धांत के अनुसार, राष्ट्रों के मध्य संबंध केवल शक्ति प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्वार्थ पर आधारित होते हैं। इस सिद्धांत में नैतिकता की कोई विशेष भूमिका नहीं होती।
- **उदारवाद (Liberalism)** : यह सिद्धांत मानवाधिकार, लोकतंत्र, और व्यापारिक सहयोग को महत्त्व देता है। इसके अनुसार, नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती है।
- **रचनात्मकतावाद (Constructivism)** : यह सिद्धांत यह मानता है कि राष्ट्रों की पहचान और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से प्रभावित होते हैं।
- **मानवतावाद (Humanism)** : इस सिद्धांत के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नीति को केवल शक्ति और भौतिक लाभ से नहीं, बल्कि मानवता के हित में रखा जाना चाहिए।
- **विश्वबंधुत्व (Cosmopolitanism)** : यह सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देता है कि सभी मनुष्यों की नैतिक स्थिति समान है

और वे एक ही वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आग्रह करता है कि वह राज्यों के हितों के बजाय व्यक्तियों के हित, अधिकार या कल्याण को प्राथमिकता दे, चाहे वे कहीं भी रहते हों।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के स्रोत

- **अंतर्राष्ट्रीय कानून :** विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और कानून, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, और अन्य वैश्विक संधियाँ, नैतिकता के लिए एक बुनियादी ढाँचा प्रदान करती हैं। ये कानूनी ढाँचे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- **वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांत :** अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का एक मुख्य स्रोत वैश्विक मानवाधिकारों के सिद्धांत होते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी मनुष्य को समान अधिकार मिले, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, और समानता के अधिकार।
- **धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ :** विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में नैतिकता के सिद्धांत होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक शिक्षाएँ मानवता, दया, और सहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं।
- **राजनीतिक विचारधाराएँ :** राजनीतिक विचारधाराएँ जैसे कि उदारवाद, साम्यवाद, और समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को प्रभावित करती हैं। ये सिद्धांत देशों के बीच संबंधों, न्याय, और समानता को लेकर दृष्टिकोणों को निर्धारित करते हैं।
- **सामाजिक संवाद :** देशों और वैश्विक समुदायों के बीच संवाद एवं सहयोग भी एक महत्त्वपूर्ण नैतिक स्रोत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठनों और वार्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान नैतिक तरीके से किया जाए।
- **शैक्षणिक स्रोत :** विद्वानों, दार्शिनिकों और शोधकर्ताओं के बीच नैतिक चर्चा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को आकार देने एवं बेहतर बनाने में योगदान देती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और थिंक टैंक नैतिक ढाँचे पर चर्चा करने व उसे परिष्कृत करने के लिए मंच प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख नैतिक चिंताएँ

- बल प्रयोग और सैन्य हस्तक्षेप न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत, मानवीय हस्तक्षेप एवं सुरक्षा के दायित्व के बारे में नैतिक प्रश्न उठाते हैं।
- परमाणु हथियार मानवता के अस्तित्व पर खतरा पैदा करते हैं और निवारण, प्रसार व निरस्त्रीकरण के बारे में नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- आतंकवाद और आतंकवाद-रोधी उपायों में अक्सर सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच समझौता शामिल होता है।
- वैश्विक गरीबी और असमानता वितरणात्मक न्याय, विदेशी सहायता एवं धनी देशों के दायित्वों के बारे में नैतिक चिंताएँ बढ़ाती है।
- जलवायु परिवर्तन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अनुकूलन और शमन से संबंधित अंतर-पीढ़ीगत और अंतर्राष्ट्रीय न्याय संबंधी मुद्दे प्रस्तुत करता है।
- प्रवासन और शरणार्थी संकट सीमा नियंत्रण, शरण नीतियों और विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में नैतिक प्रश्न उठाते हैं।
- सरकारों और गैर-राज्यीय अभिकर्ताओं द्वारा मानवाधिकारों का हनन व्यक्तिगत सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को चुनौती देता है।
- स्वास्थ्य सेवा व आवश्यक दवाओं तक पहुँच सहित वैश्विक स्वास्थ्य असमानताएँ न्याय और एकजुटता के नैतिक मुद्दों को उठाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हालिया नैतिक मुद्दे

- **मानवाधिकार :** इसमें बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच। राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर और दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों में इन मौलिक अधिकारों का सम्मान करें और उनकी रक्षा करें।
- **पर्यावरणीय स्थिरता :** धरती का स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो सभी देशों को प्रभावित करता है, और यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि पर्यावरण को संरक्षित करना एक नैतिक अनिवार्यता है। राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाएँ और जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण जैसी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करें।
- **सामाजिक न्याय :** संसाधनों और अवसरों का न्यायसंगत वितरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक केंद्रीय नैतिक चिंता का विषय है। राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण विश्व बनाने की दिशा में काम करें, जहाँ संसाधनों का उचित वितरण हो और सभी व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का अवसर मिले।
- **मानवीय हस्तक्षेप :** यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि जब राष्ट्र ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो अन्य देशों के व्यक्तियों के जीवन या कल्याण को खतरे में डालते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की हस्तक्षेप करने की ज़िम्मेदारी होती है। यह राजनयिक दबाव से लेकर सैन्य हस्तक्षेप तक कई रूपों में हो सकता है, और इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना व मानवीय पीड़ा को रोकना है।

आगे की राह

- **वैश्विक सहयोग बढ़ाना :** राष्ट्रों को आपसी सहयोग बढ़ाने और वार्ता के द्वारा विवादों का समाधान ढूँढने की आवश्यकता है।
- **मानवाधिकारों का सम्मान :** सभी देशों को मानवाधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
- **संवेदनशीलता :** सभी देशों को एक-दूसरे की संस्कृति, इतिहास और समाज को समझते हुए अपने संबंधों को कायम रखना चाहिए।
- **न्याय का पालन :** युद्ध के दौरान, अत्याचार, युद्ध अपराध और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा से बचना चाहिए।
- **शांति के प्रयास :** युद्ध की समाप्ति के बाद शांति समझौतों और पुनर्निर्माण प्रयासों के माध्यम से स्थिरता एवं सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- **गैर-राज्य अभिकर्ता :** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मानदंडों और प्रथाओं को आकार देने में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (एनजीओ, बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों) की भूमिका को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **तकनीकी नियंत्रण :** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नैतिक आचरण पर उभरती प्रौद्योगिकियों (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध, स्वायत्त हथियार) का प्रभाव नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- **सॉफ्ट पावर :** सीमाओं के पार नैतिक मानदंडों और मूल्यों को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **निरंतर अनुसंधान और संवाद :** उभरती नैतिक चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई वास्तविकताओं के अनुरूप मौजूदा ढाँचे को अनुकूलित करने के लिए निरंतर अनुसंधान और संवाद की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का पालन करना सभी देशों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ-साथ वैश्विक शांति, न्याय और मानवता के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। शक्ति और स्वार्थ पर आधारित निर्णयों के स्थान पर मानवता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित निर्णय ही मानवता के लिए दीर्घकालिक शांति व स्थिरता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमें मानवता की खातिर युद्धों से बचना चाहिए। अगर युद्ध जरूरी है, तो इसे केवल मानवता की रक्षा के लिए लड़ा जाना चाहिए। यह दुनिया भर के देशों का मार्गदर्शन करने वाला सार्वभौमिक नैतिक ढाँचा होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र को भी इस मानवीय दायित्व को अपनाना चाहिए। तथा दुनिया के नेताओं को मानवीय मूल्यों के मार्ग पर चलना चाहिए।

केस स्टडी-1

- सरकार के एक मंत्रालय में आप ज़िम्मेदार पद पर हैं। एक दिन सुबह आपके 11 साल के बेटे के स्कूल से फोन आया कि आपको प्रिंसिपल से मिलने आना है। आप स्कूल गए और आपने अपने बेटे को प्रिंसिपल के कार्यालय में देखा। प्रिंसिपल ने आपको सूचित किया कि जिस समय कक्षाएँ चल रही थीं, उस समय आपका बेटा मैदान में बेमतलब घूमता हुआ पाया गया था। कक्षा-शिक्षक आपको बताते हैं कि आपका बेटा इधर अकेला पड़ गया है और कक्षा में सवालों का जवाब नहीं देता है, वह हाल ही में आयोजित फुटबॉल ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ रहा है। आप अपने बेटे को स्कूल से ले आते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ बेटे के बदलते व्यवहार के कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बार-बार मनाने के बाद, आपके बेटे ने साझा किया कि कुछ बच्चे कक्षा में और छात्रों के व्हाट्सअप ग्रुप में उसे बौना, मूर्ख और मेंढक कहकर उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। वह आपको कुछ बच्चों के नाम बताता है जो मुख्य दोषी हैं लेकिन आपसे मामले को शांत रहने देने की विनती करता है।
- कुछ दिनों बाद, एक खेल आयोजन के दौरान, जहाँ आप और आपकी पत्नी अपने बेटे को खेलते हुए देखने गए थे, आपके एक सहकर्मी का बेटा आपको एक वीडियो दिखाता है जिसमें छात्रों ने आपके बेटे का व्यंग्यचित्र बनाया है। इसके अलावा, वह उन दोषी बच्चों की ओर इशारा करता है जो स्टैंड में बैठे थे। आप जान-बूझकर अपने बेटे के साथ उनके पास से गुज़रते हैं और घर लौटते हैं। अगले दिन, सोशल मीडिया पर आपको, आपके बेटे को और यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी बदनाम करने वाला एक वीडियो मिलता है, जिसमें कहा गया है कि आप खेल के मैदान पर बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करने में लगे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपके मित्रों और सहकर्मियों ने पूरा विवरण जानने के लिए आपको फोन करना शुरू कर दिया। आपके एक जूनियर ने आपको एक जवाबी वीडियो बनाने की सलाह दी जिसमें पृष्ठभूमि दी जाए और बताया जाए कि मैदान पर कुछ भी नहीं हुआ है। बदले में आपने एक वीडियो पोस्ट किया जिसे आपने खेल आयोजन के दौरान बनाया था, जिसमें संभावित गड़बड़ी करने वालों की पहचान की गई थी जो आपके बेटे की परेशानी के लिए ज़िम्मेदार थे। आपने यह भी बताया है कि मैदान में वास्तव में क्या हुआ था और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को सामने लाने का प्रयास किया है।

(a) उपर्युक्त केस स्टडी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

(b) अपने परिवार के खिलाफ फर्जी प्रचार का मुकाबला करने के लिए तथ्यों को सामने रखने हेतु आपके द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए।

(सिविल सेवा परीक्षा 2023)

उत्तर :

सोशल मीडिया आज के समय का एक सशक्त संचार माध्यम बन चुका है। यह जहाँ एक ओर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग से गंभीर सामाजिक, नैतिक और मानसिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उपरोक्त केस स्टडी में एक ज़िम्मेदार अधिकारी की पारिवारिक स्थिति और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से उत्पन्न जटिलताओं को दर्शाया गया है।

(a) सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दों की चर्चा

व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन

उपरोक्त केस स्टडी में देखा गया कि बिना अनुमति के बच्चे का व्यंग्यचित्र और वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए। यह न केवल बच्चे की निजता का हनन है, बल्कि यह एक अनैतिक एवं असंवेदनशील कृत्य भी है। सोशल मीडिया पर किसी की अनुमति के बिना उसकी तस्वीरें या वीडियो साझा करना, व्यक्तिगत सम्मान और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

साइबर बुलिंग और मानसिक उत्पीड़न

बच्चे को 'बौना', 'मूर्ख' और 'मेंढक' जैसे शब्दों से बुलाया जाना, उसके खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में मज़ाक उड़ाया जाना, स्पष्ट रूप से साइबर बुलिंग (Cyberbullying) का मामला है। इस प्रकार की हिंसा बच्चों की आत्मविश्वास पर प्रतिकूल असर डालती है और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकती है।

अफवाहों और फर्जी प्रचार का प्रसार

सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी जानकारी, जैसे कि अधिकारी द्वारा बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप, एक फेक न्यूज़ का उदाहरण है। यह न केवल किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि समाज में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करता है।

डिजिटल नैतिकता की कमी

सोशल मीडिया पर जो भी सामग्री साझा की जाती है, उसके पीछे एक नैतिक सोच होनी चाहिए। लेकिन इस केस स्टडी में बच्चों द्वारा की गई हरकतें, और बाद में वीडियो के वायरल होने की घटना दर्शाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नैतिक शिक्षाओं का अभाव है।

बदले की भावना और प्रतिक्रिया की नैतिकता

हालाँकि, अधिकारी ने जवाब में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें तथ्यों को सामने लाया गया, फिर भी यह एक नैतिक प्रश्न खड़ा करता है- क्या सोशल मीडिया पर जवाब देना उचित है? यह कदम स्थिति को शांत करने के बजाय और अधिक चर्चा व विवाद का विषय भी बना सकता है। अतः यहाँ संतुलन एवं संयम की नैतिकता ज़रूरी है।

(b) फर्जी प्रचार के विरुद्ध सोशल मीडिया के उपयोग: लाभ एवं हानियाँ

I. सोशल मीडिया के उपयोग से लाभ

- **सत्य का प्रकटीकरण :** सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारी ने वह वीडियो साझा किया जो उन्होंने खेल आयोजन के समय बनाया था। इस वीडियो में घटना की सच्चाई, और उसमें शामिल छात्रों की पहचान स्पष्ट रूप से दर्शाई गई थी। इससे झूठी अफवाहों का खंडन हुआ और लोगों को वास्तविकता समझने में मदद मिली।
- **समाज को जागरूक बनाना :** अधिकारी ने केवल अपने बेटे के मामले को स्पष्ट नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले मानसिक, सामाजिक और नैतिक प्रभावों को भी उजागर किया। इस प्रकार, उन्होंने समाज में डिजिटल नैतिकता के प्रति चेतना फैलाने का कार्य किया।
- **अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा :** सोशल मीडिया पर झूठे आरोपों का खंडन करना और सही तथ्य सामने रखना, परिवार की सामाजिक छवि को सुरक्षित करने में सहायक होता है। यदि चुप रहा जाए, तो अफवाहें और गहराई से फैल सकती हैं।
- **साक्ष्य के रूप में सामग्री प्रस्तुत करना :** सोशल मीडिया पर साझा किया गया वीडियो भविष्य में कानूनी कार्रवाई या प्रशासनिक हस्तक्षेप के लिए एक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य भी बन सकता है। यह घटनाओं का दस्तावेज़ीकरण करने का एक प्रभावी तरीका है।

II. सोशल मीडिया के उपयोग से संभावित हानियाँ

- **सामाजिक विवाद में बढ़ोतरी :** सोशल मीडिया पर जवाबी वीडियो साझा करने से कुछ लोग इसे प्रतिकारात्मक कदम मान सकते हैं व मामला और ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है। इससे मामले में और अधिक पक्षपात, मतभेद एवं ट्रोलिंग की संभावना बढ़ जाती है।
- **बच्चे की मानसिक स्थिति पर प्रभाव :** पूरे घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर चर्चा होना एक बच्चे के लिए अत्यंत तनावपूर्ण हो सकता है। वह अपने आप को बार-बार उस स्थिति में देखता है और मानसिक रूप से अधिक विचलित हो सकता है।
- **परिवार की निजता का हनन :** जब पूरा मामला सार्वजनिक होता है, तो केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बच्चा भी जनता के विचारों व टिप्पणियों के सामने आ जाते हैं। इससे परिवार की गोपनीयता और मानसिक शांति भंग होती है।

- **पेशेवर छवि को खतरा :** एक ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारी होने के नाते, किसी विवाद से जुड़ना भले ही अनचाहा हो, उसकी पेशेवर छवि और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर प्रभाव डाल सकता है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें व्यक्तिगत से अधिक आधिकारिक पहचान को प्रभावित कर सकती हैं।

निष्कर्ष

- इस केस स्टडी से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया का उपयोग एक दुधारी तलवार है। एक ओर यह समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता लाने का सशक्त माध्यम है, वहीं दूसरी ओर इसके अनियंत्रित और अनैतिक प्रयोग से व्यक्ति विशेष, परिवार व समाज को गहरी क्षति पहुँच सकती है।
- एक उत्तरदायी नागरिक और अधिकारी के रूप में सोशल मीडिया के प्रयोग में सत्य, संयम और नैतिक विवेक को सर्वोपरि रखना चाहिए। बच्चों को डिजिटल नैतिकता की शिक्षा देना, स्कूलों में साइबर शिष्टाचार के पाठ्यक्रम को शामिल करना और अफवाहों की संस्कृति को हतोत्साहित करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

केस स्टडी-2

- भारत विगत चार दशक से पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेलता आ रहा है। बीते 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू एवं कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस क्रूर घटना में देश के विभिन्न राज्यों से पहुँचे 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। यह हमला न सिर्फ मानवता के विरुद्ध है, बल्कि यह देश की एकता, सामाजिक समरसता और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी उभरकर सामने आया है। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुर्दांत आतंकियों ने न किसी पर्यटक से उसकी जाति पूछी और न ही क्षेत्र। बस, पूछा तो केवल धर्म। कुल मिलाकर, केवल धर्म के नाम पर हिंसा को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पर्यटकों से उनकी पहचान पूछी गई और कथित तौर पर 'काफिर' मानकर उन्हें निशाना बनाया गया। यह एक बार फिर उस कट्टरपंथी सोच को उजागर करता है, जो आतंकवाद को धार्मिक पहचान से जोड़कर अपनी नापाक साज़िशों को अंजाम देती है।
- यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल के वर्षों में पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और मेवात जैसे इलाकों में भी ऐसी घटनाएं देखी गई। पुलवामा जैसे आतंकी हमलों की छाया आज भी देश की सामूहिक स्मृति में ताज़ा है। इन हमलों का उद्देश्य स्पष्ट रहा है- भारत में अशांति फैलाना, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और सरकार व जनता के बीच अविश्वास पैदा करना।
- पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने जिस तीव्रता से निर्णय लिए हैं, उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार बैकफुट पर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में सरकार की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ मंशा परिलक्षित हुई। खास बात यह है कि दुनियाभर के देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। भारत ने अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तानियों को दिए जाने वाले वीज़ा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के मामले में भी कुछ सीमाएँ तय की गईं। पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के कुछ स्टाफ को वापस बुला लिया गया। सरकार द्वारा मीडिया से आतंकरोधी अभियानों की रिपोर्टिंग न करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
- सुरक्षा विशेषज्ञों की मानें तो, ये कार्रवाई केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक जवाब की ओर भी संकेत कर रही हैं। भारत सरकार पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के ज़रिए यह स्पष्ट कर चुकी है कि, आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति 'शून्य सहिष्णुता' की है। अब, जब सरकार ने प्रारंभिक कूटनीतिक प्रतिक्रियाएँ दे दी हैं, तो संभव है कि आने वाले दिनों में कोई कदम भी उठाया जाए। पहलगाम की घटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, बल्कि भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ एक संगठित साज़िश है। ऐसे समय में जब कुछ शक्तियाँ देश में डर और अविश्वास का माहौल बनाना चाहती हैं, सरकार का यह दृढ़ और निर्णायक रुख यह दर्शाता है कि भारत झुकने वाला नहीं है।
- उपरोक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

  (a) पहलगाम हमले जैसे आतंकी घटनाओं के संदर्भ में राज्य की ज़िम्मेदारी और आम नागरिक की अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कौन-कौन से नैतिक सिद्धांतों का पालन आवश्यक है?

  (b) इस प्रकार की घटनाओं में सेना द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को नैतिक मर्यादा में बनाए रखने हेतु कौन-से मूलभूत नैतिक मूल्य प्रासंगिक हैं?

  (c) ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सोशल मीडिया और जनमाध्यमों की भूमिका क्या होनी चाहिए, और इनकी रिपोर्टिंग को नैतिक रूप से संतुलित कैसे बनाया जा सकता है?

❑❑❑

विविध

राष्ट्रीय घटनाक्रम

जूविन पोर्टल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटी-रेबीज एवं एंटी-स्नेक वेनम टीकों की वास्तविक समय में उपलब्धता की निगरानी के लिए जूविन पोर्टल (Zoonoses-WIN : ZooWIN Portal) लॉन्च किया है।

जूविन पोर्टल के बारे में

- **क्या :** पूरे भारत में एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) एवं एंटी-स्नेक वेनम (ASV) के स्टॉक की निगरानी करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल
- **कार्य :** विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना
- **विकास :** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारा विकसित
- **प्रारंभ :** दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुडुचेरी एवं आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन
- **तकनीकी समर्थन :** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा
- **उद्देश्य :** रेबीज व सर्पदंश जैसी जूनोटिक बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार में मज़बूती लाना और समय पर उपलब्धता तथा वितरण के लिए वैक्सीन स्टॉक की वास्तविक समय दृश्यता सुनिश्चित करना

eVIN एवं U-WIN

- यू-विन (U-WIN) डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सभी टीकाकरण सेवाओं को डिजिटल करता है जिससे गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों (जन्म से 16 वर्ष) को 12 टीकों के माध्यम से टीका प्रदान किया जा सके।
- इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) एक नवीन तकनीकी समाधान है जिसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए देश के सभी कोल्ड चेन प्वॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार तथा बाज़ार में उपलब्धता व भंडारण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी देना है।

जूविन की मुख्य विशेषताएँ

- eVIN एवं U-WIN आर्किटेक्चर का उपयोग करके वैक्सीन की वास्तविक समय ट्रैकिंग
- ए.आर.वी. या ए.एस.वी. से सुसज्जित निकटतम स्वास्थ्य केंद्र का पता लगाने में सहायक
- पूर्ण उपचार के लिए पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) के लिए रोगियों की ट्रैकिंग
- वन हेल्थ अप्रोच के साथ एकीकरण
  - यह सर्पदंश से बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE) का समर्थन करता है जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मृत्यु दर में 50% की कमी लाना है।
- सार्वजनिक हेल्पलाइन सेवा 15400 का संचालन

कलैगनार कैविनाई थिट्टम

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के पारंपरिक कारीगरों के समग्र विकास के लिए कलैगनार कैविनाई थिट्टम (Kalaignar Kaivinai Thittam) नामक एक महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना केंद्र सरकार की 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसमें जाति-आधारित भेदभाव से मुक्त होकर सभी कारीगरों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

योजना के बारे में

- **लाभार्थी :** 25 चिह्नित शिल्पों में कार्यरत तमिलनाडु के पारंपरिक कारीगर
- **सहायता :** वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण एवं विपणन में सहयोग
- **लॉन्च तिथि :** 19 अप्रैल, 2025 को कांचीपुरम में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- **पारंपरिक कारीगरों का संरक्षण :** राज्य के 25 पारंपरिक शिल्पों को पुनर्जीवित करना और उन्हें आधुनिक बाज़ार के अनुरूप बनाना
- **आर्थिक सशक्तीकरण :** कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वे अपने व्यवसाय को स्थिरता एवं विस्तार दे सकें।
- **कौशल विकास :** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों के कौशल में सुधार करना, ताकि वे प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में टिक सकें।
- **जाति समावेशिता :** इस योजना में सभी जातियों के कारीगरों को शामिल किया गया है जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है।

त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी नेटवर्क

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपनी प्रमुख पहल 'त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी (Partnerships for Accelerated Innovation and Research: PAIR)' कार्यक्रम के अंतर्गत पी.ए.आई.आर. नेटवर्क के चयन की घोषणा की है जिसमें 18 हब संस्थान एवं 106 भागीदार स्पोक शामिल हैं।

पी.ए.आई.आर. नेटवर्क के बारे में

- पी.ए.आई.आर. नेटवर्क संरचित मार्गदर्शन एवं सहयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अग्रणी शोध संस्थानों से जोड़ता है।
- गहन शोध जुड़ाव एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए चयनित संस्थानों को दो रणनीतिक मोड में वर्गीकृत किया गया है:
  - श्रेणी ए : 45 स्पोक के साथ 7 हब संस्थान
  - श्रेणी बी : 61 स्पोक के साथ 11 हब संस्थान

पी.ए.आई.आर. कार्यक्रम के बारे में

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के दृष्टिकोण में निहित PAIR कार्यक्रम भारत के शैक्षणिक परिदृश्य की अप्रयुक्त शोध क्षमता को अनलॉक करने के लिए ANRF के मिशन में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, शोध क्षमता का निर्माण करके और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर भारत की उच्च शिक्षा व शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

- भारत सरकार ने ANRF अधिनियम, 2023 के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना की है।
- **उद्देश्य** : देश में अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता को उच्चस्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना है, विशेषकर प्राकृतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि व मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस के क्षेत्रों में।

कार्य

- भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों व R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना
- शिक्षकों व छात्रों को अनुसंधान में संलग्न करने के लिए योजनाओं की शुरुआत और सुदृढ़ीकरण
- उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना
- उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को समर्थन एवं प्रोत्साहन देना

वित्त पोषण

- ANRF को वर्ष 2023-2028 की अवधि में कुल ₹50,000 करोड़ से वित्तपोषित करने की योजना है।
  - इसमें से ₹14,000 करोड़ केंद्रीय सरकार से और शेष राशि निजी क्षेत्र, उद्योग तथा अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगी।

प्रशासनिक संरचना

- **गवर्निंग बोर्ड** : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
- **कार्यकारी निकाय** : विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संचालित

आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक-एक 'आदर्श संस्कृत ग्राम' (Model Sanskrit Village) स्थापित करने के लिए 'आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम' को मंज़ूरी दी है।

आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम के बारे में

- **क्या है** : उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल
- **लक्ष्य** : राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक-एक गाँव को संस्कृत भाषा एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित करने पर केंद्रित
- **क्रियान्वयन** : उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा मंत्रालय द्वारा
- **आर्थिक सहयोग** : सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा
- **शामिल गाँव** : भोगपुर (देहरादून), मुकेम (टिहरी) कोटगाँव (उत्तरकाशी), बैजी (रुद्रप्रयाग), डिम्मर (चमोली), गोड़ा (पौड़ी), उर्ग (पिथौरागढ़), पांडेकोटा (अल्मोड़ा), सेरी (बागेश्वर), खर्क कार्की (चंपावत), नूरपुर (हरिद्वार), पांडेगाँव (नैनीताल), नगला तराई (ऊधम सिंह नगर)
- **अनुभव आदान-प्रदान** : भारत के एकमात्र पूर्ण संस्कृत भाषी कर्नाटक के 'मत्तूर गाँव' की अध्ययन यात्राएँ कराना
- **तकनीकी सहयोग** : IIT रुड़की के साथ मिलकर AI- आधारित परियोजनाएँ और सभी संस्कृत ग्रंथों को डिजिटल रूप से संगृहीत करके एक बड़ा भाषा मॉडल (LLM) तैयार करना

आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम के उद्देश्य

- संस्कृत भाषा का सर्वसुलभ एवं जीवंत उपयोग सुनिश्चित करना
- युवाओं व ग्रामीण समाज को भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषदों एवं पुरातन ग्रंथों से जोड़ना
- संस्कृत को जाति, धर्म व वर्ग की सीमाओं से बाहर लाकर समावेशी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना
- रोज़गार के अवसर बढ़ाना और भाषा दक्षता के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
- भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

- **प्रारंभिक चरण में 13 गाँव :** प्रत्येक ज़िले से एक गाँव का मॉडल संस्कृत ग्राम के रूप में चयन
- **शिक्षक की नियुक्ति :** प्रत्येक गाँव में ₹20,000 मासिक वेतन पर एक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति
- **प्रशिक्षण व्यवस्था :** चयनित शिक्षकों को संस्कृत अकादमी, हरिद्वार में प्रशिक्षण
- **शिक्षण सामग्री :** सरल संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत गीता, रामायण, पंचतंत्र, वेदों के अंश, दुर्गा सप्तशती आदि शामिल
- **सामाजिक समावेशिता :** मुस्लिम, दलित एवं जनजातीय समुदायों को भी भाग लेने का अवसर
- **प्रतियोगिताएँ एवं परीक्षाएँ :** गाँवों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन और विद्यार्थियों की नियमित परीक्षा
- **रोज़गार से जुड़ाव :** रोज़गार के लिए औद्योगिक संस्थानों को जोड़ना
- **सार्वजनिक स्थानों पर संस्कृत संकेत :** सचिवालय, विधान सभा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि पर संस्कृत साइनबोर्ड लगाना

वारंगल चपाता मिर्च

तेलंगाना की 'वारंगल चपाता मिर्च' और केरल के जनजातीय हस्तशिल्प 'कन्नडिप्पया' को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया गया है।

वारंगल चपाता मिर्च के बारे में

- **परिचय :** यह मिर्च सोलानेसी कुल (Family) के कैप्सिकम एनम एल. से संबंधित है। टमाटर जैसी आकृति के कारण इसे 'टमाटर मिर्च' भी कहा जाता है।
  - भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला यह तेलंगाना का पहला बागवानी एवं तीसरा कृषि उत्पाद है।
- **वारंगल चपाता मिर्च के प्रकार :**
  - सिंगल पट्टी (Single Patti)
  - डबल पट्टी (Double Patti)
  - ओडालु (Odalu)

क्या आप जानते हैं

वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में 'मिर्च' को 'फल' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। टमाटर एवं भिंडी भी फल की ही श्रेणी में आते हैं।

- **विशेषताएँ :** यह मिर्च अपने चमकीले लाल रंग एवं कम तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है।
  - इसमें अनेक एंटी-ओबेसोजेनिक, एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी एवं न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं।
  - इसका रंग मान 134.1 से 149.1 ASTA इकाइयों तक होता है जो इसे सिंथेटिक खाद्य रंगों का एक उत्कृष्ट प्राकृतिक विकल्प बनाता है।
    - कुछ मसालों के संदर्भ में ए.एस.टी.ए. यूनिट रंग की तीव्रता के माप को संदर्भित करता है, जिसे अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (ASTA) की रंग माप पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- **उपयोग :** इस मिर्च का उपयोग ज़्यादातर अचार बनाने में किया जाता है। मिठाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों, पेय पदार्थों, फार्मास्युटिकल्स एवं कपड़ा उद्योगों में रंग के लिए भी इसका उपयोग होता है।
- **खेती की शुरुआत :** ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इसकी खेती लगभग 80 वर्ष पहले जम्मीकुंटा मंडल के नागरम गाँव में शुरू हुई थी, जिसमें नादिकुडा गाँव संभवत: सबसे पुराना स्रोत है।
  - आसपास के समुदायों में इस किस्म का प्रसार मुख्यत: वेलामा समुदाय द्वारा बीज को साझा करने के माध्यम से हुआ।
- **कटाई एवं प्रसंस्करण**
  - कटाई का मौसम फरवरी से मार्च तक होता है ।
  - फलियों को तब तोड़ा जाता है जब वे पूरी तरह पक जाती हैं और 60-70% तक पौधे पर ही सूख जाती हैं।
  - सूखी फलियों में नमी की मात्रा अच्छी रहती है तथा भंगुरता कम होती है जिसके कारण वे निर्यात एवं प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होती हैं।
- **वार्षिक उत्पादन :** लगभग 11,000 टन

कन्नडिप्पया हस्तशिल्प

- **क्या है :** यह केरल के आदिवासी समुदायों द्वारा निर्मित एक पारंपरिक बाँस की चटाई है।
- **नामकरण :** कन्नडिप्पया का शब्दिक अर्थ 'दर्पण चटाई' (Mirror Mat) है। इसे यह नाम इसके अद्वितीय परावर्तक पैटर्न के कारण दिया गया है।

- **उत्पत्ति :** इडुक्की (केरल)
- **निर्माण सामग्री :** अच्छी गुणवत्ता वाला कन्नडिप्पया ईख बाँस मुलायम आंतरिक परतों से बुना जाता है जिसे स्थानीय रूप से नजूनजिलीट्टा, नजूजूरा, पोन्नीटा, मीइता एवं नेथीटा के नाम से जाना जाता है।
    - इसके अलावा इसे बाँस की प्रजातियों का उपयोग करके भी बुना जाता है।
- **संबंधित जनजातीय समुदाय :** यह चटाई मुख्यत: पाँच जातीय समूहों- ओराली, मन्नान, मुथुवा, मलायन एवं कादर जनजातियों द्वारा बुनी जाती है जो मुख्यत: इडुक्की, त्रिशूर, एर्नाकुलम व पलक्कड़ ज़िलों में निवास करते हैं।
    - हालाँकि, कुछ अन्य स्वदेशी समुदाय, जैसे- उल्लादान, मलयारायन एवं हिल पुलाया आदि भी कुछ सीमा तक इस कार्य में संलग्न हैं।
- **विशिष्ट गुण :** यह चटाई शीतकाल के दौरान गर्मी तथा ग्रीष्मकाल के दौरान शीतलता प्रदान करने जैसे अपने विशिष्ट गुणों के लिए जानी जाती है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व :** आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से अपने सांस्कृतिक उत्सवों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में कन्नडिप्पया का उपयोग करते हैं।
    - ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि कन्नडिप्पया को कभी जनजातीय समुदायों द्वारा राजाओं को सम्मान के प्रतीक के रूप में भेंट किया जाता था।

भौगोलिक संकेतक

- **क्या है :** भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा लेबल है जो ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उत्पत्ति व गुणवत्ता को भौगोलिक स्रोत के आधार पर प्रमाणित करता है।
- **वैधता :** इसका पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है तथा इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- **प्रदानकर्ता निकाय :** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा।
- **कानूनी ढाँचा :** जी.आई. टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित।
- **पहला उत्पाद :** वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था।

समुद्र प्रदक्षिणा मिशन

भारत की तीनों सेनाओं- थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना की महिला सैनिकों को 'समुद्र प्रदक्षिणा मिशन' के लिए भेजा गया है।

समुद्र प्रदक्षिणा मिशन

- **क्या है :** यह भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन अभियान है जो मुंबई एवं सेशेल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य समुद्री प्रयासों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं समुद्री कौशल को बेहतर करना है।
- **महत्त्व :** यह अभियान वर्ष 2026 के लिए नियोजित एक महत्त्वाकांक्षी जलयात्रा नौकायन अभियान के लिए एक प्रारंभिक चरण के रूप में कार्य करेगा।
    - यह यात्रा भारत एवं सेशेल्स के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।
- **समापन :** 30 मई, 2025 को

प्रमुख बिंदु

- मिशन के तहत भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना की 12 महिला अधिकारी दल आई.ए.एस.वी. त्रिवेणी पर मुंबई-सेशेल्स-मुंबई की 55-दिवसीय 4,000 समुद्री मील की यात्रा की जाएगी।
- इस अभियान में आधुनिक नेविगेशन टूल्स की बजाय पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा।
- यह अभियान न केवल सशस्त्र बलों में महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रतीक है बल्कि रानी वेलु नचियार, रानी दुर्गावती एवं रानी लक्ष्मी बाई जैसी भारत की महान योद्धा रानियों को भी श्रद्धांजलि देता है जिनके कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं।
- यह अभियान समुद्री प्रयासों में समावेशिता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अंतर-संसदीय संघ

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union : IPU) की 150वीं सभा को संबोधित किया। 'सामाजिक विकास एवं न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई' विषय पर संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान की समावेशी व कल्याणकारी प्रकृति पर ज़ोर दिया।

अंतर-संसदीय संघ के बारे में

- **क्या है :** यह राष्ट्रीय स्तर के संसदों का वैश्विक संगठन है जो संसदीय कूटनीति को सुगम बनाता है तथा विश्व भर में

शांति, लोकतंत्र एवं सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए संसदों व सांसदों को सशक्त बनाता है।

- **स्थापना :** वर्ष 1889 में
- **संस्थापक :** फ्राँस के फ्रेडेरिक पैसी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रैंडल क्रेमर
- **वर्तमान सदस्य :** 182 पूर्णकालिक और 15 एसोसिएट सदस्य
- **आदर्श वाक्य :** 'लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए'
- **दृष्टिकोण :** एक ऐसे विश्व का निर्माण करना, जहाँ हर आवाज़ मायने रखती हो तथा जहाँ लोकतंत्र एवं संसद शांति व विकास के लिए लोगों की सेवा में कार्यरत हों।
- **मुख्यालय :** जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड

अंतर-संसदीय संघ के लक्ष्य

- लोकतांत्रिक शासन, संस्थाओं एवं मूल्यों को बढ़ावा देना
- संसदों और सांसदों के साथ मिलकर लोगों की ज़रूरतों व आकांक्षाओं को व्यक्त करना तथा उनका जवाब देना
- राजनीतिक संवाद, सहयोग व संसदीय कार्रवाई के ज़रिए शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण, जलवायु कार्रवाई एवं सतत् विकास के लिए कार्य करना

सूचकांक एवं रिपोर्ट

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025

टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report : IJR), 2025 जारी की है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR), 2025 के बारे में

- **परिचय :** यह रिपोर्ट भारत की चार प्रमुख न्यायिक संस्थाओं– पुलिस, न्यायपालिका, जेल एवं विधिक सहायता की स्थिति का मूल्यांकन करती है जो कि न्याय की पहुँच व गुणवत्ता को मापने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
- **जारीकर्ता :** टाटा ट्रस्ट द्वारा विभिन्न नागरिक समाज संगठनों एवं डाटा भागीदारों के सहयोग से
- **संस्करण :** चौथा

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **महिलाओं की भागीदारी में गिरावट**
  - पूरे देश में पुलिस बल में कुल 20.3 लाख कर्मियों में से वरिष्ठ पदों पर 1,000 से भी कम महिलाएँ हैं।
  - कोई भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया है।
- **न्यायालयों एवं जेलों की स्थिति**
  - उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भीड़भाड़ वाली जेलें हैं और उच्च न्यायालयों में आधे से अधिक जजों के पद रिक्त हैं।
  - दिल्ली की जेलों में 91% कैदी विचाराधीन हैं जो न्यायिक प्रक्रियाओं की धीमी गति को दर्शाता है।
- **पुलिसिंग अवसंरचना की खामियाँ**
  - देश के 17% पुलिस थानों में CCTV नहीं हैं।
  - 30% पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क नहीं है।
  - प्रति 831 नागरिकों पर मात्र एक सिविल पुलिसकर्मी उपलब्ध है।
- **वित्तीय व्यय की स्थिति**
  - **विधिक सहायता पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय :** ₹6 प्रतिवर्ष
  - **जेलों पर व्यय :** ₹57 प्रति व्यक्ति; आंध्र प्रदेश में प्रति कैदी व्यय ₹2,67,673
  - **न्यायपालिका पर व्यय :** ₹182 प्रति व्यक्ति; कोई भी राज्य न्यायपालिका पर 1% से अधिक वार्षिक बजट व्यय नहीं करता है।
  - **पुलिस पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय :** ₹1,275— चारों स्तंभों में सर्वाधिक।

सभी स्तंभों में विभिन्न राज्यों की स्थिति

बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य

- **श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य :** कर्नाटक > आंध्र प्रदेश > तेलंगाना > केरल > तमिलनाडु
- **निचले पायदान पर रहे राज्य :** पश्चिम बंगाल > उत्तर प्रदेश > उत्तराखंड > झारखंड > राजस्थान

छोटे राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता

- सिक्किम
- हिमाचल प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- त्रिपुरा
- मेघालय

अन्य प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक एकमात्र राज्य जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में आरक्षण लक्ष्य प्राप्त किए।
- बिहार राज्य पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी, लेकिन निचली अदालतों में 71% मामलों की सुनवाई तीन साल से अधिक समय से लंबित है।
- गुजरात उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक जज और स्टाफ की रिक्तियाँ।
- सिक्किम छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जबकि गोवा सबसे कमज़ोर

डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, 2024

संदर्भ

भारत ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा (BFSI) क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, 2024 (Digital Threat Report, 2024) लॉन्च की है।

डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, 2024 के बारे में

- **परिचय :** यह रिपोर्ट बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा (BFSI) क्षेत्र में वर्तमान व उभरते साइबर खतरों तथा रक्षा रणनीतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
- **शामिल भागीदार :** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CERT-In, CSIRT-Fin और वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी SISA
- **उद्देश्य :** इस रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को उभरते जोखिमों से निपटने एवं दीर्घकालिक साइबर लचीलापन बनाने के लिए सशक्त करना है।
- **महत्त्व :** वर्तमान में BFSI क्षेत्र एआई-संचालित हमलों, धोखाधड़ी रणनीति एवं अनुपालन जटिलताओं से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यह रिपोर्ट उभरते साइबर सुरक्षा परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी।
  - जैसे-जैसे भारत का बी.एफ.एस.आई. क्षेत्र तेज़ी से विस्तार कर रहा है, वैसे-वैसे डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित करना न केवल एक नियामक आवश्यकता है बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- बी.एफ.एस.आई. क्षेत्र के परस्पर अंतर्संबंधित होने के कारण एक एकल साइबर हमले के अनेक प्रणालीगत परिणाम हो सकते हैं जो कई संस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट में इस क्षेत्र के तेज़ी से डिजिटल होने से संबंधित बढ़ते साइबर जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है।
- रिपोर्ट में खतरा उत्पन्न करने वाले अभिकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधियों, युक्तियों एवं प्रक्रियाओं (Tactics, Techniques and Procedures) के बारे में जानकारी है।
- इसमें वर्तमान प्रवृत्तियों, डार्क वेब चैटर एवं हमले की तकनीकों के विकास के आधार पर संभावित भविष्य की समस्याओं की भविष्यवाणी की गई है जिससे संगठनों को उभरते खतरों के लिए सक्रिय रूप से तैयार होने में मदद मिले।
- रिपोर्ट में हमलावरों द्वारा AI एवं मशीन लर्निंग का उपयोग परिष्कृत मैलवेयर विकसित करने, हमलों को स्वचालित करने, विश्वसनीय डीपफेक बनाने और साइबर आपराधिक गतिविधियों के लिए बाधाओं को कम करने के तरीकों पर चर्चा की गई है।
- साइबर सुरक्षा अब एक वैकल्पिक सुरक्षा नहीं है बल्कि डिजिटल युग में वित्तीय स्थिरता की नींव है।
- रिपोर्ट में CERT-In एवं CSIRT-Fin जैसी संस्थाओं की साइबर घटनाओं का समय पर पता लगाने, प्रतिक्रिया व पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नियामकों तथा वैश्विक साइबर सुरक्षा निकायों के साथ सहयोग करके जोखिमों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है।
- इसमें बी.एफ.एस.आई. क्षेत्र को आकार देने वाले साइबर सुरक्षा परिदृश्य का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो डिजिटल जोखिमों को कम करने के लिए एक सक्रिय व खुफिया-संचालित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रमुख सिफारिशें

निरंतर सूचना सुरक्षा प्रशिक्षण

- वित्तीय संस्थानों को अपने कर्मचारियों को एआई-संचालित फिशिंग व डीपफेक जैसे उभरते खतरों के प्रति सतर्क रखकर सुरक्षा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
- यह दृष्टिकोण न केवल संवेदनशील डाटा की सुरक्षा करता है, बल्कि ग्राहक विश्वास भी बनाता है और संगठन की दीर्घकालिक सफलता को मज़बूत करता है।

रिमोट एवं हाइब्रिड कार्य वातावरण को सुरक्षित करना

- रिमोट एवं हाइब्रिड कार्य मॉडल को हमलों से बचाने के लिए संगठनों को इन वातावरणों का समर्थन करने वाली तकनीकों को सुरक्षित करना चाहिए।
- इनमें नियमित रूप से भेद्यता आकलन करना एवं रिमोट एक्सेस जैसे समाधानों को मज़बूत करना आवश्यक कदम हैं।

दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए जोखिम प्रबंधन एवं शासन

- वित्तीय नियामक अनुपालन को बढ़ाने और समग्र सुरक्षा स्थिति को मज़बूत करने के लिए एक सक्रिय, व्यापक जोखिम प्रबंधन ढाँचे की आवश्यकता है।
- यह ढाँचा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ मानकीकृत रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है तथा उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध बेंचमार्किंग की सुविधा प्रदान करता है।

सक्रिय प्रक्रियाओं एवं स्तरित सुरक्षा के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना

- त्वरित भेद्यता मूल्यांकन
- रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में गहराई से सुरक्षा

- खतरों से संबंधित खुफिया जानकारी का एकीकरण
- आधुनिक खतरों के लिए ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर (ZTA)
- ए.आई.-संचालित विसंगति का पता लगाना एवं डार्क वेब मॉनिटरिंग

संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने 'बाल मृत्यु दर के स्तर एवं प्रवृत्ति' पर रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के बारे में

- **शीर्षक :** 'बाल मृत्यु दर के स्तर एवं प्रवृत्ति' (Levels and Trends in Child Mortality)
- **जारीकर्ता :** संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर आकलन हेतु अंतर-एजेंसी समूह द्वारा (United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation: UN IGME)
- **शामिल भागीदार :** यह रिपोर्ट यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग द्वारा एक संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास है।
- **शामिल देश :** इस रिपोर्ट में 195 देशों को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक स्तर पर पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% की गिरावट आई है।
  - बाल मृत्यु दर में यह कमी राष्ट्रीय सरकारों, दाताओं, चिकित्सा पेशेवरों, परिवारों एवं व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- वैश्विक स्तर पर और उप-सहारा अफ्रीका सहित कुछ क्षेत्रों में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की प्रगति सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के दौरान वर्ष 2015-2023 की अवधि में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDG) (2000-2015) की तुलना में धीमी हो गई है और दोनों अवधियों के बीच वार्षिक कमी दर में 42% की गिरावट आई है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2030 तक 30 मिलियन बच्चों की मृत्यु उनके पाँचवें जन्मदिन से पहले ही हो जाएगी।
- वर्तमान में विश्व को चुनौतियों के बढ़ते समूह का सामना करना पड़ रहा है जो बच्चों के जीवित रहने के अधिकार को खतरे में डालते हैं जिससे नए सिरे से प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, जीवन यापन की लागत, आर्थिक अस्थिरता, संस्थागत संवेदनशीलता एवं बिगड़ते मानवीय संकट लाखों बच्चों को उच्च जोखिम में डाल रहे हैं।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष में बाल मृत्यु के प्रति कार्रवाई एवं निवेश में तेज़ी लाने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
- यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो 60 देश वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य के पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे।

भारत की स्थिति

- भारत मृत्यु दर एवं मृत जन्म दर में कमी लाने वाले शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों में से एक है।
- वर्ष 2000 से वर्ष 2023 के बीच भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है।
- भारत 60-70% की सीमा में मृत जन्म दर में सर्वाधिक कमी लाने वाले शीर्ष 10 देशों में सातवें स्थान पर है।
- वर्ष 2000 से वर्ष 2023 के बीच जहाँ वैश्विक स्तर पर मृत जन्म दर में 37% की कमी आई है, वहीं भारत में 60.4% कमी दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट में भारत द्वारा अपनाई गई विविध रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में तेज़ी आई है।
- भारत द्वारा यह उपलब्धि सरकारों द्वारा स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, उपलब्ध हस्तक्षेपों के बेहतर क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य अवसंरचना एवं मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- अप्रैल 2025 से शुरू करके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रत्येक माह की 28 तारीख को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आँकड़ा जारी करेगा।
- इस आँकड़े को जारी करने की समय सीमा 42 दिन से घटाकर 28 दिन कर दी गई है। वर्तमान में मंत्रालय हर महीने की 12 तारीख को छह सप्ताह के भीतर आई.आई.पी. आँकड़े जारी करता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में

- **क्या है :** यह एक आर्थिक संकेतक है जो किसी देश के उद्योगों के उत्पादन के स्तर को मापता है।
- **आधार वर्ष :** 2011-12
- **जारीकर्ता :** केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर
- **शामिल क्षेत्र :** इसमें आठ प्रमुख उद्योग भी शामिल हैं जो आर्थिक गतिविधि का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं (सूचकांक में शामिल कुल भारांश का 40.27%)।
  - रिफाइनरी उत्पाद
  - बिजली
  - इस्पात
  - कोयला
  - कच्चा तेल
  - प्राकृतिक गैस
  - सीमेंट
  - उर्वरक

प्रमुख उपयोग

- **आर्थिक स्थिति का संकेत :** इससे यह पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है।
- **नीतिगत निर्णय :** सरकार एवं रिज़र्व बैंक जैसी संस्थाएँ इस संकेतक के डाटा का उपयोग नीति-निर्माण में करती हैं, जैसे कि ब्याज दरों में बदलाव या वित्तीय सुधार।
- **निवेश निर्णय :** IIP निवेशकों को यह संकेत दे सकता है कि किस क्षेत्र में निवेश करना लाभकारी हो सकता है।

आई.आई.पी. पर अंतर्राष्ट्रीय मानक

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2010 के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय अनुशंसाओं में प्रावधान है कि मासिक आई.आई.पी. को संदर्भ महीने की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अंदर जारी किया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष डाटा प्रसार मानकों के अनुसार, किसी भी संदर्भ महीने के लिए सूचकांक को उस महीने के अंत से छह सप्ताह के अंदर जारी किया जाना चाहिए।

पंचायत उन्नति सूचकांक

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के मापन के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक (Panchayat Advancement Index : PAI) की शुरुआत की।

पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में

- **क्या है :** स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति के आकलन पर आधारित एक बहु-डोमेन एवं बहु-क्षेत्रीय सूचकांक
- **उद्देश्य :** स्थानीय स्तर पर विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों में प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों के विकास अंतराल की पहचान करना और पंचायत को ज़मीनी स्तर पर साक्ष्य-आधारित योजना के लिए सक्षम बनाना
- **संकेतक एवं मानदंड :** किसी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के कल्याण एवं विकास की स्थिति के आकलन के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों व मापदंडों का प्रयोग
- **प्रमुख थीम :** 9 प्रमुख विषयों के आधार पर पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन।
  - इन विषयों को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप तैयार किया गया है जिनमें शामिल हैं- गरीबी मुक्त एवं आजीविका युक्त पंचायत; स्वस्थ पंचायत; बाल अनुकूल पंचायत; जल समृद्ध पंचायत; स्वच्छ एवं हरित पंचायत; आत्मनिर्भर आधारभूत संरचना युक्त पंचायत; सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण व सुरक्षित पंचायत; सुशासन वाली पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत।

प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियाँ

- ग्राम पंचायतों को स्कोर के आधार पर पाँच श्रेणियों में बाँटा गया है-
  - पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever) (90+)
  - अग्रणी (Front Runner) (75 से 90)
  - बेहतर प्रदर्शन (Performer) (60 से 75)
  - आकांक्षी (Aspirant) (40 से 60)
  - आरंभिक स्तर पर (Beginner) (40 से नीचे)

पंचायतों का समग्र प्रदर्शन

- वर्ष 2022-23 के आँकड़ों के अनुसार, कुल 2,55,699 ग्राम पंचायतों में से 2,16,285 पंचायत शामिल-
  - पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever) : कोई भी नहीं
  - अग्रणी (Front Runner) : केवल 699 पंचायतें (0.3%)
  - बेहतर प्रदर्शन (Performer) : 77,298 पंचायतें (35.8%)
  - आकांक्षी (Aspirant) : 1,32,392 पंचायतें (61.2%)
  - आरंभिक स्तर पर (Beginner) : 5,896 पंचायतें (2.7%)

विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य

- **अग्रणी (Front Runner) श्रेणी में :** गुजरात > तेलंगाना > त्रिपुरा
- **बेहतर प्रदर्शन (Performer) श्रेणी में :** गुजरात > महाराष्ट्र > तेलंगाना > मध्य प्रदेश > उत्तर प्रदेश

योजनाएँ एवं कार्यक्रम

शून्य गरीबी- पी4 पहल

संदर्भ

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तेलूगु नववर्ष 'उगादी' के अवसर पर 'स्वर्ण आंध्र विज़न 2047' के तहत 'शून्य गरीबी-पी4' पहल का शुभारंभ किया। स्वर्ण आंध्र विज़न 2047 का उद्देश्य समृद्ध, स्वस्थ एवं खुशहाल आंध्र प्रदेश बनाना है। शून्य गरीबी इस विज़न के दस सिद्धांतों में से एक है।

शून्य गरीबी- पी4 पहल के बारे में

- **क्या है :** यह आंध्र प्रदेश राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए एक स्वैच्छिक पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य की सबसे धनी 10% आबादी को सबसे गरीब 20% परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक-आर्थिक विभाजन को कम करना है।
- **उद्देश्य :** आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 2029 तक गरीबी मुक्त बनाना।
- **पी4 का अर्थ :** 'पब्लिक-प्राइवेट-पीपल पार्टनरशिप' (Public-Private-People Partnership)

प्रमुख विशेषताएँ

- इस पहल में योगदान देने के इच्छुक संपन्न व्यक्तियों को 'मार्गदर्शक' (संरक्षक) के रूप में नामित किया जाता है, जबकि वंचित लाभार्थियों की पहचान 'बंगारू कुटुंबम' (स्वर्णिम परिवार) के रूप में की जाती है।
- यह पहल अद्वितीय है क्योंकि यह मार्गदर्शकों एवं स्वर्णिम परिवारों के बीच सीधे संपर्क के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करती है।
- यह पहल स्वर्णिम परिवारों को वित्तीय सहायता, सलाह एवं समग्र विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- सरकार ने ग्राम सभाओं के माध्यम से 30 लाख परिवारों की पहचान कर ली है जिससे लक्षित सहायता सुनिश्चित हो सके।
- सरकार डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रगति की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हुए एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

संदर्भ

8 अप्रैल, 2025 को 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के कार्यान्वयन के दस वर्ष पूर्ण हुए।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में

- **परिचय :** यह वित्तीय समावेशन में दीर्घकालिक अंतराल को दूर करने तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने पर केंद्रित एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- **आरंभ :** 8 अप्रैल, 2015
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित सूक्ष्म उद्यमों व छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना है।
- **नोडल मंत्रालय :** वित्त मंत्रालय
- **ऋण की सीमा :** 20 लाख तक
  - पहले यह सीमा 10 लाख तक थी। केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया।
- **ऋण की विभिन्न श्रेणियाँ :** योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों शिशु, किशोर, एवं तरुण के तहत प्रदान किए जाते हैं।
  - **शिशु :** 50,000/- रुपए तक
  - **किशोर :** 50,000/- रुपए से 5 लाख रुपए तक
  - **तरुण :** 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक
    - **तरुण प्लस :** यह एक विशेष श्रेणी है जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है जिन्होंने पहले से लिए ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **वित्तीय संस्था की स्थापना :** इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्यम इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्तपोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) की स्थापना की गई। मुद्रा से मिलने वाली वित्तीय सहायता दो प्रकार की है –
  - **सूक्ष्म ऋण योजना (MCS) :** इसके तहत विभिन्न सूक्ष्म उद्यम /लघु व्यवसाय गतिविधियों के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
  - **पुनर्वित्त योजना :** इसके तहत वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, शहरी सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे विभिन्न बैंक सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए 20 लाख रुपए प्रति इकाई की राशि तक के सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी ऋण मुद्रा से पुनर्वित्त सहायता कर सकते हैं।
- **कोलेटरल-फ्री संस्थागत ऋण :** योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा 20 लाख रुपए तक का गिरवी रहित (कोलेटरल-फ्री) संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपलब्धियाँ

- **ऋण तक पहुँच :** पिछले एक दशक में इस योजना के तहत 32.61 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से ज़्यादा लोन स्वीकृत किए हैं। इससे देश में उद्यमिता की क्रांति को बढ़ावा मिला है।
- **एम.एस.एम.ई. को ऋण प्रवाह में वृद्धि :** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, एम.एस.एम.ई. को प्रदान ऋण वित्त वर्ष 2014 में 8.51 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मुद्रा योजन के कारण वित्त वर्ष 2024 में 27.25 लाख करोड़ रुपए हो गया और वित्त वर्ष 2025 में 30 लाख करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है।
- **महिला सशक्तीकरण :** मुद्रा योजना में शामिल कुल लाभार्थियों में 68% महिलाएँ हैं जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण

और श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में लक्षित वित्तीय समावेशन की प्रभावशीलता को मज़बूत करता है।

- **वंचित वर्गों का सशक्तीकरण :** एस.बी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार, 50% मुद्रा खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के हैं, जिससे औपचारिक वित्त तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है।
- **वर्तमान स्थिति :** 28 फरवरी, 2025 तक तमिलनाडु ने राज्यों में सर्वाधिक वितरण किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। केंद्र-शासित प्रदेशों में जम्मू एवं कश्मीर सबसे आगे है।

निष्कर्ष

विगत दस वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने निरंतर वित्तीय समावेशन की शक्ति एवं ज़मीनी स्तर पर नवाचार की ताकत को प्रदर्शित किया है। वर्ष 2014 से पहले ऋण तक पहुँच प्रायः अच्छी तरह से जुड़े लोगों के पक्ष में थी, जबकि छोटे उद्यमियों को जटिल कागज़ी कार्रवाई जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता था या वे अनौपचारिक वित्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थे। मुद्रा योजना ने इसके लिए एक समावेशी विकल्प प्रस्तुत किया है।

इसे भी जानिए!

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 की रिपोर्ट में पुष्टि की कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता के लिए भारत का सक्षम नीतिगत वातावरण ऋण तक पहुँच के माध्यम से स्वरोज़गार एवं औपचारिकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

स्वामित्व योजना

संदर्भ

24 अप्रैल, 2025 को स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष पूर्ण हुए।

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के बारे में

- **आरंभ :** 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर
- **पूर्ण नाम :** गाँवों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas : SVAMITVA)
- **मंत्रालय :** पंचायती राज मंत्रालय
- **कार्यान्वयन निकाय :** भारतीय सर्वेक्षण विभाग
- **तकनीकी सहयोग :** तकनीकी भागीदार के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा (NICSI) शामिल

योजना के उद्देश्य

- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए सक्षम बनाना
- सर्वेक्षण द्वारा बुनियादी ढाँचे एवं जी.आई.एस. मानचित्रों का निर्माण
- जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **ड्रोन सर्वे एवं डिजिटल मानचित्रण :** इस योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का उच्च गुणवत्ता वाला मानचित्रण किया जाता है।
  - इसके द्वारा प्रत्येक घर की सीमा एवं मालिकाना हक को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया
- **संपत्ति कार्ड का वितरण :** इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घर एवं भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र यानी संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं।
  - इन कार्डों के माध्यम से ग्रामीण लोग सरकारी सहायता व ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने संपत्ति विवादों का समाधान कर सकते हैं।
- **सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन :** यह योजना ग्रामीणों को कानूनी स्वामित्व कागज़ात प्रदान करती है जिससे वे बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।
- **स्थानीय योजना एवं विकास :** इस योजना के अंतर्गत प्राप्त डिजिटल मानचित्रों का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में किया जाता है। इससे ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र का बेहतर नियोजन करने में सहायता मिलती है।

SVAMITVA योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **संपत्ति कार्ड वितरण :** 18 जनवरी, 2025 तक 65 लाख संपत्ति कार्ड 50,000 से अधिक गाँवों में वितरित किए गए थे। इससे ग्रामीणों को अपने घर एवं भूमि पर कानूनी अधिकार मिल गए।
- **ड्रोन सर्वे :** 2 अप्रैल, 2025 तक 3.20 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरे किए गए हैं जो लगभग 68,122 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर करते हैं। यह सर्वे ग्रामीण भूमि के स्पष्ट सीमांकन में मदद करता है।

- **वैश्विक प्रभाव :** SVAMITVA योजना ने वैश्विक स्तर पर भूमि शासन में नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
  - मार्च 2025 में हरियाणा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत ने अपनी ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण और डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड की प्रणाली को अन्य देशों के सामने प्रस्तुत किया।

आगे की राह

- वर्ष 2025-26 तक योजना का विस्तार, जिससे और अधिक गाँवों को कवर किया जा सके।
- डिजिटल ग्राम योजना के तहत संपत्ति रिकॉर्ड को अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ना।
- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना, ताकि वे संपत्ति प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम II

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (VVP) के दूसरे चरण को मंजूरी दी है।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम II

- **परिचय :** यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे गाँवों के व्यापक विकास पर केंद्रित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका पूर्ण वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
  - वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) की शुरुआत 15 फरवरी, 2023 को केंद्र-प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी।
- **उद्देश्य :**
  - समृद्ध एवं सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करना
  - सीमा पार अपराध नियंत्रण
  - सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने और उन्हें 'सीमा सुरक्षा बलों की आँख एवं कान' के रूप में विकसित करना
  - बेहतर जीवन स्थितियाँ और पर्याप्त आजीविका के अवसर सृजित करना
- **समयावधि :** वित्त वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक
- **परिव्यय :** 6,839 करोड़ रुपए
- **नोडल मंत्रालय :** गृह मंत्रालय
- **दायरा :** यह कार्यक्रम वी.वी.पी.-I के तहत पहले से ही कवर किए गए गाँवों को छोड़कर अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गाँवों के व्यापक विकास को बढ़ावा देगा।
- **विषयगत क्षेत्र :** बारहमासी सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क, टेलीविज़न संपर्क एवं विद्युतीकरण
- **शामिल राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश :** इस कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के चुने हुए रणनीतिक गाँवों को शामिल किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत शामिल गतिविधियाँ

- गाँव या गाँवों के समूह के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास
- सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से मूल्य श्रृंखला का विकास
- सीमा विशिष्ट आउटरीच गतिविधियाँ
- स्मार्ट कक्षाओं जैसे शिक्षा बुनियादी ढाँचे का विकास
- पर्यटन सर्किट का विकास
- सीमावर्ती क्षेत्रों में विविध व टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करना

कार्यक्रम की अन्य प्रमुख विशेषताएँ

- कार्यक्रम के तहत विभिन्न हस्तक्षेप सीमा-विशिष्ट, राज्य एवं गाँव-विशिष्ट होंगे जो सहयोगात्मक दृष्टिकोण से तैयार ग्राम कार्य योजनाओं पर आधारित होंगे।
- गाँवों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पहले से स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत किया जाएगा।
- कार्यक्रम के तहत मेले व त्योहार, जागरूकता शिविर, राष्ट्रीय दिवसों का उत्सव, मंत्रियों, केंद्र एवं राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित दौरे और रात्रि विश्राम जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
  - इससे पर्यटन की संभावना बढ़ेगी और इन गाँवों की स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा मिलेगा।
- परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए पीएम गति शक्ति जैसे सूचना डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

- केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत मध्यम अवधि एवं दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को बंद करने की घोषणा की है।
- यह निर्णय बाज़ार की बदलती परिस्थितियों और योजना के प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है जो कि 26 मार्च, 2025 से प्रभावी हुआ।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के बारे में

- **क्या है :** यह योजना स्वर्ण जमा योजना का संशोधित संस्करण है।
- **प्रारंभ :** नवंबर 2015
- **उद्देश्य :**
  - दीर्घकाल में सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना

- घरों एवं संस्थाओं के पास उपलब्ध सोने का उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग

❖ **योजना में शामिल घटक :**
- अल्पावधि बैंक जमा (1-3 वर्ष)
- मध्यम अवधि सरकारी जमा (5-7 वर्ष)
- दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष)

❖ **अन्य प्रमुख बिंदु :**
- अल्पावधि अवधि के लिए किए गए जमा के लिए देय ब्याज दर की राशि बैंकों द्वारा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय दरों, अन्य लागतों, बाज़ार स्थितियों आदि के आधार पर तय की जाती है।
- मध्यम एवं दीर्घकालिक जमा के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तय की जाती है।

पीएम पोषण योजना

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण) के अंतर्गत स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामग्री लागत में 9.5% की वृद्धि की गई है।

पीएम पोषण के बारे में

- ❖ **क्या है :** इस केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत 10.24 लाख सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 11.70 करोड़ छात्रों को सभी स्कूली दिनों में एक बार गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है।
- ❖ **शुरुआत :** सितंबर 2021 में सरकार ने इस योजना को मंज़ूरी दी। इसे पहले मिड-डे मील योजना के रूप में जाना जाता था।
- ❖ **उद्देश्य :** पोषण सहायता प्रदान करना और छात्रों की स्कूलों में भागीदारी बढ़ाना।
- ❖ **नोडल मंत्रालय :** शिक्षा मंत्रालय
- ❖ **खाद्यान्न सामग्री :** केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के ज़रिए लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है।
- ❖ **कार्यावधि :** वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक
- ❖ **बाल वाटिका :** यहाँ प्री-स्कूल (या कक्षा 1 से पहले) के बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- ❖ **तिथि भोजन :** यह एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।
- ❖ आकांक्षी ज़िलों एवं एनीमिया के उच्च प्रसार वाले ज़िलों में बच्चों को पूरक पोषण वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

इसे भी जानिए!

- ❖ भारत में पहली बार वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- ❖ प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मिड-डे मील) 15 अगस्त, 1995 को एक केंद्र-प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- ❖ इसका उद्देश्य नामांकन, उपस्थिति एवं प्रतिधारण में सुधार के साथ-साथ बच्चों में पोषण स्तर को बढ़ाना था।

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पहल

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के सहयोग से नई दिल्ली में 'इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर' (India Skills Accelerator) पहल प्रारंभ की है।

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पहल के बारे में

- ❖ यह एक राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। इसके द्वारा कौशल विकास के अंतरालों को कम करने, आजीवन शिक्षा में निवेश एवं सरकार व उद्योग के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख कार्यों पर ज़ोर दिया जाएगा।
- ❖ इस पहल की प्रशासनिक संरचना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रमुख हितधारक शामिल हैं।

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पहल का प्रमुख उद्देश्य

- ❖ इसका उद्देश्य तीन महत्त्वपूर्ण स्तरों पर परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है-
  - (i) भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता में सुधार और मानसिकता में बदलाव करना
  - (ii) हितधारकों के बीच सहयोग एवं ज्ञान साझाकरण को बढ़ाना
  - (iii) अधिक अनुकूल एवं उत्तरदायी कौशल पारितंत्र का समर्थन करने के लिए संस्थागत संरचनाओं व नीति ढाँचे को उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध होना
- ❖ **रणनीतिक फोकस क्षेत्र :** समावेशी कौशल उन्नयन, आजीवन शिक्षा में निवेश, ए.आई., रोबोटिक्स और ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों के साथ संरेखण।

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पहल का महत्त्व

- ❖ कौशल अंतराल को कम करने, भारत की डिजिटल-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास और वैश्विक बदलावों के अनुरूप भारत के कार्यबल को तैयार करने में मदद करना

❖ कौशल विकास की वैश्विक महत्त्वाकांक्षा को परिणामों में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना

निवेशक दीदी पहल

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

निवेशक दीदी पहल के बारे में

❖ **क्या है :** एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
❖ **कार्य :** महिला डाककर्मियों एवं स्थानीय समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करना और उन्हें वित्तीय शिक्षक (निवेशक दीदी) बनने के लिए प्रशिक्षित करना
❖ **प्रारंभ :**
  - **प्रथम चरण का शुभारंभ :** वर्ष 2023 में
  - **द्वितीय चरण का शुभारंभ :** अप्रैल 2025 से

❖ **समझौता :** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में 'विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण' (IEPFA) और डाक विभाग के अंतर्गत संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने संयुक्त रूप से 'निवेशक दीदी' पहल के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

❖ **प्रथम चरण**
  - 55,000 से अधिक ग्रामीण लाभार्थी शामिल
  - 60% प्रतिभागी महिलाएँ
  - हर तीन प्रतिभागियों में से दो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से

❖ **द्वितीय चरण**
  - 4,000 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर शामिल होंगे।
  - 40,000 महिला डाककर्मियों को निवेशक दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
  - ज़मीनी स्तर पर सहभागिता एवं सामुदायिक विश्वास निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) के बारे में

❖ **क्या है :** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय
❖ **स्थापना :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (5) के तहत
❖ **उद्देश्य :** निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता व सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा आई.ई.पी.एफ. निधि का प्रशासन करना
  - इसने बड़े पैमाने पर जनता के बीच निवेशक शिक्षा की गति तीव्र करने के लिए व्यापक गतिविधियाँ शुरू की हैं।

❖ **लक्ष्य :** वित्तीय तौर पर जागरूक भारत का निर्माण करना
  - जिससे प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उपकरण और जानकारी हो।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के बारे में

❖ इसकी स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत की गई है जिसकी 100% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है।
❖ इसकी शुरुआत 1 सितंबर, 2018 को हुई थी।
❖ इसकी स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती एवं भरोसेमंद बैंक बनाने के उद्देश्य से की गई है।
❖ इसका मूल उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना और डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए अंतिम छोर तक पहुँचना है।
❖ यह भारत के 5.57 लाख गाँवों एवं कस्बों में 11 करोड़ ग्राहकों को 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज इंटरफेस के माध्यम से सरल व किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करता है।

ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आयोजित कार्यशाला में मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश एवं ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

❖ **परिचय :** यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा एम्स (नई दिल्ली) के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है।
❖ **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य देश भर में लगभग 200 विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके देश भर के अस्पताल प्रशासकों एवं चिकित्सा अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना है।
❖ **लक्ष्य :**
  - मेडिकल ऑक्सीजन का उचित संचालन एवं उपयोग
  - मेडिकल अपव्यय को कम करना
  - नैदानिक परिणामों में सुधार करना

मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

❖ **लाभ :**
  - आपात स्थिति से निपटने एवं स्वास्थ्य सुविधा क्षमता वृद्धि करने में
  - चिकित्सा ऑक्सीजन बुनियादी ढाँचे के निर्माण में
  - रोगी सुरक्षा एवं क्षमता निर्माण में
  - मेडिकल ऑक्सीजन की कुशल खरीद, भंडारण एवं प्रशासन सुनिश्चित करने में

- ये दिशा-निर्देश देश के मेडिकल ऑक्सीजन बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन प्रबंधन में एकसमान सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम है।

बाल-सुरक्षा राज्य कार्य योजना

केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और बाल-सुरक्षित राज्य बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को मंज़ूरी दी है।

बाल-सुरक्षा राज्य कार्य योजना के बारे में

- **परिचय** : यह कार्य योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की INSPIRE रणनीति पर आधारित बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य** : इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के खिलाफ, विशेष रूप से यौन हिंसा को कम करना और अंततः उसे समाप्त करना है।
- **कार्यान्वयन निकाय** : यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू की जा रही है।

योजना के तहत शामिल रणनीतियाँ

- कानूनों का सख्त क्रियान्वयन
- बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण
- मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा
- शिक्षा व जागरूकता अभियान
- नशीले पदार्थों का सेवन रोकना
- कमज़ोर बच्चों को सहायता
- सहभागी विभागों के साथ समन्वय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की INSPIRE रणनीति

- **क्या है** : यह बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे WHO एवं उसके सहयोगी संगठनों ने मिलकर तैयार किया है।
- **उद्देश्य** : इसका उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों पर होने वाली हर प्रकार की हिंसा को रोकना और उनका एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।

INSPIRE रणनीतियाँ

- I- Implementation and Enforcement of Laws : कानूनों का क्रियान्वयन एवं सख्ती से पालन
- N- Norms and Values : सामाजिक मान्यताएँ एवं मूल्य
- S- Safe Environments : सुरक्षित वातावरण का निर्माण
- P- Parent and Caregiver Support : माता-पिता एवं देखभाल करने वालों को समर्थन
- I- Income and Economic Strengthening : आय एवं आर्थिक सशक्तीकरण
- R- Response and Support Services : प्रतिक्रिया एवं सहायता सेवाएँ
- E- Education and Life Skills : शिक्षा एवं जीवन कौशल

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संस्थान

सर्वोच्च न्यायालय

पृष्ठभूमि

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ हुई। यह ब्रिटिश भारत की फेडरल कोर्ट (1937) और प्रिवी काउंसिल (लंदन) की अपीलीय भूमिका का उत्तरवर्ती है।
  - फेडरल कोर्ट की स्थापना वर्ष 1937 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत हुई थी।
- स्वतंत्रता के बाद, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता महसूस की गई, जो संविधान की रक्षा कर सके और न्याय का अंतिम केंद्र बन सके।
- सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी, 1950 को प्रिंसिपल चैंबर, संसद भवन में हुई थी। वर्ष 1958 में इसे तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया।
- वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके बाद न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (बी.आर. गवई) 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
- न्यायमूर्ति गवई अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनसे पहले न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन (SC) वर्ष 2007 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे।

मुख्य न्यायाधीश से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **नियुक्ति** : संविधान का अनुच्छेद 124 (2) राष्ट्रपति को 'अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार' अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - परंपरा के अनुसार, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया उत्तराधिकारी प्रायः सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है।
  - हालाँकि, यह परंपरा दो बार टूट चुकी है।

- वर्ष 1973 में न्यायमूर्ति ए.एन. रे को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- वर्ष 1977 में न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना की जगह न्यायमूर्ति मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश

- संविधान के अनुसार, कुल संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है।
- मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था।
  - किंतु समय के साथ, कार्यभार बढ़ने के कारण न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होती गई और वर्ष 2019 में 34 न्यायाधीश (वर्तमान संख्या) का प्रावधान किया गया।
    - अप्रैल 2025 तक अधिकतम 34 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) नियुक्त किए जा सकते हैं।
- सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है।
  - कॉलेजियम व्यवस्था के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण का निर्णय मुख्य न्यायाधीश (CJI) और वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह द्वारा लिया जाता है।

- **कार्यकाल :** एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
  - संविधान में कार्यकाल की कोई निश्चित पदावधि निर्धारित नहीं की गई है।
  - इन्हें केवल संसद द्वारा निश्चित पदच्युत प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
- **शपथ/प्रतिज्ञान :** मुख्य न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेनी होती है–
  - भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।
  - भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा।
  - अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा।
  - संविधान एवं विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।
- **वेतन एवं भत्ते :** मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश व पेंशन का निर्धारण समय-समय पर संसद द्वारा किया जाता है।
  - वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है।
  - वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.80 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
  - इसके अलावा अन्य भत्ते, निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएँ (जैसे- चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि) भी मिलती हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्यों की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
- **कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश :** राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, यदि;
  - मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो।
  - अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो।
  - मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो।
- **पदच्युत प्रक्रिया :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो मुख्य न्यायाधीशों पर भी लागू होती है।
  - अनुच्छेद 124(4) : सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा, सिद्ध कदाचार (महाभियोग द्वारा) या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत न कर दिया गया हो।
- **महाभियोग प्रक्रिया :** न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है :
  - राष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव 100 सदस्यों (लोक सभा) या 50 सदस्यों (राज्य सभा) द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना चाहिए।
  - यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष/सभापति द्वारा इसकी जाँच के लिए तीन-सदस्यीय समिति गठित की जाती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं प्रतिष्ठित न्यायवादी होते हैं।
  - यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
  - अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं।
    - अभी तक किसी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

- **कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व :** राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969 में निर्दिष्ट है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।
  - न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
- **कार्य :** भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और वर्ष 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया नियम के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को मामलें/कार्य आवंटन का अधिकार होता हैं।
- मुख्य न्यायाधीश को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' (Master of the Roster) और 'समकक्षों में प्रथम' (First among Equals) कहा जाता है।
  - 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' के अपने कार्य के रूप में, मुख्य न्यायाधीश न्यायालय की विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करते हैं और संविधान पीठ बनाने के लिए न्यायाधीशों का चयन करते हैं, जो कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेते हैं।
  - मुख्य न्यायाधीश 'समानों में प्रथम' हैं, जिसका अर्थ है कि न्यायिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के पास किसी भी अन्य न्यायाधीश के समान शक्ति है, जबकि प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के पास अन्य न्यायाधीशों से अधिक कुछ अन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश 'भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय' के वास्तविक कुलपति (de facto Chancellor), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के अध्यक्ष होते हैं।
- **वरीयता सूची में स्थान :** भारत में वरीयता क्रम की सूची में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छठें स्थान पर लोक सभा अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से रखा गया है।
  - वरीयता क्रम सूची राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से स्थापित की जाती है और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखी जाती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 124 और 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं परंतु कॉलेजियम शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। यह न्यायपालिका द्वारा विकसित व्यवस्था है।

संरचना

- **सर्वोच्च न्यायालय के लिए :** भारत के मुख्य न्यायाधीश + सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश
- **उच्च न्यायालय के लिए :** संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश
  - कॉलेजियम व्यवस्था अभी भी लागू है।
  - नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) अधिनियम, 2014 लाकर इसे बदलने की कोशिश हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- सेवानिवृत्ति की आयु : 65 वर्ष

कॉलेजियम प्रणाली

- 'कॉलेजियम' सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 सर्वोच्च व उच्च न्यायालय में क्रमशः न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबद्ध हैं। हालाँकि, कॉलेजियम प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित नहीं है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) :** इसके अंतर्गत न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव को अस्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते इसके पीछे ठोस कारण हो। इस निर्णय के कारण अगले 12 वर्षों के लिए न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित हो गई थी।
- **द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) :** कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर 'परामर्श' का अर्थ वास्तव में 'सहमति' है। इसमें ली जाने वाली राय मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत नहीं होगी अपितु सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली हुई संस्थागत राय होगी।
- **तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) :** राष्ट्रपति ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यों के समूह के रूप में कॉलेजियम को मान्यता दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।

कॉलेजियम के सदस्य

- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता उसके मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उनके साथ चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होते हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और इसके बाद ही इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका आती है।

नियुक्ति प्रक्रिया

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा की जाती है।
- राष्ट्रपति चाहे तो अनुशंसा को स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकार करने की दशा में अनुशंसा वापस कॉलेजियम को लौटा दी जाती है। यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा पुनःराष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ता है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा।
- चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

संविधान तथा शक्ति का स्रोत

- भारतीय संविधान का भाग V, अध्याय IV (अनुच्छेद 124 से 147) सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है।
- यह संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- इसकी शक्तियाँ और अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं, विशेषकर–
  - संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना।
  - संवैधानिक व्याख्या करना।
  - मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
- यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।

न्यायिक अधिकारिता क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

मूल अधिकारिता

- **अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र :** अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, या राज्यों के आपसी विवादों में सीधा सुनवाई का अधिकार।
- **अनुच्छेद 32 :** मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
- सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है (जैसे- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा एवं उत्प्रेषण रिट सहित निर्देश या आदेश)।
- **मामलों का हस्तांतरण :** उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के बीच दीवानी या आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति।
- **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता :** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत।

अपील अधिकारिता

- **उच्च न्यायालय से अपील :** अनुच्छेद 132(1), 133(1), 134 के तहत संविधान के संबंध में विधि के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर।
- **दीवानी मामले की अपील :** यदि उच्च न्यायालय सामान्य महत्त्व के विधि के महत्त्वपूर्ण प्रश्न को प्रमाणित करता है अथवा उच्च न्यायालय की राय में, उक्त प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- **आपराधिक मामले :** अपील यदि, उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के फैसले को पलट दे और दोषी ठहराए (मृत्यु, आजीवन कारावास, 10+ वर्ष)।
  - **अनुच्छेद 132 :** कुछ मामलों यानी संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र।
  - **अनुच्छेद 133 :** सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र।
  - **अनुच्छेद 134 :** आपराधिक मामलों में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र।
  - **अनुच्छेद 136 :** सर्वोच्च न्यायालय के विवेकानुसार विशेष अनुमति द्वारा अपील/विशेष अनुमति याचिका।
    - अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी निर्णय, आदेश, या निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है।

सलाहकार अधिकारिता

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कोई कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर परामर्श मांगा जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य :** यतो धर्मस्ततो जय:
- **ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश :** सर मौरिस लिनफोर्ड ग्वायेर
- **स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश :** न्यायमूर्ति हरिलाल जे. कानिया
- **भारत के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश :** न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री

- **सबसे लंबा कार्यकाल** : न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ (16वें) (22 फरवरी, 1978-11 जुलाई, 1985)
- **सबसे छोटा कार्यकाल (17 दिन)** : कमल नारायण सिंह (22वें) (25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर, 1991 तक)
- **पहले अनुसूचित जाति के मुख्य न्यायाधीश** : न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन
- **पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश** : न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह
- **पहली महिला न्यायाधीश** : न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी (6 अक्तूबर, 1989-29 अप्रैल, 1992)

संबंधित अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 124 (1)** : सर्वोच्च न्यायालय के गठन में मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख
- **अनुच्छेद 124 (2)** : मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- **अनुच्छेद 124 (4)** : मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख
- **अनुच्छेद 124 (6)** : राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान
- **अनुच्छेद 124 (7)** : भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत पर रोक
- **अनुच्छेद 125** : न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते
- **अनुच्छेद 126** : कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- **अनुच्छेद 145** : मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को मामले/काम आवंटित करने का अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

विश्व मौसम विज्ञान संगठन

पृष्ठभूमि

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की शुरुआत वर्ष 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) के रूप में हुई थी।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1950 में IMO को पुनर्गठित कर विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की स्थापना की गई।
- इसे वर्ष 1951 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी घोषित किया गया।
- **मुख्यालय** : जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
  - इसका नेतृत्व महासचिव (Secretary-General) द्वारा किया जाता है।
  - **वर्तमान महासचिव** : प्रो. सेलेस्टे साउलो (अर्जेंटीना)
- 23 मार्च, 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- **विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 थीम** : Closing the Early Warning Gap Together

विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अधिदेश (Mandate)

- विश्व भर में मौसम विज्ञान, जलवायु, जल विज्ञान एवं संबंधित पर्यावरणीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- मौसम, जलवायु एवं जल संसाधनों से संबंधित डाटा संग्रह, विश्लेषण व आदान-प्रदान को सुगम बनाना।
- मौसम संबंधी आपदाओं के पूर्वानुमान व प्रबंधन के लिए देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की संरचना

WMO की संचालन व्यवस्था निम्नलिखित निकायों द्वारा होती है–

विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस

- सर्वोच्च नीति-निर्धारण निकाय
- प्रत्येक चार वर्षों में बैठक
- सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है

कार्यकारी परिषद्

- कांग्रेस के निर्णयों को लागू करना
- WMO की गतिविधियों की निगरानी
- वर्ष में एक बार बैठक

क्षेत्रीय संघ

- 6 भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार समूहित–
  - अफ्रीका
  - एशिया
  - दक्षिण अमेरिका
  - उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा कैरिबियन समूह
  - दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र
  - यूरोप
- क्षेत्रीय स्तर पर कार्य समन्वय।

तकनीकी आयोग

वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह देने वाली इकाइयाँ (जैसे– Commission for Weather, Climate, Hydrology)

सदस्य राष्ट्र

- वर्तमान में WMO के 193 सदस्य देश और क्षेत्र हैं।
  - जिसमें 187 सदस्य राज्य और 6 क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत भी एक सक्रिय सदस्य है।
- सदस्य देश अपने राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग (जैसे भारत का IMD) के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्तपोषण (Funding)

- मुख्य रूप से सदस्य देशों के वार्षिक योगदान से वित्तपोषित।
- कुछ परियोजनाओं को दानदाता एजेंसियों या संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों से भी पूंजी प्राप्त होती है।
- बजट सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित होता है।

कार्यप्रणाली एवं गतिविधियाँ

WMO निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता है-

- **मौसम पूर्वानुमान प्रणाली** (Global Observing System, Global Data Processing and Forecasting System)
- **जलवायु निगरानी** (Climate Watch System, Global Framework for Climate Services)
- **जल संसाधन प्रबंधन** (Hydrological Information System)
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण** (Early Warning Systems for Cyclones, Floods)
- **वायुमंडलीय अनुसंधान एवं प्रदूषण निगरानी** (Global Atmosphere Watch: GAW)
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं तकनीकी सहायता** (विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण)

प्रमुख परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) विश्व स्तर पर मौसम, जलवायु, जल विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़ी कई प्रमुख परियोजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं :

जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढाँचा (GFCS)

- **उद्देश्य :** मौसम एवं जलवायु संबंधी सेवाओं को कृषि, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, जल व ऊर्जा क्षेत्रों से जोड़ना।
- **विशेषता :** जलवायु सूचना को निर्णय-निर्माण में उपयोगी बनाना।
- भारत सहित कई विकासशील देशों में जलवायु लचीली नीतियों के निर्माण में योगदान।

वैश्विक अवलोकन प्रणाली (GOS)

- **उद्देश्य :** वायुमंडलीय, समुद्री, जलविज्ञान और पृथ्वी निगरानी नेटवर्क का संचालन।
- **विशेषता :** उपग्रहों व स्थलीय स्टेशनों से डाटा संग्रह; ये डाटा मौसम पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग के लिए आधार हैं।

विश्व मौसम निगरानी (WWW)

- **उद्देश्य :** वैश्विक स्तर पर मौसम निगरानी, डाटा संप्रेषण और पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करना।
- **इसके दो प्रमुख भाग है :**
  - वैश्विक दूरसंचार प्रणाली
  - वैश्विक डाटा प्रोसेसिंग और पूर्वानुमान प्रणाली
- यह प्रणाली दैनिक मौसम सेवा का आधार है।

वैश्विक वातावरण निगरानी (GAW)

- **उद्देश्य :** वायुमंडलीय रसायनों, प्रदूषण, ओज़ोन, ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी।
- **विशेषता :** GHGs, एयरोसोल्स और UV विकिरण की माप; जलवायु परिवर्तन के विज्ञान में योगदान।
- वैश्विक जल विज्ञान स्थिति और आउटलुक प्रणाली (HydroSOS)
- **उद्देश्य :** विश्व स्तर पर जल संसाधनों की निगरानी और रिपोर्टिंग।
- **विशेषता :** सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं की निगरानी; नीति-निर्माण में सहायक।

गंभीर मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम (SWFP)

- **उद्देश्य :** विकासशील देशों को गंभीर मौसम (जैसे चक्रवात, आँधी) का समय रहते पूर्वानुमान देने में सक्षम बनाना।
- **उदाहरण :** दक्षिण एशिया में चक्रवात पूर्वानुमान में सहायता।

फ्लैश फ्लड मार्गदर्शन प्रणाली (FFGS)

- **उद्देश्य :** अचानक बाढ़ (flash floods) की भविष्यवाणी और चेतावनी देना।
- **साझेदार :** WMO, World Bank, USAID और अन्य क्षेत्रीय संस्थाएँ।
- भारत सहित कई देशों में लागू।

एकीकृत सूखा प्रबंधन कार्यक्रम (IDMP)

- **साझेदारी :** WMO + Global Water Partnership (GWP)
- **उद्देश्य :** सूखा जोखिम को कम करना, अनुकूलन रणनीति विकसित करना।

तटीय जलप्लावन पूर्वानुमान प्रदर्शन परियोजना (CIFDP)

- **उद्देश्य :** तटीय क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- **विशेष महत्त्व :** समुद्र-स्तर वृद्धि और चक्रवातों के प्रभाव से निपटना।

जलवायु जोखिम एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ (CREWS)

- **उद्देश्य :** सबसे कमज़ोर देशों में जलवायु जोखिमों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मज़बूत करना।

- **वित्तपोषण :** फ्राँस, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग, स्विट्ज़रलैंड आदि।
- भारत में भी क्षमता निर्माण हेतु सहयोग।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वर्गीकरण

अधिकतम निरंतर वायु वेग के आधार पर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नानुसार नामित किया जाता है-

- **उष्णकटिबंधीय दबाव :** यह स्थिति तब होती है जब अधिकतम निरंतर वायु वेग 63 किमी./घंटा से कम होता है।
- **उष्णकटिबंधीय तूफान :** जब अधिकतम निरंतर वायु वेग 63 किमी./घंटा से अधिक होता है। इसे तब भी एक नाम दिया जाता है।
- **तूफान, टाइफून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान :** जब अधिकतम निरंतर वायु वेग 116 किमी./घंटा 63 समुद्री मील से अधिक हो।

WMO दीर्घकालिक रणनीतिक योजना 2020-2030

विज़न

एक ऐसे विश्व का निर्माण जहाँ सभी देश, विशेषकर सबसे अधिक संवेदनशील देश, चरम मौसम और जलवायु घटनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम और लचीले हों।

लक्ष्य

इसके तहत WMO ने पाँच दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं–

- **बेहतर पूर्व चेतावनी और सेवाएँ**
  - मौसम, जलवायु, जल और पर्यावरणीय सेवाओं को बेहतर बनाना।
  - विशेष रूप से प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) को सशक्त करना।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार**
  - मौसम, जलवायु और जल विज्ञान में अनुसंधान और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना।
- **डाटा तक समान पहुँच और साझा करना**
  - वैश्विक स्तर पर पर्यवेक्षण, पूर्वानुमान और अनुसंधान के लिए डाटा का एकीकरण और सुलभता।
- **क्षमता निर्माण और सहयोग**
  - विकासशील देशों के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और सहायता कार्यक्रम।
  - दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को बढ़ावा देना।
- **WMO की शासन प्रणाली और कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण**
  - संगठन की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना।

प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन (Adaptation and Mitigation)
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction)
- सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान
- वातावरण और स्वास्थ्य (Environment and Health)
- महासागरीय सेवाएँ और समुद्र-स्तरीय निगरानी
- क्षमता निर्माण एवं लैंगिक समानता

मुख्य क्रियान्वयन घटक

- ग्लोबल बेसिक ऑब्ज़र्विंग नेटवर्क (GBON)
- WMO एकीकृत वैश्विक अवलोकन प्रणाली (WIGOS)
- जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक रूपरेखा (GFCS)
- WMO सूचना प्रणाली (WIS)
- फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम (FFGS)
- जलवायु जोखिम और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पहल (CREWS)

इस रणनीतिक योजना के आधार पर ही वर्ष 2020-23 और वर्ष 2024-27 जैसी मध्यम अवधि की योजनाएँ बनाई गई हैं।

रणनीतिक योजना 2020-2023

- यह पहली चरण की कार्यान्वयन योजना (Implementation of LTP 2020-2030) है।
- **मुख्य फोकस**
  - नए गवनेन्स स्ट्रक्चर लागू करना (जैसे: Congress, Executive Council सुधार)
  - प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सशक्त करना
  - क्षमता विकास को ज़मीनी स्तर पर लागू करना
  - डाटा और मॉडल साझा करने की नींव रखना

मुख्य प्राथमिकताएँ

- सभी तक मौसम और जलवायु सेवा पहुँचाना (Leave no one behind)
- वैश्विक प्रेक्षण प्रणालियों को मज़बूत करना
- अनुसंधान और नवाचार को जोड़ना

रणनीतिक योजना 2024-2027

- यह दूसरे चरण की कार्यान्वयन योजना, जो वर्ष 2020-2030 विज़न की दिशा में ठोस परिणामों पर केंद्रित है।
- **मुख्य फोकस**
  - अर्ली वार्निंग फॉर ऑल (EW4ALL) पहल का व्यापक विस्तार
  - जलवायु सेवाओं को नीति-निर्माण से जोड़ना

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डाटा व मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को सेवाओं में शामिल करना
- जल संकट और जलवायु लचीलापन को प्राथमिकता

नई प्राथमिकताएँ

- अर्ली वार्निंग फॉर ऑल का स्केल-अप
- एकीकृत जल एवं जलवायु सेवाएँ
- बेहतर डाटा-साझाकरण नीति (Open Data Policy)
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और क्षेत्रीय सहयोग

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम

इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब-2025

- **आयोजन स्थल :** बॉम्बे जिमखाना, मुंबई
- **परिणाम :**

श्रेणी	विजेता	उपविजेता
महिला एकल	अनहत सिंह (भारत)	हेलेन टैंग (हांगकांग)
पुरुष एकल	करीम एल टोरकी (मिस्र)	अभय सिंह (भारत)

मियामी ओपन-2025

- **आयोजन स्थल :** मियामी गार्डन्स, हार्ड रॉक स्टेडियम फ्लोरिडा
- **परिणाम :**

श्रेणी	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	जाकुब मेंसिक (चेक गणराज्य)	नोवाक जोकोविच (सर्बिया)
महिला एकल	आर्यना सबालेंका (बेलारूस)	जेसिका पेगुला (संयुक्त राज्य अमेरिका)
पुरुष युगल	मार्सेलो अरेवालो (अल साल्वाडोर) तथा माटे पाविच (क्रोएशिया)	जूलियन कैश (यूनाइटेड किंगडम) तथा लॉयड ग्लासपूल (यूनाइटेड किंगडम)
महिला युगल	मिर्रा आंद्रेवा (रूस) तथा डायना श्नाइडर (रूस)	क्रिस्टीना बुक्सा (स्पेन) तथा मियू काटो (जापान)

सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप-2025

- **आयोजन स्थल :** अम्मान, जॉर्डन
- **परिणाम :**
  - **स्वर्ण-** ईरान (कुल पदक- 190)
  - **रजत-** जापान (कुल पदक- 146)
  - **कांस्य-** कज़ाखस्तान (कुल पदक-123)
- भारत इस चैंपियनशिप में कुल 83 पदक के साथ छठे स्थान पर रहा।

जापान ग्रैंडप्रिक्स

- **आयोजन स्थल :** सुजुका सर्किट, जापान
- **विजेता :**
  - **प्रथम :** मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल)
  - **द्वितीय :** लैंडो नोरिस (मैकलारेन)
  - **तृतीय :** सी. लेक्लेर (फेरारी)

बहरीन ग्रैंडप्रिक्स

- **आयोजन स्थल :** बहरीन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट
- **विजेता :**
  - **प्रथम :** ऑस्कर पियास्त्री (मैकलारेन)
  - **द्वितीय :** जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज़)
  - **तृतीय :** लैंडो नोरिस (मैकलारेन)

इंडियन सुपर लीग

- **आयोजन स्थल :** विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, कोलकाता
- **परिणाम :**
  - **विजेता :** मोहन बागान सुपर जायंट (**कप्तान-** सुभाशीष बोस)
  - **उपविजेता :** बेंगलुरु एफ.सी (**कप्तान-** सुनील छेत्री)

सऊदी अरब ग्रैंडप्रिक्स

- **आयोजन स्थल :** जेद्दा कॉर्निश सर्किट
- **परिणाम :**
  - **प्रथम :** ऑस्कर पियास्त्री (मैकलारेन)
  - **द्वितीय :** मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल)
  - **तृतीय :** सी. लेक्लेर (फेरारी)

अन्य तथ्य

- भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 2 अप्रैल, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की।
- ब्राज़ील में आयोजित विश्व मुक्केबाज़ी कप 2025 में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज़ बने।
  - इंग्लैंड के ओडेल कामारा को चोट के कारण मैच से हटने के कारण गुलिया को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।
- विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में 13,000 रन का आँकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
- ब्रिटेन वर्ष 2035 में आयोजित होने वाले फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिसमें छह पुरुष और छह महिला टी-20 टीमें शामिल होंगी, जिनमें से प्रत्येक में 15 खिलाड़ी होंगे।
- इंग्लैंड के महान तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड व क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एक टास्क फोर्स का गठन करके विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता करने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता और विकास के अवसर प्रदान करना है।
- भारतीय रिकर्व पुरुष तीरंदाज़ी टीम ने फ्लोरिडा के ऑबर्नडेल में आयोजित तीरंदाज़ी विश्व कप चरण 1 में रजत पदक के साथ अपने वर्ष 2025 अभियान की शुरुआत की।
- पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई, 2025 तक बिहार में किया जाएगा।
- हरियाणा के एथलीट निश्चय ने सऊदी अरब के दम्मम में आयोजित एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कों की शॉटपुट स्पर्द्धा में रजत पदक हासिल किया।
- जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को 2025 के लिए विज़डन के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है।
- 3 से 5 मई तक रांची में आयोजित होने वाला दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2025 संस्करण को वीज़ा प्रक्रिया में जटिलताओं के कारण एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है।
- विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं।
- 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आई.पी.एल का दूसरा सबसे तेज़ शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने।
- के.डी. जाधव एरिना, इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में आयोजित एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

पुस्तक	लेखक
द ग्रेट कनसिलिएटर	*संजीव चोपड़ा*
द इंडिया आई सॉ	*एस. अंबुजम्मल (श्रीराम वी. द्वारा अनूदित)*
केयरलेस पीपल	*साराह व्यान-विलियम्स*
संस्कृति का पाँचवां अध्याय : संस्कृति पर पीएम मोदी के भाषणों का संकलन	*आध्यात्मिक नेता और जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज द्वारा विमोचन*
द कश्मीर शॉल	*रोजी थॉमस*
रामानुजन : एक महान गणितज्ञ की यात्रा	*अरुण सिंघल व देवेंद्र कुमार शर्मा*
फिरदौसनामा	*शंदाना मिन्हास*
एवरीथिंग इज ट्यूबरकुलोसिस	*जॉन ग्रीन*
ब्रीथलेस	*एंड्रयू मैकडोवेल*
व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी	*हेलेन स्केल्स*
बट आई एम वन ऑफ यू : नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द स्ट्रगल टू बिलोंग	*सम्राट चौधरी तथा प्रीति गिल द्वारा संपादित*
द वर्ल्ड विथ इट्स माउथ ओपन	*जाहिद रफीक*
वे टू पैराडाइस	*मारियो वर्गास लोसा*
होप : द ऑटोबायोग्राफी	*पोप फ्राँसिस*
आई एम ऑन द हिटलिस्ट	*रोलो रोमिग*
द बुक ऑफ डिसअपीयरेंस	*इब्तिसाम अज़ेम*

महत्त्वपूर्ण दिवस

क्रम	दिवस	तिथि	थीम / विषय / अन्य तथ्य
1.	दृष्टहीनता निवारण सप्ताह	1-7 अप्रैल	ग्लूकोमा मुक्त विश्व के लिए एकजुट होना
2.	विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस	2 अप्रैल	न्यूरोडायवर्सिटी एवं संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना
3.	राष्ट्रीय समुद्री दिवस	5 अप्रैल	हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारे अवसर
4.	विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल	स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य
5.	विश्व होम्योपैथी दिवस	10 अप्रैल	अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान
6.	राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस	11 अप्रैल	–
7.	जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस	13 अप्रैल	–
8.	विश्व हीमोफीलिया दिवस	17 अप्रैल	सभी के लिए पहुँच : महिलाओं व लड़कियों को भी खून का रिसाव होता है
9.	विश्व विरासत दिवस	18 अप्रैल	आपदाओं एवं संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत : आई.सी.ओ.एम.ओ.एस. की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी व सीख
10.	राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस	21 अप्रैल	कुशल व पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना
11.	विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल	हमारी शक्ति, हमारा ग्रह
12.	विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस	23 अप्रैल	सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका
13.	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	24 अप्रैल	–
14.	विश्व मलेरिया दिवस	25 अप्रैल	मलेरिया का अंत हमारे साथ : पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति
15.	विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	26 अप्रैल	आईपी एंड म्यूज़िक : फील द बीट ऑफ आईपी
16.	विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस	28 अप्रैल	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव : कार्यस्थल पर एआई व डिजिटलीकरण की भूमिका

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

एबेल पुरस्कार-2025

- **प्रदानकर्ता** : नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स
- **प्राप्तकर्ता** : मसाकी काशीवारा (जापान)
- उन्हें यह पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण एवं प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
- एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।

वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार-2025

- **प्रदानकर्ता** : नीलम सांस्कृतिक केंद्र
- **प्राप्तकर्ता** : पी. शिवकामी
- इस पुरस्कार में ₹1 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार

- **समारोह** : भारत मंडपम, नई दिल्ली

- **प्रदानकर्ता :** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
- **प्राप्तकर्ता :**

श्रेणी	प्राप्तकर्ता
परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता (पी.पी.पी)	एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता (ई.पी.सी)	भारतीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स
संचालन एवं रखरखाव में उत्कृष्टता (लचीला फुटपाथ)	नंगुनेरी कन्याकुमारी टोलवे प्रा. लिमिटेड
हरित राजमार्ग श्रेणी	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड (कांडी से रामसनपल्ले, NH-161, तेलंगाना)

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स-2025

- **प्रदानकर्ता :** लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन
- **प्राप्तकर्ता :**

श्रेणी	प्राप्तकर्ता
वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर	मोंडो डुप्लांटिस
वर्ल्ड स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द ईयर	सिमोन बाइल्स
वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर	रियल मैड्रिड
स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसएबिलिटी	जियांग युयान
स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड	राफेल नडाल
लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	केली स्लेट

मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल

- **प्रदानकर्ता :** यूनाइटेड सर्विस इंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
- **प्राप्तकर्ता :**

वर्ष 2023	वर्ष 2024
❖ विंग कमांडर डी. पांडा (भारतीय वायु सेना) ❖ इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर (रेडियो) राहुल कुमार पांडे (भारतीय नौसेना)	❖ चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिसर (रेडियो) राम रतन जाट (भारतीय नौसेना) ❖ सार्जेंट झूमर राम पूनिया (भारतीय वायु सेना) ❖ कर्नल रणवीर सिंह जामवाल – निदेशक, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान (NIMAS), अरुणाचल प्रदेश

- यह पुरस्कार सैन्य टोही, अन्वेषण और साहसिक कार्यों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है।

लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार-2024

- **प्रदानकर्ता :** दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान
- **प्राप्तकर्ता :** कुमार मंगलम बिड़ला
- यह पुरस्कार राष्ट्र, समाज और कला के लिए अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

- आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद् मायना स्वामी को ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।
- तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 1 अप्रैल, 2025 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगोर मीडिया वर्ल्डवाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल को तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- युवास्पार्क के संस्थापक आकाश श्रॉफ को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मज़बूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका के नागरिक पुरस्कार श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया।
- प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए पहला फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें भगवान गणेश की 10 फुट ऊँची सैंड स्कल्पचर के लिए सम्मानित किया गया, जो 'विश्व शांति' का संदेश देती है।
- भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर द्वारा 'सिटी की ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया।
- सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  - यह समुद्री विकास में असाधारण योगदान को मान्यता देने वाला भारत का सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है।

- उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल पहल 'जाँच, अभियोजन व दोषसिद्धि पोर्टल' को 'पुलिस एवं सुरक्षा' श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 'बेस्ट स्टंट डिज़ाइन' श्रेणी में पुरस्कार देने की घोषणा की है जो वर्ष 2028 में 100वें एकेडमी अवार्ड्स में पहली बार पेश किया जाएगा।
  - इसमें वर्ष 2027 में रिलीज होने वाली फिल्मों में स्टंट के काम को मान्यता दी जाएगी।
- प्रतिष्ठित भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. अम्बरीश मिथल (Ambrish Mithal) को इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन (IOF) द्वारा वर्ष 2025 के कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया।
- हैदराबाद स्थित AIG हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में उनके नवाचारों को मान्यता देते हुए टोक्यो में 'लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी' की उपाधि से सम्मानित किया गया।
- मेघालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दो श्रेणियों बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला
- KIIT और KISS के संस्थापक अच्युत सामंत को असम के कोकराझार में वर्ष 2025 के गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  - गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार शिक्षा और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करता है।
- ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट' की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को फ्राँस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' से सम्मानित किया गया है।
- कर्नाटक स्थित हुबली हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन-2025 का प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- मानवतावादी, मधुसूदन साई को फिजी द्वारा स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में उनके असाधारण योगदान के लिए 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया गया।

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ

व्यक्ति	नियुक्ति
स्टीव वॉ	ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त
चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी	भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष नियुक्त
भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. जय भट्टाचार्य	अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त
निधि तिवारी (2014 बैच की IFS)	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त
शर्ली बोट्चवे (घाना)	राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव नियुक्त
एन. चंद्रशेखरन	उद्यमिता एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद् के सदस्य नियुक्त
स्वामीनाथन एस. अय्यर	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य (आजीवन) नियुक्त
पूनम गुप्ता	आर.बी.आई. की डिप्टी गवर्नर नियुक्त
शिवसुब्रमण्यम रमण	पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त
कमल हासन	फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण के अध्यक्ष नियुक्त
सोहिनी राजोला	एन.पी.सी.आई.की कार्यकारी निदेशक नियुक्त
मोहसिन नकवी (पाकिस्तान)	एशियाई क्रिकेट परिषद् के अध्यक्ष नियुक्त
सीमा अग्रवाल	अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की डी.जी.पी नियुक्त
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली	जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

विरल दावड़ा	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त
डॉ. नीलम धुंगाना तिमसिना	नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त
सैखोम मीराबाई चानू	भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तहत नव स्थापित एथलीट आयोग की अध्यक्ष निर्वाचित
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई	भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी	भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त
डॉ. मांगी लाल जाट	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक नियुक्त
न्यायाधीश कावेरी बावेजा	दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रार (सतर्कता) नियुक्त
टी. रबी शंकर	भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्त
अनंत अंबानी	रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नियुक्त

निधन

व्यक्ति	संबंधित क्षेत्र
मनोज भारतीराजा	तमिल अभिनेता और निर्देशक
मनोज कुमार	बॉलीवुड अभिनेता
राम सहाय पांडे	राई लोक नृत्य के प्रतिष्ठित नर्तक व पद्मश्री से सम्मानित
दादी रतन मोहिनी	ब्रह्माकुमारीज की आध्यात्मिक प्रमुख
दरिपल्ली रमैया	समर्पित पर्यावरणविद् और पद्म श्री पुरस्कार विजेता
कुमुदिनी लाखिया	प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना
मारियो वर्गास लोसा (पेरू)	साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता (2010)
पोप फ्राँसिस	पहले लैटिन अमेरिकी एवं जेसुइट पोप
के. कस्तूरीरंगन	इसरो के पूर्व अध्यक्ष
मुत्तयिल गोविंदा शंकर नारायणन	भारतीय इतिहासकार

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, कोलंबो (श्रीलंका)
- **आयोजक :** अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान
- **विषय :** भगवान राम के व्यक्तित्व का वैश्विक प्रभाव और श्रीलंका में रामायण से संबंधित स्थलों का ऐतिहासिक महत्त्व।

राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन-2025

- **आयोजन स्थल :** नई दिल्ली
- **आयोजक :** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
- **उद्घाटनकर्ता :** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- **विषय :** पर्यावरणीय चुनौतियाँ, टिकाऊ समाधान और हरित नेतृत्व

छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** थाईलैंड
- **विषय :** सदस्य देशों के क्षेत्रीय विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ाना है, तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के विकास और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना।
- इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
- सम्मेलन के बाद बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर अगले दो वर्षों के लिए बिम्सटेक का नया अध्यक्ष बनाया गया।

वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन-2025

- **आयोजन स्थल :** नई दिल्ली
- **आयोजक :** विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित
- **विषय :** संभावना

बौद्ध धर्म सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** नामसाई, अरुणाचल प्रदेश
- **आयोजक :** अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय
- **विषय :** बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति

अन्य सम्मेलन

- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस-2025 को संबोधित किया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने साझा दृष्टिकोण, साझा ज़िम्मेदारी : NBFC को मज़बूत बनाना थीम के साथ चेन्नई में बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया।

- 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील के ब्रासीलिया में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग द्वारा किया गया।
    - ब्राज़ील ने यू.एन.एफ.सी.सी.सी. ढाँचे के भीतर एक वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद् बनाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु पहलों को गति प्रदान करना है।
- हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल (HCSC) ने STREE शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेज़बानी की। यह आयोजन महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करके उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ ने बैंकॉक में विश्व मधुमेह कांग्रेस के दौरान संयुक्त रूप से "अंतरालों को पाटना: टीबी और मधुमेह से निपटने के लिए एकीकृत रणनीतियाँ" शीर्षक से एक हाइब्रिड कार्यक्रम की मेज़बानी की।
- संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल की नव स्थापित गवनेन्स समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।
- ब्राज़ील की अध्यक्षता में 25 अप्रैल, 2025 को ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोज़गार मंत्रियों की बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोज़गार पर इसका प्रभाव व कार्यबल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत और भूटान ने सीमा शुल्क संचालन में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने के लिए 24 से 25 अप्रैल, 2025 तक थिम्पू में छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक आयोजित की।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox)

यह किसी व्यक्ति के लिए उन उपकरणों एवं सोशल मीडिया साइटों से दूर रहने की एक निश्चित अवधि को संदर्भित करता है जो जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं जिनमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, आदि शामिल हैं। यह स्क्रीन के माध्यम से जुड़ने के बजाय व्यक्तिगत रूप से लोगों से जुड़ने का एक तरीका है तथा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

क्रायोस्फीयर (Cryosphere)

क्रायोस्फीयर में भूमि एवं महासागर की सतह पर और उसके नीचे पृथ्वी प्रणाली के वे सभी घटक शामिल हैं जो जमी हुई अवस्था में हैं जिनमें हिमावरण, ग्लेशियर, आइस सीट, हिमखंड, समुद्री बर्फ, झील की बर्फ, नदी की बर्फ व पर्माफ्रॉस्ट शामिल हैं।

क्लाइमेट एंग्जायटी (Climate Anxiety)

यह पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित व्यथित भावनाओं व भावनात्मक संकट को संदर्भित करती है। इसे इको-एंग्जायटी (Eco-anxiety) के रूप में भी जाना जाता है।

कॉस्मिक डॉन (Cosmic Dawn)

यह बिग बैंग के बाद लगभग 50 मिलियन वर्ष से एक अरब वर्ष तक की उस समयावधि को संदर्भित करता है जब ब्रह्मांड में पहले तारे, ब्लैक होल एवं आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ।

ऑरेंज इकोनॉमी (Orange Economy)

ऑरेंज इकोनॉमी उस आर्थिक क्षेत्र को दर्शाता है जो संस्कृति, कला, रचनात्मकता एवं बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) पर आधारित होता है। इसे क्रिएटिव इकोनॉमी (Creative Economy) भी कहते हैं। इसमें मुख्यत: सांस्कृतिक मूल्यों, रचनात्मक अभिव्यक्तियों, कलात्मक सेवाओं तथा उत्पादों व बौद्धिक संपदा के निर्माण, उत्पादन एवं वितरण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

एव्लॉन्च ब्रेकडाउन (Avalanche Breakdown)

रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय होने पर वे आवेशित कण उत्सर्जित करते हैं जो आसपास की वायु को आयनित करते हैं, इससे पदार्थ की एक अवस्था का निर्माण होता है जिसे प्लाज़्मा कहा जाता है। इस स्थिति में ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन, फिर अन्य परमाणुओं से टकराने के लिए त्वरित होकर और भी अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। इसे ही एव्लॉन्च ब्रेकडाउन कहा जाता है।

saRNA वैक्सीन (Self-amplifying mRNA Vaccine)

saRNA वैक्सीन में mRNA के साथ-साथ एक खास कोड (Gene) डाला जाता है जो इसे अपना प्रतिकृति बनाने (Amplify) में सक्षम बनाता है अर्थात् एक saRNA शरीर में जाकर स्वयं को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसे में इसकी एक बहुत ही छोटी मात्रा में दी गई वैक्सीन भी शरीर में जाकर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बना सकती है और एक मज़बूत इम्यून रिस्पॉन्स दे सकती है।

वोलैटिलिटी इंडेक्स (Volatility Index)

वोलैटिलिटी इंडेक्स (इंडिया VIX) NIFTY ऑप्शन्स के डाटा का उपयोग करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा प्राप्त बाज़ार की अस्थिरता का एक माप है। उच्च VIX मूल्य बढ़ी हुई अनुमानित अस्थिरता एवं अनिश्चितता को दर्शाता है, जबकि निम्न VIX मूल्य एक स्थिर बाज़ार को दर्शाता है।

गैस हाइड्रेट्स (Gas Hydrates)

गैस हाइड्रेट्स पानी एवं गैस से बने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं जिनमें बड़ी मात्रा में मीथेन होता है। इन्हें अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इन्हें निकालने के लिए उन्नत एवं गैर-पारंपरिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। भारत में अंडमान द्वीपसमूह के आसपास और कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में भारी

मात्रा में गैस हाइड्रेट्स मौजूद हैं। गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करने के लिए चीन दुनिया का पहला स्थायी अंडरसी रिसर्च स्टेशन बना रहा है।

कार्बन राइट्स (Carbon Rights)

कार्बन अधिकारों को कानूनी दावे या उन गतिविधियों से उत्पन्न लाभों के हकदारी के रूप में परिभाषित करते हैं जो वायुमंडल से कार्बन को अलग करते हैं या हटाते हैं। कार्बन अधिकार में भूमि, वृक्ष, मिट्टी आदि में निहित कार्बन को अलग करने और संगृहीत करने के लिए संपत्ति के अधिकार तथा इन संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण (यानी उत्सर्जन व्यापार योजनाओं के माध्यम से) से उत्पन्न होने वाले लाभों के अधिकार को शामिल किया जाता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन राइट्स की कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है।

ब्लू वॉशिंग (Blue Washing)

इसका अर्थ है किसी कंपनी या उद्योग द्वारा अपनी पर्यावरणीय छवि को बेहतर बनाने के लिए गलत या भ्रामक तरीके से स्वयं को प्रस्तुत किया जाना, खासकर जल निकायों या समुद्री संसाधनों से संबंधित मामलों में। यह एक विपणन रणनीति है जो उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाती है कि वे टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हैं जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह ज़िम्मेदार एवं टिकाऊ सामाजिक तथा नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है।

पिंक वाशिंग (Pink Washing)

LGBTQ+ कर्मचारियों के लिए स्थितियों को अनदेखा करते हुए या सुधारने में विफल रहते हुए भी LGBTQ+ अधिकारों का विपणन उपकरण के रूप में उपयोग करना पिंक वाशिंग कहलाता है।

साइबर गुलामी (Cyber Slavery)

साइबर गुलामी आधुनिक गुलामी का एक रूप है जिसमें पीड़ितों को धमकी, दबाव या झूठे बहाने के तहत ऑनलाइन घोटाले या डिजिटल श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में इसकी रिपोर्ट तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ लोगों को फर्जी नौकरी के प्रस्तावों का लालच दिया जाता है और फिर उन्हें धोखाधड़ी केंद्रों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

जी.पी.एस. स्पूफिंग (GPS Spoofing)

जी.पी.एस. स्पूफिंग को जी.पी.एस. सिमुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह गलत जी.पी.एस. सिग्नल प्रसारित करके जी.पी.एस. रिसीवर में हेरफेर या धोखा देने की प्रथा को संदर्भित करता है। इसके परिणामस्वरूप डिवाइस गलत स्थान का डाटा प्रदान करता है। हाल ही में, भारतीय वायुसेना के विमानों को म्यांमार के हवाई क्षेत्र में जी.पी.एस. स्पूफिंग का सामना करना पड़ा।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (Open Acreage Licensing Policy)

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) 2016 के तहत पेश किया गया था। यह निवेशकों को अन्वेषण एवं उत्पादन (E-P) डाटा का आकलन करके अपनी पसंद के ब्लॉक बनाने की अनुमति देता है।

काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर (Countercyclical Capital Buffer)

काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का एक नियामकीय उपाय है जिसका उद्देश्य बैंकों को आर्थिक उछाल एवं मंदी के चक्रों से बचाना होता है। यह एक अतिरिक्त पूंजी भंडार होता है जिसे बैंक आर्थिक तेज़ी (Boom) के समय में जमा करते हैं, ताकि जब मंदी (Recession) आए तो वे इस पूंजी का इस्तेमाल करके ऋण देना जारी रख सकें।

ब्रिस्क वाक (Brisk Walk)

यह मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि का एक रूप है। इसमें ऐसी गति से चलना शामिल है जिसमें आप बात तो कर सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं, जिससे आपकी हृदय गति और श्वास दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तथा यह हृदय-संवहनी स्वास्थ्य व समग्र कल्याण के लिए लाभदायक है।

इकोनॉमिक बुलिंग (Economic Bullying)

इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाने या नियंत्रित करने के लिए जान-बूझकर एवं बार-बार आक्रामक व्यवहार करना है, जैसे- नौकरी से निकालना, वेतन कम करना या वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सीमित करना।

वाइब कोडिंग (Vibe Coding)

यह प्रोग्रामिंग की एक शैली है जो कोड लिखने के लिए ए.आई. उपकरणों का उपयोग करती है जिससे प्रोग्रामर प्रक्रिया को निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे कोडिंग क्षेत्र में गैर-विशेषज्ञों के लिए भी सॉफ्टवेयर का निर्माण अधिक सुलभ हो सकता है।

जेवोंस विरोधाभास (Jevons Paradox)

यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री डब्लू. एस. जेवोंस के नाम पर रखा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, जब किसी संसाधन (जैसे- ऊर्जा या कच्चे माल) का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है तो वह संसाधन पहले की तुलना में अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है अर्थात् वह तकनीकी प्रगति जो किसी संसाधन को सस्ता या अधिक कुशल बनाती है, प्रायः उस संसाधन की मांग में वृद्धि का कारण बनती है।

❑❑❑

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार

योजना

कौशल भारत मिशन : परिवर्तन का एक दशक

संदर्भ

- वर्ष 2015 में शुरू किया गया कौशल भारत मिशन एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है, जिसने लाखों युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से लैस किया है।
- यह कौशल अंतर को पाटने, कार्यबल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, उद्योग की ज़रूरतों और वैश्विक रुझानों के साथ जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत होती है।

एक मज़बूत कौशल ढाँचा तैयार करना

सुव्यवस्थित कौशल प्रशासन

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने 20 से अधिक खंडित कार्यक्रमों को एकीकृत किया, जिससे कौशल के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण तैयार हुआ।
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) ने भारत के कार्यबल को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने के लिए एक स्केलेबल और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की।

शिक्षा के साथ कौशल का एकीकरण

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCF) 2023 व्यावसायिक प्रशिक्षण को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करता है।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के साथ संरेखित योग्यताओं के लिए क्रेडिट स्थानांतरण, आई.टी.आई. स्नातकों के लिए शैक्षणिक समकक्षता और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सीखने व रोज़गार के बीच सहज संक्रमण की सुविधा प्रदान करने के साथ ही भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का समर्थन करते हैं।

उद्योग संपर्क और प्रशिक्षुता को मज़बूत करना

- 100 से अधिक उद्योग परामर्शों ने प्रशिक्षण को बाज़ार की ज़रूरतों के साथ जोड़ा है।
- आई.टी.आई. में फ्लेक्सी और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली वास्तविक दुनिया के संपर्क को बढ़ाती है।
  - फ्लेक्सी एम.ओ.यू का तात्पर्य लचीले समझौता ज्ञापन योजना से है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के भारत में प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। यह योजना उद्योगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के साथ साझेदारी करने की अनुमति देती है, ताकि वे अपनी विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकें।
- संशोधित राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना के माध्यम से 42 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है।
- त्वरित रोज़गार विकास कार्यक्रम उच्च मांग वाले क्षेत्रों में तेज़ी से कौशल विकास को लक्षित करता है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल को अपनाना

- स्किल इंडिया डिजिटल हब ए.आर/वी.आर सामग्री और एआई-संचालित करियर मैपिंग के साथ किसी भी समय सीखने में सक्षम बनाता है।
- डिजिटल कौशल कार्ड सत्यापन योग्य प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं, जिससे पोर्टेबिलिटी और मान्यता बढ़ती है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और वैश्विक मान्यता

- स्किल इंडिया वैश्विक प्रतिभा अंतराल को संबोधित कर रहा है, जिसमें 16 देशों में 3.7 मिलियन रोज़गार अवसरों की पहचान की गई है।
- जापान, जर्मनी, इज़रायल और यू.ए.ई के साथ द्विपक्षीय समझौते, साथ ही 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) कार्यबल की गतिशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं।
- भारत वर्ष 2024 में वर्ल्ड स्किल्स में 13वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2011 में यह 39वें स्थान पर था।

AI मिशन और भविष्य का कौशल

- राष्ट्रीय AI मिशन के साथ संरेखित, स्किल इंडिया डिजिटल हब ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में AI-आधारित शिक्षा को एकीकृत करता है।
- Google, NVIDIA और Microsoft के साथ सहयोग स्वास्थ्य सेवा व वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में AI कौशल का विस्तार कर रहा है।

बजट सहायता और बुनियादी ढाँचा विस्तार

- केंद्रीय बजट 2024-25 में स्किल इंडिया के लिए ₹8,800 करोड़ आवंटित किए गए थे।
- योजनाओं में हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 1,000 आई.टी.आई. को अपग्रेड करना और कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

नवीन कौशल वित्तपोषण मॉडल

- कौशल ऋण, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड और कौशल वाउचर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक पहुँच व मांग-संचालित कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं।
- एकीकृत डिजिटल ढाँचा योजना अभिसरण को आगे बढ़ा रहा है।

पारंपरिक और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना

- पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के साथ 18 पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित कर रहा है।
- पीएम-जनमन और वन धन योजना जैसी योजनाएँ ग्रामीण और आदिवासी रोज़गार को बढ़ावा देती हैं।
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत आई.टी.आई. विरासत शिल्प को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कौशल अंतराल को पाटना और डाटा उपयोग को बढ़ाना

- निर्बाध शैक्षणिक-कौशल संक्रमण के लिए एन.एस.क्यू.एफ. पाठ्यक्रमों को स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जा रहा है।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय क्षेत्रीय कौशल अंतर अध्ययन कर रहा है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में कौशल संबंधी डाटा शामिल करने के लिए काम कर रहा है।

निष्कर्ष

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, वर्ष 2030 तक कुशल प्रतिभाओं की कमी के कारण 85 मिलियन से अधिक नौकरियाँ खाली रह सकती हैं, जबकि स्वचालन और एआई-संचालित प्रौद्योगिकियाँ उद्योगों को नया स्वरूप प्रदान करेंगी। एकीकृत नीति, उद्योग सहयोग और तकनीक-संचालित पहलों के साथ, भारत वैश्विक कौशल राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विकसित भारत के लिए डिजिटल मार्ग

संदर्भ

- भारत, जो लंबे समय से सॉफ्टवेयर में अपने वैश्विक नेतृत्व के लिए जाना जाता है, अब हार्डवेयर विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।
- निर्माणाधीन पाँच सेमीकंडक्टर संयंत्रों के साथ, देश जल्द ही अपना पहला मेक-इन-इंडिया चिप लॉन्च करने के लिए तैयार है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही भारत के शीर्ष तीन निर्यातों में से एक बन गया है।

बुनियादी ढाँचे और नवाचार के माध्यम से ए.आई का लोकतंत्रीकरण

- भारत एक अद्वितीय ढाँचे के माध्यम से सभी के लिए ए.आई को सुलभ बना रहा है:
  - **कंप्यूट पावर :** शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए सब्सिडी दरों (₹100/घंटा से कम) पर 18,000+ GPU के साथ एक सामान्य कंप्यूट सुविधा उपलब्ध है।
  - **डाटा उपलब्धता :** AI मॉडल को प्रशिक्षित करने, पूर्वाग्रह को कम करने और सटीकता में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर, गैर-व्यक्तिगत अनाम डाटासेट विकसित किए जा रहे हैं।
  - **आधारभूत मॉडल :** भारत राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने स्वयं के बड़े भाषा मॉडल (LLM) और डोमेन-विशिष्ट AI समाधान बना रहा है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): एक वैश्विक मॉडल

- सार्वजनिक धन और निजी नवाचार के साथ निर्मित भारत के DPI दृष्टिकोण में आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
  - शासन और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब DPI को AI के साथ जोड़ा जा रहा है।
- UPI को जापान द्वारा पेटेंट दिए जाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। G-20 शिखर सम्मेलन में, कई देशों ने भारत के DPI मॉडल को अपनाने में रुचि व्यक्त की।

महाकुंभ 2025 का तकनीक-संचालित प्रबंधन

- दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा का प्रबंधन भारत की DPI और AI क्षमताओं का उपयोग करके किया गया–
  - रियल-टाइम AI उपकरणों ने रेलवे भीड़ के प्रवाह की निगरानी की।
  - चैटबॉट में एकीकृत भाषिनी ने बहुभाषी सहायता, खोया-पाया केंद्र सहायता और आवाज़-आधारित सहायता प्रदान की।

भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण

- भारत हर हफ्ते एक वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) का निर्माण कर रहा है। इसके लिए सरकार निम्न कदम उठा रही है–
  - AI, 5G और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को अपडेट करना।

- शिक्षा को तकनीकी रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करना।

व्यावहारिक ए.आई विनियमन

- भारत द्वारा ए.आई विनियमन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं-
  - **संतुलित दृष्टिकोण :** न तो अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और न ही पूरी तरह से बाज़ार-संचालित।
  - **तकनीकी-कानूनी रणनीति :** केवल कानूनों के बजाय तकनीकी सुरक्षा उपायों पर बल।
  - **अनुसंधान सहायता :** डीपफेक से निपटने, गोपनीयता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्थानों में ए.आई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।

लोगों पर केंद्रित परिवर्तन

इसके मूल में, भारत की डिजिटल और ए.आई क्रांति अपने लोगों को सशक्त बनाने के संबंध में है जिसका उद्देश्य मज़बूत, सुलभ बुनियादी ढाँचे और प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से नवाचार के साथ ही समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

कुरुक्षेत्र

भारत में पंचायतों को अधिकार हस्तांतरण

संदर्भ

पंचायती राज मंत्रालय ने 'राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति- एक सांकेतिक साक्ष्य-आधारित रैंकिंग' (जिसे पंचायत हस्तांतरण सूचकांक भी कहा जाता है) शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारतीय राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सशक्तीकरण की सीमा का आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **उद्देश्य :** अनुच्छेद 243G के अनुरूप पी.आर.आई. को शक्तियों, कार्यों, वित्त और पदाधिकारियों के वास्तविक हस्तांतरण का आकलन करना।
- **कार्यप्रणाली :** 6 आयामों- रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण और जवाबदेही के आधार पर रैंकिंग।

समग्र प्रगति

- **हस्तांतरण सूचकांक में वृद्धि :** वर्ष 2013-14 के 39.9% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 43.9% हो गया।
- **बुनियादी ढाँचे और डिजिटलीकरण में लाभ :** कार्यकर्ताओं (Functionaries) का सूचकांक 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गया, जो बेहतर स्टाफिंग और डिजिटल उपकरणों को दर्शाता है।

रैंकिंग	राज्य	मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र
1.	कर्नाटक	वित्त एवं जवाबदेही
2.	केरल	कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा
3.	तमिलनाडु	विषयों का हस्तांतरण
4.	महाराष्ट्र	व्यापक हस्तांतरण
5.	उत्तर प्रदेश	बेहतर संस्थागत समर्थन

सबसे निम्न प्रदर्शन

दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव, पुडुचेरी व लद्दाख में न्यूनतम प्रगति देखी गई है, जहाँ हस्तांतरण सूचकांक लगभग 13-16% है।

पंचायती राज के लिए संवैधानिक प्रावधान

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा रखी गई थी, जिसने पंचायती राज को शासन के तीसरे स्तर के रूप में संस्थागत रूप दिया।
- प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं:
  - **अनुच्छेद 243G :** राज्य विधान सभाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए पी.आर.आई. को शक्तियाँ, अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 243H :** पी.आर.आई. को कर और शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 243-I :** हर पाँच साल में राज्य वित्त आयोगों (SFC) के गठन का आदेश देता है।
  - **अनुच्छेद 280(3)(bb) :** केंद्रीय वित्त आयोग को पंचायती राज संसाधनों के पूरक के लिए राज्य निधि बढ़ाने हेतु उपायों की सिफारिश करने का निर्देश देता है।

पी.आर.आई. के सशक्तीकरण में चुनौतियाँ

- **कार्यों का असंगत हस्तांतरण :** 11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध हैं, लेकिन अधिकांश राज्य केंद्रीकृत नियंत्रण के क्षरण के डर से केवल कुछ ही हस्तांतरित करते हैं।
- **संस्थागत अंतराल :** ज़िला योजना समितियाँ काफी हद तक गैर-कार्यात्मक बनी हुई हैं। आरक्षित सीटों के बार-बार रोटेशन से नेतृत्व की निरंतरता बाधित होती है।
- **वित्तीय बाधाएँ**
  - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का गैर-कार्यान्वयन।
  - केंद्रीय हस्तांतरण (80%) और राज्य अनुदान (15%) पर अत्यधिक निर्भरता।

- **क्षमता की कमी :** निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बजट, शासन और सेवा वितरण में प्रशिक्षण की कमी।
- **कमज़ोर जवाबदेही :** ग्राम सभा की कम भागीदारी, कम पारदर्शिता और अप्रभावी सामाजिक लेखा परीक्षा।

पी.आर.आई. हस्तांतरण को मज़बूत करने के उपाय

संस्थागत उपाय

- **पूर्ण कार्यात्मक हस्तांतरण :** राज्यों को 11वीं अनुसूची के अनुसार सभी 29 विषयों का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए।
- **ज़िला योजना समितियों को सुदृढ़ करना :** एकीकृत स्थानीय विकास के लिए नियोजन निकायों का संचालन करें।
- **योजना कार्यान्वयन में स्वायत्तता :** एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए., एन.एच.एम. और पी.एम.ए.वाई. जैसी प्रमुख योजनाओं पर पी.आर.आई. को नियंत्रण प्रदान करना।

राजकोषीय सुधार

- **राज्य वित्त आयोग का सुदृढ़ीकरण :** सिफारिशों का समय पर गठन और पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- **स्वयं के राजस्व में वृद्धि :** तकनीकी सहायता के साथ संपत्ति कर, भूमि उपकर और शुल्क एकत्र करने के लिए पी.आर.आई. को सशक्त बनाना।
- **विशेष प्रयोजन अनुदान :** स्वच्छता, शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि में प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

क्षमता और जवाबदेही

- **क्षमता निर्माण में निवेश :** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत प्रशिक्षण को वर्ष 2026 से आगे बढ़ाना।
- **डिजिटल बुनियादी ढाँचा :** सेवा वितरण और पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा।
- **पंचायत भवनों का सुदृढ़ीकरण :** उन्हें कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं के लिए नोडल बिंदु बनाएँ।

निष्कर्ष

शासन के तीसरे स्तर के रूप में पंचायतों को मज़बूत करना न केवल एक संवैधानिक आवश्यकता है, बल्कि स्थानीयकृत, नीचे से ऊपर की योजना और समावेशी ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्यता है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन

संदर्भ

- पानी मानव अस्तित्व और सतत् विकास के लिए केंद्रीय है। भारत में, जहाँ 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) विकेंद्रीकृत जल प्रशासन के महत्त्वपूर्ण एजेंट के रूप में कार्य करती हैं।
  - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत पी.आर.आई. को अनुसूची XI के तहत जल संसाधनों पर अधिकार दिया गया है।
  - भारत के 24.24 लाख जल निकायों में से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं (2023 जल निकाय जनगणना के अनुसार) ऐसे में पी.आर.आई. के पास जल प्रबंधन में संवैधानिक ज़िम्मेदारी और ज़मीनी स्तर की प्रासंगिकता दोनों हैं।

संवैधानिक और संस्थागत ढाँचा

73वाँ संशोधन और अनुसूची XI

- पी.आर.आई. को 29 विषय सौंपे गए, जिनमें पेयजल, लघु सिंचाई, वाटरशेड विकास और मत्स्यपालन शामिल हैं।
- सहभागी शासन के माध्यम से जल-संबंधी योजनाओं को बनाने, उन्हें लागू करने और निगरानी करने के लिए पी.आर.आई. को नोडल एजेंसियों के रूप में सशक्त बनाता है।

जल निकायों की जनगणना 2023

- 24.24 लाख जल निकायों में से 23.55 लाख (97.1%) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
- पंचायतें सार्वजनिक स्वामित्व वाले 62.4% जल निकायों का प्रबंधन करती हैं जो पी.आर.आई. के नेतृत्व वाली संरक्षण और उपयोग रणनीतियों की महत्ता को दर्शाता है।

पी.आर.आई. को शामिल करने वाली प्रमुख पहलें

सहभागी सिंचाई प्रबंधन

- विकेंद्रीकृत सिंचाई प्रशासन के लिए जल उपयोगकर्ता संघों (WUA) को बढ़ावा देता है।
- पी.आर.आई. उपयोगकर्ता संघों के गठन की सुविधा प्रदान करने के साथ ही, विवादों में मध्यस्थता करते हैं और जल का समान वितरण सुनिश्चित करते हैं।
- इससे जल-उपयोग दक्षता तथा स्थानीय स्वामित्व में वृद्धि होती है।

जल जीवन मिशन

- यह वर्ष 2024 तक 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) का लक्ष्य रखता है।
- इसके तहत पी.आर.आई. ग्राम कार्य योजनाएँ तैयार करने के साथ ही परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन करते हैं।
- यह पहुँच में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत मरम्मत, जीर्णोद्धार और जीर्णोद्धार योजना
- इसमें जल निकायों की पी.आर.आई. के नेतृत्व वाली जीर्णोद्धार शामिल है, जिसे प्राय: एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाता है।

- भू-जल पुनर्भरण और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है।

मनरेगा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- इसके अंतर्गत कृषि और जल संरक्षण के लिए 60% निधि निर्धारित की गई है।
- पी.आर.आई. मृदा नमी संरक्षण, चेक डैम, तालाब और वर्षा जल संचयन कार्यों को लागू करते हैं।
- सूखे से निपटने और रोज़गार सृजन को बढ़ाता है।

गाँव-स्तरीय जल बजट

- पी.आर.आई. को पानी की उपलब्धता बनाम मांग (पीने, कृषि, उद्योग) का आकलन करने का अधिकार देता है।
- उपयोग को संतुलित करने के लिए स्रोत स्थिरता योजनाएँ विकसित करता है। विवेकपूर्ण आवंटन और संरक्षण को बढ़ावा देता है।

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान (2021-26)

- पी.आर.आई. को 2.36 लाख करोड़ रुपए आवंटित; 60% जल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता से जुड़ा है।
- यह जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य जल-संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पी.आर.आई. की क्षमताओं को मज़बूत करता है।

अटल भू-जल योजना

- जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू-जल प्रबंधन पर केंद्रित है।
- पी.आर.आई. जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार करते हैं, समुदाय-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देते हैं और कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

- पी.आर.आई. एस.डी.जी-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) को पी.एम.के.एस.वाई., जल जीवन मिशन और मनरेगा जैसी योजनाओं के अभिसरण और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्षमता निर्माण के माध्यम से एकीकृत करते हैं।

चुनौतियाँ

- **जलवायु परिवर्तन :** अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ स्थानीय जल प्रणालियों पर दबाव डालते हैं।
- **क्षमता अंतराल :** कई पी.आर.आई. में तकनीकी कौशल और डाटा-हैंडलिंग क्षमता का अभाव है।
- **अतिक्रमण एवं शहरी दबाव :** बढ़ते शहरीकरण से ग्रामीण जल निकायों को खतरा है।
- **सामुदायिक भागीदारी का अभाव :** जल प्रशासन में हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर महिलाओं का समावेशन सुनिश्चित करना अभी भी सीमित है।
- **योजनाओं का विखंडन :** विभिन्न योजनाओं के बीच एकीकरण का अभाव दोहराव और अकुशलता को जन्म देता है।

समाधान

- **जन भागीदारी :** जागरूकता अभियान शुरू करें, सामुदायिक जल प्रबंधकों को पहचानें और संरक्षण को प्रोत्साहित करें।
- **योजनाओं का अभिसरण :** एकीकृत ग्राम स्तरीय जल योजनाओं के तहत JJM, PMKSY, IWMP, ABY और MGNREGS को एकीकृत करें।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना :** जल बजट, भू-जल मानचित्रण और वास्तविक समय की निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) व रिमोट सेंसिंग का उपयोग करें।
- **लैंगिक समावेशन :** ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ ग्राम सभाओं और जल समितियों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दें।
- **क्षमता निर्माण :** निरंतर शिक्षा और ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से तकनीकी पहलुओं, वित्तीय प्रबंधन और SDG स्थानीयकरण में पी.आर.आई. प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करें।

निष्कर्ष

- पंचायती राज संस्थाएँ ग्राम स्वराज के गांधीवादी दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं, जो राष्ट्रीय जल लक्ष्यों को समुदाय-संचालित कार्रवाई में परिवर्तित करते हैं।
- इन संस्थाओं का संवैधानिक सशक्तीकरण, ज़मीनी स्तर पर उपस्थिति और सहभागितापूर्ण लोकाचार उन्हें ग्रामीण भारत में जल विभाजन को पाटने के लिए विशिष्ट रूप से स्थान देते हैं।
- जलवायु संबंधी खतरे के कारण मांग-आपूर्ति में अंतर बढ़ रहा है, इसलिए पी.आर.आई. को एकीकृत जल प्रशासन का आधार बनना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन "कैच द रेन" और "सबका साथ, सबका विकास" के दोहरे मंत्रों द्वारा किया जाना चाहिए।

डाउन टू अर्थ

अनौपचारिक कचरा बीनने वाले: उपेक्षित फिर भी अपरिहार्य

संदर्भ

पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, अनौपचारिक कचरा बीनने वाले हाशिए पर हैं, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कचरा बीनने वालों के बारे में

- वर्ष 2008 में कोलंबिया में आयोजित कचरा बीनने वालों के पहले विश्व सम्मेलन में अंग्रेज़ी में 'वेस्ट पिकर' शब्द को अपनाने के लिए एक अनंतिम सहमति बनी, जिसने अपमानजनक शब्द 'स्कैवेंजर' को बदल दिया।

- एक अनुमान के अनुसार, अनौपचारिक कचरा प्रबंधन क्षेत्र दुनिया भर में 12.5 मिलियन से 56 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है।
  - यह आबादी का लगभग 1% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की भूमिका

- **संसाधन पुनर्प्राप्ति :** अनौपचारिक कचरा बीनने वाले पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को इकट्ठा और अलग करते हैं, जिससे लैंडफिल पर बोझ और प्रदूषण कम होता है।
  - उनका काम पुनर्चक्रण उद्योग में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।
- **लागत में कमी :** मूल्यवान सामग्रियों को पुनर्प्राप्त करके, कचरा बीनने वाले नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन लागत को कम करते हैं।
  - उनके प्रयासों से शहरी स्वच्छता सेवाओं को सब्सिडी मिलती है, जिससे वे अपशिष्ट मूल्य शृंखला का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव :** कचरा बीनने वाले लैंडफिल से कचरे को हटाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - वे विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद करते हैं।

चुनौतियाँ

- **मान्यता का अभाव :** कचरा बीनने वालों को प्रायः औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणालियों से बाहर रखा जाता है, जिससे संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
  - कई शहर कचरा प्रबंधन को निजी कंपनियों को आउटसोर्स करते हैं, जिससे अनौपचारिक श्रमिकों को दरकिनार कर दिया जाता है।
- **व्यावसायिक खतरे :** कचरा बीनने वालों को खतरनाक सामग्रियों और अस्वास्थ्यकर स्थितियों के संपर्क में आने के कारण स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
  - उनके पास सुरक्षात्मक उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं है।
- **आर्थिक भेद्यता :** उनके काम की अनौपचारिक प्रकृति कचरा बीनने वालों को नौकरी की सुरक्षा या स्थिर आय नहीं प्रदान करती है।
  - महिलाएँ, जो इस कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, शोषण के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- इन्हें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 को बदलने के लिए MoEF-CC द्वारा पेश किया गया था।
- इन नियमों का उद्देश्य पूरे भारत में अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना, पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- **प्रयोज्यता :** ये नियम शहरी स्थानीय निकायों, जनगणना कस्बों, औद्योगिक टाउनशिप, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू होते हैं।
  - वे खतरनाक, बायोमेडिकल और ई-कचरे को छोड़कर सभी प्रकार के ठोस कचरे को कवर करते हैं, जो अलग-अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं।
- **स्रोत पर पृथक्करण :** अपशिष्ट उत्पादकों को कचरे को बायोडिग्रेडेबल, नॉन-बायोडिग्रेडेबल और घरेलू खतरनाक कचरे में अलग करना चाहिए।
  - घरों, संस्थानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पृथक्करण अनिवार्य है।
- **विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (EPR) :** पैकेजिंग सामग्री के निर्माता अपने उत्पादों द्वारा उत्पन्न कचरे को इकट्ठा करने और प्रबंधित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- **विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन :** स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, जैसे खाद बनाना और जैव-मीथेनेशन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान :** पुनर्चक्रण, खाद बनाना और अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने वाली प्रौद्योगिकियों पर ज़ोर दिया जाता है।
  - लैंडफिलिंग को गैर-पुनर्चक्रणीय और निष्क्रिय अपशिष्ट तक सीमित रखा जाता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी :** नियम अपशिष्ट बीनने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं की भूमिका को मान्यता देते हैं, तथा उन्हें औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

आगे की राह

- **औपचारिक प्रणालियों के साथ एकीकरण :** शहरों को कचरा बीनने वालों को उनकी स्वायत्तता को बाधित किए बिना औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणालियों में एकीकृत करने के लिए नीतियाँ विकसित करनी चाहिए।

- पुणे के SWaCH सहकारी और अंबिकापुर के SAMCLAF जैसी पहल समुदाय-संचालित दृष्टिकोणों की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं।

❖ **सामाजिक और आर्थिक सहायता :** कचरा बीनने वालों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- उनके सशक्तीकरण के लिए उचित वेतन और सुरक्षित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

❖ **जागरूकता और वकालत :** जन-जागरूकता अभियान कचरा बीनने वालों के योगदान को उजागर कर सकते हैं व कलंक को कम कर सकते हैं।
- वकालत के प्रयास नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ा सकते हैं जो उनके काम को पहचानते हैं और उनका समर्थन करते हैं।

डबल हीटवेव

संदर्भ

❖ हाल ही में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गर्मियों के दौरान उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 'डबल हीटवेव' की चेतावनी दी, जिसमें 10 से 12 हीटवेव दिनों का पूर्वानुमान लगाया गया, जो सामान्य पाँच से छह दिनों से लगभग दोगुना है।

❖ आई.एम.डी. ने कुछ दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की संभावना पर प्रकाश डाला।

हीटवेव के बारे में

❖ हीटवेव अत्यधिक उच्च तापमान की एक लंबी अवधि है, जो अक्सर शुष्क परिस्थितियों के साथ होती है, जिसका मानव स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढाँचे पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

❖ आई.एम.डी. के अनुसार, भारत में हीटवेव की घोषणा तब की जाती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 °C और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 °C से अधिक हो जाता है, जिसमें सामान्य से 4.5 °C से 6.4 °C तक का विचलन होता है।

भारत में हीटवेव मानदंड (IMD)

❖ सामान्य तापमान से विचलन
- **हीटवेव :** जब तापमान सामान्य से 4.5°C से 6.4°C अधिक हो।
- **गंभीर हीटवेव :** जब तापमान सामान्य से 6.4°C अधिक हो।

❖ पूर्ण अधिकतम तापमान
- **हीटवेव :** जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या उससे अधिक हो।
- **गंभीर हीटवेव :** जब तापमान 47°C से अधिक हो।

❖ तटीय क्षेत्रों के लिए, हीटवेव तब घोषित की जाती है जब तापमान 37°C या उससे अधिक हो, जिसमें विचलन 4.5°C या उससे अधिक हो।

डबल हीटवेव

❖ डबल हीटवेव अत्यधिक गर्मी की एक विस्तारित अवधि को संदर्भित करता है, जहाँ हीटवेव दिनों की संख्या मौसमी औसत से काफी अधिक होती है। यह निम्नलिखित कारणों से होता है–
- **जलवायु परिवर्तन :** वैश्विक तापमान में वृद्धि लंबे समय तक हीटवेव की स्थिति में योगदान करती है।
- **उच्च दबाव प्रणाली :** लगातार वायुमंडलीय दबाव ऊष्मा को रोककर शीतलन को कम करता है।
- **शहरी हीट आइलैंड :** कंक्रीट संरचनाओं और कम वनस्पति के कारण शहरों में तीव्र गर्मी का अनुभव होता है।

वर्ष 2025 के लिए IMD का हीटवेव पूर्वानुमान

❖ IMD के मौसमी हीट आउटलुक के अनुसार, भारत के अधिकांश भाग में मार्च से मई 2025 तक सामान्य से अधिक, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अनुभव होगा।

❖ **उत्तर-पश्चिम भारत :** सामान्य से दोगुनी संख्या में हीटवेव दिनों का सामना करने की उम्मीद है।

❖ **दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्र :** तापमान सामान्य से 1-2 °C अधिक बढ़ने का अनुमान है।

❖ **अस्थायी राहत :** राजस्थान से उत्तर-पश्चिमी हवाएँ थोड़े समय के लिए तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट ला सकती हैं।

डबल हीटवेव का प्रभाव

सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम

❖ हीटस्ट्रोक, निर्जलीकरण और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में वृद्धि।

❖ बुजुर्गों और बाहरी श्रमिकों सहित कमज़ोर आबादी को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कृषि चुनौतियाँ

❖ अत्यधिक गर्मी से फसल की पैदावार कम हो सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

❖ पानी की कमी और भी बदतर हो सकती है, जिससे सिंचाई व पशुधन प्रभावित हो सकते हैं।

बुनियादी ढाँचे पर दबाव

❖ पावर ग्रिड में बिजली की मांग बढ़ सकती है, जिससे बिजली गुल हो सकती है।

❖ सड़कों और रेलमार्गों को गर्मी से होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे परिवहन प्रभावित हो सकता है।

शमन रणनीतियाँ

सरकारी पहल

- आई.एम.डी. अधिकारियों और नागरिकों को अत्यधिक गर्मी की स्थिति के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए दैनिक हीटवेव बुलेटिन, विस्तारित पूर्वानुमान और प्रभाव-आधारित चेतावनियाँ प्रदान करता है।
  - शहरों को कूलिंग शेल्टर और जल वितरण बिंदुओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **हीट इंडेक्स (प्रायोगिक) :** तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को मापता है।
- **इंटरेक्टिव मैप :** वास्तविक समय के तापमान के रुझान और हीटवेव पूर्वानुमान दिखाते हैं।
- **NDMA दिशा-निर्देश :** हीटवेव के प्रभावों को कम करने के लिए निवारक उपाय सुझाना।

सामुदायिक जागरूकता

- सार्वजनिक अभियान जलयोजन, बाहरी गतिविधियों से बचने और हल्के कपड़े पहनने को बढ़ावा देते हैं।
- स्कूल और कार्यस्थल गर्मी के संपर्क को कम करने के लिए शेड्यूल को समायोजित कर सकते हैं।

दीर्घकालिक समाधान

- हरित स्थानों और शहरी शीतलन रणनीतियों का विस्तार करके गर्मी के प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने से गर्मी के प्रति संवेदनशील बिजली ग्रिड पर निर्भरता कम हो जाती है।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

भारतीय संघवाद की भेद्यता

भारतीय संघीयता की संवैधानिक संरचना

- भारतीय संघवाद संविधान में संरचित एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति के वितरण का आधार प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान में संघवाद का निर्माण एक संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अपने-अपने अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संघीय ढाँचे के भीतर संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जो संविधान में बदलाव को लेकर एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

अनुच्छेद 368 की महत्ता और इसकी संवैधानिक भूमिका

- संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत, संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव किया जा सकता है, बशर्ते इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाए।
- अनुच्छेद 368 का मुख्य उद्देश्य संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना और सुनिश्चित करना है कि इसे केवल राज्यों और संसद के समन्वय से किया जा सके।
  - यह उस संघीय ढाँचे को संरक्षित रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिसे भारतीय संविधान में लागू किया गया है।
- इस अनुच्छेद के अंतर्गत, सामान्यतः संशोधन के लिए संसद का बहुमत आवश्यक होता है, लेकिन कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
  - विशेष रूप से संघीयता से संबंधित मुद्दों को संशोधित करने के लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक है।
- हालाँकि कुछ समूहों का मानना है कि संविधान में संघीय प्रावधानों के साथ जुड़ी संवैधानिक प्रक्रियाओं की परिभाषा में अस्पष्टता है, जिससे भविष्य में संघीय संरचना के लिए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।
  - संघीय मामलों की परिभाषा को संकीर्ण रूप से पेश किया गया है, जिससे राज्य सरकारों के अधिकारों और शक्तियों पर खतरा मंडरा सकता है।

भारतीय संघवाद में मौजूद कमियाँ

- संविधान में संघीय प्रावधानों को संशोधित करने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया गया है कि यह भविष्य में राज्य सरकारों के अधिकारों पर केंद्र सरकार की बढ़ती निर्भरता का कारण बन सकता है।
- अनुच्छेद 368 के तहत, संसद का सामान्य बहुमत और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति, इस प्रक्रिया में भूमिका निभाती है, लेकिन यह प्रक्रिया कमज़ोर है, क्योंकि 'संघीय मुद्दों' की परिभाषा इतनी संकीर्ण है कि वह महत्त्वपूर्ण मामलों को नज़रअंदाज़ कर देती है।
- जब तक 'संघीय मुद्दों' की परिभाषा को स्पष्ट और विस्तृत नहीं किया जाता, तब तक केंद्र सरकार को इस प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए राज्य सरकारों के अधिकारों पर अनुचित प्रभाव डालने का अवसर मिल सकता है।
  - उदाहरण के लिए, यदि राज्य के अधिकारों में किसी तरह का संशोधन किया जाता है, तो वह राज्य सरकारों के लिए समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है, खासकर जब वे उन मुद्दों पर सहमत नहीं हों।

- इस प्रकार अनुच्छेद 368 की सीमाएँ भारतीय संघवाद की स्थिरता के लिए खतरे की घंटी हैं।

राज्य पुनर्गठन और समान चुनाव प्रणाली के प्रयास

- भारत में संघीय संरचना पर दबाव डालने वाली घटनाओं में राज्यों के पुनर्गठन और समान चुनावों की दिशा में किए जा रहे प्रयास शामिल हैं।
- राज्यों के पुनर्गठन के समय, केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय लिए जाते हैं, जो संघीय सिद्धांतों की अवहेलना कर सकते हैं।
  - उदाहरण के तौर पर, हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन, और अन्य राज्य पुनर्गठन योजनाएँ संघीय सिद्धांतों के खिलाफ मानी जा सकती हैं, क्योंकि इन निर्णयों में राज्यों की सहमति नहीं ली जाती।
- समान चुनावों की प्रणाली की ओर बढ़ने के प्रयास भी संघवाद के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं।
- समान चुनावों का विचार राज्यों की संवैधानिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकता है क्योंकि इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाने की संभावना है।
  - इससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, जो भारतीय संघीयता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

संविधान में सुधार की आवश्यकता

- भारतीय संघवाद की संरचना को मज़बूत करने के लिए संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है।
- सबसे पहले, अनुच्छेद 368 के तहत संघीय मुद्दों की परिभाषा को विस्तृत किया जाना चाहिए, ताकि महत्त्वपूर्ण संघीय मुद्दों में संशोधन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और संपूर्ण रूप से संरक्षित किया जा सके।
- राज्यों की सहमति की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों में राज्य सरकारों की आवाज़ और चिंताओं को भी उचित रूप से शामिल किया जाए।
- संविधान में राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट और मज़बूत प्रावधान होना चाहिए। यदि राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, तो यह भारतीय संघवाद को और अधिक स्थिर और समृद्ध बनाएगा।
- इसके साथ ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संतुलित संबंधों को बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।

न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन

संदर्भ

भारत एक विशाल और विविध लोकतंत्र है, जहाँ विभिन्न भाषाएँ, संस्कृतियाँ और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ सह-अस्तित्व में हैं। इस लोकतंत्र की बुनियादी नींव 'प्रत्येक व्यक्ति का मत समान मूल्य रखता है' सिद्धांत पर टिकी है। लेकिन जब जनसंख्या का असमान वितरण होता है और चुनावी क्षेत्र वर्षों तक पुनर्निर्धारित नहीं होते, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देने लगता है। इसी संदर्भ में 'परिसीमन' एक आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है।

परिसीमन की अवधारणा और संवैधानिक पृष्ठभूमि

- परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण जनसंख्या में आए परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है, ताकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसके जनसंख्या अनुपात के अनुसार हो सके।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।
- वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन और वर्ष 2001 में 84वें संशोधन के ज़रिए परिसीमन को वर्ष 2026 तक स्थगित कर दिया गया।
  - इसका उद्देश्य उन राज्यों को दंडित होने से बचाना था जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है।
  - लेकिन इस स्थगन का एक दीर्घकालिक प्रभाव यह हुआ कि आज उत्तर भारत के निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण भारत की तुलना में कहीं अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे प्रतिनिधित्व में भारी असमानता उत्पन्न हो गई है।

आगामी परिसीमन और क्षेत्रीय चिंताएँ

- वर्ष 2026 की जनगणना के बाद होने वाले नए परिसीमन को लेकर विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में चिंता व्याप्त है।
- दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनः आवंटन से उनकी राजनीतिक शक्ति घट सकती है।
  - तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, अब इस कारण से अपने राजनीतिक प्रभाव में कटौती का सामना कर सकते हैं।

सुझाव

पात्र मतदाताओं को आधार बनाना

- विशेषज्ञों का सुझाव है कि परिसीमन के लिए कुल जनसंख्या के बजाय 'पात्र मतदाताओं की संख्या' को आधार बनाया जाए।

- यह प्रस्ताव उन राज्यों को कुछ राहत प्रदान कर सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू किया है।
- साथ ही यह 'एक व्यक्ति, एक मत' के सिद्धांत की रक्षा भी कर सकता है।

आर्थिक योगदान के आधार पर

- एक अन्य प्रस्ताव यह है कि केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि आर्थिक योगदान को भी लोक सभा सीटों के आवंटन का आधार बनाया जाए।
- महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य राष्ट्रीय जी.डी.पी. में बड़ा योगदान देते हैं। उनका तर्क है कि उन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में मिलना चाहिए।

संवैधानिक और व्यावहारिक जटिलताएँ

- संविधान का अनुच्छेद 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि लोक सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होगा।
- ऐसे में यदि केवल पात्र मतदाताओं को आधार बनाया जाता है, तो यह 'प्रत्येक नागरिक का समान प्रतिनिधित्व' के मौलिक सिद्धांत को कमज़ोर कर सकता है।
- इसके अलावा, पात्र मतदाताओं की संख्या को आधार बनाना उन क्षेत्रों को लाभ पहुँचा सकता है जहाँ मतदाता पंजीकरण अधिक है, भले ही उनकी वास्तविक जनसंख्या कम हो।
  - इससे न केवल एक नया असंतुलन उत्पन्न होगा, बल्कि संविधान के मूल ढाँचे में हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ेगी।
- यद्यपि यह प्रस्ताव न्यायसंगत प्रतीत हो सकता है, परंतु यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आर्थिक क्षमता से जोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर कर सकता है।
  - प्रतिनिधित्व सभी नागरिकों का अधिकार है, न कि केवल आर्थिक रूप से सक्षम राज्यों का।

संघवाद और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन

- भारत का संघीय ढाँचा राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर आधारित है। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किया जाता है, तो हिंदी भाषी उत्तरी राज्यों की शक्ति और बढ़ जाएगी।
- इससे दक्षिण भारत के राज्य जो पहले ही अपने सीमित राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, और अधिक हाशिए पर आ सकते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से भी भारत की राजनीति में उत्तर भारत का वर्चस्व रहा है। यदि यह शक्ति असंतुलन और बढ़ता है, तो यह क्षेत्रीय तनाव उत्पन्न कर सकता है और भारतीय संघवाद की स्थिरता को चुनौती दे सकता है।

महिला आरक्षण और परिसीमन का अंतर्संबंध

- वर्ष 2023 में पारित 128वाँ संविधान संशोधन महिला आरक्षण को वैधानिक रूप से लागू करता है।
  - इसके तहत लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान है।
  - परंतु इस प्रावधान को लागू करने की शर्त अगले परिसीमन से जुड़ी है, जिसका अर्थ है कि यह आरक्षण वर्ष 2026 के बाद ही प्रभावी होगा।
- यह स्थिति यह दर्शाती है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को भी परिसीमन से जोड़ा गया है, जिससे यह प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है।
- यदि परिसीमन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित नहीं किया गया, तो यह सुधार केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाएगा।

आगे की राह

परिसीमन की इस जटिल बहस को सुलझाने के लिए कुछ संभावित रास्ते निम्नलिखित हो सकते हैं–

- **द्विस्तरीय मॉडल :** लोक सभा में जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और राज्य सभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देकर संतुलन साधा जा सकता है।
- **विकास सूचकांकों का उपयोग :** जनसंख्या के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर जैसे मानव विकास सूचकांकों को भी परिसीमन में शामिल किया जा सकता है।
- **पात्र मतदाता + जनसंख्या का संयुक्त मॉडल :** एक मिश्रित मॉडल अपनाया जा सकता है जिसमें कुल जनसंख्या और पंजीकृत मतदाताओं दोनों को ध्यान में रखा जाए।
- **संविधान संशोधन द्वारा स्पष्टता :** यदि नए प्रस्ताव अपनाए जाते हैं, तो उन्हें संवैधानिक ढाँचे में समाहित करना आवश्यक होगा ताकि कानूनी विवादों से बचा जा सके।
- **महिला प्रतिनिधित्व को परिसीमन से स्वतंत्र बनाना :** महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन की प्रतीक्षा आवश्यक न हो, इस दिशा में अलग से संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

परिसीमन केवल चुनावी सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की आत्मा को परिभाषित करता है। यह प्रक्रिया यदि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप संचालित की जाती है, तो यह भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को और मज़बूत कर सकती है।

साइन्स रिपोर्टर

पशु कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश का उपयोग

संदर्भ

कोशिका विकास में हाल ही में हुई सफलताओं ने वैज्ञानिकों को पशु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे वे संभावित रूप से प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हो गए हैं। पौधे और पशु जीव विज्ञान का यह संलयन सेलुलर क्षमताओं की सीमाओं का विस्तार करता है।

प्रकाश संश्लेषण का विज्ञान और जानवरों के लिए चुनौती

- प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइ-ऑक्साइड को शर्करा व ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं।
- पशु कोशिकाएँ ऑक्सीजन का उपभोग, जबकि कार्बन डाइ-ऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। ये स्वाभाविक रूप से प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होती हैं।
- पशु कोशिकाओं को क्लोरोप्लास्ट से लैस करने के पिछले प्रयास पशु कोशिकाओं के गर्म वातावरण में झिल्ली की तरलता और प्रोटीन एकत्रीकरण जैसी चुनौतियों के कारण विफल हो गए हैं।

प्रकाश संश्लेषक पशु कोशिकाओं का विकास

- टोक्यो विश्वविद्यालय की एक टीम ने पशु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट को शामिल करने में सफलता प्राप्त की।
- टीम ने साइनिडियोसिजन मेरोला (एक लाल शैवाल जो उच्च तापमान में पनपता है।) से क्लोरोप्लास्ट का उपयोग किया और उन्हें चीनी होमस्टर अंडाशय कोशिकाओं के साथ सह-संवर्द्धित किया।
- दो दिनों के बाद, लगभग 20% कोशिकाओं ने क्लोरोप्लास्ट को शामिल कर लिया था और प्रकाश संश्लेषण के संकेत दिखाए थे।

भविष्य की संभावनाएँ

- यह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषक पशु कोशिकाओं के विकास में मदद कर सकता है, जो सेलुलर ऊतक इंजीनियरिंग के लिए नई संभावनाएँ प्रदान करता है।
- यह तकनीक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचाकर, कोशिका वृद्धि और प्रसार को बढ़ाकर सिंथेटिक मांस, त्वचा व अंगों जैसे प्रयोगशाला में उगाए गए ऊतकों के उत्पादन का समर्थन कर सकती है।

चिकित्सा और खाद्य उत्पादन पर प्रभाव

- पशु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट को शामिल करने की सफलता भोजन और चिकित्सा के भविष्य में क्रांति ला सकती है।
- प्रकाश संश्लेषक कोशिकाएँ बहुस्तरीय जैविक उत्पादों के उत्पादन में वर्तमान चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकती हैं, जो सिंथेटिक जीव विज्ञान में नए नवाचारों के द्वार खोलती हैं।

ग्लोबल वार्मिंग और सामूहिक विलुप्ति

ग्लोबल वार्मिंग और पौधों का विलुप्त होना

- 1750 से अब तक लगभग 600 पौधों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं जो विलुप्त हो चुकी जानवरों की प्रजातियों की संख्या से दोगुनी है।
- अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट (AWI) के विशेषज्ञों ने झील के तलछट से प्राचीन डी.एन.ए. का विश्लेषण किया, जो लगभग 15,000-11,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के बाद वार्मिंग के दौरान वनस्पति परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

प्राचीन डी.एन.ए. के माध्यम से रहस्यों को उजागर करना

- प्रजातियों के स्तर की पहचान के लिए पारंपरिक पराग विश्लेषण अपर्याप्त था।
- अलास्का और साइबेरिया में तलछट कोर से उन्नत डी.एन.ए. अनुक्रमण का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पिछले 30,000 वर्षों में पौधों की संरचना में विस्तृत परिवर्तनों का पुनर्निर्माण किया।
  - इससे पहले अज्ञात प्रजातियों की उपस्थिति और गायब होने के पैटर्न का पता चला।

तापमान द्वारा पौधों की परस्पर क्रियाओं में परिवर्तन

- शोध के अनुसार, ठंड के मौसम में पौधों की प्रजातियाँ एक-दूसरे का समर्थन करती हैं, जिससे विविधता को बढ़ावा मिलता है।
- गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है, जिससे पेड़ों और झाड़ियों जैसे लकड़ी वाले पौधों को फायदा होता है।

सबसे ज्यादा जोखिम वाली प्रजातियों की पहचान करना

- प्राचीन डी.एन.ए. के अभिनव सांख्यिकीय फिल्टरिंग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने विलुप्त पौधों की जैसे- मैमथ की पहचान की है।
- उन्होंने पाया कि जैव-विविधता वाले क्षेत्रों में घास और झाड़ियाँ लकड़ी वाले पौधों की तुलना में विलुप्त होने के लिए अधिक संवेदनशील हैं।

निष्कर्ष

- विभिन्न हालिया अध्ययन पौधों की विलुप्त होने की दर और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण मानक प्रदान करते हैं।
- अध्ययन के निष्कर्ष दीर्घकालिक जैव-विविधता अनुसंधान के महत्त्व पर बल देते हैं, क्योंकि प्राचीन डी.एन.ए. यह अनुमान लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में आर्कटिक और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार नया आकार देगा।

निबंध उद्धरण

आंतकवाद से संबंधित उद्धरण

- आतंकवाद एक सतत् और विकसित हो रहा वैश्विक खतरा है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है।
  –संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस
- मानवाधिकारों का उल्लंघन न केवल आतंकवाद, दमन या हत्या से होता है, बल्कि अनुचित आर्थिक संरचनाओं से भी होता है जो भारी असमानताएँ पैदा करती हैं। *–पोप फ्रॉंसिस*
- आतंकवाद एक नासूर बन चुका घाव है। यह मानवता का दुश्मन है। *–अटल बिहारी वाजपेयी*
- राजनीतिक नेता अभी भी सोचते हैं कि बल प्रयोग से काम तो हो सकता है, लेकिन इससे आतंकवाद का समाधान नहीं हो सकता है। पिछड़ापन ही आतंक का प्रजनन स्थल है और हमें इसी से लड़ना है। *–मिखाइल गोर्बाचेव*
- संस्कृत साहित्य का ज्ञान वैश्विक तापमान वृद्धि, असंवहनीय उपभोग, सभ्यतागत टकराव, गरीबी, आतंकवाद आदि जैसी समकालीन समस्याओं का समाधान खोजने में बहुत सहायक होगा। *–सुषमा स्वराज*
- यह लोगों के मन का संघर्ष है कोई भी कारण आतंकवाद का सहारा लेने को उचित नहीं ठहराता। *–मनमोहन सिंह*
- हमें आतंकवाद को नेम-प्लेट से नहीं देखना चाहिए- वे किस समूह से संबंधित हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, पीड़ित कौन हैं। ये व्यक्तिगत समूह या नाम बदलते रहेंगे। आज आप तालिबान या आई.एस.आई.एस. को देख रहे हैं; कल आप किसी और नाम को देख सकते हैं। *–नरेंद्र मोदी*
- हर कोई आतंकवाद को रोकने के बारे में चिंतित है। इसका एक आसान तरीका है, इसमें भाग लेना बंद करो। *–नोम चोम्स्की*
- बँदूकों से आप आतंकवादियों को मार सकते हैं, शिक्षा से आप आतंकवाद को मार सकते हैं। *–मलाला यूसुफज़ई*
- आतंकवाद को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आतंकित न हो। *–सलमान रुश्दी*
- विविधता मानव अस्तित्व का एक पहलू है जिसे आतंकवाद या युद्ध या स्वार्थी घृणा से मिटाया नहीं जा सकता है। इसे केवल उन मूल्यों की समृद्धि को पहचान कर और उन पर दावा करके ही जीता जा सकता है जो यह सभी के लिए प्रतिनिधित्व करती है। *–एबरजानी*
- आतंकवाद मानवीय गरिमा का अपमान है।
  –केजेल मैग्ने बोंडेविक
- जब किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, उसके अधिकारों का हनन होता है और उसे उचित शिक्षा नहीं मिलती है तो स्वाभाविक रूप से वह आतंकवाद की ओर आकर्षित होता है।
  –शिरीन एबादी
- अगर आप हज़ारों या लाखों अज्ञात लोगों को अपने देश/घर में घुसने देते हैं तो आतंकवाद का खतरा काफी बढ़ जाएगा।
  –विक्टर ओरबान
- आतंकवाद एक ऐसे युद्ध का व्यवस्थित हथियार बन गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है या जिसका शायद ही कोई चेहरा हो। *–जैक्स शिराक*
- आतंकवाद असंभव की मांग करने और उसे बँदूक की नोक पर मांगने की रणनीति है। *–क्रिस्टोफर हिचेन्स*
- निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या करना आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध नहीं। *–नोम चोम्स्की*
- बड़े पैमाने पर आप्रवासन के पीछे आतंकवाद है।
  –मरीन ले पेन
- शांति और आतंकवाद की ताकतों को कमज़ोर करने के लिए लोकतंत्र ज़रूरी है। *–बेनजीर भुट्टो*
- आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आतंकवादी समाज में भय, अनिश्चितता एवं विभाजन पैदा करके हमें हेरफेर करने और हमारे व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं।
  –पैट्रिक जे. कैनेडी
- आतंकवाद को देश की सुरक्षा के मद्देनज़र देखा जाना चाहिए, न कि जाति, पंथ एवं धर्म के संकीर्ण नज़रिए से।
  –ऑस्कर फर्नांडीस
- मैं आतंकवाद से बिलकुल भी नहीं डरता हूँ। मुझे हमारी आज़ादी के खोने, गतिशीलता के खोने, वैश्विक भाईचारे के खोने का डर है। *–पैटी स्मिथ*
- आतंकवाद को सैन्य कार्रवाई से नहीं जीता जा सकता है। आतंकवाद की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हमें इसके खिलाफ मज़बूती से खड़ा होना चाहिए और इसे खत्म करने के सभी तरीके खोजने चाहिए। हमें आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करना चाहिए, ताकि इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। *–मुहम्मद यूनुस*
- आतंकवाद एक विकेंद्रीकृत घटना है- इसके वित्तपोषण, नियोजन एवं क्रियान्वयन में। *–रिचर्ड एन. हास*

क्विक रिवीज़न

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- दिल्ली सरकार द्वारा सस्ती दरों पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के आधार पर दिल्ली में 5,000 जल ATMs की स्थापना की जाएगी।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में 18 स्थलों के नामों में परिवर्तन किया गया है।
- हैदराबाद स्थित ध्रुव स्पेस कंपनी ने जापान स्थित इन्फोस्टेलर उपग्रह सुविधा प्रदाता कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की है।
- इसरो ने 2,000 kN (किलोन्यूटन) के उच्च थ्रस्ट वाले सेमीक्रायोजेनिक इंजन या लिक्विड ऑक्सीजन/केरोसीन इंजन के डिज़ाइन व विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है जो प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3) के सेमीक्रायोजेनिक बूस्टर चरण को शक्ति प्रदान करेगा।
- कंबोडिया के दक्षिणी तट पर स्थित रीम नौसैनिक अड्डा का चीन द्वारा पुनर्निर्माण कर उद्घाटन किया गया।
- वरिष्ठ CPI(M) नेता मरियम अलेक्ज़ेंडर बेबी को तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित पार्टी कांग्रेस में पार्टी का महासचिव चुना गया। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के बाद वह पार्टी की केरल इकाई से इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे नेता बन गए हैं।
- चीन ने अंटार्कटिका स्थित एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में 3.2 मीटर एपर्चर (द्वार) वाली रेडियो/मिलीमीटर-वेव दूरबीन 'थ्री गॉर्जेस अंटार्कटिक आई' (Three Gorges Antarctic Eye) का अनावरण किया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंदन में आयोजित भारत-यूके आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के 13वें दौर (9 अप्रैल, 2025) में भाग लिया।
- श्रीपेरंबदूर स्थित मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरिना (MIKA) को CIK-FIA ग्रेड-1 प्रमाणन प्राप्त हुआ है जिससे यह सुविधा विश्व के श्रेष्ठ कार्टिंग सर्किट्स में शामिल हो गई है। 1.17 किमी. लंबा यह सर्किट भारत का सबसे लंबा कार्टिंग ट्रैक है।
- टेनिस दिग्गज बिली जीन किंग नई 'खेल मनोरंजन श्रेणी' में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं।
- दक्षिण कोरिया में 3 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति यूं सूक येओल के उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। वर्ष 2024 के अंत में अवैध तरीके से मार्शल लॉ लागू करने के कारण रूढ़िवादी नेता को पद से हटा दिया गया है।
- नासा के जॉनी किम और रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री सोयूज एम.एस.-27 अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचे। यह यान कज़ाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से सोयूज रॉकेट के साथ प्रक्षेपित किया गया।
- मुंबई में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के NXT25 शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों के बीच लगभग 50 अरब डॉलर के समझौता ज्ञापन (MoU) की घोषणा की गई।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के मध्य वार्ता के बाद इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि दोनों देशों के मध्य रक्षा उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग द्विपक्षीय सहयोग का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- एस्टोनिया के राष्ट्रपति ने 9 अप्रैल, 2025 को एक संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर कर नया कानून बनाया, जिसके तहत गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के स्थानीय चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम बाल्टिक राज्य में रूसी अल्पसंख्यकों को लक्षित करके उठाया गया है।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा और भारत के संघीय ढाँचे को पुनर्संतुलित करने के उपायों की समीक्षा करने व सिफारिश करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे, अन्य सदस्य पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी अशोक वर्द्धन शेट्टी एवं अर्थशास्त्री एम. नागनाथन हैं।

- भारत के निवर्तमान (51वें) मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की सिफारिश सरकार से की है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
- व्यापार आँकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ 99.2 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया है जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के आयात में तेज़ वृद्धि है।
- तेलंगाना के नांगुनुरु गाँव में स्थित सबसे ऊँची जैन मूर्ति (वर्द्धमान महावीर तीर्थंकर की मूर्ति) उत्खनन गतिविधियों के कारण खतरे में है।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल अनिल चौहान ने 16 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में आयोजित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल अवार्ड समारोह के दौरान सैन्य टोही, अन्वेषण व साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सशस्त्र बलों के चार जवानों को सम्मानित किया।
- पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत की पुस्तक 'द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई' में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारुक अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 पर रुख को लेकर जम्मू एवं कश्मीर में राजनीतिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में कहा है कि महिला की परिभाषा जैविक लिंग (Biological Sex) पर आधारित है और इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल नहीं किया गया है।
- वर्ष 2010 के बाद पहली बार बांग्लादेश एवं पाकिस्तान देशों के मध्य ढाका में विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) एक विदेश सचिव स्तरीय वार्ता आयोजित करने के लिए तैयार हैं। यह वर्ष 2010 के बाद से दोनों देशों के बीच पहली ऐसी द्विपक्षीय बैठक है।
- विकसित देशों में दालों, आवश्यक तेल, ताज़े फल व सब्ज़ियों जैसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारत का जैविक उत्पाद निर्यात वर्ष 2024-25 में 34.6% बढ़कर 665.96 मिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 494.8 मिलियन डॉलर था।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया है और वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर हुई हिंसा की जाँच के लिए एक टीम गठित की है।
- उत्तराखंड में 4.53 किमी. लंबी सिल्क्यारा सुरंग की खुदाई 16 अप्रैल, 2025 को पूरी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इसका नामकरण स्थानीय देवता बाबा बौखनाग के नाम पर किया जाएगा।
- 'ऑलिव रिडले कछुआ 03233' लगभग 4,500 किमी. की लंबी व कठिन यात्रा के कारण चर्चा में रहा। यह कछुआ ओडिशा के गहिरमाथा से पूर्वी तट और संभवतः श्रीलंका के चारों ओर एक चक्कर लेते हुए, उत्तर में जाफना तक, फिर तिरुवनंतपुरम की यात्रा करते हुए पश्चिमी तट के साथ आगे बढ़ते हुए अंत में रत्नागिरी के तट पर पहुँचा।
- भारत व अमेरिका की बीच द्विपक्षीय त्रि-सैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास 'टाइगर ट्रायम्फ' के चौथे संस्करण का आयोजन 1 से 7 अप्रैल के मध्य विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2025 की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' है।
- म्याँमार और थाईलैंड में 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार ने 'ऑपरेशन ब्रह्मा' की शुरुआत की जिसमें सतपुड़ा, सावित्री, करमुक एवं एल.सी.यू. 52 नामक जहाज़ों द्वारा राहत सामग्री पहुँचायी गई।
- भारतीय वायुसेना, हेलेनिक वायु सेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास 'इनीयोंकॉस-25' (INIOCHOS-25) में भाग लिया। यह आयोजन ग्रीस के एन्द्रविदा एयर बेस में किया गया।
- विकसित भारत युवा संवाद, 2025 का आयोजन 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने राजकोषीय डाटा तक पहुँच को मज़बूत करने के लिए 'नीति एन.सी.ए.ई.आर. राज्य आर्थिक मंच' (NITI NCAER states Economic Forum)' पोर्टल लॉन्च किया।
- हॉलीवुड के 'बैटमैन फॉरएवर' के अभिनेता वैल किल्मर का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- पूनम गुप्ता को आर.बी.आई. का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया।
- शर्ली अयोरकोर बोचवे (घाना) राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी।
- IFS ऑफिसर निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है।
- खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे शनि की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है तथा यह बृहस्पति को पीछे छोड़कर हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है।
- छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया। सम्मेलन का इस वर्ष का विषय है 'बिम्सटेक- समृद्ध, लचीला एवं मुक्त।' इस शिखर सम्मेलन में बैंकॉक विज़न 2030 को अपनाया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5150 किमी. के लक्ष्य के मुकाबले 5,600 किमी. से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया।
- भारतीय नौसेना ने मेक-I श्रेणी के तहत 6 मेगावाट मध्यम गति वाले समुद्री डीज़ल इंजन के डिज़ाइन एवं विकास के लिए परियोजना स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा नई दिल्ली में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ हुआ।
- 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 4 से 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के झाँसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मोबाइल इकाइयों के माध्यम से निवासियों के दरवाज़े पर 47 नैदानिक परीक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसे 104 सेवाओं के रूप में जाना जाता है।
- FAO द्वारा 'सतत् कृषि खाद्य प्रणाली परिवर्तन के लिए खेतों पर रोगाणुरोधी दवाओं की आवश्यकता को कम करना' (Reduce the Need for Antimicrobials on Farms for Sustainable Agrifood Systems Transformation (RENOFARM) पहल शुरू की गई है। यह पहल देशों को एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करने में मदद करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण प्रदान करके टिकाऊ पशुधन परिवर्तन को बढ़ावा देती है।
- बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता एवं फिल्म निर्माता मनोज कुमार, जिन्हें 'भारत कुमार' के नाम से जाना जाता था, का निधन हो गया।
- कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 के लिए 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-II' (VVP-II) को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए कुल 6,839 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।
- भारतीय एवं रूसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'इंद्र 2025' 28 मार्च से 02 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किया गया। यह इस अभ्यास का 14वाँ संस्करण था जिसे समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- तेलंगाना की 'वारंगल चपाता मिर्च' जिसे (टमाटर मिर्च भी कहा जाता है) को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है।
- नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन (IRCP) 2025 का आयोजन किया गया। इस दो-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से किया था।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में इफको के बीज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी।
- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देहरादून में दो-दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर, 2025 का आयोजन किया गया जिसका मुख्य फोकस प्रभावी अभिसरण, केंद्र-राज्य समन्वय में वृद्धि एवं ज़मीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की समावेशी डिलीवरी पर है।
- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में किसान ज्ञान संवर्द्धन केंद्र एवं महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया।
- भारतीय नौसेना जलयात्रा प्रशिक्षण केंद्र, कोलाबा (मुंबई) से कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. रमेश द्वारा मुंबई-सेशेल्स-मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' 7 अप्रैल, 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के साथ दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- ब्रह्माकुमारीज की प्रमुख आध्यात्मिक नेता और मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी का 8 अप्रैल, 2025 को अहमदाबाद में निधन हो गया।

- बानू मुश्ताक की पुस्तक 'हार्ट लैंप' अंतर्राष्ट्रीय बुकर शॉर्टलिस्ट में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक बन गई है।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चैत्र नवरात्रि के दौरान एक अप्रैल को शुरू किए गए 'शक्ति वाटिका: आस्था व हरियाली' अभियान के तहत वन विभाग द्वारा 781 धार्मिक स्थलों पर 11,047 पौधे लगाए गए।
- केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू एवं कश्मीर के नत्थाटॉप के ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र में 'हिमालयी उच्च ऊँचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र' का उद्घाटन किया।
- इज़रायल के कृषि मंत्री अवी दिक्तेर की भारत यात्रा के दौरान भारत-इजरायल के मध्य खाद्य सुरक्षा सहित कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने RRB समेकन के चौथे चरण के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय को अधिसूचित किया। यह कदम 'एक राज्य, एक RRB' के सिद्धांत का पालन करता है जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता व लागत युक्तिकरण में सुधार करना है।
- भारत एवं अफ्रीकी देश समुद्री डकैती तथा अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 'अफ्रीका-इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट' (ऐक्यमेय) में शामिल हो रहे हैं। संस्कृत में 'ऐक्यमेय' का अर्थ एकता होता है। यह समुद्री अभ्यास दार-ए-सलाम (तंज़ानिया) में किया जा रहा है।
- 'वृक्ष मित्र' के नाम से तेलंगाना की प्रसिद्ध दारिपल्ली रमैया का निधन हो गया। इनको वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए।
- कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया।
- न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- केरल का धर्मदाम अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला पहला निर्वाचन क्षेत्र बना।
- तेलंगाना अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।
- मोहन बागान सुपर जायंट ने फाइनल में बेंगलुरु एफ.सी. को हराकर वर्ष 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग (ISL) का 11वाँ संस्करण जीत लिया।
- उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित जाँच, अभियोजन एवं दोषसिद्धि पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- केरल ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- जापान ने छह घंटे से भी कम समय में दुनिया का पहला 3डी-प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
- एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) की 2024 वैश्विक रैंकिंग में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का नौवाँ सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।
- श्रम मंत्रालय ने गिग सेक्टर में रोज़गार बढ़ाने के लिए स्विगी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- अपनी तरह की पहली पहल के तहत भारतीय रेलवे ने परीक्षण के तौर पर महाराष्ट्र में मनमाड-सी.एस.एम.टी. पंचवटी एक्सप्रेस में एक स्वचालित टेलर मशीन स्थापित किया है।
- भारत-उज़्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्टलिक-VI का छठा संस्करण पुणे के औंध में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ।
- नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में पोटचेफस्ट्रूम इनविटेशनल टूर्नामेंट में 84.52 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।
- बोस संस्थान के प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में एलिस के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेकथ्रू पुरस्कार, 2025 से सम्मानित किया गया है।
- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के सम्मान व संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है 'आपदाओं एवं संघर्षों से खतरे में विरासत: आई.सी.ओ.एम.ओ.एस. की 60 वर्ष की कार्रवाइयों से तैयारी व सीख'।
- श्रीमद्भगवद्गीता एवं नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया।

- आंध्र प्रदेश में दुनिया की पहली एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित की गई।
- भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10 में भाग लिया।
- सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और शिक्षक ए.पी. बालचंद्रन का कोयंबटूर में निधन हो गया। ये मौलिक कणों के भौतिकी को समझने के लिए किए गए शोध के लिए जाने जाते थे।
- कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण लागू किया।
- मार्क कार्नी को कनाडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
- नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर कार्बनयुक्त खनिजों की खोज की है।
- भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) की स्थापना तमिलनाडु के कलपक्कम में की गई।
- भारत ने अपनी पाँचवीं समुद्री मत्स्यपालन जनगणना शुरू की है। इस जनगणना में पूरी तरह से डिजिटल दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में समुद्री मछली पकड़ने वाले समुदायों पर व्यापक डाटा एकत्र करना है।
- मेक्सिको एवं अमेरिका ने रियो ग्रांडे बेसिन से जल वितरण के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया।
- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने हाल ही में 'प्रकृति बहाली के लिए अभिनव निगरानी को गति देना' (AIM4 NatuRe : Accelerating Innovative Monitoring for Nature Restoration) पहल शुरू की है। यूनाइटेड किंगडम से 7 मिलियन पाउंड के वित्त पोषण वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की निगरानी व रिपोर्टिंग को बढ़ाना है।
- भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की है।
- मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी अक्षय ऊर्जा नीति के तहत 'मध्य प्रदेश में जैव ईंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना' शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य को जैव ईंधन उत्पादन में अग्रणी बनाना है।
- भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल-मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए फ्राँस के साथ 63,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया है।
- दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की थी।
- भारत ने हाल ही में मध्य अरब सागर में अपना समुद्री दावा लगभग 10,000 वर्ग किमी. तक बढ़ा दिया है।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने सैटेलाइट बस एज ए सर्विस (SBaaS) नाम से एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारत में निजी कंपनियों को सैटेलाइट-बस प्लेटफॉर्म डिज़ाइन व विकास के लिए प्रोत्साहित करना है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय के साथ सूचना साझा करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- एआई किरण भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय आंदोलन है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन (RCA) के लिए एक राष्ट्रीय योजना को मंज़ूरी दी है।
- भारत ने वर्ष 2026 तक खसरा व रूबेला को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- 16 अप्रैल, 2025 को भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के जनासू में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के सफल निर्माण की घोषणा की।
- केंद्र सरकार मिशन अन्वेषण को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह पहल तेल और गैस भंडारों का मानचित्रण करने के लिए भूकंपीय सर्वेक्षणों को प्रोत्साहित करती है।
- भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 'स्टार्टअप्स के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक वाहन समाधान (EVolutionS: Electric Vehicle solution led by Startups)' कार्यक्रम शुरू किया है।
- चीन ने हाइड्रोजन-आधारित विस्फोटक उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- माइक्रोबायोम अनुसंधान में हाल की प्रगति ने मीथेन उत्पादक आर्किया की पहले से अज्ञात एक प्रजाति 'मीथेनोब्रेविबैक्टर इंटेस्टाइनी' का पता लगाया है।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन

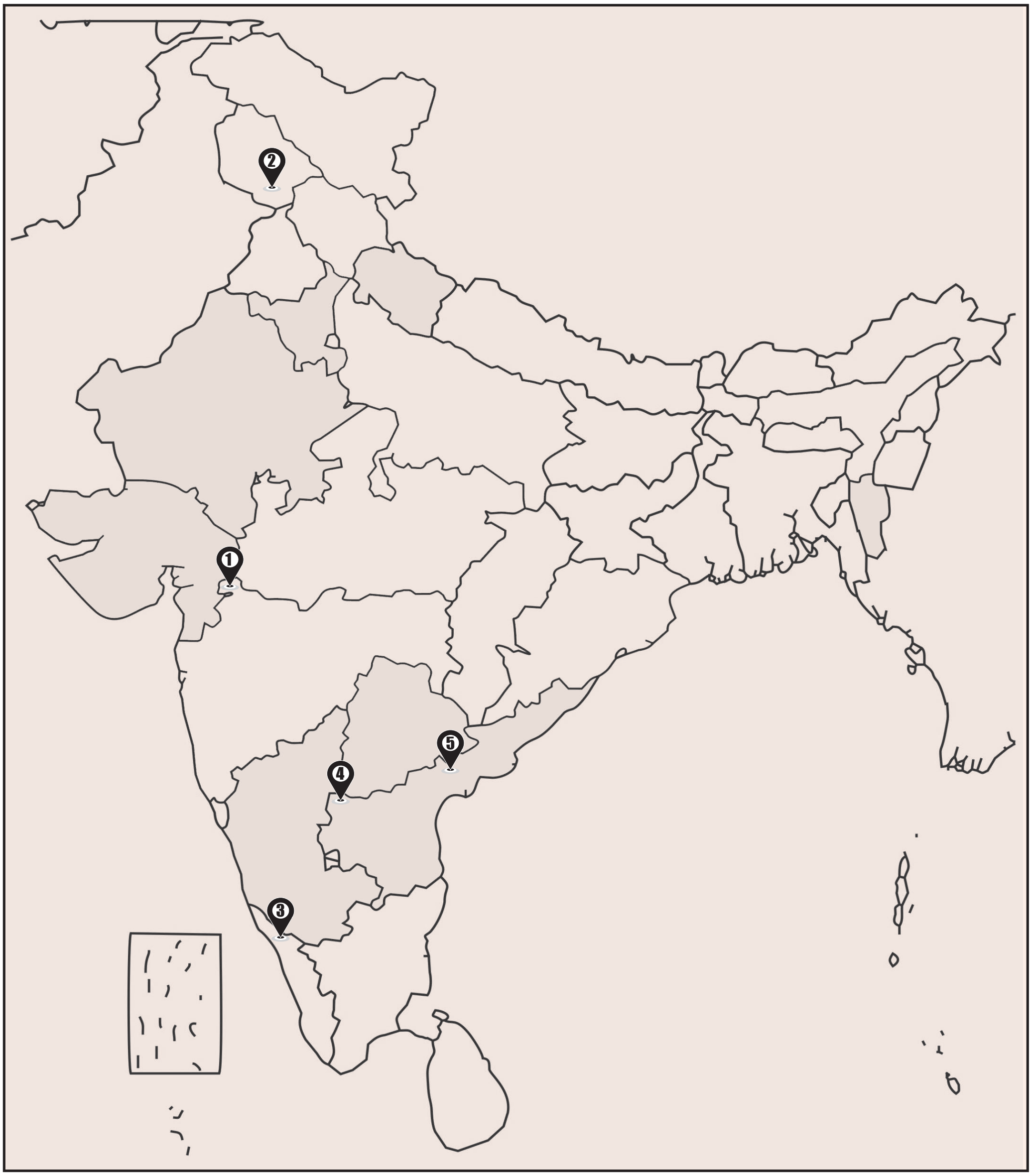

मानचित्र-1 (भारत)

1. वह ज़िला जहाँ पर हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान ज्ञान संवर्द्धन केंद्र और महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया।
2. वह ज़िला जहाँ पर अवस्थित नत्थाटॉप के ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र में केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'हिमालयी उच्च ऊँचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र' का उद्घाटन हाल ही में किया।
3. वह ज़िला जहाँ पर अवस्थित धर्मदाम अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला पहला निर्वाचन क्षेत्र बना।
4. वह ज़िला जहाँ पर अवस्थित पिन्नापुरम में दुनिया की पहली एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित की गई।
5. वह स्थान जहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव स्थापित किया जा रहा है।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 161 पर देखें)

मानचित्र अध्ययन

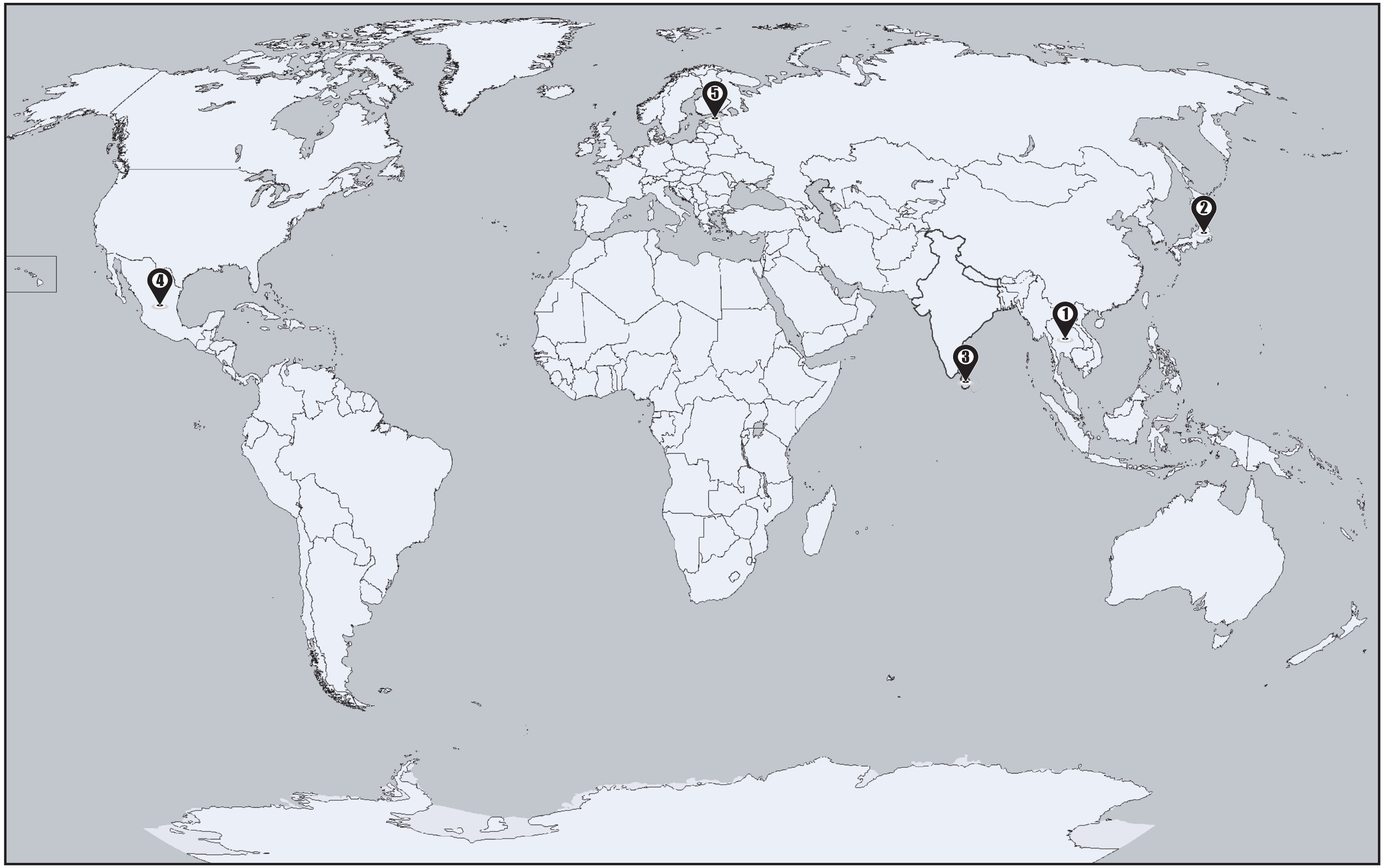

मानचित्र-2 (विश्व)

1. वह देश जहाँ पर हाल ही में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
2. वह देश जिसने हाल ही में छह घंटे से भी कम समय में दुनिया का पहला 3डी-प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3. वह देश जहाँ पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।
4. वह देश जिसने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रियो ग्रांडे बेसिन से जल वितरण के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया है।
5. वह देश जिसने हाल ही में एक नया कानून बनाया, जिसके तहत गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के स्थानीय चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 161 पर देखें)

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. सिंधु जलसंधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पाकिस्तान को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज के जल उपयोग का अधिकार है।
2. भारत को पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब के जल उपयोग का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. हाल ही में चर्चित 'पापल कॉन्क्लेव' (Papal Conclave) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के चयन की प्रक्रिया है।
2. इस प्रक्रिया में 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल मतदान कर सकते हैं।
3. पापल कॉन्क्लेव में चयन के लिए उम्मीदवार को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. हाल ही में किस राज्य द्वारा बाघ अभयारण्यों के बफर ज़ोन के समग्र विकास के लिए 'बाघ अभयारण्य बफर ज़ोन विकास योजना' को मंज़ूरी दी गई है?
(a) मध्य प्रदेश (b) कर्नाटक
(c) राजस्थान (d) महाराष्ट्र

4. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. जनसंख्या की बेहद कम दर या घटती जनसंख्या
2. परंपरागत, आदिम जीवनशैली
3. कृषि के आदिम तरीके
4. शैक्षणिक और तकनीकी पिछड़ापन

उपर्युक्त में से कितने मानदंडों के आधार पर किसी जनजाति को PVTG घोषित किया जाता है?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

5. हाल ही में डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो-कॉन्टिनेंट की खोज कहाँ की गई है?
(a) दक्षिणी अटलांटिक महासागर
(b) उत्तरी प्रशांत महासागर
(c) उत्तरी अटलांटिक महासागर
(d) दक्षिणी प्रशांत महासागर

6. आर्यभट्ट उपग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह है।
2. इसे फ्रांस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था।
3. इस मिशन की अवधि 5 वर्ष, 11 महीने थी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

7. नोज़ल डायवर्जेंट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह रॉकेट इंजन का वह हिस्सा है जो गैसों को तेज़ी से बाहर निकालकर थ्रस्ट उत्पन्न करता है।
2. यह, इंजन के ऑपरेशन के दौरान बेहद उच्च तापमान (1100°C से अधिक) और यांत्रिक दबाव सहन करने की क्षमता रखता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. विलुप्त हो चुके 'स्टेगोडॉन गणेशा' नामक प्राचीन हाथी प्रजाति के दुर्लभ जीवाश्मों की खोज हाल ही में कहाँ की गई?
(a) कर्नाटक (b) तमिलनाडु
(c) तेलंगाना (d) महाराष्ट्र

9. पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह भूमिगत खानों में रिक्त स्थानों को भरने पर केंद्रित एक उन्नत खनन तकनीक है।
2. इसमें खनन के दौरान निकाली गई अपशिष्ट खनिज सामग्री को ही खदान में भर दिया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

10. निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक धरोहरों की पांडुलिपियाँ यूनेस्को की 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल नहीं हैं?

(a) श्रीमद्भगवद्गीता (b) सामवेद
(c) नाट्यशास्त्र (d) ऋग्वेद

11. अरल सागर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ताज़े पानी की विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है।
2. यह कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है।
3. इसमें पहले आमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ अपना मुहाना बनाती थीं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

12. व्हीकल-टू -ग्रिड (V2G) तकनीक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बैटरियों को ग्रिड में वापस बिजली (शक्ति) भेजने में सक्षम बनाती है।
2. इसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक दिशीय चार्जर का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

13. निसार उपग्रह मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दुनिया का पहला द्वि-आवृत्ति (dual-frequency) सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है।
2. मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म और धीमे बदलावों की निगरानी करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

14. होल्कर वंश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह, इंदौर रियासत पर केंद्रित मराठा साम्राज्य की एक प्रमुख शाखा थी।
2. इस वंश की स्थापना यशवंतराव होल्कर द्वारा की गई थी।
3. अहिल्याबाई होल्कर ने राजधानी का इंदौर से महेश्वर स्थानांतरण किया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. हाल ही में चर्चित 'बाकू टू बेलेम रोडमैप' का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(a) साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों की प्रतिबद्धता
(b) विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त जुटाना
(c) संयुक्त राष्ट्र द्वारा लैंगिक विभेद समाप्त करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश
(d) सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति

16. गूगल द्वारा लॉन्च 'आयरनवुड' (Ironwood) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक उन्नत कंप्यूटर चिप तथा सातवीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) है।
2. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

17. बायोसिग्नेचर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक ऐसा वैज्ञानिक संकेत, पदार्थ, तत्त्व, अणु या विशेषता है जो किसी खगोलीय पिंड पर जीवन की उपस्थिति का संकेत देता है।
2. इसे 'केमिकल फॉसिल' या 'मॉलिक्यूलर फॉसिल' भी कहा जाता है।
3. मीथेन, ऑक्सीजन और जटिल कार्बनिक अणु भौतिक बायोसिग्नेचर के उदाहरण हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

18. टाइप 5 डायबिटीज़ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ महासंघ (IDF) द्वारा इसे एक स्वतंत्र डायबिटीज़ श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है।
2. यह कुपोषण से संबंधित एक विशेष प्रकार का डायबिटीज़ है जो मुख्यत: दुबले-पतले, कुपोषित किशोरों एवं युवाओं को प्रभावित करता है।
3. इसका पहला मामला वर्ष 1955 में नाइजीरिया में पाया गया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. मसाई जनजाति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पश्चिमी एशिया में निवास करने वाला जनजाति समूह है।
2. ये बोमा नामक बस्तियों में रहते हैं जो कँटेदार झाड़ियों एवं लकड़ियों से बनी हुई और घिरी होती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2 दोनों
(c) केवल 2 (d) न तो 1, न ही 2

20. भारतीय कपास निगम (CCI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनीरत्न उपक्रम है।
2. इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

21. हाल ही में खबरों में रहा 'K2-18b' निम्नलिखित में से क्या है?

(a) उल्कापिंड (b) ब्लैकहोल
(c) आकाशगंगा (d) एक्सोप्लैनेट

22. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इनकी स्थापना आर.आर.बी. अधिनियम, 1976 के तहत की जाती है।
2. इनका विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

23. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, समग्र मानदंडों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों का सही क्रम कौन-सा है?

(a) कर्नाटक > आंध्र प्रदेश > तेलंगाना > केरल
(b) आंध्र प्रदेश > तेलंगाना > कर्नाटक > केरल
(c) तेलंगाना > केरल > कर्नाटक > आंध्र प्रदेश
(d) केरल > कर्नाटक > आंध्र प्रदेश > तेलंगाना

24. 'निवेशक दीदी' पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है।
2. इसके प्रथम चरण की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

25. नाग मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक स्वदेशी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है।
2. इसे बख्तरबंद वाहनों एवं टैंकों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

26. भारतीय नौसेना द्वारा 'प्रोजेक्ट वर्षा' के तहत अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी बेस आई.एन.एस. वर्षा का निर्माण किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित है?

(a) कर्नाटक (b) गोवा
(c) तमिलनाडु (d) आंध्र प्रदेश

27. ग्रेट व्हाइट शार्क के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कार्चारोडोन वंश की एकमात्र ज्ञात जीवित प्रजाति है।
2. इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटमुक्त (LC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख संकेतक प्रजाति की भूमिका निभाती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

28. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी।
2. योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

29. हाल ही में, किस राज्य में वुली फ्लाइंग गिलहरी के अस्तित्व का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया?

(a) अरुणाचल प्रदेश (b) तमिलनाडु
(c) गुजरात (d) हिमाचल प्रदेश

30. पीएम पोषण योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2021 में प्रारंभ यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
2. इसे पहले मिड-डे मील योजना के रूप में जाना जाता था।
3. इसका उद्देश्य स्कूलों में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही पोषण सहायता प्रदान करना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

31. बैंकनेट पोर्टल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस पोर्टल को आर.बी.आई द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
2. इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए NPA ऋणों की वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी करना है।
3. यह पोर्टल स्वचालित के.वाई.सी. एवं सुरक्षित भुगतान गेटवे की सुविधा देता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. भारत में प्रत्यर्पण ढाँचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा शासित होता है।
2. प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।
3. निर्णय से संबंधित अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

33. निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक, ज्योतिराव फुले द्वारा नहीं लिखी गई?

(a) गुलामगिरी (b) किसान का धर्म
(c) शूद्रों के लिए संदेश (d) जाति प्रथा का विनाश

34. पंचायत उन्नति सूचकांक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया।
2. यह स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति के आकलन पर आधारित है।
3. अग्रणी (Front Runner) राज्यों की श्रेणी में गुजरात का पहला स्थान है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

35. डायर वुल्फ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हिमयुग के दौरान यह प्रजाति उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के जंगलों व घास के मैदानों में पाई जाती थी।
2. यह मैमथ, बाइसन एवं स्लॉथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने वाला विशाल मांसाहारी स्तनपायी था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

36. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह धारा उन कार्यों को दंडित करती है जो लापरवाहीवश किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने की आशंका उत्पन्न करते हैं।
2. यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर बीमारी फैलाने का कार्य करता है, तो यह धारा लागू होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

37. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. शक्ति संतुलन में स्थिरता
2. ईरान के प्रॉक्सी युद्धों का जोखिम
3. परमाणु प्रसार का खतरा
4. परमाणु अप्रसार संधि के प्रभाव में कमी

निम्नलिखित में से कितने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से खतरों के संदर्भ में सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

38. आर.बी.आई. के त्रि-भाषा फॉर्मूला के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर.बी.आई. द्वारा वर्ष 2020 से यह सभी बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया।
2. इसका उद्देश्य अंग्रेज़ी भाषा के प्रभाव को कम करना है।
3. इसकी सिफारिश कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

39. उद्योगों की नीली (ब्लू) श्रेणी के संदर्भ में, कौन-सा कथन सही **नहीं** है?

(a) इस श्रेणी की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी।

(b) इन उद्योगों को आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(c) यह उद्योग प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

(d) नई श्रेणी में उद्योगों में अपशिष्ट-से-ऊर्जा भस्मक उद्योगों का समावेश किया गया है, जो वस्तुतः प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं।

40. 'बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2025' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका विषय 'बिम्सटेक : समृद्ध, लचीला एवं खुला' है।
2. इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश द्वारा की गई।
3. यह सम्मेलन विगत सात वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक है।

उपर्युक्त कथनों में कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

41. पोस्टपार्टम प्रीक्लेम्पसिया (Postpartum Preeclampsia) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो कुछ महिलाओं में बच्चे को जन्म देने के बाद उत्पन्न हो सकती है।
2. इस रोग से पीड़ित माँ से जन्म लेने वाले बच्चे में आनुवंशिक बीमारी हो सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

42. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

(GI टैग प्राप्त उत्पाद)		(संबंधित राज्य)
1. वारंगल चपाता मिर्च	:	केरल
2. कन्नडिप्पया हस्तशिल्प	:	तेलंगाना
3. दार्जिलिंग चाय	:	असम

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

43. देवगिरी किले के संदर्भ में, कौन-सा कथन सही **नहीं** है?

(a) यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में स्थित है।

(b) इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक भील पंचम द्वारा कराया गया था।

(c) इस किले को दौलताबाद का किला भी कहा जाता है।

(d) किले की रणनीतिक अवस्थिति एवं वास्तुकला के कारण महाराष्ट्र के सात आश्चर्यों में से एक माना जाता है।

44. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी।
2. इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना है।
3. इसके तहत 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल-फ्री संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

45. हाल ही में 'थियोबाल्डियस कोंकणेंसिस' नामक स्थलीय घोंघे की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है?

(a) महाराष्ट्र (b) कर्नाटक

(c) गोवा (d) त्रिपुरा

46. जिप्सम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में जिप्सम भंडार की दृष्टि से गुजरात का प्रथम स्थान है।
2. यह मृदा कंडीशनर के रूप में भी कार्य करता है।
3. यह कृषि क्षेत्र में कैल्सियम व सल्फर का प्रमुख स्रोत है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

47. बायोमास उपग्रह मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नासा का 'जलवायु एवं पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम' के अंतर्गत सातवाँ मिशन है।
2. इसका उद्देश्य वैश्विक वनों का मानचित्रण करने के साथ-साथ कार्बन स्तर का मापन करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

48. 'जिबली कला' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस कला के जनक प्रसिद्ध जापानी एनिमेटर हयाओ मियाज़ाकी हैं।
2. 'जिबली' शब्द उत्तरी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली गर्म रेगिस्तानी पवन से लिया गया है।
3. इस कला से बनी छवियाँ प्रायः प्रकृति, पहचान एवं मानवीय संबंधों जैसे विषयों से संबंधित होती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

49. 'समुद्र प्रदक्षिणा मिशन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन अभियान है।
2. इसके तहत मुंबई से मॉरीशस के बीच यात्रा की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

50. 'अंतर-संसदीय संघ' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय स्तर के संसदों का वैश्विक संगठन है।
2. इसकी स्थापना वर्ष 1889 में की गई।
3. इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 154 & 155) के उत्तर

मानचित्र-1 (भारत)

1. नंदुरबार ज़िला (महाराष्ट्र)
2. उधमपुर ज़िला (जम्मू एवं कश्मीर)
3. कन्नूर ज़िला (केरल)
4. कुरनूल ज़िला (आंध्र प्रदेश)
5. अमरावती (आंध्र प्रदेश)

मानचित्र-2 (विश्व)

1. थायलैंड
2. जापान
3. श्रीलंका
4. मेक्सिको
5. एस्टोनिया

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्नों के उत्तर

1	(d)	2	(a)	3	(a)	4	(d)	5	(c)	6	(b)	7	(c)	8	(d)	9	(c)	10	(b)
11	(c)	12	(a)	13	(c)	14	(b)	15	(b)	16	(c)	17	(a)	18	(b)	19	(c)	20	(a)
21	(d)	22	(c)	23	(a)	24	(c)	25	(c)	26	(d)	27	(b)	28	(b)	29	(d)	30	(b)
31	(c)	32	(a)	33	(d)	34	(b)	35	(c)	36	(a)	37	(c)	38	(d)	39	(a)	40	(b)
41	(a)	42	(a)	43	(b)	44	(d)	45	(a)	46	(b)	47	(b)	48	(d)	49	(a)	50	(c)

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना लोकतंत्र की मज़बूती के लिए आवश्यक है। न्यायाधीशों की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। चर्चा कीजिए।
2. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
3. भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है?
4. बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025 के प्रमुख परिणामों का उल्लेख करते हुए संगठन के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और उनके संभावित समाधान का विश्लेषण कीजिए।
5. प्रत्यर्पण प्रक्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहयोग तंत्र है, किंतु इसकी सफलता राजनीतिक इच्छा-शक्ति, कानूनी सामंजस्य और मानवाधिकार संतुलन पर निर्भर करती है। हालिया तहव्वुर राणा मामले के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रत्यर्पण ढाँचे की विवेचना कीजिए। साथ ही, प्रत्यर्पण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और समाधान उपायों पर चर्चा कीजिए।
6. अमेरिका द्वारा हाल में अपनाई गई रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के आलोक में वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। भारत को इस स्थिति में किस प्रकार रणनीतिक रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, चर्चा कीजिए।
7. 'बायोमास उपग्रह मिशन जैसे पृथ्वी अन्वेषण कार्यक्रम न केवल जलवायु परिवर्तन की निगरानी में सहायक हैं, बल्कि वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।' बायोमास मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा उसके संभावित प्रभावों की विवेचना कीजिए।
8. कार्बन अधिकारों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में कार्बन अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन-कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं? चर्चा कीजिए।
9. भारत में जिप्सम खनन का आर्थिक महत्त्व एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? संधारणीय खनन प्रथाओं की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए।
10. भारत की राष्ट्रीय सैन्य अंतरिक्ष नीति के उद्देश्यों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर चर्चा करें। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन-से समाधान उपयुक्त होंगे?
11. नागरिक विवादों का अपराधीकरण भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है? इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन-से उपाय किए जा सकते हैं?
12. तमिलनाडु एवं असम में स्थानीय भाषाओं को सरकारी कार्यों में अनिवार्य करने का निर्णय भारतीय राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव डाल सकता है? इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं?
13. भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जलसंधि के निलंबन के कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं?
14. चीन की 'सलामी स्लाइसिंग' रणनीति के भू-राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करें। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और पीत सागर में इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह रणनीति किस प्रकार क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है?
15. रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Creative Economy) के संदर्भ में भारत में उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण करें। रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रगति के लिए किन नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है?
16. उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली (Satellite-Based Tolling System) के प्रमुख लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण करें। इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत को किन तकनीकी, सामाजिक और कानूनी सुधारों की आवश्यकता है?
17. व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक के लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण करें। भारत में इस तकनीक के सफल क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार की नीतिगत, तकनीकी और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है?
18. एंटीबायोटिक प्रदूषण, विशेष रूप से भारत में एक उभरता हुआ पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। इस प्रदूषण के प्रमुख कारणों, प्रभावों और समाधान के उपायों का विश्लेषण करें।
19. हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में हिम स्थायित्व (Snow Persistence) में हो रही गिरावट के प्रभाव का विश्लेषण करें। इस गिरावट के प्रमुख कारणों और इसके जलवायु, कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र व भू-राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा करते हुए संभावित समाधान प्रस्तुत करें।
20. भारत में मानव तस्करी एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या बनी हुई है। मानव तस्करी के कारण, इसके प्रमुख उद्देश्य और प्रभाव, तथा इससे निपटने के लिए आवश्यक कानूनी, संस्थागत और सामुदायिक उपायों पर चर्चा करें।

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

प्रत्येक माह नया बैच आरंभ

हाइब्रिड कोर्स ऑफलाइन + ऑनलाइन

SPECIAL OFFER

9555 124 124

दिल्ली एवं प्रयागराज

इतिहास
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

भूगोल
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय : कार्यक्रम की विशेषताएँ
- मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

GS EXTENSIVE COURSE Prelims + Mains
- लगभग 650 कक्षाओं का एक्स्टेंसिव स्टडी प्रोग्राम
- AI द्वारा समर्थित अध्यापन प्रविधि का प्रयोग
- प्रत्येक टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल तक कवरेज

INDIVIDUAL MENTORING
- शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने का प्रशिक्षण
- उत्तर लेखन में सुधार के लिए पर्सनल गाइडेंस
- स्टडी इम्प्रूवमेंट के लिए वन-टू-वन सेशन

PGP PRELIMS GUIDANCE Programme
- प्रत्येक टॉपिक के लिए महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सिनॉप्सिस
- विगत 13 वर्षों के PYQs में पैटर्न के अनुरूप संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीज़न

PCS COURSES
- UPPSC फाउंडेशन कोर्स
- BPSC फाउंडेशन कोर्स
- MPPSC फाउंडेशन कोर्स
- RAS फाउंडेशन कोर्स
- UP-RO/ARO

MMP MAINS MENTORSHIP Programme
- संस्कृति IAS की कोर फैकल्टी द्वारा Daily पर्सनल मेंटरिंग की सुविधा
- चारों प्रश्नपत्रों पर आधारित 70 टेस्ट का Intensive Test Programme

IGP INTERVIEW GUIDANCE Programme
- एक्सपर्ट के साथ वन-टू-वन सेशन
- DAF एनालिसिस एक्सपर्ट के साथ सीधा संवाद
- इंटरव्यू पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू सेशन्स

CSAT COURSE
- गणित और रीज़निंग का बेसिक से एडवांस लेवल तक Step-by-Step अध्यापन
- कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को सटीक और त्वरित ढंग से हल करने के लिए डायनमिक मेथडलॉजी

NCERT COURSE
- प्रत्येक विषय की कक्षा 6 से 12 तक की NCERT पर कक्षानुसार लैक्चर
- NCERT पर आधारित प्रिलिम्स और मेन्स के प्रश्नों पर चर्चा

QAD PROGRAMME
- GS के सभी टॉपिक्स के विगत वर्षों के PYQs पर विस्तृत प्रश्नोत्तर चर्चा
- प्रिलिम्स परीक्षा में जटिल प्रश्नों को सुगमता से हल करने में सक्षम बनाना

CURRENT AFFAIRS Programme
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रमों का विस्तृत कवरेज
- फैकल्टी द्वारा समसामयिक घटनाक्रमों का विषयवार डिस्कशन

Mode of Courses
- Hybrid Course — Offline Classroom & Online Live Stream
- Offline Classroom
- Online Live Stream — 3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

sanskritiias.com

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

UPSC फाउंडेशन कोर्स

GS ONLY	GS+CSAT	VOD COURSE
PRELIMS+MAINS	PRELIMS+MAINS	PRELIMS+MAINS
~~₹1, 10,000~~	~~₹1, 20,000~~	~~₹1, 10,000~~
₹ 50,000	₹ 55,000	₹ 40,000

UPTO 75% OFF
सभी लाइव/ऑनलाइन, पेनड्राइव, टेस्ट सीरीज़ और DLP कोर्सेज़ पर

OFFER VALID
26-31, May

इतिहास
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

भूगोल
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय : कार्यक्रम की विशेषताएँ

- मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

कोर्स फीस: ~~₹45,000~~ ₹ 17,500

UPPSC फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
कोर्स फीस: ~~₹1,00,000~~
₹30,000

BPSC फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
कोर्स फीस: ~~₹50,000~~
प्रिंटेड नोट्स के साथ फीस : ₹12,999
पीडीएफ नोट्स के साथ फीस : ₹10,000
मेन्स बैच फीस : ₹7,500

MPPSC फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
कोर्स फीस: ~~₹50,000~~
प्रिंटेड नोट्स के साथ फीस : ₹12,999
पीडीएफ नोट्स के साथ फीस : ₹10,000

RAS फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
कोर्स फीस: ~~₹50,000~~
प्रिंटेड नोट्स के साथ फीस : ₹12,999
पीडीएफ नोट्स के साथ फीस : ₹10,000

UP RO/ARO COURSE
सामान्य अध्ययन (प्री. + मेन्स) + सामान्य हिंदी + निबंध
कोर्स फीस: ~~₹10,000~~
₹ 3,999

NCERT ONLINE COURSE
सामान्य अध्ययन (प्री. + मेन्स) + सामान्य हिंदी + निबंध
कोर्स फीस: ~~₹11,000~~
₹ 5,500

UPPCS Mains 2024
क्रैश कोर्स / मेंटरशिप प्रोग्राम
कोर्स फीस: ~~₹20,000~~
FOR ONLINE : ₹5,000
FOR CLASSROOM ₹9,500

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555 124 124
sanskritiIAS.com
Follows us: YouTube